राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] नवम् विधान सभा के षष्टम् सत्र का बारहवां दिवस [संख्या : 9

शुक्रवार

6 मार्च, 1[illegible] को

राजस्थान विधान स[illegible] बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 177 श्री नत्थी सिंह।

तुरन्त प्राथमिकता योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन

177. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत ऐसी प्रार्थना की तिथि से 45 दिन की अवधि में कृषि कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान था ?

(2) क्या यह सही है कि तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत 13 हजार से अधिक आवेदकों को वर्ष 1991-92 में कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि 1991-92 में राज्य सरकार द्वारा 25 हजार कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की गई है ? यदि हां, तो क्या वह उक्त तुरन्त प्राथमिकता योज[illegible] के शेष बचे कनेक्शन के अन्तर्गत हैं ?

[illegible] क्या उक्त सभी कनेक्शन देने की क्षमता राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में है ? यदि हां, तो कब तक यह सारे कनेक्शन दे दिए जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामनारायण विश्नोई): (1) तुरन्त प्राथमिकता योजना के आवेदन की तिथि से लगभग दो माह में कृषि कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान था। प्रार्थना पत्रों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए बाद में आदेश दिनांक 25.1.91 द्वारा मांग पत्रों पर यह अंकित करने का निर्देश दिया गया कि आवेदक द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् विद्युत कनेक्शन जारी करने में लगभग तीन माह का समय लग सकता है।

(2) तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत 31.3.91 को केवल 7587 आवेदन पत्र लम्बित थे। वर्ष 1991-92 में 21 सितम्बर, 1991 तक 957 आवेदन और प्राप्त हुए। इन 8544 लम्बित आवेदनों में से माह जनवरी, 1992 तक 4719 कृषि कुओं को ऊर्जीकृत किया जा चुका है।

(3) जी हां। वर्ष 1991-92 के 25,000 कृषि कुओं का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऊर्जीकरण के इस निर्धारित लक्ष्य में तुरन्त प्राथमिकता योजना के कनेक्शन भी शामिल है।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

(4) जी हां। मार्च, 1992 तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है तुरन्त प्राथमिकता [illegible]ना के आवेदन की तिथि से लगभग दो माह में प्रावधान था, वह शब्द क्या दो माह है या 45 दिन है ? आपने जो आदेश प्रसारित किया है उसमें मैं यह भी जानना चाहूंगा कि 25.1.91 तक जब आप कहते हो बहुत आवेदन आ गए, कितने आवेदन आपके पास आ गए थे और उनमें से दो माह के अन्तर्गत आपने कितनों को कनेक्शन दिए ? 25.1.91 के बाद 21.3.91 तक कितने आवेदन आए और उनमें से औपचारिकता पूरी करने के बाद तीन महीने में आपने कितनों को कनेक्शन दे दिए ? इसके साथ ही मैं यह भी आपसे जानना चाहता हूं कि 7587 आवेदन पत्र शेष रहे, जो आपने बताये हैं 31.3.91 को इनमें से कितने की औपचारिकताएं इससे पहले हो गई थी और इनको आपने कनेक्शन कब दिए ? अब जो आपके 3825 शेष रह गए हैं यह कब से लम्बित हैं और इनकी औपचारिकताएं कब पूरी हो गई थीं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस योजना में कितना रुपया मण्डल में जमा हुआ और जिनको आप कनेक्शन नहीं दे पाए निर्धारित अवधि में क्या उनको आपने ब्याज दिया हैं ? एक बात जो आपने कही है पच्चीस हजार कनेक्शन की घोषणा जो की है उस पच्चीस हजार कनेक्शन में आप ने कहा है तुरन्त योजना वाले भी शामिल हैं। तो क्या यह सही है कि छोटे कृषकों को, गरीब लोगों को जो अपने पास से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते उनके लक्ष्य आपने कम कर दिए हैं बजाए पच्चीस हजार देने के ? इसके साथ ही तुरन्त योजना जो इसका नाम है और जिसे आप दे नहीं पा रहे तो इस तुरन्त योजना का नाम आप धीमी योजना करेंगे या इसको छोड़ देंगे ? साथ [illegible]त मैं आपसे और पूछना चा[illegible] कहा है प्रश्न के भाग (4) में मार्च तक हम लक्ष्य प्राप्ति करेंगे, तो मार्च तक क्या पच्चीस हजार की जो घोषणा की है उन सबको पूरा कर देंगे ? आपकी तकनीकी क्षमता क्या है ? इतना आपके पास सामर्थ्य है, दे पायेंगे, बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया कि दो माह से मतलब 45 दिन से है या दो माह से। इसमें जब तुरन्त प्राथमिक योजना की नीति निर्धारित की गई थी उस वक्त यही शब्द इस्तेमाल किये गए थे कि लगभग दो माह के भीतर कनेक्शन दे दिए जायेंगे। इस योजना के अन्दर पहले यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या के अन्दर लोग आवेदन पत्र अपने देंगे और इसमें करीब 22,302 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनके पेटे 27.51 करोड़ रुपये का अमाउण्ट जमा हुआ। जब ज्यादा संख्या के अन्दर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए तो यह बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा सम्भव नहीं था कि दो माह की अवधि के अन्दर सभी लोगों को कनेक्शन दिए जा सकें। उस स्थिति को देखते हुए यह निर्देश दिये गए कि तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लगभग तीन माह का समय लग

(श्री रामनारायण विश्नोई)

सकता है और बीच में काफी इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ कि यह योजना ठीक नहीं है। इस कारण से कुछ काम की गति धीमी हुई। परन्तु इसमें कुल मिलाकर के जैसा मैंने निवेदन किया है 12,860 आदमियों को 31.3.91 तक कनेक्शन दे दिये गये। जैसा कि माननीय सदस्यों ने यह जाहिर किया कि इसमें बोर्ड ने किसी से ज्यादा कोई पैसा ले लिया हो ऐसी स्थिति नहीं है। केवल 3715 एप्लीकेशन लम्बित हैं उनमें से माह फरवरी, 1992 के अन्दर एक हजार कनेक्शन और जारी कर दिये गये हैं। केवल मात्र दो हजार प्रार्थना पत्र उन्हीं लोगों के ज्यादातर रहे हैं जिनकी एक हजार रुपये की राशि जमा है। पूरी राशि जमा कराने वाले व्यक्तियों के साथ तो यही कोशिश की जा रही है कि इनको जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिये जाएं।

यह बात सही है कि पिछले साल 1991-92 में पच्चीस हजार कुओं को ऊर्जीकृत करने की घोषणा की गई थी। जब बोर्ड के पास साधन पच्चीस हजार कुओं को ऊर्जीकृत करने का था तो उसी हिसाब से जो दस से बारह हजार लम्बित प्रार्थना पत्र रह गये थे पिछले साल में 31.1.92 तक उन्हीं को इस पच्चीस हजार के अन्दर तुरन्त प्राथमिकता वालों को शामिल करके यह कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिनमें से करीब 18 हजार कनेक्शन इस साल दिये जा चुके हैं माह जनवरी, 1992 तक और कोशिश यह की जा रही है कि वह पच्चीस हजार का लक्ष्य पूरा कर दिया जाय।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल पूछा था, स्पष्ट जिसका जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा दो महीने में से जो आपने दिये थे उनमें कितनों को दे दिये और फिर आपकी तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तीन महीने में कितनों को दे दिए। साथ ही पच्चीस हजार का जो लक्ष्य था वह लक्ष्य तो साधारण किसानों के लिए था उसमें यह शामिल नहीं किए जा सकते तो यह माना जाए कि उस लक्ष्य को आपने कम कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : इनका जवाब दे दीजिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने निवेदन किया कि लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि इस साल के अन्दर पच्चीस हजार कनेक्शन दिए जायें। टोटल पच्चीस हजार से ज्यादा देने की क्षमता नहीं थी इसीलिए सारे कनेक्शन उसमें शामिल किए गए थे।

श्री अध्यक्ष : श्री मनीराम।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब भी चाहे एप्लीकेशन लगाई जाती है चाहे तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत हो चाहे साधारण योजना के अन्तर्गत हो क्या विभाग उस एप्लीकेंट के कुएं की खुदाई की तारीख से बिजली लगा देता है और पानी निकलता है या नहीं, उस कुए में पर्याप्त पानी है या नहीं है उसकी भी कोई देखभाल करता है ? या पहले ही वह कनेक्शन जारी कर देता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल): अध्यक्ष

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

महोदय, मैं आपके मध्यम से मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि तुरन्त प्राथमिक योजना के तहत भीनमाल उप खण्ड में आज की तारीख में कितने कनेक्शन दिये जाने शेष हैं ? उनके नहीं दिये जाने का क्या कारण हैं ? क्या वोल्टेज की प्राब्लम से नहीं दिए जाने वाले कनेक्शनों को एल फार्म निकालकर और उनकी पत्रावलियां खारिज की, ऐसा मन्त्रीजी की जानकारी में है ?

दूसरा, मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, इस बार जो कनेक्शन दिए जाने की सूची हमको....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक ही प्रश्न करिए। सप्लीमेंट्री पूछने वालों को एक ही प्रश्न करना चाहिए।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपकी भावना ठीक है अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के नाम पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पूछना, यह ठीक नहीं है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो इस साल कनेक्शन देने की जो प्राथमिकताएं रखीं उसमें से हमारे वहां पर मन्त्रीजी बताएं प्राथमिकता क्यों तोड़ी जा रही है और वहां वोल्टेज कम होने पर प्राथमिकता दूसरी क्यों बनाई जा रही है ? उनको कनेक्शन देने की क्या व्यवस्था मंत्री जी करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, सीकर में तुरन्त प्राथमिकता योजना में कितने लोगों ने आवेदन किया था एवं अब तक कितने लोगों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं और कितने शेष हैं ? कितने लोगों ने जो राशि जमा की थी उस पर राज्य सरकार कोई ब्याज देने का प्रावधान रखती है ? क्योंकि नार्म्स में यह तय किया हुआ था कि दो महीने में कनेक्शन दिए जाएंगे उसके बाद इन्होंने संख्या बढ़ाने से इसको बढ़ा दिया लेकिन राज्य सरकार के के पास जितना अमाउण्ट जो जमा हुआ उससे मण्डल को कितने रुपयों के ब्याज की मुक्ति मिली है यह स्पष्ट किया जाए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : आज तो बहुत समझदारी से बोले हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आपकी ही शिक्षा का परिणाम है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं कि 1991-92 में तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत आपने कितने कनेक्शन्स दिये ? साथ ही मुझे यह भी बताने का कष्ट करें कि अनुसूचित जाति और जन जाति को आपने कितने कनेक्शन्स इस वर्ष में दिये हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कोटा डिवीजन में और राज्य में अनुसूचित जाति जन जाति के लोगों के कितने प्रार्थना पत्र आये और उनके कितने

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

प्रार्थना पत्रों पर आपने अब तक कनेक्शन दे दिये तथा कितने शेष हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जिलों के प्रश्न के बारे में शायद ही मन्त्री महोदय जिलों का जवाब दे पाये। प्रश्न जिले से सम्बन्धित नहीं है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि आपने अभी कहा कि आपके पास इस योजना के अन्तर्गत चार हजार से ऊपर एप्लीकेशन्स पैण्डिग हैं। कितने समय से पैण्डिग है ? क्या आप इस सदन में कोई कमिटमेंट दे सकते हैं कि आप फलां तारीख तक उन चार हजार आदमियों को कनेक्शन्स दे देंगे। दूसरा, जो लोग नहीं लेना चाहते हैं कनेक्शन्स, आप नहीं दे पाये तो क्या बोर्ड की इच्छा उनका पैसा लौटाने की है ? क्योंकि आपने एक बात कह दी, अध्यक्ष महोदय, कि कुछ लोगों से हजार रुपये, ऐसा नहीं हुआ है उन लोगों से पूरी की पूरी लाइन की cost, they have deposited every single penny with the Board. जो कि हजारों रुपये हैं, एक हजार रुपये नहीं है। इस तुरन्त योजना के तहत, वह दूसरे हैं। मन्त्री महोदय यह बता दें कि आप रुपया लौटा देंगे या तारीख बता दें कि फलां तारीख पर उनको दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विवाद बहुत मोटा चल रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें....

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : यह पक्षपात कर रहे हो आप। आपकी विचार-धारा के लिए ही हमें यह जानने का.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि हम दोनों की तुलना करेंगे तो कौन पीछे रहेगा इसका आप ही अन्दाज लगा लें। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं इस संबंध मे कि बहुत समझदारी का सर्टिफिकेट दिया है। इस विषय में दो प्रकार की बातें चल रही है। एक तो तुरन्त योजना को चालू रखा जाय या इसको बन्द किया जाय। एक विचार यह आया कि तुरन्त योजना के कारण जो गरीब हैं या साधारण श्रेणी के किसान हैं वह वंचित रह जाते हैं और पैसे वाले आगे आ जाते हैं। मैं समझता हू कि उस बात में काफी वजन है और आप यह कह रहे हैं कि तुरन्त योजना वालों को दिया जाय। अब इन दोनों में विवाद है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि एप्लीकेशन्स ले ली, आइन्दा एप्लीकेशन्स ले नहीं रहे हैं जिनको एकॉमडेट किया जा सकता है, एकॉमडेट करेंगे और जो पैसे लेना चाहे उनको वापस दे देंगे।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या तुरन्त प्राथमिकता योजना जब लागू की गयी थी तो सरकार की मन्शा जो बजट टार्गेट हैं, उन्हीं में से तुरन्त प्राथमिकता योजना के कनेक्शन देने की थी ? दूसरा प्रश्न यह कि क्या यह सच है कि तुरन्त प्राथमिक योजना के कारण से जो गरीब किसान 10 साल से उस लाइन में बैठे थे उनका हक छीनकर पैसे वालों को वह कनेक्शन्स दिये गये ? तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या तुरन्त प्राथमिक योजना के

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

कारण से राजस्थान विद्युत मण्डल को कोई बहुत सारा लाभ हुआ है ? ऐसा मुझे तो प्रतीत नहीं होता है। इसको भी आप सदन में स्पष्ट करें कि तुरन्त प्राथमिकता योजना से राजस्थान विद्युत मण्डल के घाटे में कितनी पूर्ति आपने की, इसको स्पष्ट तौर पर बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई जी।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि तुरन्त प्राथमिकता योजना केवल मात्र बोर्ड को पैसा उपलब्ध कराने के लिए लागू की गयी थी ? क्योंकि बोर्ड के पास चार सौ-पांच सौ करोड़ रुपये का घाटा है। और आपके पास काम करने को है नहीं इसलिए आपने देखा कि धनी किसान हैं वह इसमें पैसा लगा देंगे। अगर यही योजना थी तो और कोई ऐसी योजना बनाइये ताकि यह घाटा पूर्ति कम हो सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसी योजना तैयार है। अगर विपक्ष के सदस्य सहयोग करेंगे तो वह योजना सदन के सामने रख देंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : विपक्ष की मजबूरी है यह तो करना ही पड़ेगा इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : योजना रखेंगे तभी तो सहयोग की बात उठेगी।....(व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको तो मन्त्रीजी से घर में ही पूछने का मौका मिल जायेगा। इनको नहीं मिलता है।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि अविद्युतिकृत गांवों में तुरन्त प्राथमिक योजना के तहत यह घोषणा की थी कि राजस्थान के अविद्युतिकृत गांवों में यदि पांच एप्लीकेशन्स किसानों की होगी तो हम उस गांव का विद्युतीकरण कर देंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि कितने प्रार्थना-पत्र आपके समक्ष विचाराधीन है जिन पर अभी तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? क्या आप उन अविद्युतिकृत गांवों में तुरन्त योजना के तहत कनेक्शन्स देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि 22,302 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं और उन प्रार्थना पत्रों में से 1.4.91 तक केवल 7,587 प्रार्थना पत्र लम्बित रहे। 1990-91 के अन्दर 35 हजार कुओं को ऊर्जीकृत करके उनमें से ज्यादा बड़ी संख्या, तुरन्त प्राथमिकता योजना के साधारण श्रेणी के जो आदमी थे उनको कनेक्शन्स दिये गये। 1.4.91 के बाद में, सितम्बर, 1992 में अब इस योजना को बन्द किया गया। तब तक करीब 957 प्रार्थना पत्र और उपलब्ध हो गये थे और इस प्रकार 8544 प्रार्थना पत्र कुल हमारे पास जनवरी, 1992 तक पैंडिग थे। जिनमें से जैसा मैंने निवेदन किया 4719 कुओं को ऊर्जीकृत किया जा चुका है केवल मात्र 3715

(श्री रामसिंह विश्नोई)

एप्लीकेशन्स पैंडिंग रही हैं। फरवरी के अन्दर एक हजार कनेक्शन दिये जाने की वजह से केवल मात्र दो हजार ऐसे आदमी हैं जिनके प्रार्थना पत्र लम्बित रहे। माननीय सदस्य श्री दहिया साहब ने पूछा कि जालौर खण्ड के अन्दर क्या स्थिति है। जालौर खण्ड के अन्दर 1.4.91 में 54 प्रार्थना पत्र पैण्डिग थे और सितम्बर, 92 तक करीब 47 प्रार्थना पत्र और उपलब्ध हुए। 101 कुल प्रार्थना पत्रों में से जनवरी, 92 तक 96 व्यक्तियों को कनेक्शन्स दिये जा चुके हैं बाकी जो पांच आदमी रहे हैं उनकी प्रक्रिया जारी है।

जहां तक श्री नत्थीसिंह जी के जिले का प्रश्न है वहां पर 279 एप्लीकेशन्स जनवरी, 92 तक थी। जिनमें से अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि केवल मात्र 2 कनेक्शन बाकी रहे हैं, बाकी 277 आदमियों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। इसी प्रकार से सीकर जिले की जो स्थिति है वह भी कोई बुरी नहीं है। वहां पर भी 1225 तो अप्रैल, 91 तक प्रार्थना पत्र लम्बित थे। 117 प्रार्थना पत्र सितम्बर, 91 तक और उपलब्ध हुए। 1342 में से 840 प्रार्थना पत्र जनवरी, 92 तक निर्णीत किये जा चुके हैं। इसी प्रकार माननीय श्री रामेश्वर दयाल यादव ने इस योजना के लागू करने से साधारण श्रेणी के लोगों के ऊपर कुछ कुठाराघात होने की सम्भावना व्यक्त की। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे साधारण श्रेणी के सदस्यों के हकों पर कोई कुठाराघात नहीं हुआ है उनको राहत मिली है। बहुत से लोग जो कुछ अपने साधन जुटा सकते थे उनका नम्बर पैंडिंग एप्लीकेशन्स में से हटा करके तुरन्त प्राथमिकता में आने की वजह से साधारण श्रेणी के व्यक्तियों का नम्बर कुछ जल्दी आया है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : साधारण श्रेणी के लोगों को वापस पीछे जाना पड़ेगा जल्दी थोड़े ही आयेगा।

श्री अध्यक्ष : यादव साहब यह डिबेट का विषय नहीं है। प्रश्न का इससे सम्बन्ध नहीं है। मैं आपको डिबेट के लिए अलाऊ नहीं करूंगा। आपने गांवों के विद्युतीकरण के लिए पूछा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : कितनी राशि जमा हुई, उसकी जांच के बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : एक सवाल को 20 मिनट हो गये हैं। अब आगे चलिये। आगे और इम्पोर्टेन्ट सवाल है... (व्यवधान) नेक्स्ट। श्री हीरालाल आर्य।

पर्यावरण संतुलन हेतु वन क्षेत्र

178. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा), **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान निर्माण के समय प्रान्त के कितने भू-भाग में वन था तथा वह कुल भूमि का कितना प्रतिशत था ?

(2) वर्तमान में कितने भू-भाग में वन हैं तथा उसका प्रतिशत क्या है ?

(3) पर्यावरण संतुलन हेतु कुल भू-भाग के कितने प्रतिशत में वन होना आवश्यक है ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(4) पर्यावरण संतुलन के लिए प्रान्त में वन क्षेत्रफल को बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये तथा वर्तमान में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? क्या यह प्रयास पर्याप्त एवं सन्तोषजनक हैं ?

वन मन्त्री (श्री लालचन्द डूडी) :

(1) वर्ष 1954-55 में राज्य में 41,557 वर्ग किमी. वन क्षेत्र था जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 12 14 प्रतिशत था ।

(2) वर्तमान में वर्ष 1989-90 के आंकड़ों के अनुसार 31,754 वर्ग. किमी. वन क्षेत्र है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.27 प्रतिशत है ।

(3) राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण संतुलन हेतु कुल भू-भाग के 33 प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना चाहिये ।

(4) वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्ष विहीन पहाड़ियां, पंचायत भूमि, राजस्व पड़त भूमि, कंदरा क्षेत्रों, सड़कों, नहरों, रेलों के किनारे वृक्षारोपण कार्य कराया गया है । इसके अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय विभागों को नि.शुल्क एवं कृषकों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं व्यक्तियों को उनकी स्वयं की भूमि पर मामूली कीमत पर पौधे वितरण किये जा रहे हैं ।

भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1987-89 के मध्य 126 वर्ग किलोमीटर वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है जिससे प्रकट होता है कि वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रयासों की गति संतोषजनक है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं, उससे स्पष्ट है कि वन रक्षा के लिए तथा नये वृक्षारोपण के लिए करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने के बावजूद भी अब तक 9803 वर्ग कि मी. क्षेत्रफल वन क्षेत्र का कम हुआ है जिससे राजस्थान का विनाश बढ़ा है. वर्षा अनियमित हुई है, अकाल की स्थिति हमेशा बनी रहती है, रेगिस्तान बढ़ रहा है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वन क्षेत्र के घटने का क्या कारण है ? दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या यह भी सही है कि वन क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहे हैं तथा अन्धाधुन्ध कटाई हो रही है और इसमें विभाग की मिलीभगत है, इस वजह से यह विनाश की स्थिति है ? तीसरा मेरा प्रश्न है, क्या यह भी सही है कि वन लगाने के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन खड्डे खुदते हैं, एक पेड़ कहीं नजर आता नहीं है और वन क्षेत्र जो पुराने हैं वहां अभी तक व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो पहले आ चुका है आपका । यह तो आपने पहले ही कह दिया कि करोड़ों रुपये लगे हैं, बहुत कम वन लगाये हैं, यह तो आप पहले कह चुके ।

श्री हीरालाल आर्य : लेकिन मेरा निवेदन यह था कि जो पेड़ लग रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : वह निवेदन तो समझ गये मन्त्रीजी, अब बोलने से थोड़े ही समझेंगे ।

श्री हीरालाल आर्य : तीसरा मेरा प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न खत्म हो गये आपके। श्री बालचन्द आर्यवीर। हो गया आपका। आप देखिये उसके बाद में। पहले जिनके नाम हैं उनको बोलने दो। श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री हीरालाल आर्य : विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार होने की वजह से क्या यह सब हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : आप 5वीं बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पर्यावरण सन्तुलन के लिए राज्य में हजारों बीघा जमीन पर प्लांटेशन हो रहा है लेकिन यहां पर केवल गड्डे नजर आते हैं, नोट ए सिंगल पेड़, एक भी पेड़ नजर नहीं आता है और हजारों बीघा जमीन पर प्लांटेशन हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया उस योजना पर खर्च हो रहा है लेकिन वह केवल मात्र अधिकारियों को...

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रश्न पहले पूछ लिया है, आप नया पूछिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर : यह धनराशि अन्य योजनाओं में व्यय हो, इसके लिए मंत्री महोदय विचार रखते हैं ? दूसरा, झालावाड़ जिले में पर्यावरण सन्तुलन के लिए मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि कई हजारों बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है, कोई काम नहीं आ रही है, एक पेड़ भी नहीं है और जहां वन लगे हुए हैं झालावाड़ जिले में, कोटा डिवीजन में वनों की अन्धा-धुन्ध कटाई हो रही है, उसको रोकने के लिए माननीय मन्त्री महोदय या राज्य सरकार क्या कड़े कदम उठाने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री अमृत परमार। एक-एक सवाल पूछिये। एक-दो-तीन-चार नहीं। एक सप्लीमेंट्री पूछिये।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, बाली क्षेत्र में वनों की कटाई हो रही है, अन्धाधुन्ध कटाई हो रही है, उसके नाम मैंने लिखकर दिये और अभी भी कटाई हो रही है। 20-20 रुपये में सैकड़ों की भराई होती है, उनके लिए है और उनके नाम लिखित में देने के बावजूद अभी तक अधिकारी वहां पर है, इसके लिए क्या कार्यवाही करना चाहते हैं और कब करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री गुलाम मुस्तुफा खां।

श्री गुलाम मुस्तुफा खां (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि नागौर जिले में नया प्लांटेशन इस बार बिल्कुल नहीं हुआ है ? अगर नया प्लांटेशन नहीं हुआ तो नागौर में पौधे कहां से सप्लाई किये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। वे जवाब दे देंगे। श्री गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

माननीय मन्त्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा क्योंकि आदिवासी और वन एक-दूसरे के पूरक हैं और मंत्रीजी ने अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, आदिवासियों को स्वावलम्बी बनाने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि बनाई है तो बतावें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा वन मंत्रीजी से सीधा सा छोटा सा सवाल है। मंत्रीजी ने बताया है कि पर्यावरण हेतु 33 प्रतिशत क्षेत्रफल होना चाहिये और वर्तमान में 9.27 प्रतिशत है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में 6-7 साल से अकाल पड़ने के कारण पहाड़ियों और भूमि धरातल के जो वन थे, वे सब नष्ट हो गये और पहाड़ियां नंगी हो गई। क्या विशेष योजना के तहत मंत्रीजी वहां पर वन लगाने का कोई मानस रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से मालूम करना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई थी कि जो जमीन सरकारी है, उसको निजी वनीकरण के लिए आवंटित किया जाता रहा है और कुछ समय से सरकार ने इस पर बेन लगा रखा है तो क्या वन ज्यादा लगाने के लिए उस स्कीम को दुबारा सरकार चलायेगी ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब एक ही।

श्री जुबेर खान : .. अरावली के संबंध में लोगों का यह भ्रम है कि क्या सरकार से या सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि वहां न पशु चराये जा सकेंगे अरावली की पहाड़ियों से व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए गांवों के लोग मकान बनाने के लिए पत्थर निकाल सकेंगे, न पशुओं को चराने के लिए ले जा सकेंगे ? इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।.... (व्यवधान) ...पहले इनके जवाब आने दीजिये। जवाब दे नहीं पायेंगे फिर आप ही लोग कहेंगे कि प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है। 10 आदमी सवाल पूछ चुके हैं। आप एक-एक प्रश्न के 20-20 सप्लीमेंट्री करेंगे। आधा घण्टा हो गया है और अभी दूसरा सवाल चल रहा है। बाकी के सवाल रह जायेंगे तो थोड़ी तो दया करिये बाकी लोगों पर, जिनके सवाल लगे हुए हैं, उनका नम्बर भी आने दीजिये।

श्री रामसिंह बिश्नोई : जवाब संतोषप्रद नहीं आता है तो लोगों को पूछना पड़ता है साहब।

श्री अध्यक्ष : वह तो बार-बार मौका मिलेगा आपको।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, पहला इम्पोर्टेन्ट प्रश्न था कि वन एरिया के अन्दर कमी क्यों आई ? इसके कई फेक्टर्स हैं। आबादी का बढ़ना, इण्डस्ट्रीज का लगना, कुछ जमीनों के ऊपर आदिवासियों का पुराना नाजायज कब्जा होना, जिनको हमने उन जमीनों को रेगुलाइज किया। दूसरा, सड़कों का बनना। कुछ ऐसे काफी कारण हैं जिसकी वजह से वन क्षेत्र में ह्रास हुआ है। अब जैसा मैंने कहा और उत्तर में

(श्री लालचन्द डूडी)

भी मैंने बताया है कि राजस्थान के अन्दर वनों की स्थिति बाकी स्टेट्स के मुकाबले में काफी अच्छी है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया की सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान का दूसरा नम्बर है इण्डिया में, हमारा 126 वर्ग किमी. वन क्षेत्र का बढ़ा है।

श्री हीरालाल आर्य : कहां बढ़ा है ? 9803 वर्ग किमी. क्षेत्र घटा है। बढ़ा कहां है ? ये आंकड़े कहां से उठा लाते हैं ? कुल क्षेत्रफल तो घट रहा है आपका।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल जी, आप बैठिये। ऐसा है इसमें पहले पूरा हिसाब बताया है। पहले इतना था, अब होकर इतना हुआ, अब कम होने वाले को बढ़ाया है, वह बता रहे हैं। पहले प्रश्न को समझो आप।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : गड्ढे ही खुदे हैं, वह क्षेत्र बढ़ा नहीं है।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, इस साल की भी सेटेलाइट द्वारा सर्वे की गई है उसके अनुसार भी राजस्थान के अन्दर वन बढ़ा है। अब जहां माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गड्ढे खुदे हैं और पेड़ नहीं है तो हमने इनका सर्वे कराया है और 57 पर्सेन्ट से ज्यादा हमारा सर्वाइल रेट्स हैं जो इन कंडीसंस में अप्रोप्रियेट रेट्स है। इसके साथ ही वन क्षेत्र घट रहा है उसकी चिन्ता सबको है लेकिन राजस्थान के अन्दर हमारा जो मरू क्षेत्र है राजस्थान कैनाल एरिया का, वहां काफी एरिया वन क्षेत्र में लिया है और वहां अगर कोई माननीय सदस्य मौके पर जाकर देखना चाहे तो बतायेंगे और मैं कह सकता हूं कि इतने वास्ट एरिया के अन्दर जितना हम कर सके हैं वह "ऊंट के मुंह में जीरे" के समान है लेकिन उसके बावजूद भी मैं विश्वास दिला सकता हूं कि इसकी तरफ काफी अच्छी प्रगति चल रही है। अध्यक्ष महोदय, जहां प्लांटेशन नहीं हुआ है, माननीय सदस्य शायद अच्छी तरह से समझा नहीं सके, उनका मतलब प्लांटेशन न होने से है, उनका मतलब यह है कि नर्सरी के अन्दर पेड़ तैयार नहीं हुए तो आगे कैसे बढ़ेंगे ? यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी मांग होगी उतने पेड़ सरकार मुहैया करायेगी।

माननीय श्री जुबेर खां जी ने जो सवाल पूछा, उनको शायद मालूम ही नहीं था कि यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है या गवर्नमेंट आफ इण्डिया का नोटिफिकेशन है। वह गवर्नमेंट आफ इण्डिया का नोटिफिकेशन है और उसके खिलाफ, सरकार पूरी कार्यवाही कर रही है और उसके लिए अपना मेमोरेण्डम दिया है।

श्री अध्यक्ष : एक वो भ्रष्टाचार का बता दीजिए।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का मामला है, मैं यह नहीं कहता कि भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां सरकार कार्यवाही कर रही है। हमने तीन अधिकारियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट किया है, कुछेक लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, कई लोगों के एण्टी करप्शन में केसेज चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बाली वालों का ध्यान रखना उन्होंने भी पूछा है। नेक्स्ट। श्री रामकिशोर सैनी.........(व्यवधान)... नहीं,

(श्री अध्यक्ष)

काफी हो गया। आपका अलग होगा, उसमें डिटेल में बहस होगी। जगमालसिंह जी आप वाले में डिटेल्स में होगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू): अध्यक्ष महोदय, एक बहुत जरूरी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इसके आगे सवाल नहीं हो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा था कि इनका जवाब आने के बाद में फिर मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : प्लीज कापरेट भी। मुझे आगे सवाल लेने हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कहा था कि जवाब आने के बाद मौका दिया जायेगा। एक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए, प्लीज सिट डाउन। इस सम्बन्ध में एक काल अटेंशन आ रहा है जिसके बारे में श्री जुबेर खान जी ने कहा है, उस पर बहुत डिटेल में गवर्नमेंट की तरफ से और आप सबकी तरफ से मिल करके विचार-विमर्श होगा जिसमें यह सारा मामला वन का आयेगा। इसलिए आपको और मौका मिलेगा। नेक्स्ट, श्री रामकिशोर सैनी।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिन में तो एक........

श्री अध्यक्ष : उसमें सारा कवर हो जायेगा।

श्री जगमालसिंह यादव : एक सप्लीमेंटरी पूछा तो भी अलाउ नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप वाले में सारा ही कवर हो जायेगा।

श्री जगमालसिंह यादव : मेरा उससे सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मुझे और सवाल पूछने दीजिए।

श्री जगमालसिंह यादव : एक मिनट, एक इजाजत चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वन मंत्रीजी ने बताया है कि गत 2 सालों में जो प्लांटेशन हुआ है उसका 57 फीसदी जिन्दा है, प्लांटेशन हमारा सफल हुआ है और यह आपने जांच कराई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं आपके मार्फत कि फोरेस्ट विभाग के अधिकारियों के अलावा क्या किसी स्वतंत्र एजेंसी से यह जांच कराने को तैयार हैं कि आपका 57 पर्सेन्ट प्लांटेशन जिन्दा है ?

श्री अध्यक्ष : बैठिए। इनको आप पूरी जांच करके बताइये कि आपने पूरी जांच कर ली है।

श्री जगमालसिंह यादव : जवाब तो आने दीजिए साहब।

श्री अध्यक्ष : अब हो जायेगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया था, मेरा भी एक प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। You will

(श्री अध्यक्ष)

invite them. हो गया अब आपका। नेक्स्ट।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं भी प्रश्न बता दूं, जवाब बाद में दिलवा देना।

श्री अध्यक्ष : प्लीज। नेक्स्ट चलिए।

श्री जगमालसिंह यादव : साहब वो जवाब दे रहे हैं, इसका तो दिलवा दीजिए। 57 पर्सेन्ट सर्वाइल की जांच कराने को तैयार हैं क्या ? अगर 30 पर्सेन्ट प्लांटेशन भी राजस्थान में जिन्दा हो तो माननीय मन्त्री जी पता कर लें। 25 प्रतिशत प्लांटेशन भी फोरेस्ट का आज जिंदा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामकिशोर सैनी।

तेली घाटी बांध (दौसा) का निर्माण

179. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या दौसा जिला अकालग्रस्त होने के कारण इसे अकाल राहत कार्यों के लिये चयनित किया गया है ? यदि हां, तो अकाल राहत कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिये जावेंगे।

(2) क्या सरकार तेली घाटी बांध के निर्माण कार्य को अकाल राहत कार्यों के तहत करवाने का विचार रखती है ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) इस वर्ष दौसा जिले में सामान्य वर्षा से 13 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई थी। रबी की फसल की स्थिति भी अच्छी है। अतः अकाल राहत कार्य अभी शुरू कराने का प्रस्ताव नहीं है।

(2) जी नहीं।

श्री रामकिशोर सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि दौसा जिले में अकाल राहत कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वो कह रहे हैं अभी है ही नहीं योजना।

श्री रामकिशोर सैनी : क्या तेली घाटी बांध का निर्माण कार्य अकाल राहत कार्य के तहत कराने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले से प्रभावग्रस्त गांवों की सूची आई। कई गांवों में 50 से 74 तक का खराबा है, कई गांवों में 75 से 100 तक का खराबा है। वहां पर औसत वर्षा से 13 प्रतिशत वर्षा अधिक हुई थी और अभी रबी की फसल ठीक हो रही है, ऐसी स्थिति में सारी स्थिति पर सरकार विचार कर रही है और उसके बाद जो भी संभव होगा उस पर कदम उठायेगी। जहां तक तेली घाटी बांध का सवाल है, माननीय विधायक जिसके बारे में अधिक चिन्तित हैं, उसके बारे में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि सिंचाई विभाग ने 4.5 लाख का तकमीना दिया है। यह बांध 2043 में प्रारम्भ हुआ था, 2044 में भी इस पर काम हुआ और अब केवल वेस्ट वीयर का इसमें निर्माण करना है जिसमें 4.50 लाख का तकमीना

(14)

(श्री कैलाश मेघवाल)

सिचाई विभाग से कलक्टर के यहां प्राप्त हो चुका है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे सामने दोनों ही विकल्प खुले हैं सिचाई विभाग और अकालग्रस्त कामों के तहत, तो मैं उनको यह कहता हूं कि इस बांध की वेस्ट वीयर का निर्माण दोनों विकल्पों से एक विकल्प के द्वारा करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बुलाकीदास कल्ला।

अरबी एवं फारसी शोध संस्थान, टोंक को प्राप्त धन राशि

180. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या कला एवं संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 में ईरान के राजदूत द्वारा तथा दिसम्बर, 1991 में निदेशक, कल्चर हाउस, ईरान द्वारा उनकी यात्राओं के दौरान अरबी एवं फारसी शोध संस्थान, टोंक में अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के उत्साहवर्धन हेतु लाखों रुपये की राशि नकद भुगतान के आधार पर निदेशक महोदय को दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि इसी प्रकार लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व भी अरब शेख द्वारा यात्रा के दौरान संस्था के विकास एव पुस्तकों की व्यवस्था हेतु काफी बड़ी राशि संस्था निदेशक को नकद भुगतान द्वारा दी गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि इस राशि को ग्रहण करने से पूर्व निदेशक द्वारा राज्य सरकार से कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई और न ही संस्था के लेखों में भी किसी प्रकार का इन्द्राज किया गया ? यदि नहीं, तो प्रशासनिक स्वीकृति सदन की मेज पर रखें।

(4) निदेशक द्वारा पूर्व प्रशासनिक अनुमति प्राप्त किये बिना इस प्रकार की राशियां प्राप्त करना क्या न्याय संगत है ? राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि विभाग के निदेशक द्वारा प्रत्येक बार प्राप्त राशि में से कुछ भाग अपने स्तर पर गोपनीय रूप में रखा गया है तथा प्राप्त राशि को उसके वास्तविक उद्देश्य पर व्यय न करने मनमाने तरीके से अनावश्यक खर्च किया जाता है ?

कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मन्त्री (सुश्री पुष्पा जैन) : (1) सरकारी रिकार्ड में तो इस तरह का कोई इन्द्राज नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में शिकायत अवश्य प्राप्त हुई हैं।

(2) इस सम्बन्ध में रिकार्ड पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां।

(4) इस सम्बन्ध में कोई इन्द्राज नहीं मिल सकने के कारण कुछ कहा नहीं जा सकता।

(5) इस सम्बन्ध में शिकायतें अवश्य प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर जांच की

(सुश्री पुष्पा जैन)

घोषणा मैं सदन में 28-2-92 को कर चुकी हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, शिकायत कब प्राप्त हुई, विभाग ने अब तक इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : सस्पेण्ड कर दिया और क्या कार्यवाही होगी, जांच हो रही है आप भी थे उस दिन।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उस दिन मैं नहीं था।

श्री अध्यक्ष : हो गया उसमें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा जो प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न-प्रश्न करने से क्या फायदा ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पाइन्ट पर स्पेसिफिक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब क्या रह गया ? जब उसको सस्पेण्ड कर दिया, उसकी जांच हो रही है और जिन लोगों को उन्होंने फायदा दिया वह फायदा वापस विड्रा कर लिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जांच कौन कर रहा है तथा अरबी एवं फारसी इंस्टीट्यूशन के निदेशक के खिलाफ शिकायत में कितने-कितने रुपये उन्होंने लिए ? क्या इसके लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार की कोई पहले से उन्होंने मंजूरी ली थी और नहीं ली थी, तो इतने रुपये उसने कैसे बिना स्वीकृति के प्राप्त किया और जांच किसके द्वारा कराई जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : उनको सस्पेण्ड कर दिया। नेक्स्ट श्री हीरालाल इन्दौरा।

औद्योगिक क्षेत्र बीछवाल एवं रानी बाजार, बीकानेर

181. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि बीकानेर स्थित औद्योगिक क्षेत्र बीछवाल एवं पुराने औद्योगिक क्षेत्र रानी बाजार में जिन उद्योगों को विक्रय कर इंसेंटिव दे दिया गया उन्हें बाद के वर्षों में संयुक्त निदेशक, उद्योग, बीकानेर कार्यालय द्वारा जान-बूझकर नहीं दिया जा रहा है ? ऐसे कितने मामले उक्त कार्यालय में लम्बित है ? उक्त मामलों में अनावश्यक रूप से विलम्ब करने हेतु कौन जिम्मेदार है ? ऐसे लम्बित मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में संयुक्त निदेशक, उद्योग और उस सम्बन्धित अकाउन्टेंट द्वारा गत 2 सालों से सेल्स टेक्स इंसेंटिव के लगभग 50 से अधिक मामले पेण्डिग हैं। उनकी मोडस आपरेंडी यह है कि रिजेक्ट करके और फाइल वापस भेज दी जाती है जब तक सारी कार्यवाही पूरी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हो जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके बीकानेर दौरे के दौरान वहां की इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन और राजस्थान वूल इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन ने आपसे कोई शिकायत की ? और शिकायत की तो क्या यह भी सही है कि उन्होंने पटौदी ग्रायल मिल्स, रानी सती ग्रायल मिल्स, भूरा फूड प्रोडक्टस, मरुधर टूल्स, बीकानेर, बीकानेर रिफेक्टरी, स्टेण्डर्ड टाइल्स, स्वास्तिक इण्डस्ट्रीज, बरड़िया ग्रायल मिल्स, सूरज इण्डस्ट्रीज के बारे में रिश्वत लेने के गम्भीर आरोप लगाये थे ? क्या यह भी सही है कि डाइरेक्टर, इण्डस्ट्रीज को 25.10.91 और 27.2.92 को लिखित में इसके बारे में शिकायत की थी ? आपने उस पर क्या कार्यवाही की ? उसके बाद में दूसरा प्रश्न।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : वो तो मिस प्रिन्ट है उसको छोड़ो आप।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसमें जो आप क्वेरी अभी मुझे कर रहे हैं वो कवर नहीं होती। क्योंकि जो सेल्स टैक्स इन्सेन्टिव स्कीम्स हैं वे दो तरह की हैं। एक 87 है और एक 89 है। 89 के अन्दर तो कोई मियाद नहीं है उसमें तो जो हम एलिजिबल सर्टिफिकेट सेंक्सन करते हैं स्क्रीनिंग कमेटी वो परमानेंट होती है। 87 की जो इंसेंटिव स्कीम है उसमें एक साल की मियाद होती है। एक साल जैसे ही स्क्रीनिंग कमेटी ने एलिजिबल सर्टिफिकेट को सेंक्सन किया उसके बाद एक साल होने के बाद इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट कहीं बीच में नहीं आता। सी. टी. ओ. जो होते हैं उनके लेबल पर उस टाइम के एक्सपायर होने के बाद रिन्युअल के लिए वहां अप्लाई करना पड़ता है। जिस प्रकार का यह प्रश्न था उसके उत्तर में तो मेरा निवेदन यह है कि एक भी एप्लीकेशन आज स्क्रीनिंग कमेटी के सामने या डी.आई. सी. के सामने पेण्डिग नही है जिसमें कि रिन्युअल के लिए कहा गया हो। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है, यह सच है कि मैं बीकानेर गया था और एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता में मैं वहां रहा। इण्डस्ट्रिलियस्ट भी वहां आये थे। जिस प्रकार की आप बात कह रहे हैं और जिन इण्डस्ट्रीज का आपने नाम लिया है उस प्रकार की कोई स्पेसिफिक शिकायत मेरे सामने नहीं आई। अलबत्ता यह जरूर कहा गया कि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग जिस प्रकार जल्दी-जल्दी होनी चाहिए वह किन्हीं भी कारणों से, चाहे कलक्टर नहीं हो, चाहे सी.टी.ओ. नहीं हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो, वह पोस्टपोण्ड होती है, समय-समय पर नहीं हो पाती, मैं उसी समय निश्चित रूप से कह कर आया था, कलक्टर को कह कर आया था, डी.आई.सी. को भी कह आया था कि जितने पेण्डिग केसेज है, they should be disposed of and there should be no pending case. इतना मैं कह कर आया था....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री नारायणलाल मीणा। श्री नारायणलाल मीणा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मेरे को

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आप एक सप्लीमेंट्री भी नहीं करने देंगे...

श्री अध्यक्ष : आपके सवाल के बाहर इसकी बातें हो रही हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं है, अब मैं भी तो सुन रहा हूं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इस ज्वाइंट डाइरेक्टर ने लाखों रुपये की रिश्वत ली है...

श्री अध्यक्ष : मैं वही सुन रहा हूं, बैठिये अब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं चैलेन्ज....

श्री अध्यक्ष : यह सवाल से सम्बन्धित नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस सवाल से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : नहीं है, नहीं है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सेल्स टैक्स इन्सेन्टिव से सम्बन्धित है....

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि सैल्स टैक्स इन्सेन्टिव की कोई एप्लीकेशन वहां पेण्डिग नहीं है, जो आपने पूछा है वह सैटल हुआ....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सैल्स टैक्स इन्सेन्टिव की पचास एप्लीकेशन्स पेण्डिग है गलत बयानी की है मंत्रीजी ने....

श्री अध्यक्ष : अब यह गलत बयानी का और कोई तरीका है, यहां पर नहीं होगा....

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सप्लीमेंट्री करने दीजिये आप, यह कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप यदि वह गलत बता रहे हैं तो उसको यहां फिर बहस तो न करें....

श्री नारायणलाल मीणा, प्रश्न संख्या 182

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बहस थोड़े बता रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : तो बहस से उसको नहीं कर सकते, उसका अलग तरीका है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए...

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आप एक सप्लीमेंट्री नहीं पूछने देंगे, यह क्या तरीका है अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : प्लीज हैल्प मी। यह सवाल ही नहीं है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इतना बड़ा सवाल नहीं है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : वैसे अध्यक्षजी,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आउट आफ वे जाकर मैं निवेदन कर दूं, जो माननीय सदस्य ने ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सैल्स टैक्स इन्सेन्टिव का सवाल....

श्री अध्यक्ष : आउट आफ वे जाकर इन्होंने जवाब दिया है, आपके सवाल का जवाब आ चुका है और इसलिए अब मैं इसमें बहस अलाऊ नहीं करूंगा, प्लीज हैल्प....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : प्लीज कल्लाजी, मैं आप से निवेदन करता हूं, प्लीज हैल्प, प्लीज हैल्प....

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, बोलिये अब आप। बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह कागजात मैं आपके सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर जांच की कार्यवाही कराइये....

श्री अध्यक्ष : आप इनका लिखिये, नोट मत करिये। हां, बोलिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : XXX

(माननीय सदस्य श्री बुलाकीदास कल्ला द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब नहीं। आगे मुझे सवाल पूछने....

श्री नारायणलाल मीणा।

सलूम्बर-पारसोला एवं लसाड़िया-करावली सड़क का डामरीकरण

182. **श्री नारायणलाल मीणा** (लसाड़िया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार सलूम्बर वाया बेडावल चरी लोहागढ़ से पारसोला तथा लसाड़िया से करावली सड़कों का डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) सलूम्बर-बेडावल चरी सड़क की कुल लम्बाई 37.5 कि.मी. है जिसमें 6.5 कि.मी. डामर, 28 कि.मी. ग्रेवल तथा शेष कच्चा मार्ग है।

(2) लोहागढ़ से पारसोला सड़क की कुल लम्बाई 12.00 कि.मी. है जिसमें से 6 कि.मी. ग्रेवल सड़क तथा शेष 6 कि.मी. कच्ची सड़क है।

(3) लसाड़िया से करावली सड़क की कुल लम्बाई 21 कि.मी. है जिसमें 5.5 कि.मी. लम्बाई में ग्रेवल सड़क, शेष 10 कि.मी. कच्ची सड़क है। वर्तमान योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए अभी इन सड़कों का निर्माण सम्भव नहीं होगा।

श्री नारायणलाल मीणा : अध्यक्ष

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नारायणलाल मीणा)

महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की करेंगे कि इस सरकार की योजना है कि 1500 तक की जनसंख्या के गांव सड़क से जोड़े जाने हैं जबकि बेडावल, पारसोला, करावली आदि ग्रामों की जनसंख्या दो हजार से अधिक है, क्या इनको नहीं जोड़ा जा रहा है ? दूसरा क्वेश्चन नम्बर एक, इसमें बताया कि बीस कि.मी. ग्रेवल रोड, मौके पर बिल्कुल ग्रेवल रोड नहीं बनी हुई है। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच करके कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सलूम्बर से बेडावल-केसरियावाद सड़क की लम्बाई 37.5 कि.मी. बताई है मैंने। केसरियावाद, धारियावाद, जल्लारा रोड डामर सड़क से जुड़ी हुई है। यह काम अकाल राहत कार्य में बहुत समय पूर्व हुए थे। जो चार प्राथमिकताएं हैं हमारी, 1500, 1971 की जनसंख्या की सड़कों को जोड़ना, अभी तो हाल में हम डामर से जोड़ रहे हैं किन्तु ग्रेवल से या मेल्टेड रोड या डामर से जुड़ी हुई रोड्स उस कैटेगरी में आती है, जुड़ी हुई मानी जाती है, तो अगर माननीय सदस्य कोई ऐसा गांव बतायेंगे कि जो 1971 की जनसंख्या का 1500 का गांव है और इन तीनों प्रकार से जोड़ा नहीं गया है तो उनको मैं निश्चित रूप से जोड़ूंगा। मेरा दूसरा निवेदन...

श्री अध्यक्ष : बस अब हो गया, सन्तुष्ट हैं वह।

नैक्स्ट, श्री श्रीचन्द कृपलानी (अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या 183, कृपया आगे देखें)

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता।

सांचौर क्षेत्र की जिप्सम खानें

184. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की सांचौर तहसील में सायर का कोसीटा व जाखरड़ा की खानों से सांचौर में लगी फैक्ट्रियों को जिप्सम सप्लाई किया जाता है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी फैक्ट्रियों को ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त खानों से सांचौर की फैक्ट्रियों को जिप्सम सप्लाई न कर ठेकेदार के माध्यम से सारा माल सूरत (गुजरात) की फैक्ट्रियों को भेजा जाता है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) सरकार सांचौर औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों को खानों से माल मिले, इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) जी हां। जालौर जिला व सांचौर तहसील में सियार का कोसीटा व जाखरड़ा की खानों से जिन फैक्ट्रियों को जिप्सम सप्लाई किया जाता है उनके नामों की सूची तालिका एक में संलग्न है।

(2) जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि

(28)

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

जाखरड़ा व सियार का कोसीटा खानों पर होने वाले जिप्सम को फस्ट कम-फस्ट सर्व की नीति के आधार पर निगम द्वारा माल बेचा जाता है।

(3) सांचोर के औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों को उक्त खानों से खनिज जिप्सम मिल रहा है। इसके लिए अलग से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : अध्यक्ष महोदय, किसी फैक्ट्री को माल नहीं दिया जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि इस फैक्ट्री को इतना माल अलॉट किया गया है ? माल सीधे का सीधा गुजरात जा रहा है, ठेकेदार...., और हमारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन फैक्ट्रियों को माल सप्लाई किया गया है उनमें नम्बर एक मैसर्स रेहनी जूडिया प्लास्टर फैक्ट्री, इसको 91-92 में....

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं दिया नहीं जा रहा, आपने लिस्ट तो दे दी है, वही पढ़ रहे हैं न आप, वह लिस्ट ही पढ़ रहे हैं ना आप ?

श्री कालूलाल गुर्जर : नहीं, नहीं साहब। माल दिया है उसकी क्वांटिटी पढ़ रहा हूं, कितना-कितना माल....

श्री अध्यक्ष : हां, तो वह लिस्ट दी है आप ही ने; लिस्ट तो दी है आपने।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : माल दिया नहीं, लिस्ट क्या देंगे ? माल दिया ही नहीं जा रहा है, माल सूरत जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : देखिये, आपने तो लिस्ट दी है, वह कह रहे हैं कि माल दिया नहीं जा रहा है तो जांच करा लीजिए....

श्री कालूलाल गुर्जर : नहीं, दिया जा रहा है साहब, मैं बता रहा हूं कि कितना-कितना माल दिया....

श्री अध्यक्ष : अब आप जांच करा लीजिए एक्चुअली दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। चलिये....

श्री कालूलाल गुर्जर : ठीक है साहब, जांच करवा लेंगे, माल दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब बैठिये। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ...

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नाम लिखे हुए हैं उससे पूछ रहा हूं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सप्लीमेंट्री पूछना है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बीच में पूछेंगे ? मेरे पास नाम लिखे हुए हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, बीच में नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष : नाम लिखे हुए हैं उनको मैं पुकार रहा हूं, आपको भी पुकार रहा हूं....

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जो तीन स्थान, तीन खानें बताई उसमें से जाखरड़ा एक ऐसी जगह है जहां बिल्कुल खान क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में हिरण विचरण करते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, आपके खनन कार्य से वह वन्य जीव, निरीह प्राणी डिस्टर्ब नहीं होंगे उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है ? इसके बारे में कृपया जानकारी दें।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध पूर्वक प्रश्न नहीं है आपका, इसमें तो केवल जिप्सम की सप्लाई फैक्ट्रियों को दी जा रही है, इससे सम्बन्धित था।

श्री अध्यक्ष : चलिये। श्री दहिया। बैठिये। श्री दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह मंत्रीजी ने जो सूची दी है कि आठ फैक्ट्रियों को यह माल इतनी कम तादाद में सप्लाई करते हैं, मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मांग के अनुरूप माल सप्लाई, कितनी मांग है और कितना सप्लाई करते हैं ? आप बतायें।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जितनी मांग है उतना पूरा सप्लाई करते हैं और यदि ज्यादा मांग होगी तो और ज्यादा सप्लाई बढ़ा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री प्रेमसिंह दहिया : सही जवाब नहीं है मंत्रीजी का।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, 1983 से 1987 तक कांटा लगा हुआ नहीं था वहां पर इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि इतना माल वहां से सप्लाई हुआ था। 87 में पहली दफा कांटा लगा है वेव ब्रिज, वह मौजूद नहीं था। यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो माल सप्लाई किया जाता है वह कांटा लगा उसी से दिया जाता है। मेरे पास तीन साल के आंकड़े भी है कितना-कितना माल दिया गया....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपके पास आंकड़े कहां से आये, कांटा ही पहली दफा लगा है। It is a matter of fact. यह तो सवाल ही नहीं है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : हां, वह ठीक है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यह जवाब दे दीजिए 87 में पहली दफा लगा या नहीं लगा....

श्री कालूलाल गुर्जर : 87 में पहली दफा....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : जिप्सम के जो राजस्थान में ठेके दिये जाते हैं उसमें मिट्टी ज्यादा दिखाई जाती है और जिप्सम कम जबकि होता यह है कि जिप्सम ज्यादा होती हैं और मिट्टी कम तो फिर मिट्टी के मोल में यह जिप्सम जा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सवाल करना चाहूंगी कि क्या सरकार इस बिजनेस को अपने हाथ में लेने के बारे में

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सोचेगी क्योंकि यह राजस्थान में मोनोपोली का बिजनेस किया जा सकता है ?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अभी जिप्सम की नीति बनी हुई है उसमें जिप्सम केवल सरकारी उपक्रम के द्वारा ही खनन कार्य कराया जा रहा है। जिप्सम को कोई प्राइवेट सैक्टर में देने का प्रावधान नहीं है।

श्रीमती तारा भण्डारी : कुछ ही फर्मे इसका लाभ उठा रही हैं। मैं तो ठेके की बात, बिजनेस की बात कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष : चलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आ गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह तो सवाल नहीं है। सवाल यह है अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि तौल कर दे रहे हैं ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, 87 में लगा है पहली दफा....

श्री अध्यक्ष : हां, हो गया 87 में, अभी तौल कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अभी तो तौल कर दे रहे हैं साहब ..

श्री अध्यक्ष : हां, बस वही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं अभी की तो कह ही नहीं रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : अभी का ही जवाब है वह....

श्री सुरेन्द्र व्यास : 83 से 87 तक जो दिया है....

श्री अध्यक्ष : अभी का है, अभी 92 चल रहा है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह आठ साल के फिगर्स किस आधार पर दे दिये ...

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के हितों का सवाल है कि हम इस बिजनेस को मोनोपोली बना कर रेवेन्यू करवायें। मंत्री महोदय जवाब दें इसका।

श्री अध्यक्ष : अब वह सब हित है, राजस्थान के ही हित हो रहे हैं, और तो किसी के नहीं हो रहे हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिगर्स किस आधार पर दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, 83 से 87 तक का पूछ रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : बता दिया न उन्होंने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं बताया है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कि अब हम तौल कर दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब कह रहे हैं, उसका सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : 87 से इनको पता नहीं है। सुनिये। चलिये, ठीक है ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कैसे नहीं बताते हैं अध्यक्ष महोदय, नियम....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, 185।

रोजगार प्रेरक योजनायें

185. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या श्रम राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वर्तमान राज्य सरकार द्वारा रोजगार प्रेरक योजनाओं के सम्बन्ध में सुझाव हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था ? यदि हां, तो उक्त कमेटी की रिपोर्ट व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नवीन रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 185 स्थगित।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 80 सी. सी ए. नियम का पता नहीं होगा इनको....

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरलाल।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब आना जरूरी है....

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरलाल।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया है, आप मेरे से मिल लीजिए। हां, इसमें लगा देंगे।

श्री सांवरलाल (अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या 186, कृपया आगे देखें)

श्री चुन्नीलाल खण्डार (अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या 187, कृपया आगे देखें)

श्री महावीर प्रसाद जैन।

पंचायत समिति, टौंक में सिंचाई व्यवस्था

188. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि टौंक पंचायत समिति क्षेत्र में बनास नदी, सोहदरा व मासी नदी बहती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि नदी के पेटे में पानी होने के उपरान्त भी योजना के अभाव में वहां के खेत सूखे पड़े रहते हैं ?

(3) क्या सरकार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोटी-छोटी योजनायें बनाकर उत्पादन बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन से उपाय सरकार इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु कर रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) :
(1) जी हां।

(2) इनके पेटे में कुछ स्थानों पर पानी एकत्रित रहता है वहां कुछ काश्तकार पानी को लिफ्ट करके अपने खेतों की सिंचाई करते हैं।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) जी हां, शोहदरा नदी पर एनीकट बना रहे हैं ताकि कुओं में जल स्तर ऊंचा हो। इन नदियों पर जल को लिफ्ट कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की सम्भावना का सर्वे करवाया जा रहा है। विभाग की नई नीति के अनुसार यदि कृषक समितियां बनाकर स्वयं लिफ्ट योजना चलाना चाहें तो विभाग द्वारा लिफ्ट लगा दी जायेगी, उक्त समिति से ही बिजली आदि का कनेक्शन लेना होगा तथा रख-रखाव भी समिति द्वारा ही किया जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो सर्वे की बात आपने कही है तो ऐसी कितनी स्कीमों की सर्वे की जा चुकी है और उन पर कितनी लागत आयेगी और उनका निर्माण करके कब तक दे देंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा जवाब आ चुका है।

श्री अध्यक्ष : अब आपका काम हो जायेगा। जितना लगेगा वह सरकार का लगेगा। आप का तो काम हो गया है। नैक्स्ट, श्री किशनगोपाल कोगटा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार इस सरकार ने यह घोषणा की है....

श्री अध्यक्ष : बैठिये। आपका काम हो जाये तब भी सन्तुष्ट नहीं है और नहीं हो तब भी सन्तुष्ट नहीं हैं।....बैठिये। श्री किशनगोपाल कोगटा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा कोई काम नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मिलकर सवाल पूछना और जवाब दिलवाना यह कहां तक उचित है इस पर विचार करें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। वह निवाई के रहने वाले हैं और मैं निवाई का विधायक हूं इसलिए आपका ऐसा सोचना स्वाभाविक हो सकता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप हमारे सम्बन्ध क्यों बिगाड़ना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष : आप मत बिगड़ने दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके इतने घनिष्ट सम्बन्ध हो गये इसको जानकर मुझे बहुत खुशी हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनगोपाल कोगटा।

पर्यटनशाला, पाली

189. **श्री किशनगोपाल कोगटा** (मसूदा) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पाली जिले में पर्यटन शाला हेतु किन-किन स्थानों का सर्वे करवाया गया ?

(2) किन-किन स्थानों पर सरकार पर्यटनशाला घोषित करने का विचार रखती है ?

पर्यटन मन्त्री (सुश्री पुष्पा जैन) : (1) पर्यटनशाला हेतु कोई सर्वे नहीं कराया गया है।

(2) राजस्थान में कोई पर्यटनशाला खोलने का प्रावधान नहीं है। न ही कोई विचार है।

श्री अध्यक्ष : श्री राजपालसिंह शेखावत। प्रश्न संख्या 190

श्री राजपालसिंह शेखावत (अनुपस्थित)।

(प्रश्न संख्या 190 कृपया आगे देखिये)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय, उदयपुर में बकाया अग्रिम राशि वसूली

191. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के कार्यालय में लाखों रुपयों की अग्रिम गत 5 वर्षों से कर्मचारियों/अधिकारियों पर बकाया निकल रही है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो अभी तक कितनी वसूली हो चुकी है तथा कितनी बकाया है ? इसकी शीघ्र वसूली के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां, यह सही है कि उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) उदयपुर के कार्यालय दिनांक 31.12.90 को विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों/अधीनस्थ केन्द्रों के विरुद्ध अग्रिम राशि 13,15,321.06 पैसे बकाया थे। यह राशि गत पांच वर्षों से पहले से बकाया चली आ रही है। दिनांक 31.12.91 को उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) उदयपुर द्वारा केवल 8,17,780.43 रुपये बकाया होना बताया है। शेष वसूली हो गयी है जिसकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) उदयपुर द्वारा बकाया अग्रिम धनराशि 13,15,321.06 में से 31.12.91 तक की अवधि में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों/केन्द्राधिकारियों से 4,97,540.63 पैसे की राशि वसूल कर ली गई है और दिनांक 10.1.92 को 8,17,780.43 पैसे की राशि और वसूली योग्य बकाया रही है जिसकी वसूली के लिए उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क) द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इसी प्रकरण की विभाग द्वारा संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर के माध्यम से प्राथमिक जांच करवाई जा रही है जिससे कि वस्तु स्थिति का विवरण मालूम हो सके और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को दण्डित किये जाने की कार्यवाही की जा सके। जांच की जा रही है रिपोर्ट अपेक्षित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से इतना ही जानना चाहता हूं कि पिछली बार भी इसी तरह का उत्तर दिया गया था और यह केवल एक जिले की बात है। आज तक यह राशि वसूल नहीं की गयी जबकि इसमें जितना भी आप देखें....

श्री अध्यक्ष : पिछली बार कब उत्तर दिया गया था ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : पिछली विधान सभा में भी यही प्रश्न का उत्तर दिया गया था....

श्री अध्यक्ष : गत सितम्बर में या अगस्त में ? इतनी ही राशि बताई थी, 8 लाख बाकी था ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं निवेदन करूं कि जैसा आपने ही कहा कि 5 साल से पहले से यह राशि बकाया है इसमें जितने भी लोग हैं उसमें सारे सरकारी अधिकारी हैं आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में यह है कि यह राशि उनके नाम पर लिखी हुई है लेकिन इस राशि को प्राप्त करने वाले दूसरे लोग हैं और इसमें अगर आप गहराई में जायेंगे तो राजस्थान में जब उदयपुर में ही राशि बाकी है तो अन्य जिलों में कितने रुपये बाकी होंगे। इसकी वजह से बड़ी बदनामी की बात है यह और आपके विभाग में ऐसा होता रहे तो उचित नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इसकी जांच करवाई जा रही है। 4 लाख की वसूली हो गयी। बहुत पुरानी बकाया है....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री नन्दकिशोर शर्मा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : जांच कब तक होती रहेगी ?

श्री अध्यक्ष : पंचायत राज मन्त्री जी। ....(व्यवधान)....श्री महावीरजी देखिये प्लीज। यह रनिंग कमेंट्री बन्द करिये कम से कम और प्रश्नकाल में तो मत करिये। श्री नन्दकिशोर शर्मा।

पंचायत समितियों को वाहन आबंटन

192. **श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा)**: क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग ने गत वर्ष पंचायत समितियों को ट्रेकर (बड़ी गाड़ी) वितरित की थी ?

(2) क्या उक्त गाड़ी कच्चे ग्रामीण क्षेत्र में चलने लायक हैं ? यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत समितियों को क्यों दी गई ?

(3) क्या उक्त गाड़ी की खरीद में कोई अनियमितता हुई है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई है ?

(4) क्या ग्रामीण क्षेत्र में दी हुई उक्त गाड़ियों के स्थान पर छोटी गाड़ियों की व्यवस्था की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत राज, राज्य मन्त्री (**श्री हरलाल सिंह खर्रा**) :

(1) जी हां।

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी गत वर्ष पंचायत समितियों को जो ट्रेकर जीप दी गयी वह पंचायत समितियों के किसी भी ग्रामीण इलाके के काम की नहीं है और उत्तर में जी हां, जी नहीं केवल इतना ही उत्तर दिया है। न किसी ने मांग की। उसमें यह बताया गया है कि यह उसके लायक है लेकिन अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि वह ग्रामीण अंचल में बिल्कुल चलने लायक नहीं है। जिनको पिछले गत वर्ष दी गयी वह जबरदस्ती दी गयी। किसी ने मांग नहीं की। जब किसी की मांग ही नहीं थी तो उसकी खरीद क्यों की गयी ? जब वह वहां चलने लायक नहीं है तो मेरा निवेदन है कि जिनमें वह जीप दी गयी है और किसी की मांग नहीं थी तो उसकी खरीद क्यों की गयी यह देखा जाये। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जिन पंचायत समितियों के काम नहीं आती, उसके कहीं और पुर्जे नहीं मिलते, चलती नहीं तो उनको बदलकर दे दी जाये और उसकी जांच करवाई जाये।

श्री हरलालसिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष जी, मोटर गैरेज की रिपोर्ट के आधार पर यह गत वर्ष खरीदी हुयी थी और उनकी रिपोर्ट यह थी कि यह एवरेज ज्यादा देगी, सीटेज ज्यादा हैं....

श्री रामसिंह विश्नोई : राजस्थान में कितने ट्रेकर दिये हैं ?

श्री हरलालसिंह खर्रा : उनकी रिपोर्ट थी उसके आधार पर खरीदी गयी और उसमें अब जब यह शिकायतें आ रही हैं कि यह गाड़ी काम नहीं देती तो इस बार जो गाड़ी खरीदी गयी और यह भी आदेश कर दिये गये हैं कि यह दुबारा नहीं खरीदी जाये। महेन्द्रा जीप ही खरीदी जाये जो पंचायत समितियों के काम आ सकें।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : जो ट्रेकर लिये गये....

एक माननीय सदस्य : जो यह गाड़ियां ली गयीं वह किसके आदेश से ली गयीं ?

श्री अध्यक्ष : आप उनको नहीं बोलने देंगे। जो सवाल कर रहे हैं उनको नहीं पूछने देंगे। आपका सवाल नहीं है और उनको नहीं पूछने देंगे।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : मेरी प्रार्थना है कि, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब नहीं खरीदी जाये यह निर्णय तो ठीक है लेकिन पहले क्यों खरीदी गयीं और जिनको दे दी गयी उनको पहले नयी गाड़ियां दी जायें।

श्री हरलालसिंह खर्रा : जिन पंचायत समितियों में कच्चा है और जहां यह दी गयी थीं वहां जीपें बदलने का काम विचाराधीन है और इन ट्रेकर्स को जिला परिषदों में जहां रोड्स हैं, जहां पक्की जमीन है वहां एडजेस्ट करने का मेरा निवेदन है और 14 ट्रेकर्स खरीदी गयी थीं और इसमें फिर शिकायत आई तो जांच भी हुई है लेकिन खरीद में कोई घोटाला हुआ नहीं पाया गया इसलिए दुबारा नहीं खरीदने का निर्णय लिया है।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : जिन अधिका-

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

रियों ने जबरदस्ती खरीदी उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। जबरदस्ती दी है और जबरदस्ती खरीदी है।

श्री हरलालसिंह खर्रा : मोटर गैरेज की भी रिपोर्ट थी। फिर दुबारा इसकी जांच करवा ली है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, यह जो पंचायत समितियों को पिछली बार गाडियां दी गयी हैं टेम्पू ट्रेकर्स के नाम से यह बहुत ही घटिया स्तर की हैं और दो महीने में ही इसकी बाडी चटक गयी और जो जांच कराई गई है, अध्यक्ष महोदय, वह बी.डी.ओ. से फर्जी रिपोर्ट लेकर जांच कराई गई है।

श्री हरलालसिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान).... टेक्निकल लोगों से जांच कराई गयी उनकी और मोटर गेरेज की रिपोर्ट थी कि यह एवरेज भी ज्यादा देंगे और काम भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। ... (व्यवधान)....

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला चित्तौड़गढ़ में अध्यापकों के स्थानान्तरण

183. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 2 वर्षों में पंचायत समितियों में कुल कितने अध्यापक व कर्मचारियों के स्थानान्तरण किस-किस स्कूल में हुए ? सूची स्कूलवार, अध्यापक व कर्मचारियों के नामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में इस वर्ष खुले नये प्राथमिक स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 2 वर्षों में अध्यापकों व कर्मचारियों के किए गये स्थानान्तरणों की सूची पंचायत समितिवार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बारोड़ा (भिनाय) में 33 के.वी. विद्युत लाइन

186. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या भिनाय विधान सभा क्षेत्र में 33 के.वी. लाइनें डालना प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी कहां से कहां को, कितने-कितने कि.मी. की ?

(2) क्या बारोड़ा 33 के.वी. लाइन डालने के लिये गत 2 वर्षों से खम्बे डाले जा चुके हैं ? यदि हां, तो यह लाइन कब तक डाल दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। भिनाय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न 33 के.वी. लाइनें ग्रामीण विद्युतिकरण योजना की स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं :-

1. सरवाड़-बोराड़ा —18 कि.मी.

2. सराना-टांटोती—10 कि.मी.

(2) जी हां। 33 के.वी सरवाड़ से बोराड़ा लाईन का कार्य वर्ष 1991-92 के 33 के.वी. कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं। अब इस लाइन का कार्य 1992-93 के 33 के.वी. कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के प्रयास जारी हैं।

गंगापुर सिटी में वानिकी कार्य

187. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (खण्डार): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सामाजिक वानिकी रेंज गंगापुर-सिटी में गत 5 वर्ष में कितना-कितना क्या-क्या विकास कार्य कराया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रामप्रसाद डिप्टी रेंजर सामाजिक वानिकी, गंगापुर द्वारा कराये गये वन विकास कार्यों का पिछले पांच वर्षों में या चालू वर्ष में (जनवरी, 92) भौतिक सत्यापन कराया गया ? यदि हां, तो सत्यापन रिपोर्ट क्या रही ?

(3) क्या उक्त रेंजर द्वारा कराये गये गंगापुर रेंज के कार्यों में कोई अनियमितता पाई गई ? यदि हां, तो अब तक उक्त रेंजर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त रेंजर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सामाजिक वानिकी रेंज गंगापुर में गत पांच वर्षों में कराये गये वन विकास कार्यों का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया हैं।

(2) जी हां। श्री रामप्रसाद रेंजर गंगापुर में 18.11.89 से 11.8.91 तक ही पदस्थापित रहे हैं। वर्ष 1991 में कराये गये वृक्षारोपण बुजोलाई का मूल्यांकन 24.1.92 को किया गया था। भौतिक सत्यापन पर कार्य कम पाया गया।

(3) जी हां। प्राथमिक जांच सम्पन्न हो चुकी हैं।

(4) जांच में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सम्पन्न की जायें।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को राहत

190. श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्तमान कुल कितनी लघु, मध्यम एवं बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं ?

(2) उक्त में से कितनी इकाइयां रुग्ण हैं तथा इनमें सरकार की कितनी राशि लगी हुई है ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त इकाइयों को

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

रुग्णता से मुक्त कराने हेतु विशेष छूट देकर कोई अभियान चलाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में लघु उद्योग क्षेत्र में 1,57,333 पंजीकृत इकाइयां तथा मध्यम एवं वृहद इकाइयों की संख्या 421 है।

(2) उक्त में से 10,420 लघु औद्योगिक इकाइयां व 95 मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाइयां रुग्ण है, इन रुग्ण इकाइयों में राज्य सरकार, रीको व राजस्थान वित्त निगम की विनियोजन व ऋण के रूप में बकाया राशि के विवरण की सूची "क" व "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। राजस्थान की औद्योगिक नीति 1990 के अन्तर्गत राज्य की रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिए छूट/सुविधाए देने का प्रावधान है। ये सुविधायें रुग्ण इकाइयों के पुनंचालन/पुर्नसंस्थापन हेतु स्वीकृत पैकेज के अनुसार पृथक-पृथक मामलों में गुणावगुण के आधार पर दी जाती है। राज्य सरकार रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को प्रतिस्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए उठाये जा रहे कदमों के विवरण की सूची "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिचाई उपखण्ड बादनवाड़ा में जे.आर.वाई. के अन्तर्गत मस्ट्रोल पर कराया गया कार्य

266. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सिचाई उपखण्ड बादनवाड़ा में माह अगस्त, 1990 में (1.8.1990 से 15.8.1990 तक) सूरजसागर, मिनाय पर जे आर. वाई. के अन्तर्गत मस्ट्रोलों पर कार्य कराया गया था ?

(2) यदि हां, तो उक्त कार्य के मस्ट्रोलस किसके द्वारा प्राप्त किये गये और कार्य किसके द्वारा कराया गया ? क्या उक्त कार्य की दैनिक श्रमिक रिपोर्ट रोजाना उच्च अधिकारियों को भेजी जाती रही थी ?

(3) उक्त कार्य के मस्ट्रोल्स कब और किसके द्वारा नाप पुस्तिका में चढ़ाए गए ?

(4) क्या यह सही है कि माह अगस्त 1990 के उक्त कार्य के मस्ट्रोल माह दिसम्बर, 1991 में करीब डेढ़ वर्ष पश्चात् चढ़ाये तथा मस्ट्रोल में कारीगरों को बेलदार बनाकर लिखावट में कटौतियां करने के कारण मस्ट्रोल गुम किए गए ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में चूने की कंकरीट, चुनाई तथा सीमेंट प्लास्टर का कार्य हुआ ? यदि हां, तो यह सीमेंट कहां से प्राप्त हुई ?

(6) क्या यह भी सही है कि पक्के कार्य की जगह मिट्टी का कार्य दिखाने के कारण कारीगरों को मस्ट्रोल्स में काटकर बेलदार बनाया गया ? ऐसे अधिकारियों/

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

कर्मचारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्य-वाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त कार्य के मस्ट्रोल उपखण्ड बादनवाड़ा कार्यालय से मेट द्वारा प्राप्त किये गये थे। उक्त कार्य निर्देशानुसार मेट एवं बेलदार द्वारा कराया गया। उक्त कार्य की दैनिक श्रमिक रिपोर्ट रोजाना संबंधित कार्यालय को भेजी जाती रही थी।

(3) उक्त कार्य के मस्टर-रोल कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा नाप पुस्तिका में दिनांक 19.12.91 को चढ़ाए गए।

(4) यह सही है कि मस्टर-रोल डेढ़ वर्ष बाद चढ़ाये गये पर मस्ट्रोल गुम नहीं हुए।

(5) जी नहीं। उक्त अवधि में माप के अनुसार केवल चूने की चुनाई का कार्य किया गया।

(6) मस्ट्रोल में कटींग के बारे में जांच की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध अनु-शासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अनास नदी (बांसवाड़ा) पर बांध निर्माण

267. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बांसवाड़ा जिले में अनास नदी पर बांध बांधने की कोई योजना है ? यदि हां, तो सर्वे कब-कब करवाया गया ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) अनास नदी पर बांध बांधने से कितने गांव प्रभावित होंगे तथा कितने काश्तकार व कितनी हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में जावेगी ? प्रभावित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अनास बांध बांधने से बांसवाड़ा जिले के कितने गांव व कितनी भूमि सिंचित होगी ?

(4) क्या अनास बांध का पानी किसी अन्य राज्य को देने की योजना है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अभी कोई निश्चित योजना नहीं है। इस पर केवल मोटे रूप से विचार किया गया है। यह अन्तर्राज्यीय (Inter-State) का मामला है जिसमें गुजरात की सहमति की आवश्यकता है-यदि उनकी सहमति मिलती है तो इस पर आगे विचार किया जावेगा।

(2) अभी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(3) बांसवाड़ा में मुख्य रूप से इसका उपयोग सिंचाई का नहीं होकर विद्युत उत्पादन के लिए होगा। अतः विशेष सिंचाई होने का प्रश्न ही नहीं है।

(4) हमारे हिस्से का पानी अन्य राज्य को देने का प्रश्न ही नहीं है परन्तु आंशिक रूप में चूंकि गुजरात का केचमेंट भी इसमें आता है अतः इस अंश तक उन्हें भी पानी

(सिचाई मन्त्री)

मिल सकता है। मौजूदा समय में अनास नदी का पानी समुन्द्र में गिर कर व्यर्थ जाता है।

अमरवाड़ (सपोटरा) की लिफ्ट सिंचाई योजना

268. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार अमरवाड़ क्षेत्र सपोटरा की लिफ्ट सिंचाई योजना जो कि दो वर्ष पूर्व से मंजूरशुदा है, को बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इस योजना में कुल कितनी लागत व्यय होने का अनुमान है तथा क्या कुछ हिस्सा किसानों से भी देय है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) ऐसी कोई लिफ्ट सिंचाई योजना सिंचाई विभाग में स्वीकृत नहीं है।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

जिला बीकानेर में विभागीय भूमि पर अतिक्रमण व वृक्षारोपण

269. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर जिले में वन विभाग का रिकोर्डेड कितना रकबा है ? खसरावार व गांव वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वन विभाग के कितने रकबे पर खसरावार अतिक्रमण किया हुआ है ? उसका कब्जा लेने व अतिक्रमियों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) बीकानेर जिले में कुल कितने रकबे पर वन विभाग ने वर्ष 1991-92 में वृक्षारोपण किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में वन विभाग को 96,396.42 हैक्टर क्षेत्र आवंटित है। इस क्षेत्र की खसरावार, ग्रामवार सूची अत्याधिक विस्तृत होने के कारण सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

(2) बीकानेर जिले में वन विभाग के 2.126 हैक्टर वन भूमि में अतिक्रमण हुआ है जिसमें से 0.87 हैक्टर क्षेत्र से अतिक्रमियों को बेदखली कर भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। शेष अतिक्रमित क्षेत्र से बेदखली की कार्यवाही जारी है।

(3) वर्ष 1991-92 में बीकानेर जिले में 4053 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है। सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

कैलादेवी रिजर्व फोरेस्ट

270. श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कैलादेवी रिजर्व फोरेस्ट में कितने ग्राम आ गये हैं ? क्या सरकार इनको

(श्री प्रभुलाल पटेल)

हटाकर दूसरी जगह बसाने का विचार रखती है ?

(2) क्या रिजर्व फोरेस्ट में मवेशियों का प्रवेश बन्द है ? यदि हां, तो विभाग की सहमति से यहां पर भेड़ें क्यों चराई जाती हैं ?

(3) क्या सरकार इसका विकास करना चाहती है ? यदि हां, तो पानी व यातायात की व्यवस्था करने की क्या योजना है और कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) कैलादेवी अभयारण्य में 46 गांव बसे हुए हैं। इन गांवों को अन्यत्र बसाने की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) वन बन्दोबस्त के समय स्वीकृत अधिकारों एवं अनुदानों के अनुसार स्थानीय मवेशियों को रिजर्व फोरेस्ट में चराई की सुविधा दी जा सकती है।

(3) जी हां। वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में वन्यजीवों को पानी उपलब्ध कराने के लिए ऐनीकट बनाये जा रहे हैं तथा वन मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है।

डूंगरपुर जिले की लिफ्ट सिंचाई योजना

271. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डूंगरपुर जिले में कितनी लिफ्ट सिंचाई योजना कार्यरत हैं और उसमें कितनी खराब एवं बन्द हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम डेरिया फला लिफ्ट सिंचाई योजना बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या जिला विकास अभिकरण द्वारा डूंगरपुर लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु सामग्री किसी एक ही प्राईवेट (निजी) डीलर से खरीदी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? वर्ष 1983 से 31 जनवरी, 1992 तक कितने रुपयों का माल (मोटर, पाइप विद्युत् उपकरण) खरीदा गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार ने निविदा (टेण्डर) के आधार पर मोटर, पाइप, विद्युत सामान खरीदने के निर्देश दिये है ? यदि हां, तो निर्देश के विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में 37 योजनाओं का निर्माण कराया गया जिसमें से 25 कार्यरत हैं। 4 बन्द पड़ी है, 7 पर विद्युत सम्बन्ध लेना बाकी है। एक प्रारम्भ नहीं की गई।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। डूंगरपुर जिले में सामग्री निविदा द्वारा खरीदी जा रही है। इसमें पूरे राजस्थान एवं बाहर की फर्मों द्वारा सामग्री प्राप्त की जा रही है। वर्ष 1983 से 31 जनवरी, 1992 तक

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

9356519 रुपये का माल खरीदा गया। माल सप्लाई करने वाली फर्म के नाम है– पारस मशीनरी स्टोर, डूंगरपुर, भाग्योदय स्टोर्स डूंगरपुर, श्री महावीर स्टोर, इन्दौर, जैन पाइप इन्दौर (एम. पी.) एवं एक्युरेट पाइप उदयपुर।

खरीदा गया सामान मैसिव मद से 43,38,496/–, टी ए डी. मद में 34,12,342/–, डी. पी. ए. पी. मद में 14,39,375/–, आई. आर. डी. पी. में 1,28,976/– तथा एम. आर. ई. पी. में 37,330/– रुपये का है।

(4) जी हां। राज्य सरकार के नियमानुसार सामग्री निविदा द्वारा खरीदी जा रही है। चूंकि सामग्री राज्य सरकार के निर्देशानुसार निविदा द्वारा खरीदी गई हैं, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उप परियोजना जनजाति विकास कार्यालय, प्रतापगढ़

272. श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या उप परियोजना जनजाति विकास कार्यालय, प्रतापगढ़ डी आर.डी.ए. चित्तौड़गढ़ से पृथक है ?

(2) यदि ऐसा है तो क्या पी. डी. अकाउन्ट का संचालन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पृथक-पृथक ही किया जाता है ? यदि नहीं, तो कब तक अकाउन्ट का संचालन पृथक-पृथक अधिकारी से करवाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री कमलराम मीणा निवासी देवगढ़ (चित्तौड़गढ़) के भवन निर्माण ऋण प्रकरण

273. श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि श्री कमल राम मीणा पुत्र श्री कचरू जी निवासी देवगढ़ तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को उप परियोजना अधिकारी जनजाति विकास विभाग कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा भवन निर्माण ऋण की स्वीकृति के बाद भी भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो अब भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, यह सही है कि श्री कमल राम मीणा पुत्र श्री कचरू जी निवासी देवगढ़ तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को उप परियोजना अधिकारी, टी ए.डी., कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति के बाद भी बजट नहीं होने से भुगतान नहीं किया गया है। उप योजना क्षेत्र हेतु बजट स्वीकृति उपरान्त नियमानुसार भुगतान सम्भव होगा।

कमलेश्वर महादेव, बीजासन माताजी का किला एवं माला देवी की गुफा इन्द्रगढ़ (बून्दी) का पर्यटन की दृष्टि से विकास

274. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में कमलेश्वर महादेव, बीजासन माताजी का किला तथा मालादेवी की गुफा देखने प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते हैं ? यदि हां, तो उक्त स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से अब विकसित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां, इन स्थलों पर मुख्यतः स्थानीय श्रद्धालु यात्री आते हैं। विभाग किसी भी स्थान विशेष को पर्यटन की दृष्टि से तभी विकसित करता है जब वर्ष पर्यन्त देशी व विदेशी पर्यटकों का काफी संख्या में आवागमन हो। हर स्थानीय धार्मिक महत्व के स्थानों को पर्यटन विभाग विकसित कर सके, ऐसा सम्भव नहीं है। हां, इन्द्रगढ़ दुर्ग पर फ्लड लाईटिंग के प्रस्ताव वर्ष 1989 में केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय को भेजे गये हैं, जिसकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मण्डोर गार्डन (जोधपुर) का पर्यटन की दृष्टि से विकास

275 श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा): क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मण्डोर गार्डन (जोधपुर) को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना की क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी ?

(2) मण्डोर गार्डन में देशी तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये पर्यटक मेला नियमित रूप से आयोजित करने की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) मण्डोर गार्डन में स्थित तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं की साल-मूर्तियों को सुरक्षित रखने तथा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये इनके विकास की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) विभाग में जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर में पर्यटन के समग्र विकास के उद्देश्य से मरू त्रिकोण के नाम से एक योजना तैयार करवाई गई हैं। इस योजना में मण्डोर में ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम का प्रावधान है। यह योजना विदेशी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार के पर्यटन तथा आर्थिक मामलों के मंत्रालयों को प्रेषित की गई है। भारत सरकार द्वारा यह योजना विदेशी सहायता हेतु भेजी जानी है। विदेशी सहायता प्राप्त होने के उपरान्त ही इस बारे में आगे कार्यवाही करना संभव हो सकेगा।

(2) मारवाड़ समारोह के रूप में मनाये जाने वाले समारोह की अवधि में यह

(पर्यटन मन्त्री)

कार्यक्रम मण्डोर में भी आयोजित किया जावेगा। वर्ष 1992 में मारवाड़ समारोह शरद पूर्णिमा को 10-11 अक्टूबर को आयोजित किया जावेगा। इस वर्ष 1991 में मण्डोर में यह कार्यक्रम दिनांक 7.2.92 एवं 9.2.92 को आयोजित किया गया था।

(3) देवताओं की साल की प्रतिमाएं राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित है। इनकी देखरेख एवं सुरक्षा का कार्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिला कलक्टर जोधपुर ने इन्टेक (भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक निधि प्रन्यास जोधपुर) को देवताओं की साल मण्डोर के पुरातात्विक संरक्षण और पर्यटन विकास के सन्दर्भ में साल में पानी के रिसाव को रोकने तथा कोड़ी (अराइश) पालिस तथा प्लास्टर हेतु 3.34 लाख रुपये का जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से प्रावधान करवाया है। पुराताब्दिक संरक्षण का कार्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की तकनीकी देखरेख और परामर्श से सम्पन्न किया जावेगा।

दौसा जिले की ऐतिहासिक महत्व की इमारतें

276. श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दौसा जिले में ऐतिहासिक महत्व की इमारतें कहां-कहां पर हैं तथा राज्य सरकार का प्रतिवर्ष इन पर कितना रुपया खर्च होता है ? इनसे सरकार को कितनी आय होती है ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बांदीकुई पंचायत समिति के ग्राम पंचायत आभानेरी में क्या कोई पुरातत्व महत्व की ऐतिहासिक चीजें हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी हैं ? इन पर राज्य सरकार का प्रति माह कितना रुपया खर्च होता है तथा सरकार को इनसे कितनी आय प्राप्त होती है ? इन पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार इन ऐतिहासिक इमारतों को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दौसा जिले में आबानेरी ग्राम में टीला, बावड़ी तथा हर्षतमाता के प्राचीन मन्दिर ऐतिहासिक महत्व के हैं।

चूंकि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (केन्द्रीय सरकार) द्वारा संरक्षित हैं अतः राज्य सरकार द्वारा इन पर आय-व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) जी हां। ग्राम आबानेरी में ऊपर वर्णित टीला, बावड़ी एवं हर्षतमाता के प्राचीन मन्दिर पुरातत्व महत्व की ऐतिहासिक चीजें हैं जो केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित हैं। इसलिए राज्य सरकार द्वारा आय-व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इनकी देख-रेख व सुरक्षा हेतु एक वरिष्ठ स्मारक परिचारक, चार स्मारक परिचारक, एक हैड कांस्टेबिल तथा चार कांस्टेबिल लगाये हुये हैं।

(पर्यटन मन्त्री)

(3) सरकार किसी स्थल विशेष को पर्यटक स्थान घोषित नहीं करती है।

कोटपूतली में चूना पत्थर की खनिज विकास निगम द्वारा संचालित खान

277. श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा चलायी जा रही कोटपूतली चूने पत्थर की खान सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि निगम द्वारा चलायी जा रही खान के पास ही चल रही अन्य खानों के मालिक अपने प्रभाव से निगम के कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? क्या इन खान मालिकों द्वारा अवैध खनन की शिकायतें विभाग को मिलती हैं? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कोटपूतली व बहरोड़ के कई चूना उद्योग व सीमेन्ट उद्योग कच्चे माल के लिए पूर्णतया इसी क्षेत्र पर आश्रित हैं? दीर्घ समय तक इनको चूना पत्थर मिलता रहे इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

(4) क्या सरकार इस क्षेत्र की चूने पत्थर की समस्त लीजों को अधिगृहीत कर निगम को देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। निगम को उप मुख्य नियंत्रक, आगरा के द्वारा जारी विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंस को स्थानीय लोगों ने शिकायतें करके रुकवा दिया था। अतः खनन कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है।

(2) जी हां। जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में स्पष्ट किया जा चुका है। यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त व्यवधान उन खान मालिकों के द्वारा किया जा रहा हो जिससे उनके उद्योगों को हानि होती हो। खान मालिकों द्वारा अवैध खनन की कोई शिकायत नहीं है। प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं। निगम से उनकी शर्तों पर कोई भी उद्योग माल खरीद सकता है।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव अभी सरकार के पास विचाराधीन है।

करौली सब-डिवीजन की खानों से आय

278. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) करौली सब-डिवीजन खानों से प्रतिवर्ष कितनी आय होती है? वर्ष 1985 से 1991 तक की आय की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) करौली सब डिवीजन में सोपस्टोन की कितनी खानें हैं तथा किस किस के नाम कितना-कितना एरिया एलॉट किया गया है व प्रतिवर्ष कितनी आय होती है? 1985

(श्री गोविन्द सहाय)

से 1991 तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सोपस्टोन की रॉयल्टी सही रूप से नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो किस-किस पार्टी पर कितनी-कितनी राशि की रॉयल्टी बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1985 से 1991 तक की प्रति वर्ष आय की सूचना, संलग्न परिशिष्ट "ए" में अंकित है।

(2) सोपस्टोन की 5 खानें हैं। पट्टाधारी का नाम व एलॉट किया गया एरिया संलग्न परिशिष्ट "बी" में दर्शाया गया है। इन खानों से प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपये से अधिक की आय होती है। वर्ष 1985 से 1991 तक आय की सूची संलग्न परिशिष्ट "बी" में दर्शायी गई है।

(3) जी नहीं। सोपस्टोन की रायल्टी एम.एम.आर.डी. एक्ट, 1957 के द्वितीय शीड्यूल के अनुसार सही ली जाती है। पार्टी अनुसार बकाया की सूची संलग्न परिशिष्ट "बी" में दर्शाई गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

धौलपुर स्टोन कम्पनी पर बकाया रायल्टी

279. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर स्टोन कम्पनी के नाम खनिज विभाग ने कोई खान लीज पर नहीं दी है ?

(2) क्या यह सही है कि इसके बाद भी धौलपुर स्टोन कम्पनी की खानें काम कर रही हैं ?

(3) धौलपुर स्टोन कम्पनी पर रॉयल्टी की कितनी राशि बकाया है ? राशि वसूल नहीं करने का क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सर्व श्री धौलपुर स्टोन कम्पनी करौली के पक्ष में वर्तमान में कोई खनन-पट्टा खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं है। राज्य सरकार के आदेश दि. 24.4.90 द्वारा सर्व श्री धौलपुर स्टोन कम्पनी के खनन पट्टे के चतुर्थ नवीनीकरण का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा चुका है। कम्पनी ने न्यायालय श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर के यहां एक वाद दायर कर क्षेत्र पर काबिज रहने का स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। लेकिन कम्पनी को क्षेत्र में खनन कार्य करने का अधिकार नहीं है।

(2) यह सही है कि सर्व श्री धौलपुर स्टोन कम्पनी द्वारा इस क्षेत्र में कुछ जगह अवैध खनन कार्य करवाया गया है। विभाग द्वारा इस अवैध खनन कार्य को मौके पर पकड़ कर अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध रुपया 29,74,200/- की मांग कायम की जाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(3) सर्व श्री धौलपुर स्टोन कम्पनी के विरुद्ध रायल्टी का रुपया 15,70,819/-

(खनिज राज्य मन्त्री)

बकाया वसूली हेतु कम्पनी की अचल सम्पत्ति कुर्क की जाकर दिनांक 6.12.91 को नीलाम की जानी थी। बाकीदार ने न्यायालय श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर के एक वाद दायर कर नीलामी पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। अतः नीलामी नहीं की जा सकी है।

आर.आई.एम.डी.सी. द्वारा डूंगरपुर में फ्लोराइड खनन

280. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में विगत वर्ष पूर्व आर. आई. एम. डी. सी. द्वारा खनन कर फ्लोराइड निकाला गया था ? यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा में खनिज निकाला जा चुका है और वहां से दूसरे क्षेत्रों में कितना भेज दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डूंगरपुर में आर. आई. एम डी. सी. द्वारा यह खनन कार्य कब से प्रारम्भ किया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि विगत कुछ वर्ष पूर्व आर. आई. एम. डी. सी. द्वारा खनन कार्य बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि वहां पर फ्लोराइड वहां के मूल निवासियों द्वारा निकाला गया था ? यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी थी एवं आर. आई. एम. डी. सी. द्वारा कितनी मात्रा में जब्त कर लिया गया ? उस फ्लोराइड पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या डूंगरपुर में ही वर्तमान में आर.आई.एम.डी.सी. द्वारा फ्लोराइड का खनन कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यह खनन कार्य किन-किन क्षेत्रों में है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डूंगरपुर जिले में पूर्व आर.आई.एम.डी.सी. जिसका वर्तमान में नाम आर.एस.एम.डी.सी. है, द्वारा खनन कार्य कर फ्लोराइड निकाला गया था। आर.आई.एम.डी.सी. आर.एस.एम.डी.सी. द्वारा धारित खनन पट्टा क्षेत्रों से उत्पादित व निर्गमित खनिज की मात्रा संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार हैं।

(2) डूंगरपुर में आर.आई.एम.डी.सी. द्वारा सर्वप्रथम खनिज फ्लोराइड का खनन कार्य दिनांक 2.12.1969 से शुरू किया गया था।

(3) जी नहीं। आर.आई.एम.डी.सी. द्वारा उनके पक्ष में धारित क्षेत्रों में खनन कार्य किया जाता रहा हैं।

(4) जी नहीं। आर.एस.एम.डी.सी. के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र में फ्लोराइड उनके द्वारा नियुक्त/अधिकृत व्यक्तियों द्वारा निकाला जाता रहा है। आर.एस.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित खनिज फ्लोराइड की मात्रा प्रश्न के खण्ड-1 में अंकित है। मैसर्स आर.एस.एम.डी.सी. के पक्ष में दिनांक 22.8.90 से 31.8.91 की अवधि के लिये

(खनिज राज्य मन्त्री)

खनिज फ्लोराइड हेतु निकट ग्राम सामोता तहसील व जिला डूंगरपुर में एक पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया, जिसकी अवधि समाप्ति के बाद कुछ व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत खनन कार्य कर 160 टन खनिज फ्लोराइड निकाला। इस क्षेत्र जिसका विभाग ने पंचनामा बनाकर उत्पादित खनिज को आर.एस.एम.डी.सी. के चौकीदार को सुपुर्द किया जिसकी चोरी हो जाने से आर. एस. एम. डी. सी. द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में आगे कार्यवाही पुलिस स्तर पर की जा रही है।

(5) डूंगरपुर में आर.एस.एम.डी.सी. के पक्ष में धारित क्षेत्र में समय-समय पर कार्य किया जाता रहा है। उनके पक्ष में धारित सामोता क्षेत्र का खनन पट्टा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी न होने से उन्होंने इस क्षेत्र का दिनांक 1.7.84 को अध्यपर्ण किया, लेकिन परिस्थितियों में सुधार आने से उन्होंने इस क्षेत्र में दि. 22.8.90 से 21.8.91 तक पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र प्राप्त किया। मौजूदा में उनके द्वारा प्रस्तुत खनन पट्टा आवेदन पत्र विभाग के विचाराधीन है। उन्होंने इस क्षेत्र में पुनः खनन. कार्य आरम्भ नहीं किया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

ईदगाह (भवानी मण्डी) पर निर्माण कार्य

281. श्री बालचन्द आर्यवीर (हग) : क्या वक्फ राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झालावाड़ कस्बा भवानी मंडी में ईदगाह पर किस जिला अधिकारी ने किस प्रकार का भवन बनाने की अनुमति कौन सी तारीख में दी ?

(2) क्या ईदगाह प्रार्थना स्थल है और क्या इस भूमि पर दुकानें बनाई जा सकती हैं ? क्या दुकानें बनाने का नक्शा नगर-पालिका से पास करवाया गया ?

(3) क्या उक्त भूमि झालावाड़ स्टेट के महाराजा ने प्रार्थना स्थल बनाने के लिए दी ? क्या उक्त निर्माण वक्फ बोर्ड जांच कर स्थगित करवाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) ईदगाह की भूमि पर किसी भवन के निर्माण हेतु किसी जिला अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी गयी है।

(2) जी हां। वक्फ बोर्ड के अनुसार ईदगाह के किनारों पर दुकानें बनाई जा सकती हैं। नगर पालिका भवानी मंडी को नक्शा पास करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्जुमन राहतुल इस्लाम भवानी मंत्री द्वारा दिनांक 28.8.91 को प्रस्तुत किया गया है, जो अभी वहां विचाराधीन है।

(3) जी हां। राजस्व रिकार्ड में भूमि गैर मुमकिन आबादी (ईदगाह) दर्ज है। निर्माण कार्य कराने से पूर्व वक्फ बोर्ड से अनुमति नहीं ली गयी हैं। अतः वक्फ बोर्ड द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है। यदि निर्माण अनियमित पाया गया तो स्थगित करा दिया जायेगा।

जिला डूंगरपुर में भेड़ व ऊन केन्द्र

282. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या भेड़ एवं ऊन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डूंगरपुर जिले में कुल कितने भेड़ व ऊन केन्द्र हैं ? इन केन्द्रों द्वारा कुल कितनी सकर भेड़ें लोगों को उपलब्ध करवाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डूंगरपुर जिले में कुल कितनी भेड़ व ऊन समितियां हैं एवं उनमें से कौन-कौन सी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में चार भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित है। इन केन्द्रों द्वारा 1632 संकर मेंढे उपलब्ध कराये गये।

(2) राजस्थान जन जाति सहकारी संघ लि. के अधीन डूंगरपुर जिले में 8 सहकारी समितियों का गठन किया गया है। जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :–

1. रघुनाथपुरा
2. आसपुर मु. टोकवास
3. सूरजगांव
4. बरोठी
5. थाना
6. सीमलवाड़ा
7. देवल
8. पुनाली मु. दामड़ी

उक्त सभी सहकारी समितियां कार्यरत हैं।

स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन एक्ट के अन्तर्गत कार्यरत संस्थायें

283. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) एव श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन एक्ट के तहत राजस्थान में कौन-कौन सी संस्थायें किस तिथि से कार्यरत हैं ?

(2) इन संस्थाओं ने कितनी इकाइयों को अब तक कितना ऋण वितरित किया हैं ? संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ऋण सुविधा प्राप्त इकाइयों में ऋण मुक्त, बन्द, रुग्ण एवं ऋण भुगतान में दोषी इकाइयों की संख्या व सम्बद्ध राशि का विवरण संस्थावार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन एक्ट के तहत राजस्थान में राजस्थान वित्त निगम 8 अप्रैल, 1955 से कार्यरत है।

(2) राजस्थान वित्त निगम द्वारा आरम्भ से 31 जनवरी, 1992 तक 42593 औद्योगिक इकाइयों को 654.53 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये हैं।

राजस्थान वित्त निगम से सहायता प्राप्त कुल इकाइयों की संख्या 31 जनवरी, 92 को 42593 है, इनमें से लगभग 37000 इकाइयों में कुल 44,372 करोड़ रुपये की राशि बकाया है, 5593 औद्यो-

(उद्योग मन्त्री)

गिक इकाइयां ऋण मुक्त हो चुकी हैं। इनमें से बन्द, रुग्ण, अधिग्रहित एवं ऋण भुगतान में दोषी इकाइयों का विवरण निम्न प्रकार है :-

		संख्या	राशि (करोड़ों में)
1.	ऋण भुगतान में दोषी इकाइयां भुगतान में दोषी इकाइयां वे हैं जिन्होंने देय तिथि को देय राशि का भुगतान नहीं किया हो।	21153	110.74
2.	अधिगृहित इकाइयां	803	49.68
3.	बन्द इकाइयां	3427	71.32
4.	नियमित भुगतान वाली इकाइयां	11617	211.98
		37000	443.72

(3) 21153 दोषी इकाइयों में, 11,355 इकाइयां 25,000/- रु. तक ऋण प्राप्त करने वाली इकाइयां हैं।

जिला बाड़मेर में उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण

284. श्री हुक्माराम मेघवाल (सिवाना) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में मोकलसर रेल्वे स्टेशन के पास औद्योगिक क्षेत्र हेतु 148 बीघा, 19 बिस्वा भूमि आरक्षित की गई है ? यदि हां, तो यहां पर किन-किन इकाइयों को उद्योग लगाने हेतु ऋण वितरित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक उद्योग प्रारम्भ नहीं करने का क्या कारण है ?

(3) क्या सिवाना के ऐसे कई लोग हैं जो उद्योग लगाने के इच्छुक हैं ? क्या सरकार ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को भूमि आवंटन एवं ऋण वितरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा बाड़मेर जिले में मोकलसर रेल्वे स्टेशन के पास औद्योगिक क्षेत्र के लिए 138 बीघा 18 बिस्वा भूमि आरक्षित करने के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. (रीको) के पक्ष में आवंटित की गई है। क्योंकि अभी तक रीको भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के

(उद्योग मन्त्री) :

भूखण्डों के नियोजन एवं विकास की योजना भी अभी नहीं बनाई गई है। अतः उक्त क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने एवं ऋण वितरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) इस क्षेत्र में उद्योग प्रारम्भ नहीं होने का मुख्य कारण रीको को भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं होना है। भौतिक कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। सिवाना के नागरिकों द्वारा रीको को सूचित किया गया है कि 51 उद्यमी सिवाना में उद्योग लगाने हेतु इच्छुक है। रीको द्वारा इस क्षेत्र का जिला स्तरीय अधिकारी से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यदि उक्त क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता से रीको आश्वस्त होती है तो उसी दशा में सिवाना में औद्योगिक क्षेत्र के विकास की कार्यवाही की जावेगी। यदि ऋण वितरण संबंधी कोई प्रस्ताव उद्यमियों से प्राप्त होगा तो ऋण वितरण करने के सम्बन्ध में गुण-अवगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

विदेशों में गए व्यक्तियों के शोषण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

285. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या श्रम राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों से विदेशों में गये व्यक्तियों के शोषण के संबंध में क्या कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन्हें रोजगार की सुरक्षा एवं शोषण से मुक्ति के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये ?

उत्तर

(1) जी नहीं, इस विभाग से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) विदेशों में नौकरी इच्छुक व्यक्तियों की उचित सहायता के लिए विभाग में संयुक्त निदेशक का पद सृजित किया गया है।

वर्ष 1991-92 में लालसोट में कृषि कनेक्शन

286. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सहायक अभियन्ता कार्यालय, लालसोट को वर्ष 1991-92 में कितने कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? योजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1991-92 में कृषि कनेक्शन (विद्युत) के जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उनके अनुसार किस गांव में किस उपभोक्ता को कनेक्शन देने की वरीयता से कृषि कनेक्शन देना निर्धारित है ? सूची ग्रामवार तथा उपभोक्ता के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1991-92 में निर्धारित लक्ष्यों में से कितने प्रतिशत उपभोक्ताओं को विद्युत कृषि कनेक्शन दे दिये गये हैं ? शेष कृषि कनेक्शन प्रार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री परसादीलाल मीणा)

(4) निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कृषि कनेक्शन नहीं देने में क्या अड़चन है ?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता कार्यालय, लालसोट में वर्ष 1991–92 में योजनावार निर्धारित किये गये लक्ष्यों का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :–

1.	ओ. ए. स्कीम	411
2.	ओ. बी. स्कीम	60
3.	नान आर.ई.सी. स्कीम	23
		494

(2) वर्ष 1991-92 में उपरोक्त प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष जिन आवेदकों को कनेक्शन दिया जाना विचाराधीन है उनकी ग्रामवार आवेदकों के नाम सहित योजनावार सूची "अ", "ब" व "स" संलग्न है।

(3) वर्ष 1991–92 में निर्धारित लक्ष्यों में से 13.56 प्रतिशत उपभोक्ताओं को 15 फरवरी, 1992 तक विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। शेष रहे कृषि कनेक्शन के आवेदकों की गांव व नामवार सूची "द" "ध" व "न" संलग्न है।

(4) निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विचाराधीन कृषि कनेक्शन को मण्डल के निर्धारित नियमों व आवेदक द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेने के पश्चात् दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम जोरावरपुरा तथा रोंण (इटावा) में सड़क निर्माण

287. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की कृषि उपज मण्डी समिति, इटावा में जोरावरपुरा तथा रोंण गांवों को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति सरकार ने दी थी ? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि की ?

(2) क्या उक्त दोनों सड़कों पर कार्य आरम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां। गांव जोरावरपुरा तथा रोंण को जोड़ने वाली सड़कों की स्वीकृति दिनांक एवं अनुमानित व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत दिनांक	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)
1–	सं. सड़क खातोली रोड से जोरावरपुरा	11.2.91	9.00
2–	सं. पीपल्दा से रोंण	11.2.91	12.00

(कृषि मन्त्री)

(2) जी नहीं। पूर्व में उक्त कार्यों की तीन बार निविदायें आमन्त्रित करने पर तीसरी बार दिनांक 8.1.92 को प्राप्त की गई निविदा में एक सड़क खातोली रोड से जोरावरपुरा की एक ही निविदादाता ने अपनी दर प्रस्तुत की है, जो स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। सड़क पीपल्दा से रोंण के एलाइनमेंट के निर्धारण में भी विलम्ब हुआ। अब जो निर्धारण किया गया उसमें सी.डी. कार्य अधिक होने कार्य की लागत अधिक हो जायेगी।

कार्य में देरी का मुख्य कारण निविदाओं के लिए ठेकेदारों का नहीं आना था, इसलिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

तहसील सांचौर के विद्युतिकरण हेतु घोषित ग्राम

288. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सांचौर तहसील में कितने गांव विद्युतीकरण हेतु घोषित किये हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों में कर्मचारियों की कमी के कारण विद्युत सप्लाई में बाधा आ रही है? यदि हां, तो कर्मचारियों की कमी को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) सांचौर तहसील में माह मार्च, 1991 तक कुल 115 ग्राम विद्युतीकृत घोषित किये गये हैं। सूची "अ" संलग्न है।

(2) कुछ श्रमिकों की कमी तो है किन्तु इस कमी को ध्यान में रखते हुए केवल विद्युत वितरण की व्यवस्था उपलब्ध श्रमिकों द्वारा करवायी जा रही है तथा लाइन आदि के कार्य ठेके पर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा पूर्ण करवाने के आदेश प्रसारित हैं,

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

उद्योगपतियों पर विभागीय बकाया

289. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने उद्योगपतियों पर पांच लाख रुपया या इससे अधिक राशि बिजली की बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बिजली बोर्ड ने इस वसूली के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) 5 लाख या इससे अधिक बिजली की बकाया राशि वाले उद्योगपतियों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) विद्युत मण्डल सक्षम तरीके से वसूली हेतु प्रयास करता रहा है। इस कार्य में तेजी व प्रभावकारी ढंग से वसूली का कार्य करने हेतु प्रत्येक वृत में एक अधिशाषी अभियन्ता (वसूली) अलग से नियुक्त किया गया है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूज) रिकवरी एक्ट के अधीन तत्परता से वसूली करने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव किया गया है। न्यायालय में विचाराधीन मामलों की

(ऊर्जा मन्त्री)

मुस्तैदी से पैरवी कर के स्टे आर्डर वेकेट करवाने के प्रयास किये जाते हैं ताकि बकाया वसूल की जा सके।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम बाकलिया (नागौर) के ग्रिड स्टेशन व ट्रांसफार्मर के अभाव से प्रभावित जल प्रदाय योजनायें

290. **श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाकलिया ग्राम जिला नागौर में बने सब ग्रिड स्टेशन को जले हुये काफी समय व्यतीत हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि इतने दिनों से जले इस बड़े 1.5 एम वी. ए. ट्रांसफोर्मर को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इससे बड़ी-बड़ी जल प्रदाय योजनायें जुड़ी हुई हैं जो इस बड़े ट्रांसफार्मर के जल जाने से प्रभावित हुई हैं ?

(4) अब कब तक बड़ी कैंपीसिटी का नया ट्रांसफार्मर प्रदान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) नागौर जिले के बाकलिया ग्राम में 33/11 के. वी. सब स्टेशन पर प्रतिस्थापित 1.6 एम. वी. ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसको बदल दिया गया है।

(2) 1.6 एम. वी. ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर खराब हुआ था उसके स्थान पर 1.6 एम. वी. ए. क्षमता का ही दूसरा ट्रांसफार्मर स्थापित कर सप्लाई पूर्व की भांति ही सामान्य कर दी गई है।

(3) जी नहीं। ट्रांसफार्मर बदलने तक की अवधि में इस क्षेत्र की जल प्रदाय योजनाओं को विद्युत आपूर्ति लाडनू 33/11 के. वी. सब-स्टेशन द्वारा नियमित रूप से की गई थी।

(4) 1.6 एम. वी. ए. क्षमता का दूसरा ट्रांसफार्मर दिनांक 24.1.1992 को बदल कर चालू किया जा चुका है।

पंचायत समिति लालसोट के ग्रामों का विद्युतीकरण

291. **श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति, लालसोट के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा कितने गांव शेष हैं ? गांववार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शेष रहे गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, लालसोट के कुल 276 ग्रामों में से 163 ग्रामों का विद्युतीकरण फरवरी, 1992 तक किया जा चुका है। शेष अविद्युतिकृत 113 ग्रामों में से 74 ग्राम विद्युतीकरण हेतु ओ. बी. श्रेणी की वर्ष 1989-90 में स्वीकृत ग्रामीण

(ऊर्जा मन्त्री)

विद्युतीकरण निगम योजना में स्वीकृत हैं तथा 39 ग्राम विद्युतीकरण हेतु किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं हैं। सूची "अ" संलग्न है।

(2) शेष रहे अविद्युतिकृत ग्रामों में से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में स्वीकृत 74 ग्रामों का विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु योजना मद में आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यानुसार किया जाना संभव हो सकेगा। वर्तमान में क्षेत्र की चल रही ओ. बी. श्रेणी की वर्ष 1989–90 में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना का कार्य पूर्ण होने पर शेष रहे 39 अस्वीकृत ग्रामों की नई योजना बनाने के प्रयास किये जायेंगे तथा योजना के साध्य पाये जाने पर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृत कराई जा सकेगी। उसके पश्चात् ही इन ग्रामों का विद्युतीकरण वार्षिक कार्यक्रमानुसार किया जा सकेगा। अतः अविद्युतिकृत ग्रामों के विद्युतीकरण की निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में ओ. एण्ड एम. पैटर्न के अनुसार कर्मचारी

292. **श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर)** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में ओ. एण्ड एम. पैटर्न बना हुआ है ? यदि हां, तो उसके अनुसार विद्युत मण्डल में कर्मचारियों की कितनी संख्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त आधार पर कर्मचारियों की संख्या पूरी न होने से विद्युत उपभोक्ताओं को सही विद्युत सेवा मिलने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि विद्युत मण्डल में कुछ वर्षों से मजदूरों की भर्ती बन्द कर रखी है ? यदि हां, तो कब से ?

(4) क्या यह सही है कि 1989 के बाद विद्युत सेवाओं में जो विस्तार किया गया है उसके अनुपात में कर्मचारियों की संख्या का सही अनुपात नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल में वर्ष 1969 में एक स्टाफिंग पैटर्न स्वीकृत हुआ था जो कि नई उन्नत तकनीकी प्रणाली, कार्य पद्धति व प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन व सुधार के कारण व्यवहारिक नहीं रहा। इसलिये उसे रिवाइज करना आवश्यक था। इसके लिये गठित कमेटी से प्राप्त रिवाइज्ड स्टाफिंग पैटर्न का अध्ययन किया जा रहा है। पुराने पैटर्न के अनुसार कर्मचारियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। मई 1980 से सामान्यतया भर्ती बन्द है। लेकिन कनिष्ठ अभियन्ताओं व कुछ अन्य पदों तथा विभिन्न परियोजनाओं व जहां भी कार्य सम्पादन हेतु नितान्त आवश्यकता होती है कर्म-

(ऊर्जा मन्त्री)

चारियों की भर्ती समय-समय पर की जाती है।

(4) जी नहीं। रिवाइज्ड स्टाफिंग पैटर्न विचाराधीन है।

भरतपुर क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी समिति की सड़कें

293. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर कृषि उपज मण्डी के अन्तर्गत आने वाली सेवर से चितोकरी, बोरई से अबोर तथा राहरर से तांतरोर एवं बिलोठी से जाटोली रथ-वाहन की सड़कों की हालत अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त सड़कों की पूर्ण मरम्मत हेतु अविलम्ब कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मात्र सेवर हेलक रोड से चितोकरी सड़क की हालत जीर्ण-शीर्ण है। शेष सड़क बोरई से अबार तथा सड़क राहरर से सातरक का विशेष मरम्मत कार्य करवाया जा चुका है। इनकी हालत पूर्णतया: ठीक है। सड़क विलोठी से जाटोली रथवाहन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की गई है।

(2) जी हां। सड़क सेवर हेलक रोड से चितोकरी की विशेष मरम्मत हेतु मण्डी समिति, भरतपुर में बजट स्वीकृत कराने की कार्यवाही विचाराधीन है।

सपोटरा क्षेत्र के किसानों को कृषि कनेक्शन

294. श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सपोटरा क्षेत्र में किसानों को गत तीन वर्षों में कितने कृषि कनेक्शन दिये गये हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस क्षेत्र के किसानों को कितने कनेक्शन देना विचाराधीन है तथा कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सपोटरा तहसील क्षेत्र के ग्रामों में गत तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91 तक) में 205 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। दिये गये कृषि कनेक्शनों की ग्रामवार सूची संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शायी गई है।

(2) उक्त क्षेत्र में 638 कृषि के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। योजना मद में उपलब्ध वित्तीय संसाधन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में वर्षवार प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुरूप आगामी वर्षों में वहां कनेक्शन दिये जा सकेंगे। अतः समयावधि बताना संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

नागौर जिले में कृषि उपयोगार्थ नीति अनुसार विद्युत कनेक्शन

295. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

(1) जिला नागौर में वर्ष 1990-91 में कुल कितने विद्युत कनेक्शन (कृषि) ट्यूबवैलों के लिए दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि कनेक्शन दिये जाने की सरकार की क्या नीति है ? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नीति के अनुसार ही उक्त जिले में कृषि कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्ष 1990–91 में कुल 3295 कृषि कनेक्शन दिये गये थे उनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

1.	सामान्य श्रेणी	2283
2.	अनुसूचित जाति	306
3.	तुरन्त प्राथमिकता	706
	कुल	3295

(2) वर्ष 1990–91 में मण्डल द्वारा जारी कृषि कनेक्शन नीति के अनुसार वर्ष 1981–82 तक के विचाराधीन आवेदन पत्रों को कनेक्शन जारी करना, यदि कोई तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत कृषि कनेक्शन लेना चाहता है तो उन्हें कनेक्शन देना तथा उन आवेदकों को कनेक्शन देना जिनके मांग पत्र दिनांक 31.3.90 तक निकाले जा चुके थे तथा जिन्होंने मांग पत्र की राशि दिनांक 30.4.90 तक जमा करादी थी उनको कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित था। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.85 तक के ऐसे प्रार्थना पत्र जो अनुसूचित जाति व जनजाति के आवेदकों के थे उनको उक्त नीति के अन्तर्गत कनेक्शन जारी करना प्रस्तावित था। उक्त नीति से संबंधित आदेश दिनांक 19.7.90 व 21.8.90 की प्रतियां "अ" व "ब" संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त प्रस्तावित नीति के अनुसार कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायतों को नगरपालिका के समान प्रति व्यक्ति अनुदान

296. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में पंचायतों को कितना रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है ?

(2) क्या अनुदान राशि नगरपालिका और पंचायतों की समान है ? यदि अन्तर है, तो क्या और क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार पंचायतों को भी नगरपालिका के समान प्रति व्यक्ति अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में पंचायतों को

(पंचायती राज राज्य मन्त्री)

निम्नांकित दरों से प्रति व्यक्ति अनुदान दिया गया है :-

वर्ष	अनुदान की दर
1986-87	2 रु. 25 पैसे
1987-88	2 रु. 25 पैसे
1988-89	2 रु. 25 पैसे
1989-90	4 रु. 00 पैसे
1990-91	4 रु. 00 पैसे

(2) जी नहीं। नगरपालिकाओं को 10/- रु. प्रति व्यक्ति दर से तथा पंचायतों को 4/- रु. प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान दिया जाता है।

(3) जी नहीं। क्योंकि नगरपालिकाओं पर विकास के साथ-साथ कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भी अत्यधिक भार रहता है।

फलासिया क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय

297. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1991-92 में निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु स्थानीय विधायक के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 में फलासिया निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये हैं।

(2) जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

कार्यालय सचिव जिला परिषद् पाली में पूर्व सरपंचों की विचाराधीन जांच रिपोर्ट

298. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत): क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में कितने पूर्व सरपंचों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट सचिव, जिला परिषद् पाली के पास किस-किस आरोप की पड़ी हैं ?

(2) सचिव, जिला परिषद् ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) पाली जिले में सचिव, जिला परिषद् के पास कोई जांच रिपोर्ट लम्बित नहीं है। पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कलाली के विरुद्ध एक जांच कराई गई थी जिसमें आरोप अप्रमाणित पाये गये हैं।

(2) आरोप अप्रमाणित होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) जांच की प्रति सदन के पटल पर पर रख दी गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आपरेशन ब्लेक बोर्ड के तहत जयपुर जिले के संचालित स्कूल

299. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में किन-किन पंचायत समितियों में आपरेशन ब्लेक बोर्ड के अन्तर्गत स्कूल संचालित हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सांभर पंचायत समिति में आपरेशन ब्लेक बोर्ड के अन्तर्गत संचालित स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सांभर-लेक पंचायत समिति में कार्यरत कर्मचारियों के मेडीकल बिलों का भुगतान बजट अभाव के कारण काफी अर्से से विचाराधीन है ?

(4) क्या सरकार इन बिलों का शीघ्र भुगतान कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की समस्त पंचायत समितियों में आपरेशन ब्लेक बोर्ड के अन्तर्गत 684 प्राथमिक शालाएं संचालित हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। वर्ष 1992-93 में अधिक राशि का बजट प्रावधान रखा गया है ताकि अगले वित्तीय वर्ष में बकाया चिकित्सा बिलों का भुगतान कराया जा सके।

(सूचियां विस्तृत होने कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या 300

(स्थगित)

तहसील सांचौर (जालौर) की भंग पंचायतों का चार्ज

301. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर): क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों की अवधि समाप्त होने पर पंचायतों को भंग कर चार्ज ग्राम सेवकों को दिलाया गया है ?

(2) जिला जालौर की सांचौर तहसील की पंचायतों को भंग कर उसका चार्ज किस-किस ग्राम सेवक को कौन-कौन सी तारीख को दिलाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उन पंचायतों की कैश बुक में जो राशि थी वह भी ग्राम सेवकों को सुपुर्द करा दी गयी ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत के पास कितनी-कितनी राशि थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सांचौर पंचायत समिति की किस-किस पंचायत द्वारा अभी तक ग्राम पंचायत का चार्ज व राशि सुपुर्द नहीं की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें एवं चार्ज नहीं देने के कारण, कानून का उल्लंघन होने से

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि कार्यवाही नहीं की जा रही है तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि सरपंचों द्वारा अधूरे पड़े कार्य का तखमीना बनाकर पुनः कार्य चालू किया गया है ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी पंचायतें हैं जिन्होंने कार्य पूर्ण नहीं किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) अधूरे कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है, जो कालम नं. 3 व 4 में अंकित है।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत खेजडियाली के पूर्व सरपंच को छोड़कर शेष सभी सरपंचों ने सम्बन्धित ग्राम सेवकों (प्रशासकों) को राशि सुपुर्द कर दी है। किस-किस पंचायत के पास कितनी-कितनी राशि थी उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है, सूची के कालम नं. 5 व 6 में अंकित है।

(4) ग्राम पंचायत खेजडियाली के पूर्व सरपंच द्वारा नगद राशि का चार्ज अभी तक नहीं सम्भलाये जाने के कारण उनके विरुद्ध राशि का चार्ज दिलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी नहीं।

(6) प्राकृतिक बाधायुक्त, दूरस्थ नेहड़ एवं मरुस्थल क्षेत्र होने, निर्माण सामग्री का परिवहन दुष्कर, मार्ग अवरुद्ध व उच्च निर्माण व्यय वृद्धि होने के उपरान्त भी पंचायत समिति अपनी क्षमतानुसार कार्य सम्पादन करने में जुटी हुई है, जिन्हें निकट भविष्य में पूर्ण करवाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

अकाल राहत योजना के तहत निर्मित बागीदौरा क्षेत्र की सड़कें

302. श्री सोमा (बागीदौरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में अकाल राहत योजना के अन्तर्गत सन् (1991-92) में किन-किन सड़कों को निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया था ?

(2) इनमें से किन-किन एवं कितनी (लम्बाई में) सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया ? कौन-कौन सी सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं ? इनको कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में अकाल राहत योजना के अन्तर्गत सन् 1990-91 में निर्माण हेतु कोई भी सड़क प्रस्तावित नहीं की गई थी। परन्तु जवाहर रोजगार योजना (राहत) के अन्तर्गत इसी वर्ष यानि 1990-91 में कुल 4 सड़कों की जिला कलक्टर बांसवाड़ा द्वारा स्वीकृति जारी की गई थी। सूची संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(2) इन स्वीकृत सड़कों पर निम्नानुसार कार्य कराया गया :-

	नाम	भौतिक प्रगति
1.	कुशलकोट से गुसाई का पाड़ा वाया बानो का पाड़ा	1 कि.मी. ग्रेवल
2.	केसरपुरा पादेड़ी सड़क	2 पुलियाओं का निर्माण
3.	शेरगढ़ डाबरी फलवा सड़क	8 कि.मी. में पटरी का कार्य एवं पुलिया निर्माण हेतु चुनाई का पत्थर इकट्ठा किया गया।
4.	आनन्दपुरी कोबा सड़क	मिट्टी का कार्य 0.5 कि.मी., पटरी का कार्य 6 कि.मी., पुलिया (एक) अधूरी (जिसे ज.रो.यो. सामान्य के तहत पूरी की गई)

जिला कलक्टर द्वारा 30.6.1990 को कार्य बन्द करा दिये जाने से चारों सड़कें अधूरी हैं। जिन्हें पूरा करने हेतु फिलहाल कोई स्वीकृति उपलब्ध नहीं है। इन सड़कों को पक्की डामर की सड़क बनाने के लिए राज्य सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि एवं प्राथमिकता पर निर्भर है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

पंचायत मुख्यालयों का पक्की सड़क द्वारा सम्पर्क

303. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति लालसोट, के किस-किस ग्राम पंचायत मुख्यालय को पक्की सड़क से जोड़ दिया है तथा किस-किस ग्राम पंचायत मुख्यालय का जोड़ना शेष है ?

(2) क्या सरकार सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़क से जोड़ने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लालसोट के अन्तर्गत कुल 42 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 19 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से 4 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को मेटल सड़क से जोड़ दिया गया है तथा शेष 19 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना शेष है। पूर्ण ब्यौरा सूची "अ" एवं "ब" में अंकित है।

(2) जी हां। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना अभी वर्तमान योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

चेस्ट हॉस्पिटल, कोटा में एक्स-रे टेक्नीशियन का अभाव

304. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा के चेस्ट हॉस्पिटल के टेक्नीशियन नहीं होने से एक्स-रे सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है ?

(2) यदि हां, तो कब से तथा क्यों ?

(3) क्या सरकार एक्स-रे टेक्नीशियन की शीघ्र नियुक्ति कर उक्त समस्या का समाधान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 19.2.92 से पूर्व टेक्नीशियन के उपलब्ध नहीं होने के कारण एक्स-रे सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। दिनांक 19.2.92 के पश्चात् एक्स-रे सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।

(2) दिनांक 6.5.91 से एक्स-रे टेक्नीशियन के स्थानान्तरण के कारण।

(3) जी हां। प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के उपलब्ध होने पर एक्स-रे टेक्नीशियन का पदस्थापन किया जाना सम्भव होगा। वर्तमान में अन्तरिम व्यवस्था हेतु एक्स-रे टेक्नीशियन स्थानीय भीमसिंह अस्पताल से उपलब्ध करवा दिया गया है।

फलासिया (उदयपुर) क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व एडपोस्ट्स

305. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में वर्ष 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में कहां-कहां एडपोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

क्षेत्र फलासिया में वर्ष 1989-90, 90-91 एवं 1991-92 में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/एडपोस्ट खोले गए, सूची निम्न प्रकार है :–

वर्ष 89-90 – कोलयारी

नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

वर्ष 1990-91 – पानरवा

डिस्पेन्सरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया।

वर्ष 1990-91 – आमलिया

उच्चीकृत उप केन्द्र (एडपोस्ट)।

पंचायत समिति सोजत, मारवाड़ जंक्शन के विभिन्न श्रेणी के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद

306. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति, सोजत व मारवाड़ जंक्शन में कितने चिकित्सालय किस-किस श्रेणी के किस-किस स्थान पर हैं ?

(2) उक्त किन-किन चिकित्सालयों में

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

कितने-कितने चिकित्सकों के किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(3) उक्त चिकित्सालयों में कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं तथा कितने चिकित्सक गत दो वर्षों में कितने-कितने समय के लिए अवकाश पर रहे ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पंचायत समिति सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन (खारची) के चिकित्सालयों की सूची में अंकित है ।

(2) सूचना प्रश्न के भाग एक की सूची में अंकित है।

(3) सूचना प्रश्न के भाग एक की सूची में सम्मिलित है। अवकाश पर रहने वाले चिकित्सकों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जिला चित्तौड़गढ़ के पंचायत मुख्यालयों का सड़क से सम्पर्क

307. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का इरादा रखती हैं ?

(2) इस आधार पर वर्ष 1990-91 में कितने पंचायत मुख्यालयों को जोड़ा गया है ?

(3) इस वर्ष कितने पंचायत मुख्यालयों को सरकार जोड़ने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में समस्त पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ने की सरकार की नीति है परन्तु समस्त पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके क्रम में जिस पंचायत मुख्यालय की जनसंख्या सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 या अधिक हो अथवा जो विद्यमान सड़क से 1 कि.मी. तक की दूरी पर है उनको प्राथमिकता पर सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम है।

(2) वर्ष 19990-91 में निम्न 4 पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ा गया है :-

1. आकिया (400)
2. जालमपुरा (689)
3. सामरी (379)
4. सुखवाड़ा (705)।

(3) इस वर्ष (1991-92) के अन्त तक सात पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। जिनमें से निम्न 5 पंचायत मुख्यालय सड़क से जोड़े जा चुके है।

1. बागेड़ा
2. कनेरा
3. उचनार खुर्द
4. गोविन्दपुरा

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

5. मंडलाचरण

शेष दो पंचायत मुख्यालयों (1-अरनोदा व 2-पालोद) को चालू वर्ष के अन्त तक सड़कों से जोड़ने का कार्यक्रम प्रगति पर है।

फलासिया (उदयपुर) के विभिन्न श्रेणी के अस्पतालों में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत एवं रिक्त पद

308. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में एड-पोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल में किस-किस श्रेणी के क्या-क्या पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कौन-कौनसा पद कब से रिक्त है ? अस्पताल का नाम, पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रिक्त पदों पर कर्मचारी/अधिकारी को पद-स्थापित कर उनकी प्रतिनियुक्ति अन्य अस्पतालों में कर रखी है ? यदि हां, तो किस-किस अस्पताल में, किस-किस पद पर ? पद का नाम, पदस्थापन दिनांक, प्रति-नियुक्ति दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार का नियम है कि प्रतिनियुक्ति नहीं की जावेगी ? यदि हां, तो फिर उक्त प्रतिनियुक्ति आदेश किस अधिकारी ने निकाले, नियम एवं प्रतिनियुक्ति आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्ति आदेश निकालने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या विभाग उक्त प्रतिनियुक्ति को निरस्त कर एवं रिक्त पड़े पदों को अभी भी भरने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी हां, कोई प्रतिनियुक्ति नहीं की गई अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

(5) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जिला बाड़मेर के हरसोनी, तारालियार, जैसिन्धर स्टेशन में डिस्पेन्सरी एवं सब-सेन्टर

309. श्री अमीन खां (शिव) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बाड़मेर जिले में तहसील शिव के ग्राम हरसोनी में डिस्पेन्सरी खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो डिस्पेन्सरी कब तक खोल दी जावेगी ?

(श्री अमीन खां)

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के ग्राम-तारालियार व जैसिन्धर स्टेशन रेगिस्तानी सीमा क्षेत्र के बड़े-बड़े गांव हैं ? क्या इनमें कम से कम सब-सेण्टर की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान नीति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्पेन्सरी खोलने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(2) जी हां, दोनों ग्रामों में उप केन्द्र कार्यरत है । शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता ।

जिला सवाई माधोपुर के अस्तपालों की क्रमोन्नति एवं चिकित्सकों के स्थानान्तरण

310. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सवाई माधोपुर में डाक्टरों के वर्ष 1990 से 1992 तक कितने स्थानान्तरण किये गये ? इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कितने चिकित्सक थे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस जिले में कितने अस्पतालों को क्रमोन्नत करने के लिए सरकारी घोषणा की गई और घोषणा के अनुसार कितने अस्पताल क्रमोन्नत कर दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1990 से लेकर 1992 तक कुल 103 चिकित्सकों के स्थानान्तरण हुए इनमें से अनुसूचित जाति के 4 एवं अनुसूचित जन जाति के 29 चिकित्सक हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सवाई माधोपुर जिले में वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में निम्न चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया गया :-

वर्ष 1990-91 में रेफरल अस्पताल

1- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बामनवास को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया ।

2- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआ को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया ।

वर्ष 1991-92 में रेफरल अस्पताल

1- राज. चिकि. टोडाभीम को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया ।

वर्ष 1990-91 में प्रा. स्वा. केन्द्र

1- सेवा

2- मीना कालोता

वर्ष 1991-92 में प्रा. स्वा. केन्द्र

1- मित्रपुरा

2- कैमरी

3- सायपुर ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

पंचायत समिति स्तर पर रैफरल अस्पताल खोलने सम्बन्धी नीति

311. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक रैफरल अस्पताल खोलने की नीति निश्चित की है ?

(2) क्या सरकार उक्त नीति के तहत कुम्हेर में रैफरल अस्पताल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अन्य स्थानों के साथ कुम्हेर के बारे में भी वित्तीय प्रावधान के अनुसार विचार किया जा सकना सम्भव होगा।

सिवाना (बाड़मेर) में सड़क निर्माण व मरम्मत कार्य

312. श्री हुक्मा राम मेघवाल (सिवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1989-90 व 1990-91 में सिवाना में कितने सड़क मरम्मत कार्य करवाये गये ? सड़क डामरीकरण, मरडीया इत्यादि के नाम व लागत सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गुड़ानाल, रमणिया से पादरू, धीरा मांगी होते हुए सड़क का डामरीकरण एवं सिवाना से वाया गुडा होते हुए सिणेर, धारना सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989-90 में सिवाना में कुल 7 सड़क कार्य मरम्मत हेतु स्वीकृत किये गये। इनका विवरण नाम व लागत सहित संलग्न सूची 'अ" में दिया गया है। वर्ष 1990-91 में सिवाना में कुल 14 सड़क कार्य मरम्मत हेतु स्वीकृत किये गये। इनका विवरण नाम व लागत सहित संलग्न सूची "ब" में दिया गया है।

(2) रमणिया से पादरू वाया धीरा मांगी सड़क की कुल लम्बाई 35 कि.मी. है तथा वर्तमान में ग्रेवल सड़क है। इस सड़क को पूर्ण डामरयुक्त बनाने की अनुमानित लागत रुपये 87.50 लाख है। योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान में यह कार्य करवाना सम्भव नहीं है। सिवाना से पादरू वाया गुड़ा नाला सिणेर धारण मिट्ठा की कुल लम्बाई 6 कि.मी. है एवं वर्तमान में ग्रेवल सड़क है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

सेवा निवृत अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग का पेन्शन प्रकरण

313. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही): सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि श्री आनन्द प्रसाद ओझा पुत्र श्री पूनमचन्द ओझा सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता के

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पद पर कार्यरत थे ? क्या वह फरवरी, 1991 में सेवा निवृत्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या इनकी प्रोवीजनल पेन्शन विभाग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार श्री श्रोझा के पेन्शन प्रकरण पर कब तक निर्णय करेगी ?

उत्तर

जी हां। श्री आनन्द प्रकाश ओझा सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिशाषी अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे। वे दिनांक 31.1.1991 को राज्य सेवा से सेवा निवृत्त हो चुके है। श्री आनन्द प्रकाश ओझा की सेवा पुस्तिका के अभाव में इनकी प्रोवीजनल पेन्शन स्वीकृत नहीं की जा सकी है। श्री ओझा ने यह सूचित किया है कि उनकी सेवा पुस्तिका उनकी पत्नि श्रीमती शान्ति देवी ओझा ने छीन ली है एवं वह किसी भी कीमत पर सेवा पुस्तिका देने को तैयार नहीं है। सेवा पुस्तिका के अभाव में प्रोवीजनल पेन्शन दिया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में विभाग के पास केवल मात्र एक ही विकल्प रह गया है कि श्री आनन्द प्रकाश ओझा की नये सिरे से डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका तैयार करवाई जाकर इनके पेन्शन प्रकरण का निस्तारण किया जाय। इस हेतु विभिन्न कार्यालयों से जहां-जहां पर श्री ओझा कार्यरत रहे थे, से सूचना प्रोफार्मा जी. ए. 141 में संकलित की जा रही है ताकि इनकी सेवा पुस्तिका पुनः तैयार की जा सके। जैसे ही सूचना पूर्ण संकलित हो जायगी श्री ओझा के पेन्शन केस का निपटारा तुरन्त कर दिया जायगा।

एस. एम. एस. अस्पताल, जयपुर में दन्त एक्सरे फिल्मों का अभाव

314. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी-बाजार) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में दन्त एक्सरे फिल्मों की कमी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि दन्त एक्सरे विभाग द्वारा जितनी फिल्मों की मांग की जाती है, उसके अनुरूप उन्हें जारी नहीं किया जाता है जिससे कई मरीज बिना एक्सरे के रह जाते हैं ?

(3) यदि हां, तो सरकार इस कमी को कब तक पूरा करने का विचार रखती हैं ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल माह सितम्बर, 91 से दिसम्बर, 91 तक दन्त एक्सरे फिल्मों की मांग के अनुसार सप्लाई प्राप्त नहीं होने के कारण कमी रही है। अब दन्त एक्सरे फिल्मों की कमी नहीं है।

(2) जी नहीं। एक्सरे विभाग की मांग के अनुसार नियमित रूप से दन्त एक्सरे फिल्मों की सप्लाई की जा रही है।

(3) दन्त एक्सरे फिल्मों की कमी नहीं है।

(4) उपरोक्तानुसार दन्त एक्सरे फिल्में आवश्यकतानुसार उपलब्ध है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम

315. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या खाद्य पदार्थों में मिलावट में कमी आई है ? यदि हां, तो यह विश्लेषण किस आधार पर है ? यदि नहीं, तो सन् 1990 व 1991 में राज्य में मिलावट के नमूने कम संख्या में लेने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार मिलावट सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां। खाद्य पदार्थों में मिलावट में कमी आने के प्रमुख कारण इस प्रकार है :-

-समस्त राज्य में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 का प्रभावी ढंग से लागू किया जाना।

-उपभोक्ताओं का खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध जागृति आना।

-एन्टी-फूड-एडल्ट्रेशन टीम का बड़े-बड़े शहरों में गृहणियों से सम्पर्क करते हुए उनके द्वारा उपभोग में ली जाने वाली खाद्य वस्तुओं के नमूने लिए जाकर नतीजों से अवगत कराना।

-टेलीविजन, रेडियो के माध्यम से खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में जनता को जानकारी दिया जाना।

-खाद्य पदार्थों के पैकेट बाजार में मिलने के कारण।

-उपभोक्ता संरक्षण एवं सलाहकार समिति का राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर गठन होने एवं इसका व्यापक प्रचार होने के कारण।

(2) जी हां। खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम करने हेतु राज्य में प्रवर्तन स्टाफ (Enforcement Staff) एवं निर्देशालय की सैन्ट्रल टीम द्वारा समय-समय पर प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के सड़क विहीन ग्राम

316. श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की कितनी पंचायतें सड़क से जुड़ी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा संभाग को छोड़कर अन्य स्थानों पर पंचायत मुख्यालय 50% सड़को से जुड़े हैं ? यदि हां, तो छबड़ा क्षेत्र में यह अन्तर क्यों है ?

(3) क्या उक्त असमानता को दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्र छबड़ा के 50% पंचायत मुख्यालय सड़क से जोड़ दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के 15 पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुए हैं।

(2) जी हां। कोटा संभाग को छोड़कर राज्य के अन्य संभागों में 50 प्रतिशत से अधिक पंचायत मुख्यालयों का सड़कों से जुड़ने का कारण इन संभागों में मुख्यतया:

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

अकाल के समय अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़क कार्य होना है।

(3) छबड़ा क्षेत्र के 50 प्रतिशत पंचा-मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के सड़क विहीन ग्राम

317. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 1500 की आबादी वाले गांवों की सड़कों से जोड़ने वाली योजना में कुल कितने ग्राम जोड़ दिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 1,500 की आबादी वाले गांव जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं कुल कितने हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त गांवों को कब तक सड़कों से जोड़ने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 1500 अथवा 1500 से अधिक की आबादी के कुल 18 गांवों में से 10 गांवों को सड़क से जोड़ दिया गया है। सूची संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शायी गई है।

(2) 1500 अथवा 1500 से अधिक आबादी के 8 गांव सड़कों से नहीं जुड़े हुए है। सूची संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शायी गई है। उक्त गांवों में से एक गांव मार्च, 92 तक, एक गांव जून, 92 तक तथा एक गांव मार्च, 93 तक सड़क से जोड़ दिये जाने की सम्भावना है। शेष गांवों को वर्ष 1992-93 में सड़कों से जोड़ा जाने का कार्यक्रम विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री हरिसिंह (महुआ), श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन में एक डाक्टर पोपट पटेल द्वारा आर. एम. पी. की डिग्री लगाकर बिना चिकित्सा विभाग की अनुज्ञा से वहां की जनता का इलाज करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2 श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र नैनवां में अकाल व गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर में दिनांक 25 फरवरी, 1992 को पूनम नाम की 10 वर्षीय हरिजन बालिका के साथ बलात्कार कर मार दिये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

4. प्रो. केदार नाथ, श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा एसबेसटोस

(श्री अध्यक्ष)

सीमेण्ट पाइप राज्य की बाहर की इकाइयों से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती कमला भील, श्री नाथूराम अहारी, श्री महेन्द्र कुमार, श्री कुबेर सिंह, श्री दयाराम परमार, श्री महेन्द्र कुमार परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से सागवाड़ा समीपवर्ती गांव पारड़ा हांडलिया की एक आदिवासी युवती के साथ कथित बलात्कार करने से आदिवासी लोगों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

6. श्री मोतीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 29 फरवरी, 1992 को रात्रि 11.30 बजे ग्राम गम्भीरा थाना झलारबाड़ुग, जिला सवाई-माधोपुर में अज्ञात बदमाशों व लुटेरों द्वारा गोलियां चलाकर रामस्वरूप अग्रवाल के यहां कथित लूट करने वाले लुटेरों को पकड़ने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के थाना कुम्हेर के गांव धनपाड़ा के खेचेरी पुत्र जयराम की हत्या की दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर दिया है कि प्रथम सूचना में नामजद अभियुक्तों को रंजिशवश गलत फंसाये जाने के आरोपों के सम्बन्ध में इस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारीगण को निर्देश दिये हैं कि एक माह में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाय अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। अभियोग की गम्भीरता को देखकर वृत्ताधिकारी स्तर (अन्वेषण अधिकारी, डीग) के अधिकारी से अन्वेषण करवाया जा रहा है।

2. श्री रामनारायण वर्मा, श्री रामस्वरूप मीणा और श्री हबीबुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में आये दिन महिलाओं पर दहेज व अन्य कारणों से अत्याचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। जयपुर में दहेज के मामलों को लेकर एक युवती श्रीमती आशा की हत्या के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत ए. सी. एम. मुख्यालय, जयपुर ने जो जांच की है उसकी रिपोर्ट दिनांक 7.2.92 को प्राप्त हो गई है। ए. सी. एम. ने अपनी जांच में पाया कि यह मामला मृतका द्वारा आत्म-हत्या करने का प्रतीत होता है। अन्वेषण के दौरान चश्मदीद साक्षियों के आधार पर मृतका के पति अनिल मेहता, ससुर एम. एल. मेहता, सास कैलाश देवी, जेठ राकेश मेहता को दिनांक 3.2.92 को ही गिरफ्तार कर लिया। इस अपराध का अन्वेषण पूर्ण निष्पक्षता से किया जा रहा है। अपराध में ठोस कार्यवाही की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्य व अपराध के गुण-दोषों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की जा रही है।

(श्री ग्रध्यक्ष)

(3) श्री ईश्वर लाल सैनी व 11 ग्रन्य सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से श्रीमती शान्ति पत्नी श्री नन्दाराम, कौम भाट, निवासी ग्राम दूकर के एक व्यक्ति भंवरा राम पुत्र कानाराम जाट द्वारा कथित बलात्कार की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि ग्रभियोग के प्रथम ग्रन्वेषण से श्री भंवर लाल पुत्र कानाराम जाट के विरुद्ध बलात्कार का जुर्म प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया, परन्तु ग्रभियुक्त के ग्रपने निवास स्थान से पलायन कर जाने के कारण गिरफ्तारी प्रभावी नहीं हो सकी ग्रौर ग्रभियोग का चालान नहीं किया जा सका। इस प्रकरण का ग्रनुसंधान ग्रभी तक सी. ग्राई. डी. (सी.बी.), राजस्थान जयपुर के ग्रधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। कथित ग्रभियुक्त द्वारा जिला पुलिस से ग्रसन्तुष्ट होकर निष्पक्ष ग्रन्वेषण एवं न्याय चाहने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर इस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए इसकी जांच सी. ग्राई. डी. (सी. बी.) द्वारा करने के ग्रादेश दिये गये हैं।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्रविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं ग्रतः इन पर ग्रनुमति देने में मैं ग्रसमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की ग्रनुमति नहीं होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के ग्रन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री रामकरण सिंह, सदस्य विधान सभा की ग्रोर से समाचार-पत्रों में कार्यरत पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए गठित बाछावत ग्रायोग की सिफारिशों को राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधानसभा की ग्रोर से मेहन्दी की फसल का उचित मूल्य तय करने एवं मेहन्दी संघ की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से सूरसागर, जोधपुर में श्रीमती सीतादेवी पत्नी श्री धन्नाराम को कथित जलाकर मारे जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमिहीन लोगों को 1976 में ग्रावंटित भूमि को 16 वर्ष बाद ग्रकारण निरस्त किये जाने से वहां काबिज लोगों में व्याप्त ग्रसन्तोष के बारे में।

(5) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राजस्थान लोक सेवा ग्रायोग द्वारा मानसिक चिकित्सक, व्याख्याताग्रों के चयन में ग्रनियमितताग्रों के सम्बन्ध में।

(6) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से मकराना रेल्वे स्टेशन के पूर्वी एवं पश्चिमी फाटकों को चौड़ा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा के प्राचार्य द्वारा की जा रही कथित मनमानी के सम्बन्ध में।

(8) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राज्य में बिजली के उत्पादन की विभिन्न योजनाग्रों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री हरिश्चन्द्र कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से कुचामन सिटी पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायत शिक्षा केन्द्रों के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(10) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर शहर में बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा गोविन्दगढ़, जिला अलवर में महाविद्यालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से टेम्पो, आटो-रिक्शाओं में स्कूल के छोटे बच्चों को भेड़-बकरियों की तरह भरने से उत्पन्न ट्रैफिक व जानमाल की सुरक्षा की स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी। ...(व्यवधान)....

अब आप बैठिये। मैं एक-एक को बुला लेता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल 295 में अग्नि पीड़ितों....

श्री अध्यक्ष : आप जो खड़े हुए हैं, मैं एक-एक को बुला लेता हूं। आप बैठिये। मैं एक-एक को बुला लेता हूं....(व्यवधान)

श्री अमृतलाल परमार : पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन, पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन....

श्री अध्यक्ष : बुला रहा हूं एक-एक को। श्री रामनारायण वर्मा।

स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मैं एक-एक को बुला रहा हूं। आपको भी बुला लूंगा।

श्री रामनारायण वर्मा : मैंने 27 तारीख को 295 दिया था आज तक नहीं आया, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे पास जिस तरह से....(व्यवधान).... सदन चल रहा है....

श्री अध्यक्ष : 295 सब लग रहे हैं, लग जायेंगे आपके।

श्री रामनारायण वर्मा : नहीं, आज आखरी दिन है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई आखिरी दिन नहीं आया है अभी।

श्री रामनारायण वर्मा : हमारे पास 295 के अलावा क्या चारा है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, लग जायेगा आपका।

श्री रामनारायण वर्मा : आज अभी एक तो लगवा दीजिए साहब।

श्री अध्यक्ष : कल लगाया था। आप थे नहीं।

श्री रामनारायण वर्मा : कल के लिए मैंने कह दिया था कि कल मैं नहीं रहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मुझे थोड़े ही कहा था आपने। खैर अब लग जायेगा। आप बोलिये श्री बिरधाराम चौधरी।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो विधान सभा के पिछले सत्र में नागौर जिले के लिए विशेष तौर से अकाल की बात उठाई थी।....

श्री अध्यक्ष : अकाल पर अलग से एक दिन पूरी बहस होगी।

श्री बिरधाराम चौधरी : ....उसके सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था 27 तारीख को कि नागौर जिला भयकर अकाल की चपेट में है। यह विशेष तौर से मकराना और हमारे परबतसर हैं इसके बावजूद भी अकाल घोषित नहीं होने की वजह से वहां पर सरकारी समिति का जो ऋण है, उसकी वसूली हो रही है और यहां तक कि वहां पर लोगों को घर से निकालकर के, कपड़े, बर्तन तक बेचकर इनकी वसूली हो रही है। उनकी वसूली को रोका जाय। इसके सम्बन्ध में निवेदन किया था, स्थगन प्रस्ताव भी दिया था 27.2.92 को उनकी वसूली को तुरन्त प्रभाव से रोका जाय।

श्री अध्यक्ष : हां, अच्छी बात है। श्री मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 295 का पिछले सप्ताह से लगा रखा है और इस सप्ताह में लगाया था। एक का भी नम्बर नहीं आया। हिण्डौन में जो काण्ड हुआ है, हरिदेवजी के मन्दिर से 6 लाख की जो चोरी हुई है, अमूल्य हीरा गया है उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। 3 दिन से हड़ताल हिण्डौन में चल रही है, धरना चल रहा है इसके बारे में पर आज तक किसी को नहीं पकड़ा। इसी का परिणाम है दूसरे दिन मेरे विधान सभा क्षेत्र केमला में वहां के महन्त की हत्या कर दी गयी और उसके बारे में भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय गृह मंत्रीजी से भी कल निवेदन किया था, मुझे कोई जवाब उसके बारे में नहीं दिलाया गया न मौके पर आप पधारे माननीय गृह मन्त्री जी। क्या हो रहा था, उसके बारे में। आम जनता को आवश्यकता की चीजें नहीं मिल रही है, बाजार बन्द पड़ा है। सारे लोग परेशान हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है। न तो हत्यारों का पता लगा है, न डकैतों का पता लगाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जवाब दिलाया जाय गृह मन्त्रीजी से। कल भी मैंने इस बारे में निवेदन किया था। सारे लोग धरने पर बैठे हैं। सारे पार्टी के लोगों ने....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मैंने इस सम्बन्ध में सूचना मंगायी है जिस हड़ताल की आप बात कर रहे हैं, वह सब समाप्त हो गयी है और उनको सन्तोष हो गया। वह उठ गये हैं। अब नहीं बैठे वह। श्री दहिया।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसीलिये तो, साहब, लोग बाहर आये हुए हैं वह सारे। आज भी बाहर आये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : मुझे जो सूचना मिली; आपको बता दिया।

श्री रामस्वरूप मीणा : किसी ने गुमराह किया है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा देख लेंगे। विराजिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : आज भी बाहर आये हुए हैं सारे लोग। डेलीगेशन आया हुआ है। माननीय गृह मन्त्रीजी क्यों नहीं वक्तव्य देते उसके बारे में। क्या कर रहे हो? हत्या हुई है केमला गांव में उसका क्या हो रहा है, साहब?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मन्दिर के पुजारी की हत्या कर दी गयी। धर्म की बात करते हैं आप लोग और धर्म के बारे में कुछ नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : अब आप भाषण देंगे? अपनी बात कह दी। बैठिये, बैठिये। श्री दहिया।

श्री रामस्वरूप मीणा : आम जनता परेशान हो रही है। साहब रोजना कार्यवाही हो रही है इस तरह की।

श्री अध्यक्ष : श्री दहिया। इनका दर्ज नहीं करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : अब मैं क्या करूं। मैं कहूंगा तो फिर आप कहोगे कि आप अन्याय कर रहे हो। श्री दहिया, नहीं बोल रहे हैं? श्रीमती उजला अरोड़ा। हां, बोलिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन है। पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन के साथ मैं गृह मन्त्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं, मेरे जालौर जिले में बागोड़ा पुलिस थाने के अन्दर थानेदार ने एक अंधे व्यक्ति को हथकड़ी लगाकर गांव के अन्दर घुमाया। मामला सिर्फ 323 का पुराना केस था, अध्यक्ष महोदय। वह थानेदार गांव के अन्दर और उस थाने के अन्दर बहुत सारी अनियमितताएं कर रहा है इसलिये उसको रोका जाना चाहिये और उसके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्रीजी, देख लेना। अन्धे व्यक्ति को लगायी है क्या, आप जांच कर लेना। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज 295 में मेरे इलाके में आगजनी की घटनाओं....

श्री अध्यक्ष : वह आ जायगा 295 आपका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कब? अभी आपने बोला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं तो कल आ जायगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल तो छुट्टी है।

श्री अध्यक्ष : जब भी नैक्स्ट बैठक होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, एक सप्ताह में एक बार लेने देते हैं।

श्री अध्यक्ष : जितने पैंडिग हैं, सब मैं

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

लगा रहा हूं। पहले उन सदस्यों का लगा रहा हूं जिन्होंने एक बार भी नहीं बोला है। आप बैठिये। श्री हेतरामजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी। आप मेरे से मिल लेना। नैक्स्ट जब आयेगा, लग जायेगा आपका। विराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने जो कनिष्ठ लिपिकों के सम्बन्ध में अभी फैसले किये हैं, कनिष्ठ लिपिकों का एक नेता बिहारीलाल शर्मा पांच दिन से हमारी विधान सभा के सामने आमरण अनशन पर है और बाकी जितने कनिष्ठ लिपिक हैं वह आज विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, हाउस से बाहर मुख्य मन्त्रीजी ने कुछ घोषणाएं की हैं एक बार नवम्बर में और अभी 17 फरवरी को जोधपुर में कि उन सबको रख लिया जायेगा। उसके बावजूद भी सरकार हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ डबल बैंच में चली गयी और डबल बैंच ने जो अन्तरिम आदेश दिया उसको अभी तक सरकार ने नहीं माना। मैं समझता हूं, उस बात पर राज्य सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। हाईकोर्ट के आदेशों की पूर्णतया पालना होगी, इसमें सन्देह नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य इतना विचार करें कि यह सारा एस्टेब्लिमेंट का एक्सपेण्डीचर किस सीमा तक बढ़ाया जाय। इस पर तो विचार कर लें। आप कह रहे हैं, मैंने कोई घोषणा की। घोषणा नहीं की, मैंने यह घोषणा की है कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन होगा। मैंने बताया ना, यह कहा, हाईकोर्ट के आदेशों का पालन होगा। लेकिन इस प्रकार के प्रसंग उठाने के पहले आप विचार तो करें कि आखिर सरकार इन्हीं इन्हीं की भर्ती करके जनता के ऊपर बोझ डाला जाय या किसी प्रकार से रिलीफ दिया जाय। मैं यह मानता हूं कि लोगों को रोजगार देने की गारन्टी सरकार की है लेकिन रोजगार किसी न किसी प्रकार उपलब्ध कराऊंगा, यह मैं आज भी कह रहा हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने 295 में प्रस्ताव उर्दू अध्यापकों का दिया था कि राजस्थान राज्य के उर्दू अध्यापकों के स्वीकृत पदों पर दूसरी भाषा के अध्यापकों को लगा रहे हैं। यह आज तक आपने लगाया नहीं। आपने एक बात यहां पर कही, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आजाद साहब, कल आपका लग गया था।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मैं कल यहीं पर था।

श्री अध्यक्ष : आप लिस्ट देख लीजिये, कल लग गया था। जब पुकारा गया, आप मौजूद नहीं थे। तो अब रिपीट कर दीजिये। कल लग गया था। आप लिस्ट देख लीजिये,

(श्री अध्यक्ष)

जो बनी हुई है लिस्ट वहां। कल आपका नाम पुकारा गया, आप थे नहीं। श्री अमृत जी। अब लगा देंगे। आपको बता दिया ना। मैं लगा दूंगा बाद में।

श्री अमृतलाल परमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ इनफार्मेशन है। बाली तहसील के अन्दर अभी हाल ही के अन्दर टोड़ा बम बनाया गया। टोड़ा बम उसको बोलते हैं। उसके कारण तीन आदमियों की मृत्यु हो गयी। बाली के पास गुनाडिया गांव है वहां लड़की ने उस बम को उठाया, मुंह में डाला, उसका जबड़ा उड़ गया। अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है। दूसरा, इसी प्रकार का काण्ड बाली के पास लखाड़ा गांव है वहां भी एक राइका जाति का आदमी मर गया। तीसरा, सेवाड़ी के पास छोटा गांव है पाचालागुड़ा, वहां भी इसी प्रकार एक आदमी मर गया। आठ पशु मर गये। अभी तक वहां की पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। न जांच कर रही है। यह गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। श्री अचलाराम।

श्री अमृतलाल परमार : इस प्रकार से हादसे होते जा रहे हैं, असामाजिक तत्व बढ़ रहे हैं उनकी जांच अविलम्ब होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री अचलाराम (देसूरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह मसला उठाया है, यह पोटाश बम बनाया जा रहा है। पोटाश के साथ छर्रे डालकर किसी मीठी चीज में, गुड़ आदि में लपेट दिया जाता है, उसके ऊपर कोई खाद्य सामग्री लपेट दी जाती है। निश्चित रूप से बनाये जाने का कारण है कि गेम्स सैंक्चुरी से जो सूअर आदि बाहर आ जाते हैं उनको मुंह में डालें और वह चबाये, मुंह में फूट जायं और वह मर जायं। ऐसी हालत में यह बनाया जा रहा है। तो ग्वाला के रूप में जो चराने वाली राइका जाति की बच्चियां थीं उसने देखा कि कोई मीठी चीज है, मुंह में चबायी और वह फूट गया, मर गयीं। एक राइका भी मर गया, आठ गायें मर गयीं। इस तरह की रिपोर्ट बाली थाने और सादड़ी थाने में दर्ज भी हुई हैं लेकिन अच्छी तरह से जांच नहीं हुई। गेम्स सैंक्चुरी के अधिकारियों ने भी आ करके देखा लेकिन इसकी जांच नहीं हुई। इसकी पूर्ण जांच करवायी जाय।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन दिनों किसानों को बहुत भारी समस्या हो रही है। साल भर तो लोन पास होता नहीं ट्रेक्टर वगैरह के लिये, लेकिन महीने दो महीने में कोटा पूरा करने के लिये ग्रामीण विकास बैंक और अन्य बैंक ट्रेक्टर का लोन पास कर रहे हैं। ट्रेक्टर की एजेन्सी वालों के पास ट्रेक्टर हैं नहीं। बैंक वालों की यह शर्त है कि ट्रेक्टर पहले दिखाओ फिर ड्राफ्ट बनाया जायेगा। पंजाब में चुनाव होने के बाद हरियाणा में मांग बढ़ने के कारण अगले दो महीने तक ट्रेक्टर की सप्लाई की व्यवस्था बहुत जटिल है। मैं यह चाहता हूं, सरकार ग्रामीण किसानों

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

को कुछ सुविधा दे ताकि ट्रैक्टर अगले दो महीने में सप्लाई हों....

श्री अध्यक्ष : विराजिये, आप बैठिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा : तो उनके ड्राफ्ट वगैरह पास हो जायं।

श्री अध्यक्ष : हो गया।

श्री प्रभुलाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैंने 27 तारीख को एक 131 में लगाया था और एक 295 में लगाया था। मेरे दोनों में से एक ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे मिल लीजिये। 295 का लगा देंगे। आप मुझे बता देना, मैं लगा दूंगा। बिराजिये। श्री रामकरण सिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आपने 295 में एक पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला लिया है। मैं समझता हूं, आप अगर पुनर्विचार करना चाहें तो उचित होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन, हाईकोर्ट, इस प्रकार के मामलों पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सबमिशन है। मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि निर्णय आपको लेना है कि हाईकोर्ट में जेर तजवीज कोई आर्ग्यू हो रहा है केस या कोई जजमेंट आने वाला है, जजमेंट के बारे में चर्चा नही हो सकती, कोई पैंडिंग केस के बारे में और उसके जजेज के बारे में। लेकिन हाईकोर्ट के एज सच एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में, डिले के बारे में, हाईकोर्ट में केसेज फाइल अर्प हो गये, अरली डिस्पोजल के बारे में, वह तो चर्चा हो सकती है यहां। वहां तो चर्चा हो सकती है उसके बारे में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : लेकिन कहीं कोई पेपर लीक हो जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर, किसी मैम्बर का ग्रास मिस कन्डक्ट है तो उसके बारे में यहां चर्चा नहीं होगी तो मुख्य मन्त्रीजी, चर्चा कहां होगी ? क्या उसका स्कोप है ? इसलिये आप इस पर विचार कर लें। इट डिफर्स फ्राम केस टू केस। ब्लेंकेट बैन लगा देंगे कि हाईकोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर एज सच चर्चा नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल हो जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मुख्य मन्त्रीजी ने कहा उसके ऊपर मैंने निवेदन किया और मुख्य मन्त्रीजी भी इससे सहमत होंगे कि अगर आप यह परिपाटी डाल देंगे, बिल्कुल ब्लेंकेट बैन लगा दें पब्लिक कमीशन के बारे में और हाईकोर्ट के बारे में किसी किस्म की चर्चा नहीं होगी तो वह हमारे लिये बहुत घातक साबित होगा, नम्बर एक।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मुझे एक बहुत बड़ा एतराज है। अध्यक्ष महोदय, दो दिन से मेरे दल के कई सदस्यों ने मुझे अपना रोष प्रकट किया है। मैं अपना दायित्व समझता हूं कि आपके नोटिस में इस बात को ले आऊं। अध्यक्ष महोदय, अब हो क्या रहा है कि एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर जो सरकार से जवाब आ जाता है, आप यहां

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

पढ़कर सुना देते हैं। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में परम्परा रही है कि....

श्री अध्यक्ष : मैंने जो आज जवाब पढ़ कर सुनाये हैं, वह ऐसे जवाब है कि जिनमें कुछ व्यक्तिगत केसेज के मामले हैं और उनमें सबमें कार्यवाही हो चुकी है।

एक में तो गिरफ्तार हो चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं और वह न्यायिक हिरासत में हैं। एक के अन्दर उन्होंने चालान पेश कर दिया। जिनमें पुलिस ने कार्यवाही कर ली और कर रही है, उनमें बोलने की गुंजाइश नहीं है। जिनमें बोलने की गुंजाइश होगी, जिनमें कार्यवाही चल रही है और बराबर ठीक से चल रही है, लेकिन मैंने यह बन्द नहीं किया है। उन विषयों पर, जिनमें बोलने की गुंजाइश होगी, उनमें मैं बुलवाऊंगा। वह बन्द नहीं किया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप जहां बोलने की गुंजाइश है रिजेक्ट करेंगे लेकिन 1980-85 के बीच में मेरे पास होम डिपार्टमेण्ट था और आपने....

श्री अध्यक्ष : फिर बता दूं मेरे प्रीडिसेसर ने यहां डायरेक्शन देकर के बिल्कुल बन्द कर दिया था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा हूं Please let me complete what I mean to say.

अध्यक्ष महोदय, कई इम्पोर्टेन्ट मामले हैं। यहां पर यह परम्परा रही है कि सरकार की तरफ से इम्पोर्टेन्ट मामलों में वक्तव्य आते रहे हैं, स्टेटमेण्ट आते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर वह स्टेटमेन्ट यहां नहीं आयेंगे, यह आपका डिस्क्रिशन है, शासन यह महसूस करता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं, जिनके ऊपर कोई कार्यवाही इस तरह से हो नहीं सकती लेकिन सरकार अगर ब्रीफ स्टेटमेण्ट यहां दे दे और माननीय सदस्य सरकार की जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण बातें ले आयें, जिससे सरकार के हाथ स्ट्रेंथन हो और जनहित की बात हो तो मेरा सबमीशन यह है कि कुछ मामलों में आपको गवर्नमेण्ट से एडजोर्नमेण्ट मोशन मामले में स्टेटमेण्ट दिलवाना चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अभी माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो सवाल उठाया है, मैं पहले उस पर व्यवस्था दे दूं। 295 में एडमिसिबिलिटी का सवाल नहीं है। इसमें कहीं पर भी न कोई बार है, और न कुछ है। इसलिये हमने एडमिट किया है, या नहीं किया, वह सवाल इसमें नहीं है, इसलिये यह इस पर लागू नहीं होता। जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल है, तो हमारे यहां प्रश्न के बारे में यह कहा गया है कि आटोनोमस बोडीज का डे-टू-डे का जो काम है, उनके बारे में सवाल नहीं पूछा जा सकता। लेकिन जहां पर आटोनोमस बोडीज में, नियुक्तियों में, या चयन में इस तरह के एलीगेशन हों कि व्यवस्था ठीक नहीं है, गड़बड़ियां हुई हैं। मैं समझता हूं कि उसको विधान सभा में करना उचित नहीं होगा। इस पर चर्चा की जा सकती है। यह न्यायालय का मामला नहीं है। क्योंकि न्यायालय के लिये तो स्पेसिफिक है कि जो मामला सबजुडिस है, इसका मतलब

(श्री अध्यक्ष)

न्यायालय तो उस पर स्वयं अपना निर्णय प्रोस एण्ड कौंस देकर लेता है। इसमें हमारी राय की जरूरत नहीं है। जितनी राय लेनी है गवाहों से डाक्यूमेण्ट से, न्यायालय स्वयं लेता है, इसलिये उसकी मनाही है। लेकिन चूंकि इस मामले में वह इसकी जांच करें, न करें, उनकी मर्जी की बात है। यहां उठाने के बाद भी अल्टीमेटली उनको जांच करना उचित लगेगा तो जांच करेंगे। सरकार की तरफ से पूछा जायेगा, उसका जवाब दे देंगे। लेकिन 295 में इस तरह की एडमिसिबिलिटी में कोई व्यवधान नहीं है कि इस आधार पर एडमिट किया जाये, या इस आधार पर एडमिट नहीं किया जाये, इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी 295 के बोलने में। हां, आप केदार जी क्या बोल रहे थे ?

श्री रामनारायण वर्मा : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, श्रीमती आशा के शरीर में 6 चोटें पायी गई हैं। श्रीमती आशा के शरीर का जब मौके पर इन्सपेक्शन किया गया तो एक पांव तो जमीन पर तो था और एक पांव दीवार पर था। ऐसी हालत में सुसाइड कैसे कर सकती है ? चूंकि यह इस तरह से कोर्ट का मामला है। मैं कहता हूं ए. सी. एम. ने 176 के तहत जो जांच की थी, इसमें कहां कोर्ट बीच में आ गया ? लेकिन वहां इनफ्लूयेंस होता है कि जो मुलजिम है, मेन मुलजिम है अनिल मेहता, वह शासकीय दल के यूथ विंग का राजापार्क का अध्यक्ष है। ऐसी हालत में यदि यह माना जाये कि किसी नेता ने प्रेशराइज किया है, यह कौनसी अनहोनी बात है, और जिस ढंग से यह केस हुआ है, क्या गारण्टी है ? मैं तो निवेदन करना चाहूंगा गृह मन्त्रीजी इस बारे में सदन में बतायें कि क्या गारंटी है कि इसमें एफ.आर. लग जायेगी,....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप तो बोल चुके। जो मैंने व्यवस्था दी, वह आपने मान ली। आप संतुष्ट हो जाइए। Please, do not insist.

श्री रामनारायण वर्मा : ऐसे सारे के सारे केसेज में एफ आर. लगाई जा रही है, प्रेशराइज किया जा रहा है। इस पर्टीकूलर केस में ऐसा है, उसको पढ़कर के, अध्यक्ष महोदय, उनको आदेश दें कि इसमें ईमानदारी बरती जाये, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री केदार।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं माननीय मन्त्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस सदन में कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर बहस की है। जनरल प्रिंसीपल्स पर, इनडिवीज्यूवल केस पर नहीं। जनरल बहस की है. इसलिये कि आपने व्यवस्था दी है। 295 के स्कोप में यह एडमिसेबल है ही।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

प्रदेश में वांछावत आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसा मसला

(श्री रामकरणसिंह)

295 के तहत रख रहा हूं। जिसके माध्यम से मैं सदन और सरकार से आग्रह करता हूं कि देश भर के समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार और गैर सरकारी कर्मचारियों को मजदूरी की दर नियत या पुनरीक्षित करने के लिये श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी और प्रकरण अधिनियम, 1955 की धारा 9 और 13(ग) के अन्तर्गत गठित बाच्छावत वेतन आयोग की सिफारिशों को केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर उन पर जनवरी, 1988 से देश के सभी समाचार पत्रों में लागू करवाने के आदेश श्रम विभाग को दिये थे। लेकिन इस चौथे स्तम्भ में कार्यरत पत्रकारों एवं अन्य कर्मचारियों के लिये गठित इस वेतन आयोग की सिफारिशें राजस्थान में लागू करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं राज्य के श्रम विभाग की थी लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूर्णतया असफल रहे और जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा सके।

दिसम्बर, 1990 में इस सम्बन्ध में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य के श्रम मंत्री श्री बाबूलाल खांडा ने केन्द्रीय सरकार को जानकारी दी कि राज्य के 173 समाचार पत्रों में से 30 समाचार पत्रों ने पूर्णतया तथा चार समाचार पत्रों ने आंशिक रूप से बाच्छावत वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है। राज्य के श्रम मन्त्री के इस कथन का विरोध राज्य के समाचार पत्रों और कर्मचारियों के संगठन राजस्थान समाचार पत्र कर्मचारी महासंघ ने किया तथा सभी को सूचना दी कि श्रम मन्त्री का यह कथन पूर्णतया असत्य एवं गलत तथ्यों पर आधारित है जबकि वास्तविकता ठीक विपरीत है। श्रम मन्त्री ने राज्य में मात्र 173 समाचार पत्र ही बताये हैं जबकि राज्य के सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय के अनुसार राज्य में 600 से अधिक समाचार पत्र सरकारी विज्ञापनों के लिये स्वीकृत हैं। जिन दैनिक समाचार पत्रों में इन्हें लागू होना बताया गया है, उन्हें एक ही न बताकर अलग-अलग बताया गया। उदाहरणार्थ राजस्थान पत्रिका के पांचों संस्करणों को एक न बताकर अलग अलग बताया गया। जो रिपोर्ट बनाई गई, वह अखबार मालिकों तथा विभागीय निरीक्षकों के निर्णयों के आधार पर बनायी गई है। श्रम मन्त्री ने जिन समाचार पत्रों में बाच्छावत वेतनमान लागू होने की बात कही थी, उनमें से अधिकांशतः ऐसे साप्ताहिक एवं पाक्षिक समाचार पत्र हैं, जो एक व्यक्ति द्वारा संचालित होते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है कि वहां इन वेतनमानों को लागू किया जाना असम्भव है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकरणसिंह : राजस्थान पत्रिका में चूंकि किसी भी कर्मचारी को अपने पदों एवं वेतनमानों के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह कहना अत्यन्त कठिन है कि वहां कर्मचारियों को उनके वास्तविक काम के अनुसार वेतनमान मिले होंगे। इस कारण वर्तमान में वहां श्रमिकों में असंतोष भी चल रहा है।

इस सबके उपरान्त भी जिन अन्य समाचार पत्रों में वेतन आयोग की सिफारिश अपने यहां आंशिक रूप से लागू की है उनमें श्रम विभाग का कोई रोल अदा नहीं

(श्री रामकरण सिंह)

था। वहां के कर्मचारी संगठनों के दबाव से ही लागू किया और श्रम विभाग इसके लिये सोता रहा।

वास्तविकता यह है कि कर्मचारियों के अनेक बार प्रयास करने के उपरान्त भी इन सिफारिशों को लागू करवाने के लिये राज्य का श्रम विभाग त्रिपक्षीय समिति का गठन नहीं कर पाया जबकि ऐसी समितियां अनेक राज्यों में गठित की जा चुकी है। केन्द्र सरकार ने अनेक बार राज्यों को इस संबंध में निर्देश दिये हैं। मुख्य मन्त्री भी इस सम्बन्ध में कई बार घोषणाएं कर चुके हैं। मगर वह भी असत्य साबित हुई हैं।

ये सब कार्यवाहियां स्पष्ट करती है कि राज्य का श्रम विभाग लोकतंत्र के इस चौथे प्रहरी में कार्यरत कर्मचारियों का कितना शुभचिन्तक है, जबकि वास्तविकता है हमारी आवाज, इस सदन की कार्यवाहियां, सरकारी निर्णय इस चौथे प्रहरी के माध्यम से ही जनता तक पहुंचते हैं। अगर वहां कार्यरत कर्मचारियों का शोषण हो तो यह अत्यन्त शर्म की बात है, क्योंकि यह शोषित होकर दूसरे के शोषण को जनता के सामने रखते हैं। इसलिये इस पर ध्यान दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

प्रदेश में मेहन्दी संघ की स्थापना

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन की नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मेहन्दी की फसल का उचित मूल्य तय करने, मेहन्दी संघ की स्थापना करने व मेहन्दी की खेती बढ़ाने हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

मान्यवर, मेहन्दी की खेती राजस्थान में मरु क्षेत्र को छोड़ कर सभी अन्य क्षेत्रों में की जाती है, कुछ क्षेत्रों में यह हैज के काम में ली जाती है तथा कुछ क्षेत्रों में उत्पादन की दृष्टि से भी खेती की जाती है। भारत व विदेशों में सोजत की मेहन्दी प्रसिद्ध है। करीब 14 करोड़ रुपये की मेहन्दी विदेशों में निर्यात होती है जिससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यहां की मेहन्दी का रंग बहुत अच्छा है, इसको लगाने के बाद गहरा लाल रंग हो जाता है। सोजत जो कि राजस्थान के पाली जिला में स्थित है इसकी बारानी खेती की जाती है जो पूर्णत: वर्षा पर ही निर्भर करती है। इसकी खेती रोप लगा कर की जाती है। एक बार रोप लगाने के बाद कई वर्षों तक फसल रहती है।

पाली जिले में मेहन्दी की बारानी खेती पंचायत समिति सोजत, रायपुर और जैतारण में की जाती है। सभी बारानी खेती करने वाले कृषक करीब-करीब मेहन्दी के क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, परन्तु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं अगर ऋण सुविधा सरल तरीके से उपलब्ध हो जाय तो हर वर्ष करीब 20 प्रतिशत क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह मन्त्री लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट हां आप क्या कह रही हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कह रही हूं कि मन्त्री लोग तो आपस में बातें कर रहे हैं। कोई सुनता ही नहीं फिर इसको पढ़ने से क्या मतलब है।

श्री अध्यक्ष : हां, सुनिये। मन्त्री महोदय बात मत करिये।

श्री दिग्विजय सिंह : (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सुन रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वह सब के लिए कह रही हैं आपके लिए नहीं कह रही हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : शायद इन्होंने किसी और को देख लिया होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको भी बात करते देखा था, (माफ करना,) आपको भी बात करते देखा था।

श्री दिग्विजय सिंह : आपको गलत ध्यान रह गया होगा। श्री माहिर आजाद आये थे उस वक्त...

श्रीमती सुमिक्षा सिंह : महिलाओं के लिये बड़ा महत्वपूर्ण है, यह मेहन्दी वाला मामला।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : बशर्ते इसका बाजार भाव अच्छा मिलता रहे। वर्तमान में मेहन्दी मूल्य बहुत ज्यादा गिर चुका है जिससे कृषकों को इसकी खेती आगे की जाना सम्भव प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि निराई, गुड़ाई, कटाई आदि में काफी लागत आ जाती है। कुछ कृषकों ने तो इस साल अधिक लागत एवं कम आमदनी के कारण अपने खेतों से मेहन्दी की फसल हटा भी ली है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मेहन्दी की रुपाई नगण्य रही। अत: बाजार भाव एवं बढ़ी हुई लागत में मेहन्दी की खेती करना सम्भव नहीं रहेगा। मेहन्दी की फसल शुष्क खेती की एक मात्र फसल है जो अत्यधिक कम वर्षा में भी उपज देती है। मेहन्दी की फसल का उचित मूल्य तय किया जावे, किसानों को मेहन्दी लगाने हेतु ऋण सुविधा सरलीकरण की व्यवस्था एवं मेहन्दी संघ की स्थापना की जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ इस सम्बन्ध में सुझाव भी देना चाहता हूं :-

(1) रोपाई हेतु कोई उन्नत औजार उपलब्ध करवाये।

(2) मेहन्दी फसल पर इस इलाके में शोध कार्य का पूर्ण अभाव है। अत: यदि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा शोध कार्य हाथ में लिया जावे तो उत्पादन में वृद्धि सम्भावित है।

(3) निराई, गुड़ाई हेतु उन्नत औजारों का अभाव है।

(4) अन्य फसलों की भांति मेहन्दी में भी पौध संरक्षण एवं उर्वरक सम्बन्धी प्रदर्शनों एवं अनुदान उपलब्ध करावे तो स्थानीय आवश्यकताओं (नीड बेस) के अनुसार कृषकों के यहां आयोजन किया जा सके। सोजत पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित सुरायता कृषि फार्म जो कि कृषि विभाग के पास ही है यदि मेहन्दी का माडल फार्म बना दिया जावे तो यह एक कृषकों को उन्नत तकनीकी विधियों के अनुसरण हेतु प्रेरित करने के लिये उत्तम होगा। इससे मेहन्दी फसल की नई तकनीकी भी विकसित की जा सकेगी। इस फार्म का अवलोकन पाल

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

विकास अधिकारी, कोटा द्वारा किया जाकर फर्म हेतु सहमति प्रकट की थी।

अतः निवेदन है कि मेहन्दी के उचित मूल्यों को तय किया जाय तथा मेहन्दी की खेती बढ़ाने हेतु ऋण सुविधा सरलीकरण किया जावे। कृषकों को प्रोत्साहित किया जावे एवं मेहन्दी संघ की स्थापना की जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्थान सरकार और कृषि मन्त्री महोदय से भी निवेदन है कि जिस हिसाब से व्यापारी काश्तकारों से मेहन्दी खरीदते हैं तो मनमाने हिसाब से, अपने हिसाब के भाव तय करते हैं। इसलिये राजस्थान सरकार स्वयं मेहन्दी खरीदे। इसको अगर निर्यात करें तो राजस्थान सरकार को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और काश्तकारों को भी इसका उचित मूल्य मिलेगा। यह मैं माननीय कृषि मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में कोई न कोई व्यवस्था करवाने का कष्ट करवायें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

जोधपुर में श्रीमती सीतादेवी को जलाकर मारना

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 में विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 11 अगस्त, 1991 को अर्द्ध रात्रि के करीब 12.30 बजे श्रीमती सीतादेवी को जलाकर मार दिया गया। श्रीमती सीतादेवी के चूंकि कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई थी अतः दूसरी शादी करने के उद्देश्य से व मजबूरन तलाक की स्थिति पैदा करने के लिये अकारण उसके घर वाले मारपीट किया करते थे।

11 अगस्त, 1991 को शाम से ही मारपीट चल रही थी। उसकी मारपीट की खबर सुनकर श्रीमती सीतादेवी के सगे भाई, उसके ससुराल वालों से रात्रि के ग्यारह बजे मिलने गये। दिन भर बोलचाल, झगड़ा और मारपीट वगैरह चलती रही और घर से निकालने की धमकी ससुराल वाले देते रहे। भाई ने सबको समझाया, सबने भाई को आश्वस्त किया और भाई 12.15 पर अपने घर लौट गया।

12.16 बजे उसके श्रीमती सीतादेवी के सम्पूर्ण गहने उतारे, मकान की छत पर ले जाकर सीतादेवी को जला दिया। मकान की छत पर आग की लपटें देख पड़ोसी आये आवाज देने लगे, दरवाजे खटखटायें व मकान की घंटी बजाई, परन्तु बत्तियां बुझाकर सभी परिवारजन दुबक गये और दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसियों ने पाइप के सहारे चढ़कर आग बुझाने का प्रयत्न किया, परन्तु तब तक श्रीमती सीतादेवी जल चुकी थी। जब श्रीमती सीतादेवी ऊपर जल रही थी तब उसके पति धन्नाराम, जेठ हेमराज एवं ससुर पुरखाराम एवं सास पतासी देवी घर में बत्ती बुझाकर दरवाजे बन्द करके बैठे हुये थे।

सूर सागर पुलिस स्टेशन में 13.8.91 को इसकी एफ. आई. आर. नम्बर 81/91 दर्ज हुई है। दिनांक 13.8.1991 को मुल्जिमों ने अग्रिम जमानत करवाली और आज तक अग्रिम जमानत बरकरार है।

मुकदमे की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मेहताब सिंहजी कर रहे थे।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जब उन्होंने पाया कि हत्या की पूर्ण गुत्थी अग्रिम जमानत रद्द होने पर ही खुल सकेगी तो राज्य सरकार से अग्रिम जमानत रद्द करने की स्वीकृति मांगी जो दिनांक 22.10.91 को स्वीकृत हुई और अग्रिम जमानत रद्द करने की राजकीय अधिवक्ता ने अर्जी उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की, परन्तु उसके साथ चूंकि सैशन जज की अग्रिम जमानत आदेश की प्रतिलिपि पेश नहीं की थी। इसीलिये यह प्रतिलिपि तीन माह बाद जनवरी, 1992 के अन्त में पेश की थी। इस प्रकार अग्रिम जमानत रद्द करने की पैरवी भी कारगर ढंग से राजकीय अधिवक्ता ने नहीं की। चूंकि मुल्जिमान को लगा कि जांच अधिकारी निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। अतः मुल्जिमानों ने पत्रावली सी. आई. डी. विभाग में स्थानान्तरित करवा दी। सी. आई. डी. विजिलेंस से पत्रावली फिर एक डीवाई. एस. पी., सी. आई. डी. को सौंप दी। सी. आई डी. में ही चार बार जांच अधिकारी को बदला गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मुलजिम अपने प्रभाव से बार-बार जांच बदलवा रहे हैं। 15 वर्ष पूर्व इन्हीं मुलजिमों ने एक अन्य बहु अर्थात् श्रीमती महादेवी पत्नी हेमराज को कास्टिक सोडा पिलाकर 20 फुट से भी ऊंची छत से गिराकर हत्या की थी लेकिन उस मुकदमे को भी मुलजिम रफा-दफा कराने में सफल हो गये थे। इस बार भी मुलजिम यही प्रयास कर रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रकार बार-बार जांच अधिकारी बदल कर इसमें विलम्ब न करें, अपितु इस प्रकार के जघन्य हत्याकाण्ड के अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले ताकि ऐसा जघन्य अपराध करने की कोई अन्य हिम्मत न कर सके। गृह मंत्रीजी कुछ कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बार-बार सदन में आये हैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक शब्द और कहना चाहती हूं कि मुख्य मंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय ऐसा प्रबन्ध करें.......

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। इनको पूरा कर लेने दीजिए। उनको पूरा तो करने दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह पहले बैठ गयीं थी। उसके बाद उठी हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या तरीका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 9 दिन पहले 26 तारीख को इसकी सूचना दी थी और मुझे बड़ा अफसोस है कि गृह मन्त्रीजी ने इसके बारे में अपना मुंह खोलना भी उचित नहीं समझा। कुछ तो कहना चाहिए था इसके बारे में कि यह क्या हो रहा है ? इस तरह से महिलाओं को जलाकर मार देने के मामलों में यदि सरकार सोती रही, सुस्ती से पेश आयेगी तो मैं समझती हूं कि ऐसे जघन्य अपराध होते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्रीजी, आपको ध्यान हो तो बता दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो

(श्री दिग्विजय सिंह)

जानकारी दी है और तथ्य बताये हैं कि बार-बार सी. आई. डी. में गया और चला गया और यह जो अभियुक्त हैं वह पहले भी इसी प्रकार के जघन्य अपराध कर चुके हैं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि एक माह के अन्दर-अन्दर इसके ऊपर सख्त कार्यवाही करके, कोर्ट में जमानत ले ली तो कोर्ट में दुबारा दरख्वास्त दी है वह अपने स्तर पर है लेकिन पुलिस के स्तर पर एक महीने में कार्यवाही हो जायेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगी। यह केवल इस कैसी की बात नहीं है। जितने गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं मैं सब पर तो चार्ज नहीं लगाती पर एक-दो केसेज के बारे में मुझे मालूम है कि वह अगली पार्टी से मिल जाते हैं और केस की पैरवी ठीक से नहीं करते हैं। इसलिए इन सब लोगों को आगाह किया जाय कि जो भी सरकारी वकील हैं वह मुकदमें की ठीक से पैरवी करें जो ठीक से पैरवी नहीं करते हैं उनको हटा दिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि उपचार केवल इतना नहीं है। विधान सभा में कोई नियम बनाया जाय, सख्त कानून हो कि दुबारा कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सके शादी नहीं कर पाये या ऐसा कोई प्रतिबन्ध उस परिवार पर हो कि वह समाज में रहने लायक नहीं रह सके तो मैं समझती हूं कारगर कार्यवाही हो सकती है। उनको फांसी की सजा भी दी जाये तो ठीक है। अमूमन यह होता है कि हत्या को आत्महत्या में बदलने की तैयारी हो जाती है। अभी एक केस का फैसला सुनाया है कि उसने आत्महत्या की है। मैं समझती हूं पुलिस के जांच अधिकारी महिलाओं के प्रति ऐसा रूख रखते हैं, आप उनके........

श्री अध्यक्ष : ये महिलाओं के बारे में गलत रूख रखेंगे तो आयन्दा पैदा ही नहीं होंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : फिर इस संस्कृति का क्या होगा ? यह संस्कृति नहीं रहेगी। आप उदार चित्त रहकर आप भी कहिये कि यह कुछ ऐसा करें, जिससे यह प्रवृत्ति खत्म हो।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया। (अनुपस्थित)। श्री महावीर प्रसाद जैन।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मानसिक चिकित्सा व्याख्याताओं के चयन में अनियमिततायें

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 विशेष उल्लेख के द्वारा मानसिक चिकित्सा में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 6 फरवरी, 1992 को व्याख्याताओं के चयन में अनियमितताओं के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इस चयन हेतु 6 फरवरी, 1992 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विशेषज्ञ राजस्थान से ही बुलाये गये थे, जो संभवत: पहली बार हुआ है, जिसमें कि पक्षपात की पूरी सम्भावना रहती है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में एम. डी. किये गये छात्र प्रत्याशी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

होते हैं, और इस बार ऐसा हुआ भी है वर्तमान में राजस्थान के बुलाये गये विशेषज्ञ प्रो. डा. जे. एन. व्यास ने अपने द्वारा निर्देशित एम. डी. छात्रों को चार पदों पर (डा. अशोक सिंघल, डा. घनश्याम कूलवाल, डा. परमजीत सिंह, डा. चन्द्रशेखर सुशील) एवं दो छात्रों को प्रतीक्षा सूची में (डा. आलोक त्यागी एवं डा. दयाराम स्वामी) में भी उन्हीं को रखा है। अन्य किसी अध्यापक विशेषज्ञ के निर्देशन में एम. डी. किये गये छात्र को चयनित नहीं किया गया है। यह अपने आप में पक्षपात का एक गम्भीर उदाहरण है। जो कि राजस्थान से ही विशेषज्ञ नियुक्त करने का परिणाम है।

व्याख्याता जैसे पद पर मुख्यतया चयन प्रक्रिया का मापदण्ड प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में शोध कार्य, अध्यापन का अनुभव माना जाता है, परन्तु इस चयन सूची में तीन चयनित छात्र ऐसे हैं, जिनका किसी भी प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में कोई शोध प्रकाशित नहीं हुआ है, दो छात्र ऐसे हैं जिन्हें अध्यापन का कोई भी अनुभव नहीं है तथा दो छात्र ऐसे हैं जिन्हें छः माह से भी कम का अध्यापन अनुभव है।

जबकि अचयनित छात्रों में से प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में 5 शोध-पत्र प्रकाशित होने वाले व एक वर्ष के अध्यापन का अनुभव रखने वाले छात्र भी शामिल हैं। जो पूर्णतया चयन प्रक्रिया पर सन्देह प्रकट करता है।

शोध छात्रों के अलावा एम. डी. छात्रों के पढ़ने हेतु पुस्तक में अध्याय लिखना, शोध कार्य की बड़ी उपलब्धि माना जाता है और इन्हीं विशेषज्ञ डा. जे. एन. व्यास द्वारा सम्पादित पुस्तक "पोस्ट साइकेट्री" 1991-92 में अध्याय लिखने वाला एक मात्र छात्र भी इसलिए इन महाशय द्वारा चयनित नहीं किया गया, क्योंकि उक्त छात्र ने एम. डी. इनके निर्देशन में न करके, किसी दूसरे शिक्षक के निर्देशन में की थी, जिसकी वजह से यह छात्र इनके कोपभाजन का शिकार हुआ।

महोदय, उक्त विशेषज्ञ को गम्भीर अनियमितताओं एवं लापरवाही के कारण जयपुर से जोधपुर एव जोधपुर से बीकानेर स्थानान्तरित कर दिया गया। न्यायालय में भी उनकी अनियमितताओं एवं लापरवाहियों के कारण, उन्हें वहां से निराश लौटना पड़ा, ऐसे विवादास्पद आदमी को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विशेषज्ञ नियुक्त करना, किस प्रकार उचित है? यह हमारी समझ से परे हैं।

महोदय, इस प्रतिभावान छात्र ने इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्री, अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं स्वास्थ्य सचिव को भी पत्र लिखकर, हुई पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की ओर ध्यानाकर्षण कराया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं?

महोदय, इस तरह की ईर्ष्यालु एवं पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति के कारण प्रतिभावान छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, तथा यह राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है?

अतः माननीय महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस चयन प्रक्रिया को रद्द कर नये

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सिरे से किसी निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय व्यक्ति द्वारा चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कराया जाय ताकि प्रतिभावान छात्रों का भविष्य अंधकारमय न हो सके एवं उन्हें अपनी प्रतिभा का पूरा-पूरा लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरधाराम चौधरी।

मकराना रेलवे स्टेशनों के फाटकों को चौड़ा किया जाना

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना में भयंकर समस्या है। उसकी ओर कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मकराना एक औद्योगिक कस्बा है जिसमें मार्बल की खान एवं फैक्ट्रियां स्थित हैं जो ज्यादातर जयपुर से जोधपुर के बीच चलने वाली रेलवे लाइन के दक्षिणी तरफ है एवं मकराना कस्बा की 80 प्रतिशत आबादी रेलवे लाइन के उत्तरी तरफ है। मकराना औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा वाहन हैं एवं मकराना से बाहर से आने वाले मार्बल व बाहर जाने वाले मार्बल की ट्रकें रेलवे लाइन के उत्तरी तरफ से रेलवे फाटक पास करके दक्षिणी तरफ जाती है, ग्रामों से हजारों की तादाद में ट्रेक्टर चलते हैं एवं मकराना में करीब 10 हजार तक मोटर साइकिलें हैं कि जो रेलवे की मकराना की दोनों फाटकें हैं वह कम चौड़ाई की है। रेलवे फाटकों के आसपास भी वाहनों व जनता के आने जाने का रास्ता नहीं होने से भारी संख्या से जनता को बड़ी भारी कठिनाई होती है। फाटकों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होने से फाटकें बन्द होने पर एक-एक किलोमीटर तक लाइनें लग जाती हैं व फाटक खुलने पर एक साथ दो ट्रक बस नहीं निकल सकने से रास्ता अवरुद्ध हो जाता है जिससे एक-एक घण्टा का समय लग जाता है। इसलिए मैंने पूर्व में भी इन दोनों फाटकों को चौड़ा करवाने भूमिगत मार्ग बनवाने एवं रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज बनाने बाबत बार-बार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है। केन्द्रीय सरकार के रेलवे विभाग ने बताया है कि यदि साढ़े पांच लाख रुपये राजस्थान रेल विभाग को दे तो दोनों फाटकें चौड़ी की जा सकती है।

इस सम्बन्ध में मकराना का व्यापार मण्डल भी सरकार से मांग करता रहा है व जनता भी मांग करती रही है। जनता की सुविधा के लिए दोनों रेलवे फाटकों को चौड़ा करवाना एवं भूमिगत मार्ग बनवाना बहुत ही आवश्यक है यह कार्य लोकमहत्व का है अतः सरकार रेलवे की दोनों फाटकें चौड़ी करवाने व भूमिगत मार्ग बनाने के कार्य को अविलम्ब करवाये।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट।

कालाडेरा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा की जा रही मनमानी

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा के प्राचार्य श्री जी. एन. स्वर्णकार ने कालाडेरा कालेज को व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ण व गुटबाजी का अड्डा बनाकर महाविद्यालय को पतन की ओर अग्रेसर किया है....

(12.50 सायं)

(श्री गोपीराम जाट)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कालाडेरा के दानवीर सहरिया परिवार ने महाविद्यालय तथा छात्रावास ग्रामीण छात्राओं को अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को साक्षर करने के लिये बनाया था। लेकिन वर्तमान प्राचार्य जब से इस महाविद्यालय में आये हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एडमिशन नहीं मिलता तथा रींगस व श्रीमाधोपुर से आने वाले विद्यार्थियों को भी एडमिशन नहीं दिया जाता, जो जयपुर जिले में रहने वाले हैं, यह कह दिया जाता है कि आप जयपुर जिले के बाहर के हैं।

प्राचार्य महोदय तीन बजे बाद महाविद्यालय में नहीं रुकते तथा जयपुर आ जाते हैं और कालाडेरा में छात्रों के लिये बना छात्रावास इस लिये बन्द कर रखा है, कि छात्रावास चालू होने से प्राचार्य महोदय को रात्रि में कालाडेरा ही रुकना होगा। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को कालाडेरा ग्राम में रहना होता है। जहां उपयुक्त भवन नहीं मिलते तथा विद्यार्थियों को बिजली की कोटड़ी व पुराने पड़े भवनों में अध्ययन करना पड़ता है।

प्राचार्य महोदय का ग्रामीण अभिभावक जो अपने बच्चों से मिलने आते हैं तो उनके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता तथा उनको मिलने पर ताड़ते रहते हैं।

प्राचार्य महोदय ने स्टेशनरी खरीद व प्रिन्टिंग कराने के लिये भी अपने केन्द्र तय कर रखे हैं तथा महाविद्यालय के कृषि फार्म को भी अपने चहेतों को मनमानी दर पर सालाना खेती करने के लिये ठेके पर देते हैं ऊंची दर वाला को वापस भेज दिया जाता है।

कालाडेरा महाविद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता प्राय: समाप्त हो गई है तथा पी.टी.आई. प्राचार्य महोदय के अंगरक्षक बन कर रह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त सभी तथ्य इस निम्नलिखित एक प्रमाण-पत्र प्राचार्य महोदय ने जारी किया उससे साबित होता है "प्रमाणित किया जाता है कि मालवीय नगर जयपुर शहर के अन्दर नहीं है तथा यह जयपुर शहर से 13-14 किलोमीटर दूर है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मालवीय नगर जयपुर में अस्पताल उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित दवाइयों की कोई दुकान नहीं है।" उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचार्य महोदय अपनी स्वार्थ सिद्धि कार्यों में ध्यान देते हैं तथा विद्यालय विकास की तरफ कोई रुचि नहीं है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि प्राचार्य महोदय का स्थानान्तरण कर पिछले तीन साल की पूर्ण जांच करवायें तथा महाविद्यालय की गिरती हुई साख को जमाने का प्रयास किया जाना चाहिये। छात्रावास बन्द है उनको खुलवाया जावे तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बुलाकीदास कल्ला।

राज्य में बिजली के उत्पादन और उससे सम्बन्धित समस्याएं

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : मान्यवर, केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण के 14वां वार्षिक सर्वेक्षण दल के प्रतिवेदन (राजस्थान के अनुसार) राजस्थान राज्य वर्ष 1994-95 के अन्त तक मेगावाट के सन्दर्भ में 44.9 प्रतिशत तथा मेगावाट आवर के सन्दर्भ में 40.1 प्रतिशत पिछड़ा हुआ रहेगा।

उपरोक्त सन्दर्भित कारण भविष्य को अस्पष्ट एवं धुंधला बताते हैं तथा न केवल कृषक इससे परेशान है बल्कि राज्य की आम जनता भी पीने के पानी हेतु बिजली की कमी महसूस करती है। आज उद्योगपति राज्य में पूंजी निवेश से घबराते हैं। राज्य का 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रस्तावित विद्युत उत्पादन गृहों की स्थिति ध्यान देने योग्य है।

(1) सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना 2 × 250 यानि 500 मेगावाट

इस परियोजना के प्रथम चरण की आर्थिक एवं तकनीकी स्वीकृति केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण द्वारा 13 जून, 1991 को कर दी गई थी। इस विद्युत उत्पादन गृह के प्रथम चरण से सम्बन्धित दोहन तंत्र की आर्थिक एवं तकनीकी स्वीकृति भी प्रक्रिया में है। परन्तु उपर्युक्त विद्युत संसाधन उपलब्ध नहीं करवाने के कारण यह परियोजना अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। अनावश्यक देरी के कारण इसकी लागत बढ़ने की सम्भावना है। उक्त परियोजना से बिजली का उत्पादन कब तक होना शुरू हो जायेगा?

(2) बरसिंहसर लिग्नाइट तापीय परियोजना 2 × 120 मेगावाट

राजस्थान ने इस क्षेत्र को खनन कार्य का दोहन बिजली उत्पादन के वास्ते नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन मद्रास को सौंपा गया था। परन्तु गत दो वर्षों में इस परियोजना पर कोई विशेष प्रगति नहीं हुयी। उक्त परियोजना कब तक बिजली का उत्पादन शुरू कर देगी तथा इसकी कुल लागत कितनी आयेगी, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट धारणा नहीं बनी है।

(3) चित्तौड़ तापीय परियोजना 2 × 210 मेगावाट

राजस्थान सरकार ने मैसर्स सैंच्युरी टैक्सटाइल्ज एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे को वर्ष 1988 में चित्तौड़गढ़ जिले में विद्युत उत्पादन केन्द्रीय दल के लिये लाइसेंस जारी किया था। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा समीप के गोगुन्दा बांध से 18 मिलियन घन फीट पानी की आपूर्ति हेतु इस परियोजना के लिये करने का इकरारनामा किया गया। परन्तु यह परियोजना राज्य सरकार की ढिलाई के कारण अभी तक क्रियान्वित नहीं हो सकी है। अनावश्यक देरी के कारण इसकी लागत बढ़ने की सम्भावना है।

(4) धौलपुर तापीय परियोजना 3 × 250 मेगावाट

इस परियोजना को गत दो वर्षों से राज्य सरकार पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृत नहीं करा सकी जिसके कारण जो परियोजना 750 करोड़ की लागत से 750 मेगावाट बिजली दे सकती थी वह 1600 करोड़ रुपये की अधिक ही लागत की बन

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

गयी है। राज्य सरकार को चाहिये कि वह बिजली गृहों के निर्माण का कार्य त्वरित गति से प्रारम्भ करे जिससे 21वीं शताब्दी में विद्युत संकट का सामना प्रदेश को न करना पड़े।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की हानि जो 1985-86 में 254.41 करोड़ रुपये थी वह 1991-92 में बढ़कर 898.86 करोड़ हो गयी है। वर्षवार राज्य हानि जो 1986-87 में 24.18 करोड़ थी वह 1991-92 में 153.92 करोड़ हो गयी है जिसे अविलम्ब कम किया जाना चाहिये।

10 मई, 1992 को हुये अनुबन्ध के अनुसार थीन, आनन्दपुर साहिब, मुकेरिया, शाहपुर कन्डी तथा यू.बी.डी.सी. II परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन में राजस्थान के हिस्से को प्राप्त करने से वर्तमान सरकार असफल रही है। टिहरी बांध से 10 प्रतिशत ऊर्जा के हिस्से के मामले में भी राज्य सरकार ने कोई विशेष प्रगति नहीं की है। गत दो वर्षों में नये विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत का उत्पादन नगण्य रहा है जबकि बिजली के कनेक्शन बिना बिजली उत्पादन के दिये जा रहे हैं जिससे बिजली उत्पादन एवं वितरण में असमानता पैदा हो गई है। केवल पत्रों के लिखने से राज्य को हिस्सा नहीं मिल सकेगा। इसके लिये ठोस कदम उठाये जाने आवश्यक हैं।

सन् 1985 से 1989 के बीच में कांग्रेस शासन के वक्त लगभग 500 मेगावाट बिजली प्रदेश को नये बिजली घरों तथा केन्द्रीय ग्रिड से अतिरिक्त मिली थी, परन्तु गत दो वर्षों में एक मेगावाट बिजली नई पैदा नहीं करने से किसानों को, उपभोक्ताओं को एवं उद्योगपतियों में इस बात का भय व्याप्त है कि बिजली की कमी से आने वाले समय में भारी कठिनाई होगी तथा जो बिजली गृह स्वीकृत हैं उनका कार्य शीघ्र शुरू न होने से उनकी लागत में भारी बढ़ोतरी होने की सम्भावना है।

अतएव उपरोक्त सभी बिजली गृहों को अविलम्ब शुरू किया जाय तथा राज्य सरकार इसके लिये वित्तीय ससाधन जुटाने हेतु विशेष बाण्ड जारी करे और उससे प्राप्त राशि से 8वीं पंचवर्षीय योजना में कम से कम एक हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का प्रयास करे तब पिछले दो साल की कमी को दूर किया जा सकेगा। धन्यवाद।

(1.00 म.प.)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिश्चन्द्र कुमावत।

पंचायत शिक्षा केन्द्रों के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में

श्री हरिश्चन्द्र कुमावत (नावां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुचामन सिटी पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायत शिक्षा केन्द्रों के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा पंचायत शिक्षा केन्द्रों को बन्द कर उनके स्थान पर उपयोगिता की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। आदेश क्रमांक एफ. 5(16) ग्रा वि.प./शिक्षा/प्राशि/219 दिनांक

(श्री हरिश्चन्द्र कुमावत)

7.2.1992 द्वारा कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र में हुडील, भैरूपुरा, बेड़वा और खजूरों की ढाणी में खोलने का उल्लेख है। परन्तु ग्राम हुडील उच्च प्राथमिक विद्यालय सैकेण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत हो जाने से वहां प्राथमिक विद्यालय शिक्षा नीति के अनुसार स्वतः अलग हो जायेगा। ग्राम भैरूपुरा में पहले से प्राथमिक विद्यालय चालू है। ग्राम बेड़वा पंचायत समिति में कोई ग्राम नहीं है तथा खजूरों की ढाणी भी पंचायत समिति में कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार पांचों स्थानों के अंकित स्थान कुचामन सिटी पंचायत समिति में नहीं हैं। कुचामन सिटी पंचायत समिति की वास्तविक स्थिति यह है कि ग्राम खारिया पंचायत हिराणी, खातियों की ढाणी, पंचायत कुकड़वाली, दुनियाती तलाई पंचायत टोडास, बालिका विद्यालय केरियों की ढाणी ग्राम पंचायत मारोठ, ग्राम पंचायत मीण्डा बालिका विद्यालय, श्यामगढ़ बालिका विद्यालय, कालिया वास ग्राम पंचायत देवली, ग्राम पंचायत लालास आदि स्थानों पर चलने वाले पंचायत शिक्षा केन्द्र राज्य सरकार के निर्देशानुसार बन्द किये गये। यहां सभी स्थानों पर विद्यालय के लिये पर्याप्त भवन उपलब्ध हैं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड, जवाहर रोजगार योजना एवं जन सहयोग से वहां की प्राथमिक विद्यालय के लिये पर्याप्त भवन है। सरकारी कोष से प्रत्येक स्थान पर 60-70 हजार रुपये खर्च हुए हैं। छात्रों की संख्या 94 से 171 की है, जब कि बनायी गयी नीति के अनुसार 40 छात्रों एव भवन की उपलब्धता पर पंचायत शिक्षा केन्द्रों के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का आदेश है। कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र के उल्लिखित ग्राम राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत पंचायत शिक्षा केन्द्रों के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोलने की पात्रता रखते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा दि. 7.2.1992 को पंचायत शिक्षा केन्द्रों के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। माननीय पंचायत मंत्रीजी का ध्यान दिलाने पर उन्होंने भी यह स्वीकार किया तथा सुधार करने का आश्वासन दिया, परन्तु अभी तक सुधार नहीं किया गया है। इससे जनता में रोष है। अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त वर्णित स्थानों पर शिक्षा केन्द्र के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री किशनाराम जी नाई।

ब्यावर में बीसलपुर योजना से जल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर शहर में पिछले दिनों बीसलपुर समोखी, मकरेड़ा तथा सेणदरा से प्रत्येक तीसरे दिन पीने का पानी आता था, जो आज-कल प्रत्येक चौथे दिन दिया जाता है। इससे पानी की विकट स्थिति पैदा हो गयी है। ब्यावर शहर की आबादी करीब एक लाख बीस हजार की है। इसमें 25 लाख गैलन प्रति दिन की खपत है, परन्तु इस खपत की एवज में मात्र पांच लाख गैलन पानी प्रति दिन दिया जा रहा है जो कि बहुत ही कम है। बीसलपुर से रोजाना पांच लाख गैलन पानी आना चाहिये, परन्तु मात्र 70-80 हजार गैलन ही आता है। इस पानी को खोलने तथा

(श्री किशनाराम नाई)

छोड़ने का दायरा अधिशासी अभियन्ता श्री गोलानी, अजमेर के पास है, जो अपनी मनमानी से कम-ज्यादा पानी सप्लाई करते हैं। इसके फलस्वरूप जनता को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः निवेदन है कि बीसलपुर पाइप लाइन से पांच लाख गैलन तथा साथ ही टैंकरों व अन्य साधनों से भी पानी दिया जाय, ताकि पेयजल समस्या समाप्त हो सके।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो यह बात ध्यान में लाये हैं कि एक्स. ईएन. गोलानी पानी कम छोड़ता है। मैं सोचता हूं यह बात सत्य नहीं है। पानी की कमी है। कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी में उनको पानी अधिक दिया जा सके। अगर यह बात सही है जो आप कह रहे हो तो इसका इलाज कल ही कर देंगे। उसके कारण थोड़े ही पानी इतना कम मिल रहा है।

धमकी की सूचना

श्री किशनाराम नाई : मसला तो मंत्री महोदय, बड़ा गम्भीर है। अजमेर से जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने मेरी सीट पर आकर मुझे धमकी भी दी है कि आप इस प्रश्न को मत उठाइये। हम आपका कर देंगे। लेकिन पानी की यह जो समस्या है, मैं मानता हूं कि अजमेर में भी है और ब्यावर में भी है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हेतराम बेनीवाल : इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन के एक माननीय सदस्य अगर सदन के अन्दर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकें और दूसरे सदस्य आकर आपको धमकी दें, इस तरह का आचरण सदस्य अगर एक दूसरे के साथ करेंगे तो सदन की गरिमा कहां रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप सचेतक जी, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त कर दी है।

श्री परसादीलाल मीणा : सदस्य को बोलने का मौका दिया कि क्या धमकी दी है, किस माननीय सदस्य ने उनको आकर धमकी दी है इस तरह से।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की शिकायत आसन को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय सदस्य कह रहे हैं हाउस में कि मेरे को धमकी दी है।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में उन्होंने किसी को नामजद नहीं किया है न इस प्रकार की कोई शिकायत आयी है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप पूछेंगे तो कह देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उन पर दबाव नहीं डाल सकता इस बारे में।

श्री परसादीलाल मीणा : धमकी दी है माननीय सदस्य को।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में उनको कोई दबाव डालकर पूछा नहीं जा सकता।

श्री जुबेर खान : हाथ से इशारा किया है उन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन विषय की गम्भीरता को देखते हुए मेरा भी माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि ब्यावर शहर के पानी के लिए थोड़ा पर्याप्त प्रबन्ध करें। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, आर्डर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इस तरह से सदस्य को धमकी दी तो कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रीजी बोलेंगे, बिराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सीरियस मामला है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं कह रहा हूं, भई।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले इनको सुन लीजिए, माननीय मन्त्री जी बोल रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइण्ट आफ आर्डर है ?

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय सदस्य ने अपने कथन में यह कहा है कि माननीय मन्त्री जी, मेरे को मेरी सीट के पास आकर एक माननीय सदस्य ने धमकी दी है। आप उन माननीय सदस्य से पूछिये, या तो वे असत्य बोल रहे है या असत्य नहीं बोल रहे हैं तो उस माननीय सदस्य का नाम बताएं जिन्होंने धमकी दी हैं। धमकी किस प्रकार की दी है ? इस तरह से तो हर कोई किसी को धमकी देगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके पाइण्ट आफ आर्डर को अलाउ करने में असमर्थ हूं क्योंकि इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय सदस्य ने हाउस में कहा है, आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) कृपया एक-एक करके बोलिये। आर्डर प्लीज, बिराजिये। (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे चुका हूं। इस प्रकार का माननीय सदस्य पर मैं दबाव आसन की तरफ से नहीं डाल सकता और न ही इस प्रकार का उन्होंने लिखित में कुछ दिया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उन्होंने सदन में कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलालजी शर्मा साहब। पहले आपको बोलने दीजिए। बिराजिये एक मिनट, पहले आपको बोलने दीजिए। माननीय सदस्य से निवेदन है कृपया सहयोग करें। पहले माननीय मन्त्री महोदय को बोलने दीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : धमकी दी है,

(श्री रामस्वरूप मीणा)

उन्होंने कहा है। क्या धमकी दी है, वे बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वे बता देंगे। माननीय परसादीलाल जी, कृपया विराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि धमकी दी है, हाउस में धमकी दी है। उनको अपनी बात कहने का....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले माननीय मन्त्री जी को कहने दीजिए।

श्री परसादीलाल मीणा : उन्होंने धमकी दी है, यह हाउस में कहा है। उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दें.... (व्यवधान)... या तो वापस लें।

श्री रामस्वरूप मीणा : धमकी दी, आप उनका नाम बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यवस्था को सुनेंगे क्या? आसन पैरों पर है, कृपया विराजिये। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन।

श्री डूंगरराम पंवार : नहीं मानते हैं तो बाहर भेजना पड़ेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : कैसे निकाल दोगे बाहर।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर की जल समस्या के सम्बन्ध में तो मैं निवेदन कर चुका हूं।....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बेनीवाल साहब।

श्री रामस्वरूप मीणा : नाम तो बताओ किसने धमकी दी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय किशनारामजी ने जो बात कही उस धमकी को उन्होंने कितना गम्भीर लिया है, वह धमकी है कि नहीं। यदि उनको वास्तव में शिकायत है तो वे अन्दर आकर अध्यक्ष महोदय से कोई बात कह सकते हैं। तब आप विचार करिये। वे उसको खुद ही गम्भीर नहीं ले रहे हैं, उसका काहे को इश्यू बना रहे हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। क्या, व्यासजी, बोलिये। कोई पाइन्ट आफ आर्डर है क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है, गम्भीर विशेषाधिकार हनन का प्रश्न। It is a serious matter of breach of privilege. कि एक मैम्बर को यहां पर धमकी दे रहे हैं। इसलिए धमकी दे रहे हैं कि उसकी लैजिस्लेटिव ड्यूटीज को वह अंजाम नहीं दे सके और क्वेश्चन नहीं पूछ सके और मिनिस्टर धमकी दिलवा रहा है, यह उन्होंने कहा है। आप उनको पहले अपरचुनिटी दीजिए।

श्री किशनाराम नाई : यह नहीं कहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let him express. फिर पाइण्ट्स यहां रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : किशनाराम जी बोल रहे हैं।

श्री किशनाराम नाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा है। मैंने

(श्री किशनाराम नाई)

मन्त्री जी को यह कहा है कि गम्भीर मसला है, इसलिए मुझे किसी सदस्य ने आकर कुछ धमकी भी दी है, लेकिन हमारा आपस में....(व्यवधान) यह मैंने तो मन्त्री जी को बताया है और न मेरा कोई इनसे आब्जेक्शन है ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : वे कह रहे हैं धमकी दी है, नाम बताओ कौन ने धमकी दी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले दे चुका हूं, इस प्रकार की कोई शिकायत इनकी तरफ से आसन को नहीं की गयी है। (व्यवधान) माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, आप क्या कह रहे हैं, आप बोलिये। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई : मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्यों ये + + +कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य ने आपके सामने यह कहा है। अब इससे ज्यादा गम्भीर मामला तो कोई हो नहीं सकता। सदन के रेकार्ड में तो जो भी आप बोलेंगे वह ही आयेगा। अब अगर आप यह कह दें कि जो भी कहना है वह लिखकर दो, तो फिर लिखित में भाषण आ जायेगा, यहीं पर तो। फिर तो यहां पर बोलने की कोई संक्टिटी नहीं है। चीफ मिनिस्टर यहां सदन में कोई कमिटमेंट कर दें, मुंह से कर दें, तो क्या उनको आप यह कहेंगे कि लिखकर दे दें सदन में ? इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो बात माननीय सदस्य ने कही है वह बहुत गम्भीर मामला है, प्रिविलेज का मामला है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य ने यह... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइण्ट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि विपक्ष के माननीय सदस्य, जो विरोधी दल के सचेतक हैं, उन्होंने बहुत गम्भीर मामला उठाया और माननीय सदस्य ने कहा है कि मुझे कोई शिकायत नहीं, यह + + + कर रहे हैं। उसके बाद इस प्रकार का इन्टरप्रेटेशन किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के माननीय मुख्य सचेतक.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : He has raised a point of order.

श्री प्रद्युम्न सिंह : It is matter of privilege. यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला है और यह कह रहे हैं कि हम असत्य बोल रहे हैं, मिथ्या भाषण कर रहे हैं। आपने खुद ने सुना है उनकी बात को।

श्री उपाध्यक्ष : नियम है कि जब तक माननीय सदस्य कोई लिखित में नहीं दें, आसन को नहीं दें....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बात सदन में घटित हुई है, उसके बारे में लिखित में क्या देना ? वह खुद कह रहे हैं कि मेरे को धमकी दी है।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हाउस के नोटिस में आ गया कि माननीय सदस्य को धमकी दी गई है और आसन के नोटिस में भी यह आ गया, तो आपको इसका नोटिस लेना पड़ेगा, और यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला बनता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी, पहले व्यवस्था दे दी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दी जा चुकी है कि उनकी तरफ से कोई शिकायत लिखित में नहीं दी गई है। (व्यवधान) माननीय श्री जुबेर खां। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यास जी, बिराजिये आप। इसमें व्यवस्था आ चुकी है : कृपया बिराजिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने नहीं दी। आपने व्यवस्था दूसरी दी है। ब्रीच आफ प्रिविलेज का जो मेटर बनता है, उसका आपको नोटिस लेना पड़ेगा, आसन के नोटिस में आ गया, हाउस के सामने यह मैटर आ गया कि एक मैम्बर को धमकी दी जा रही है और अब मामला बहुत गम्भीर हो गया। और दूसरी बिजनेस आप तब लेंगे जब उसके पहले ब्रीच आफ प्रिविलेज के मोशन को ले लें आप।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो इतना सुना है कि माननीय सदस्य जो डूंगरगढ़ से आते हैं, यह बोल रहे थे कि मुझे कोई शिकायत नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह बाद की बात है। माननीय मुख्य मन्त्री जी, आप सदन के नेता हैं, यह मत भूलिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप बोलने तो दें मुझे। अब उनको तो शिकायत है नहीं, और हमको शिकायत है।....

श्री सुरेन्द्र व्यास : सदन को शिकायत है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, वही तो। हमसे मेरे अकेले की बात नहीं, हममें आप भी शामिल हैं। अब हमको यह शिकायत है कि उन्होंने कह दिया कि उनको धमकी दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी पूछ लें और मैं भी पूछ लूंगा कि किस माननीय सदस्य ने धमकी दी है, तो निश्चित रूप से गम्भीर प्रश्न होता है और हम कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) अभी हाउस में नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब रेकार्ड में आ गया। उपाध्यक्ष महोदय, रेकार्ड में आ गया। सदन के अन्दर तीन बार कहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय सदस्य ने हाउस में यह बात कही है कि मुझे धमकी दी।....

श्री सुरेन्द्र व्यास : He has said thrice. (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तीन बार कहा है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट ठहर जाओ आप। आप बोलें मुझे कोई आपत्ति नहीं है. खूब बोलें, मना नहीं कर रहा हूं, खूब बोलें। उन्होंने कहा कि धमकी दी, और फिर कहा कि कोई शिकायत नहीं (व्यवधान) सुनो तो सही, बीच में आप बोलते हैं। आप मुझे क्यों धमका रहे हैं बार बार ? (व्यवधान) मन्त्री के लिये तो उन्होंने नहीं कहा, मना कर दिया कि मन्त्री ने मुझे धमकाया। न मन्त्री की शिकायत है, न किसी विधायक की शिकायत है, फिर आप किसकी पैरवी कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं पैरवी किसी की नहीं कर रहा हूं, हाउस के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। हाउस के सामने एक बात आई है कि एक मैम्बर को तीन बार धमकी दी गई, और आप इसको लाइटली ले रहे हैं। अब चूंकि बाहर आ गई बात, हाउस के अन्दर आ गई ...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लाइटली नहीं ले रहा हूं। मैंने कह दिया कि मैं भी जानकारी कर लूंगा और उपाध्यक्ष महोदय भी जानकारी कर लेंगे, और फिर आप जैसा चाहें कि धमकी के कारण से कोई विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो नियमों में व्यवस्था है, आप मूव कर दीजियेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ओरल व्यवस्था भी है कि हाउस के अन्दर अगर कोई मामला आता है तो उसी वक्त ले लेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहली दफा माननीय सदस्य आये हैं, कोई पुराने पक्के पकाये सदस्य तो हैं नहीं, पहला टर्म है उनका, और सीधा-सीधा कह रहे हैं और तीन बार हाउस में कह दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये तो भोलेपन में कह गये, आपके जैसे होते तो नहीं बोलते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप उनको गाइड कर रहे हैं, यह आपकी मर्जी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता जो वर्षों विपक्ष के नेता रहे हैं, प्रिविलेज के बारे में मैम्बर्स के राइट्स के चैम्पियन रहे हैं हाउस में। आज चाहे आप भले ही मुख्य मन्त्री हैं लेकिन इस प्रकार से किसी माननीय सदस्य को धमकी दी जाये, उनको बेइज्जत करने की चेष्टा की जाये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत निन्दा की बात है, चिन्ता की बात है और इसकी जितनी निन्दा की जाये, उतनी थोड़ी है। मैं चाहूंगा कि उनको अवसर दिया जाये और उनसे पूछा जाये कि क्या मामला है। अन्यथा पार्टी में तो पार्टी के दबाव में और मुख्य मन्त्री के दबाव में वह कुछ भी कहने में असमर्थ रहेंगे, यह मेरा निश्चित मानना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिए, आपको चिन्ता है वैसी मुझे भी चिन्ता है, मेरा कोई दबाव नहीं है। मेरे जैसे सीधे.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यह चाहते हैं कि हाउस में यह बात नहीं आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये व्यास जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट आप ठहरें तो सही, हर बात में खड़ा होना कोई जरूरी है क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जरूरी नहीं है लेकिन आप....

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई जरूरी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को कोई शिकायत होगी जैसा मैंने निवेदन किया....

श्री सुरेन्द्र व्यास : शिकायत का प्रश्न नहीं है।....

श्री भैरोंसिह शेखावत : बीच में बोलने का मतलब है क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बीच का सवाल नहीं है पर आप इश्यू का जवाब दीजिए....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेम्बर खड़े होकर कहे कि किसने शिकायत की है, किसने धमकी दी है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : तीन दफा कहा है उन्होंने....

श्री भैरोंसिह शेखावत : तीन दफा कहा है कि धमकी दी है।....

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां।

श्री भैरोंसिह शेखावत : धमकी इसलिए दी है, जो मुझे अभी मालूम हुआ है कि आप आये हैं डूंगरगढ़ से और मामला उठा रहे हैं ब्यावर का, तो ब्यावर के एम.एल.ए. ने कहा कि हमारे दस्तखत क्यों नहीं करवाए। अब यह क्या धमकी है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह धमकी नहीं है।....

श्री भैरोंसिह शेखावत : बस तो खतम हुआ केस।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह आप क्या बात कर रहे हैं, हमारा रूल्स का सवाल है।...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री व्यासजी बिराजिए। माननीय श्री जुबेर खान जी। (व्यवधान)....माननीय श्री जुबेर खानजी।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है तो हम सब मान लेते हैं, जो मुख्य मंत्रीजी ने कहा है वह सच्चाई है, वह खुद कह दें हम मान लेंगे। पर असलियत यह है कि जो कुछ भी कहा गया वह बुरा हुआ है यह उनको कहना चाहिए। इस तरह से हाउस में नहीं होना चाहिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं होना चाहिए। मैं भी यह चाहता हूं कि नहीं होना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने आपर मोशन दे दिया है, इनफार्मल मोशन नहीं दिया है मैंने। मैंने मोशन मूव कर दिया है लिखकर और हाउस के रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि इतना सीरियस मैटर....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी बिराजिए आप। डाक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं ?

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक गोली कम्पोज की खाकर बैठा करें ताकि नाराजगी कम हो।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

सर, अभी आपने यह कहा है कि मौखिक तौर पर आप विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। हमने राज-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

स्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 157-158 के तहत आपको लिखित सूचना दे दी है अब आप उस सूचना के आधार पर हमको मौका दें ताकि इस मामले पर अपनी बात कहें।

श्री उपाध्यक्ष : अभी-अभी यह प्राप्त हुआ है, इसके ऊपर विचार कर लिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं मिलने पर तत्काल उस पर निर्णय दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या इसकी इम्पोर्टेंस खतम हो जायेगी ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : निर्णय रिजर्व रखा जाता है। माननीय श्री जुबेर खान जी।.... (व्यवधान) कृपया बिराजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य ने तीन बार कहा है कि मुझे प्रश्न उठाने पर यहां धमकी दी गई है और मुझे अपने विधायी कार्य में चोट पहुंचाई है।...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह एक तरीके से किसी भी विधायक के स्वतन्त्रा-पूर्वक कार्य करने में निश्चित रूप से बाधा है और सदन में स्वयं डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को कहा है और आपने सुना है, सारे सदन ने सुना है कि तीन बार मुझे यह धमकी दी गई है कि मैं इस प्रश्न को न पूछूं। इसके बावजूद आप समझते हैं कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब अभी आपने जो प्रश्न उठाया है और जिस विषय में हमें जानकारी मिली है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे तो आपसे सूचना मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : उसके निर्णय को रिजर्व रखा जा रहा है और इस पर व्यवस्था दे दी जायेगी। बिराजिए आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहता हूं कि आप मान लीजिए कि मुझे यहां पर धमकी दी गई है ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब बिराजिए आप। माननीय श्री जुबेर खान जी।...(व्यवधान)....माननीय कल्ला जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं।....

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह विधायी कार्यों में हनन नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और सदन को चलाने में सहयोग देना चाहिये आपको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप नियमों पर व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। हां, व्यवस्था दे दी जायेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं नहीं, नियमों के तहत व्यवस्था का सवाल नहीं है पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जुबेर खान।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, आसन पर आप बिराजमान हैं पर मुझे मालूम नहीं कि मुख्य मंत्री जी जब सदन में होते हैं तो आपकी आवाज क्यों बढ़ जाती है ? यह क्या कारण है ? मुख्य मंत्रीजी जब सदन में नहीं होते हैं तो आपकी आवाज नहीं बढ़ती....

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई कारण नहीं है। जब व्यवधान होता है उस समय बोलना पड़ता है। माननीय जुबेर खान जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी के प्रोटेस्ट में मैं जाता हूं।....(व्यवधान)....

श्री केदारनाथ शर्मा : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन। आप चेयर पर बिराजमान हैं, आपकी व्यवस्था हमेशा के लिए लागू हो जायेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने व्यवस्था यह की है कि जब तक आप लिखकर नहीं देंगे तब तक चेयर नोटिस नहीं लेगी आपकी शिकायत पर। इसलिए इस व्यवस्था पर आप पुनर्विचार करें। क्योंकि एक माननीय सदस्य ने दो बार विद इम्फेसिस उसने कहा है कि मुझे किसी माननीय सदस्य ने आकर धमकी दी है। यह नोटिस काफी है मोर देन रिटंन नोटिस इसलिए अब आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विचार कर लेंगे, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में निवेदन किया जा चुका है और यह जो पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है, लिखित में सूचना भी मिल गई है इसको हम रिजर्व रखते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नियमों में यह प्रावधान है कि पहले आपको टेक-अप करना पड़ेगा। जब हाउस के अन्दर यह मेटर आ गया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में शिकायत पेश करता....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यास जी तत्काल कोई निर्णय देने की व्यवस्था नहीं है। नियमों में तत्काल ऐसी व्यवस्था नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नियमों में यह है कि मुख्य मंत्रीजी सदन के नेता हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यास जी बिराजिए आप। माननीय व्यास जी सदन को चलाने में सहयोग करेंगे आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता महोदय से जानकारी चाहता हूं कि एक बात तो जो वरिष्ठ सदस्य माननीय प्रोफेसर केदार ने कही है वह सही है कि लिखित की जरूरत नहीं है जहां ओरल सब्मिशन अगर हाउस के सामने हो गया और यह फैक्ट्स आ गया कि एक मेम्बर को धमकी दी गई है तो यह बिल्कुल ब्रीच आफ प्रिविलेज कान्स्टीट्यूट करने के लिए पर्याप्त है और आसन के नोटिस में आने के बाद आसन दूसरे बिजनेस को प्रोसीड नहीं कर सकता है जब तक इसके ऊपर फैसला नहीं करे। अब आप इसको प्रिविलेजेज कमेटी को भिजवाएं या जो भी उचित है वह फैसला करें। पर इसके ऊपर निर्णय लेना पहले अनिवार्य है और नियमों के परिहार्यता है।

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल यह बात स्वीकार कर ली गई और व्यवस्था दे दी जायेगी। बिराजिए आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन नियमों के अन्तर्गत पहले व्यवस्था देनी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दे दी है। बिराजिए आप। माननीय श्री जुबेर खान।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

गोविन्दगढ़ (अलवर) में महाविद्यालय खोला जाना

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत कस्बा गोविन्दगढ़ जिला अलवर में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

निवेदन है कि राज्य सरकार के वित्त मन्त्री के रूप में माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने वर्ष 991-92 के अपने बजट भाषण में प्रदेश में 5 राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। अब तक 4 महाविद्यालय प्रदेश में खोले जा चुके हैं और पांचवा खोलने के लिए सरकार को निर्णय लेना है। इस सम्बन्ध में मेरा सदन के माध्यम से यह निवेदन है कि कस्बा गोविन्दगढ़ जिला अलवर एक दूरदराज का कस्बा है जिसके लगभग :0 किलोमीटर के अगल-बगल में कोई महाविद्यालय उपलब्ध नहीं है। अगल-बगल के उसके आस-पास के क्षेत्र में लगभग 10 सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं और 1100 के लगभग छात्र-छात्राएं हर साल 1?वीं कक्षा पास करके निकलते हैं। वहां की पंचायत ने 36 बीघा जमीन महाविद्यालय के लिए रिजर्व रखी हुई है और 42 कमरें....

श्री उपाध्यक्ष : क्या आपको मौखिक याद है ? व्यवस्था के अनुसार पढ़िये उसे।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप टेली कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो लिख रहा है वही पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री जुबेर खान : मेरी इतनी आई साइट है कि जो रखा हुआ है वह देख पा रहा हूं और यह जरूरी नहीं है कि यहां पर रखूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसा मत रखिए लेकिन पढ़िए उसे।

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होस्टल भी 50 छात्रों का मौजूद है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने 1987 में एक जांच दल गठित किया था जिसको वहां पर भेजा गया था कि वह वहां पर जाकर यह पता लगाये कि राज्य सरकार के मापदण्डों के अनुसार कस्बा गोविन्दगढ़ में महाविद्यालय खोला जाना उपयुक्त होगा या नहीं। 1987 में उस दल ने सिफारिश कर दी कि वहां पर कालेज खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है। मेरी इस संबंध में माननीय मन्त्री महोदय से, जो इसके प्रभारी इन्चार्ज हैं, श्री रतनलालजी जाट है

(९४)

(श्री जुबेर खान)

उनसे भी सम्पर्क किया है। उन्होंने भी कहा है कि जांच दल की सिफारिश के आधार पर वहां कालेज खोला जाना उपयुक्त है और माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने गत सत्र में, 19.9.91 को विधान सभा में आश्वासन दिया था कि मापदण्ड के आधार पर वहां कालेज खोला जा सकता है तो इसी सत्र में वहां महाविद्यालय खोल दिया जायेगा। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि मुख्य मन्त्रीजी यहां मौजूद हैं। मैं अनेकों बार व्यक्तिगत तौर पर भी जनता की मांगों को लेकर उनसे मिलता रहा हूं और उन्होंने स्वयं ने भी गोविन्दगढ़ कस्बे में जाकर पब्लिक मीटिंग में ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जुबेर खान जी पढ़िए आप।

श्री जुबेर खान : मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी बिराजमान हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आश्वासन के मुताबिक और जनता की मांग के अनुसार वहां महाविद्यालय खोलने का कष्ट करें। धन्यवाद। जयहिन्द। ....अब माननीय मुख्य मंत्रीजी चले जायेंगे। ऐसे ही हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

टेम्पो/आटोरिक्शाओं में आवागमन करने वाले स्कूली बच्चों की सुरक्षा के सम्बन्ध में

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत टेम्पो व आटोरिक्शाओं में आवागमन करने वाले स्कूली बच्चों की सुरक्षा की ओर माननीय मंत्रीजी व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

मान्यवर, जोधपुर शहर सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में हमें आये दिन टेम्पो, आटोरिक्शाओं में भेड़-बकरियों की तरह ठूंसे हुए अबोध बच्चे स्कूल आते-जाते दीख पड़ते हैं। उन टेम्पों, आटोरिक्शाओं द्वारा भराव क्षमता से ज्यादा बच्चों को ठूंस-ठूंस कर भरना एक ओर जहां यातायात नियमों की अवहेलना है, वहीं यातायात अवरूद्ध होता है और उन बच्चों का जीवन भी सुरक्षित नहीं रहता है। हम आये दिन किसी न किसी ऐसी दुर्घटना के साक्षी हो जाते हैं। इस बारे में माननीय यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

सदन में यातायात मंत्रीजी की उपस्थिति का लाभ लेते हुए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि यातायात नियमों की अवहेलना करते निरीह एवं अबोध बालकों के जीवन की सुरक्षा को ताक में रखते अपने धन लाभ को जुटे ऐसे टेम्पों व आटोरिक्शाओं पर तुरन्त पाबन्दी लगाएं। ऐसे विद्यालय जिनके छात्र-छात्राओं को आवागमन के लिए टेम्पो, आटोरिक्शाओं में आना पड़ता है। उनके संचालकों को अपने निजी वाहनों (मिनी बसों) इत्यादि के लिए प्रोत्साहित करें ताकि उनका नियन्त्रण अबोध बच्चों के जीवन की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करें और किसी भी परिवार को अनहोनी का सामना नहीं करना पड़े।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

इसी सन्दर्भ में प्रदेश के पूर्व राज्यपाल महोदय, श्री ओ. पी. मेहरा साहब ने भी इसके बारे में काफी कुछ कहा था फिर भी इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये मैं यह चाहती हूं कि श्री शेखावत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके बारे में जरूर ध्यान देगी। क्योंकि बच्चे आने वाली पीढ़ी के भावी होते हैं उनके लिये सुरक्षा का प्रबन्ध करेगी। स्कूलों में जाने वाले बच्चों के लिये, जो स्कूल चलाते हैं उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिये यातायात मंत्रीजी जो हमारे गृह मंत्रीजी भी हैं वह जरूर इस बारे में सोचेंगे। क्योंकि आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं उससे बचने के लिये कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्रीजी आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह (यातायात मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर से यह चिन्ता का विषय है कि बच्चों को टैम्पों के अन्दर जिसकी कैपेसिटी चार पांच की हो उसमें पन्द्रह-पन्द्रह भर कर जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैंने परसों ही मीटिंग ली है और परिवहन अधिकारी को और पुलिस को दोनों को बुलाकर बैठक ली है और यह कहा है कि इसकी स्ट्रिकली चैकिंग करें और किस तरह से इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। जो दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटना ऐसा है वह न मेरे कण्ट्रोल का है न किसी का है। दुर्घटना का मतलब आपके हमारे बीच का नहीं है पर जहां तक रोका जा सकेगा निश्चित रूप से रोका जायेगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर वाद-विवाद नहीं होता।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं कोई वाद-विवाद नहीं कर रही हूं यह बच्चों के भविष्य की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : बच्चों के विषय में माननीय यातायात मन्त्री जी ने चिन्ता जाहिर की है और व्यवस्था कर रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास . मैं कुछ बात कहना चाहती हूं। यह कोई वाद-विवाद थोड़े ही हुआ, साहब। यह मेरा निवेदन है कि मैं यातायात मन्त्री जी से और ऊंचे अधिकारियों से भी निवेदन करू आपने कहा है मगर आज की तारीख तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मैं आये दिन यह कहती हूं....

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, परसों तो मैंने मीटिंग ली है और आज आपका यह प्रश्न आ गया। थोड़ा सा इन्तजार तो कर लो आप।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की गृह मन्त्री जी ने और यातायात मन्त्री जी ने व्यवस्था की, माननीय सदस्या ने एक प्रश्न उठाया और उसका जवाब दिया यह परम्परा अगर सभी मन्त्री अपना लें तो कई ऐसे वाजिब प्रश्न आते हैं अभी जुबेर जी ने एक प्रश्न इसी मामले का उठाया था लेकिन अगर सभी मन्त्री गृह मन्त्री जी से प्रेरणा लें और सभी जवाब दे दिया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दन सिंह जी विषय की गम्भीरता एवं जटिलता को देखते हुए तत्काल कभी-कभी उत्तर भी नहीं दिया जा सकता। जिस समस्या का समाधान हो सकता है उसी का तत्काल उत्तर दिया जा सकता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

आवासन मण्डल की पारिजात योजना के तहत रजिस्ट्रेशन

माननीय महावीर प्रसाद जी जैन, श्री भंवरलाल जी शर्मा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी का ध्यान पारिजात योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशन किया गया था, पहले मन्त्री जी बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : हां, नियमों के अनुसार यही है। बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष जी, नियमों में जो व्यवस्था है वह इस प्रकार से है कि पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाने वाला माननीय सदस्य मन्त्री जी का जो उन्होंने संक्षिप्त विवरण दिया है उसको पढ़ कर के या उस को मौखिक बोल कर के मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे और तब मन्त्री जी उसका जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था है, माननीय हरि सिंह जी उसके अनुसार केवल सम्बन्धित सदस्य ही खड़े होकर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं।

श्री हरिसिंह : मेरा सबमिशन है आप इनका पुनरावलोकन कर लें। व्यवस्था तो यह है आप इनको दुबारा दिखवा लें कि माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित करेंगे मंत्री जी का और सिर्फ यह कहने मात्र से ध्यान आकर्षित नहीं होता मन्त्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, इनको एक शार्ट स्टेटमेण्ट देने के लिये अधिकृत हैं, उनको बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सब कुछ पूर्व में सूचित होता है इसलिये यह व्यवस्था है।

माननीय भंवरलाल जी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो मकान की पूरी लागत पहले जमा कराकर शीघ्र मकान लेना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिये आवासन मण्डल ने स्ववित्त पोषित योजना कुछ पूर्व प्रारम्भ की थी। इस योजना के अन्तर्गत आवेदक मकान की लागत का मूल्य चार किश्तों में जमा कराते हैं तथा आवासन मण्डल उसे दो वर्ष की अवधि में मकान उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। मण्डल न तो आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि पर उसे ब्याज देता है और न ही मकान के निर्माण व्यय पर आवेदक से ब्याज लेता है। लागत पर ब्याज का भार न लगने से ऐसे मकान सामान्य मकानों से कम लागत के होते हैं।

पारिजात योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग तृतीय श्रेणी क्वार्टर मानसरोवर योजना वर्ष 1988 के पंजीकृत आवेदकों को दो वर्ष की अवधि में मकान आवंटित

(श्री भंवरलाल शर्मा)

किया जाना प्रस्तावित था। मण्डल यह प्रयास करता है कि दो वर्ष की अवधि में ही आवेदकों को आवास आवंटित कर दिया जावे। लेकिन अवाप्त की जा रही भूमि पर अनाधिकृत कब्जा होने या न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने आदि के कारणों से आवासों का समयावधि पर निर्माण किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। कई बार न्यायालयों द्वारा यथा स्थिति बनाये रखे जाने के आदेश भी पारित कर दिये जाते हैं। इस कारण से भी उस भूमि पर मण्डल द्वारा निर्माण की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होता। जैसे ही भूमि अवाप्त हो जाती है अथवा न्यायालय से निर्माण कार्य करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है मण्डल इस योजना के आवेदकों के लिये आवास की योजना अविलम्ब प्रारम्भ कर देता है।

मानसरोवर योजना, पारिजात योजना, उच्च आय वर्ग क्वार्टर तृतीय श्रेणी तृतीय वर्ष 1988 में आवासीय अभियन्ता द्वारा यह सूचित किये जाने पर कि मकान पूर्णतया तैयार है एव उन्हें लाटरी निकाली जाकर आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है। दि. 31.10.91 द्वारा मुख्यालय में लाटरी आयोजित कर सम्बन्धित आवेदकों को आवास आवंटित कर दिये गये। आवंटन पत्र के द्वारा मांगी गई राशि का आरक्षण पत्र में मांगी गई राशि और वास्तविक लागत में दस प्रतिशत तक का अन्तर हो तो उसमें मण्डल द्वारा एक माह का समय आवंटी को शेष राशि जमा कराने हेतु दिया जाता है लेकिन अगर आरक्षण पत्र में मांगी गई राशि एवं व्यवसायिक लागत में, वास्तविक लागत में दस प्रतिशत से अधिक का अन्तर हो तो आवंटी को तीन माह के अन्तर्गत राशि जमा कराने का अवसर दिया जाता है। यह अन्तर समय के अनुसार कीमतों की वृद्धि आदि कई कारणों से होता है।

चूंकि आवासन मण्डल सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरह ही काम करता है अत: ठेकेदार के काम छोड़ने से भी विलम्ब एवं अनुमानित राशि में अन्तर आता है। योजना के नियमानुसार दो वर्ष से अधिक जमा राशि पर मण्डल द्वारा 6 प्रतिशत की दर से ब्याज देता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :-

(1) मण्डल द्वारा भूमि अवाप्ति के पश्चात् भूमि को विकसित करके एवं उसमें सड़क, बिजली, पानी की लाइन, सीवरेज लाइन आदि लाने पर जो राशि व्यय होती है वह मण्डल द्वारा ही खर्च की जाती है। यही नहीं बल्कि न्यायालयों या उच्च न्यायालयों के आदेश के अनुसार मण्डल काश्तकारों को अवाप्त की गई भूमि की देय राशि पर पूर्ण अवधि का ब्याज जो 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक होता है काश्तकारों को भुगतान करता है। इसके साथ ही मण्डल को पूर्ण भूमि का समय-समय पर विभिन्न विकास खर्च पर ब्याज भी देना होता है। राजस्थान आवासन मण्डल न लाभ-न हानि के सिद्धान्त पर कार्य करता है। इसी कारण कुल मदों पर हुई खर्च की राशि

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सम्मिलित करने पर उच्च वर्ग के लिए विकसित भूमि की कीमत की विकास दर 295 प्रति वर्ग मीटर ली गई है जो बाजार मूल्य से बहुत ही कम है। इससे स्पष्ट है कि मण्डल द्वारा जो राशि आवेदकों से वसूल की जा रही है वह उचित है।

(2) यह कहना उचित नहीं है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जो 18 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है वह विलम्ब के कारण ही लिया जाता है जबकि वास्तविकता यह है कि मण्डल द्वारा जो 18 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है वह मण्डल द्वारा निर्माण कार्य पर व्यय की गई अतिरिक्त पूंजी राशि पर ही 15 माह की अवधि के लिये लिया जाता है।

(3) मण्डल का यह प्रयास रहता है कि आवासों का निर्माण कार्य पंजीकरण के तुरन्त पश्चात् प्रारम्भ किया जावे लेकिन कभी-कभी भूमि उपलब्ध नहीं होने या उपलब्ध होने पर उस पर अतिक्रमण होने एवं न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश देने के कारण अन्यथा अन्य प्रशासनिक कारणों से यह कभी-कभी सम्भव नहीं हो पाता है।

मण्डल के नियमों में यह प्रावधान है कि दो वर्ष से अधिक जमा राशि पर आवेदकों को 6 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाये जबकि आवेदक की समस्त राशि उसके आवास के निर्माण में व्यय हो चुकी होती है अतः यह कहना उचित नहीं है कि मण्डल आवेदकों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करता है। मण्डल द्वारा जो 18 प्रतिशत की दर से ब्याज आवेदकों से वसूल किया जाता है वह मण्डल द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई राशि पर देय ब्याज राशि के कारण ही वसूल किया जाता है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं से स्थिति स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है कि मण्डल न लाभ न हानि के सिद्धान्त पर कार्य कर रहा है एवं आवेदकों से उतनी ही राशि वसूल की जाती है जितनी नियमानुसार वसूल की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर प्रसाद जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय जयपुर के रहने वाले हैं। काफी व्यस्त रहते हैं। मैं समझता हूं कि विभाग ने जो भी उत्तर भेजा है उसी को आपने आज पढ़ा है। शायद आप स्वयं भी सन्तुष्ट नहीं होंगे आपने जो जवाब दिया है। वैसे तो एक मन्त्रीजी यहां पर आए हैं मन्त्रिमण्डल के सदस्य दुःखी हैं, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि हमने एक कमिटमेंट किया था कि दो साल में हम मकान बनाकर आपको दे देंगे। आवासन मण्डल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इस कारण से इस योजना का प्रारम्भ किया है यह कहा गया कि हम यह योजना प्रारम्भ करते हैं और इसमें इन्होंने भूमि अवाप्त कर ली उस पर इनको मकान बनाने का और मकान बना कर देने का था। जिस प्रकार इन्होंने एक कन्जूमर को, एक आवेदक को बांधा उस प्रकार यह स्वयं भी उस

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

योजना में बंध गये और इन्होंने कहा कि पहली किश्त एक महीने तक जमा करानी होगी, दूसरी किश्त तीन महीने में जमा करवानी होगी, तीसरी किश्त आपको 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने में चार किश्तों में आपको जमा करानी पड़ेगी और यह वायदा किया गया कि इन चार किश्तों के जमा होने के बाद दो साल बाद आपको मकान सम्भलवा देंगे जो पूर्ण मकान नहीं होगा। उसमें इस योजना के तहत यह छूट दी गयी कि यदि कोई यह चाहे कि अपने खिड़की, दरवाजे और फिनिशिंग जो अपने हिसाब से करना चाहे कर लें केवल उनको ढांचा खड़ा करना था। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपनी किताब जारी की उसमें स्पष्टतया यह कहा गया, आपके पेज 7 – 12(6) में कि आवेदक किश्त जमा कराने में यदि चूक नहीं करता है तो मण्डल उसे दो वर्ष के भीतर मकान का कब्जा सौंप देगा। और यदि मकान का कब्जा दो साल तक नहीं सम्भलवा सके तो उस पर 6 प्रतिशत ब्याज वह देंगे लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, पूरे पैसे ले लिये और उसके बाद आप कहते हैं कि हम न तो लेते हैं और न देते हैं हम तो बिना नफे के करते हैं.... (व्यवधान) किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं, कोई उत्तरदायित्व नहीं। यह आपने कोशिश नहीं की और जो मजबूर लोग हैं, जो बोल नहीं सकते, उनसे मिल नहीं सकते वह यह संवेदनशील सरकार, हम उपाध्यक्ष महोदय, सरकार में ट्रस्टी है, मालिक नहीं है। हमने घोषणा की है कि हमने गरीब को गणेश माना है। उसके बाद अधिकारी इस प्रकार की मनमानी करे, और हम मनमानी तरीके से छूट दें, उस पर 18 प्रतिशत ब्याज और वसूल करें। यानि गलती करें हम, कमिटमेंट करें और फिर उस कमिटमेंट को तोड़ें उस अवधि में आप इस प्रकार का उत्तर दिया गया जिसमें किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं। जमीन अवाप्त कर ली उसके बाद टेण्डर काल किये समय पर। उसके बाद उसको मकान बनाने के लिये, कार्यवाही करनी चाहिए वह की। यदि कोई अधिकारी या ठेकेदार जुर्म करता है और आवेदक को उसकी सजा दी जाये। मण्डल के पास इतने बड़े बड़े इन्जीनियर है, अधिकारी और कर्मचारियों को लगाया गया है क्या इसलिए कि इस प्रकार की योजनायें बना कर लोगों से छलावा करके, लोगों का धन लेकर उनके साथ यह अन्याय करेंगे, इस प्रकार का खिलवाड़ करेंगे। हमने नियम में यह व्यवस्था की है कि यदि इस प्रकार की चूक करते हैं, वह आवेदक जिन्होंने पैसा जमा नहीं करवाया समय पर तो हम उससे उच्च आय वर्ग वाले से 16 प्रतिशत और मध्यम आय वर्ग वालों से 15 प्रतिशत ब्याज लेंगे। आप उस पर 18 प्रतिशत ब्याज लगा रहे हैं। यदि चूक आवेदक की होगी तो उस अवस्था में आप उससे 18 प्रतिशत ब्याज लेंगे। अब कीमतें आपके कारण बढ़ जाये, दूसरी जगह आप भेदभाव करें। एक स्कीम में आप छूट दे दें और आप कहें कि लागत बढ़ गयी है उसका उत्तरदायित्व जैसे जे.डी.ए., नगरपालिका अधिनियम, नगर परिषद् अधिनियम में आपने व्यवस्था की है कि यदि कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं करेगा तो दण्डनीय अपराध होगा। हमारे मंत्री जी काफी संवेदनशील हैं और हम अपेक्षा भी करते हैं कि उनको संवेदनशील होना भी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

चाहिए। कानून की अवहेलना नहीं करवायें, कानून में उनके लिये दण्ड का प्रावधान किया है उसी प्रकार हमने यह भी व्यवस्था की है कि कोई अधिकारी, कर्मचारी जान-बूझ कर गलती करे, जानबूझ कर अति-क्रमण करवायेगा वह भी दण्ड का भागीदार हो। क्या मंत्री महोदय, ऐसे अधिकारियों या ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ जिन्होंने पूरी कार्यवाही नहीं की और अनुचित तरीके से पैसा वसूल किया जा रहा है इसको रोकने का कोई काम करेंगे ? उसके बाद यदि आपकी इच्छा हो तो उत्तर दीजिये क्योंकि वह तो किताब से भी हट कर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, कौन मंत्रीजी आये थे और कौन क्या कर गये उसका ठीक से खुलासा नहीं किया। मैं उसकी आवश्यकता भी नहीं समझता। मंत्री कोई रहे होंगे जब यह योजना प्रारम्भ हुई थी। यह योजना प्रारम्भ हुई थी 1987 में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनकी गलती अपने ऊपर क्यों ले रहे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : गलती कोई नहीं। योजना चालू की थी उन्होंने। अब आपका कहना है कि ठेकेदार जब चला जाता है या ठेकेदार जब बीच में काम छोड़ता है तो उस पर दुबारा चार्ज करने के बाद उस पर पैनल्टी लगा देते हैं। जो उससे पैनल्टी वसूल होती है, हम यह व्यवस्था करेंगे कि जो पैनल्टी उससे वसूली होती हैं उस राशि को जो आवेदक है उसमें से कम कर दिया जाय। जो ठेकेदार से राशि वसूल होगी, कोई पैनल्टी की राशि को आवेदक की कीमत में से कम कर देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : समय पर नहीं करोगे।

श्री उपाध्यक्ष : इससे ज्यादा सही उत्तर की आशा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना का अधिक लाभ मुझे दिखाई नहीं दिया इसलिए हमने इस योजना को बन्द भी कर दिया। अब आगे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हो गये, उनको जल्दी-जल्दी अच्छे मकान मिल जाये, समय पर मिल जाये इसकी कोशिश मैं जरूर करूंगा। अगर कोई मुझे यह बता दे कि किसी अधिकारी की गलती के कारण सब कुछ हुआ है तो मैं उस पर भी एक्शन लेने को तैयार हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, किस अधिकारी ने कहां पर, किस स्टेज पर गलती की है यह विभाग के उच्च अधिकारियों का या माननीय मंत्री महोदय का दायित्व है कि वह उन सब बातों का परीक्षण करें कि कहां पर गलती हुई है। एक आम....

श्री भंवरलाल शर्मा : वह हम कर लेंगे और ...

श्री उपाध्यक्ष : महावीर जी आपको तो सरकार की ओर से सारे आश्वासन मिल गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और जो ज्यादा रकम मांगी गयी है.... (व्यवधान) उसमें 18 प्रतिशत ब्याज लगाया गया वह आप नहीं लेवें। 18 प्रतिशत ब्याज उन पर लगाया गया है वह आप ले लें, जिनका पैसा पूरा जमा हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : 18 प्रतिशत ब्याज हम नहीं लेते। यह जो हमारे को व्यय करना पड़ता है मकान निर्माण के अलावा जिन संस्थाओं से ब्याज लेते हैं उनको देना पड़ता है। यह हमारे पास नहीं रहता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी तो मंत्री महोदय आपने ही लिया है पैसा उनसे।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो एजेन्सी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्री महोदय, हमने उन आवेदकों से मकान बनाने के लिए पैसा लिया है और यदि पैसा लिया है तो जब वित्तीय संस्थाओं को 18 प्रतिशत, 16 प्रतिशत ब्याज देंगे तो उनको क्यों नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कैसे हो गई चर्चा समाप्त।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या रह गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पूरी बात नहीं हुई। मंत्री महोदय उत्तर गोलमाल दे रहे है, उत्तर सम्पूर्ण नहीं है।

श्री महावीर प्रसास जैन : मैं सारे आपको पढ़ कर बताऊं। आपने यह महसूस किया कि आवासन मण्डल ने रजिस्ट्रेशन ज्यादा कर लिये। उनके पास पैसा नहीं है और इसलिए आपने उच्च वर्ग के और मध्यम वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया कि आइये हम आपको मकान बना कर देंगे। उसका उद्देश्य यह था कि पैसे इकट्ठे करके ले ले। जब उनसे पैसा लिया गया तो क्या उनके पैसे का उपयोग किया। उनको 18 प्रतिशत ब्याज देंगे? डवलपमेंट चार्जेज के नाम पर कहीं पर 186 रुपये वसूल किया गया और उस पर 290 रुपये वसूल करने के प्रयास किये जा रहे हैं। गलत एस्टीमेट दिया जा रहा है। उसको देख कर स्वयं इस प्रकार का निर्णय लेंगे कि उसको कम दिया जाय। जो अनजस्टिस हुआ है उसको ठीक किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में पूरा उत्तर दे चुके हैं। मंत्रीजी ने ऐसी व्यवस्था दी है कि सारे विषय को गम्भीरता से देख लिया जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं आया। मंत्रीजी को बताने दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह व्यवस्था है कि कुछ प्रश्न किये जा सकते हैं। डिबेट इस पर हो नहीं सकती वरना मैं बहुत बातें कह सकता हूं। सवाल यह है कि जो आपने कहा कि वहां पर अगर किसी ने ज्यादा वसूली की है तो आप मुझे बता दें कि ज्यादा वसूली की है। किस व्यक्ति से की है तो हम ठीक कर देंगे। ऐसी कौनसी बात है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनका दाम

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं बढ़ेगा यह भी तो आश्वस्त कीजिए अगर आप चार साल में देंगे तो गलती आपकी होगी न कि उपभोक्ता की होगी। आपकी शर्त दो साल में देने की है तो दो साल में केवल चार किश्त लेंगे और नहीं देंगे तो आप पूरा ब्याज देंगे और घाटा आप भुगतेंगे उससे और अधिक पैसा नहीं लेंगे। यह बताइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने या तो यह पारिजात योजना पढ़ी नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने पढ़ी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पढ़ी है तो मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूं जिसमें शर्त यह है कि आवेदक ने किश्त जमा कराने में यदि कोई चूक नहीं की है तो उसे मण्डल द्वारा दो वर्ष के भीतर मकान का कब्जा सौंप दिया जायेगा। यदि मण्डल इस अवधि में कब्जा नहीं दे पाता है तो दो वर्ष बाद कब्जा पत्र जारी करने की अवधि तक उसके द्वारा जमा कराई गई कुल राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज देगा। इस आधार पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बात आपकी किताब कह रही है और आपके अधिकारी इस बात को व्यावहारिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि जो दो साल में देने वाले थे, वह हम अब 4 साल तक भी नहीं दे सकते। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे ? वह बताइये आप।

गंग कैनाल लिंक चैनल को इन्दिरा गांधी नहर एवं सरहिन्द फीडर से जोड़ना

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम (3) के अन्तर्गत श्री हीरालाल इन्दौरा, श्री भंवरलाल (सुजानगढ़), श्री परसराम मोरदिया, श्री इन्द्रसिंह पूनिया, श्री सुनील विश्नोई, श्री विनोद कुमार, श्री प्रकाश चन्द बैरवा, श्री रामसिंह विश्नोई, श्री देवेन्द्र सिंह, श्रीमती सुचित्रा आर्य, श्री बुलाकीदास कल्ला, श्रीमती कमला भील, श्री प्रेमसिंह दहिया, सदस्य, विधान सभा गंग कैनाल लिंक चैनल को इन्दिरा गांधी नहर एवं सरहिन्द फीडर से बंदी देकर जोड़ने का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

आपका नाम नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आपका नाम है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय सिंचाई मन्त्री का ध्यान गंग कैनाल के जो लिंक चैनल बनने वाला है जिस पर लगभग 22 करोड़ रुपये की लागत खर्च हो चुकी है और जिस पर क्लोजर न मिलने से किसानों और उस क्षेत्र के लोगों को भारी असुविधा हो रही है, की ओर सिंचाई मन्त्रीजी का

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

ध्यान आकर्षित करते हैं। इनका वक्तव्य आने पर हम प्रश्न करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मन्त्रीजी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : लिंक चैनल कितनी बन गई और कितनी बाकी है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : पूरी बन चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मन्त्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में बहुत ही गम्भीरता से 24 तारीख को चर्चा हो चुकी है। माननीय प्रोफेसर केदार जो यहां के वरिष्ठतम सदस्य हैं, जो गंग कैनाल सिस्टम से प्रभावित होने वाले किसानों से सीधा सम्बन्ध रखते हैं और हमारे माननीय हेतराम जी, इन्होंने उस रोज भूख हड़ताल के माध्यम से सदन का और सभी का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस चर्चा में इस सदन के विपक्ष के नेता माननीय हरिदेवजी जोशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय परसराम जी मदेरणा, जनता दल के अध्यक्ष माननीय नत्थीसिंह जी और गंगानगर से आने वाले सभी माननीय सदस्यगण हीरालाल जी इन्दोरा, रामस्वरूप जी मेघवाल, विनोद कुमार जी, सुचित्रा जी उन्होंने अपने विचार रखे थे और मेरा यह मानना था कि बहुत ही गम्भीरता से सभी पक्षों ने इसे राजस्थान की समस्या मान करके और केन्द्रीय सरकार, हरियाणा और पंजाब सरकार में एक सामंजस्य स्थापित करके हल करने की बात उस वक्त सामने आई थी और सब इस बात से सहमत थे। मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा गम्भीर चर्चा इस पर आज हो सकेगी, इसमें मुझे शंका है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि उस चर्चा के बाद राजस्थान के मुख्य मन्त्री माननीय भैरोंसिह जी शेखावत ने पुन: केन्द्र सरकार को मैसेज भेज करके और आनरेबिल प्राइम मिनिस्टर को यह निवेदन किया है 28.2.1992 को कि पंजाब को प्रभावित करके यह क्लोजर हमें देने के बारे में अपना योगदान करें। इसके साथ-साथ मुख्य सचिव स्तर पर भी यह चर्चा हो चुकी है दिल्ली में भी और पंजाब में भी और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए रखना चाहता हूं कि आप इस बात को देखिये कि हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री से भी माननीय शेखावत साहब ने चर्चा की है क्योंकि हरियाणा से इसका सम्बन्ध है। जहां तक क्लोजर देने की बात है, वह भू-भाग हरियाणा से सम्बन्धित है और अब पंजाब में भी माननीय बेअंत सिंह जी की सरकार आ गई है, यह कांग्रेस की सरकार है, यह उस समय बनने वाली थी जिस रोज 28.2.1992 को चर्चा हुई। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर पूरी चिन्तित है। यह गंग कैनाल से सिंचाई होने वाले प्रभावित क्षेत्रों का मसला नहीं है, यह पूरे राजस्थान का मसला है। हम और हमारे माननीय सदस्य बुलाकीदास कल्ला और जिन लोगों ने आज ध्यान आकर्षित

(श्री कैलाश मेघवाल)

किया है, अगर वह सब इसमें प्रभावी ढंग से राजस्थान सरकार की मदद करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, केन्द्र सरकार और राजस्थान मिलकर इस समस्या को प्रभावी ढंग से राहत देने वाला कोई हल निकालने का प्रयत्न करेंगे इसमें राज्य सरकार पूरी तरह चिन्तित है, जागरूक है और अपने स्तर पर प्रयत्नशील रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंग कैनाल का लिंक चैनल काफी समय से बनकर तैयार हुआ पड़ा है। केवल मात्र क्लोजर लेकर उसको जोड़ने की बात है। अभी आज के समाचार पत्रों में हरियाणा के मुख्य मंत्री ने राजस्थान के मुख्य मंत्री की सलाह पर यह आश्वासन बीकानेर की एक सभा में दिया है कि वह इस सम्बन्ध में राजस्थान की मदद करेंगे। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वह सब काम छोड़कर, राजस्थान का यह अहम मसला है क्योंकि पुरानी गंग कैनाल जर्जर हो चुकी है, उसकी फ्लो केपेसिटी 40 प्रतिशत भी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में जब तक यह नई लिंक चैनल पर्याप्त रूप से नहीं जोड़ेंगे, पर्याप्त रूप से इसमें पानी नहीं आने लगेगा, तब तक इस क्षेत्र के किसानों की हालत बहुत खराब हो जायेगी। अभी एक-डेढ़ महीने की अवधि क्लोजर के लिए प्रस्तावित की गई हैं, यह किसानों के लिए भी उपयुक्त है, इस समय कोई रबी की फसल आ जायेगी उसके बाद सोइंग का कोई सीजन नहीं है। इसलिए मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि सब कामों को छोड़कर चाहे विधान सभा में भी 2-3 दिन माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं रहे विधान सभा चलती रहेगी, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देकर इस क्लोजर को लेकर गंग कैनाल का जो लिंक चैनल बना है उसको जोड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में इन दिनों में प्रधान मंत्री से कब मिले, उन्होने आपको इस सम्बन्ध में क्या कहा और आपको कब तक यह क्लोजर मिलने की उम्मीद है?

श्री उपाध्यक्ष : सुचित्रा जी, आप बोलना चाहेंगी? इस विषय पर माननीय प्रोफेसर केदारनाथ जी कुछ बोलेंगे।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : मान्यवर, इसमें चर्चा की जरूरत नहीं थी क्योंकि 24 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी हाउस की कन्सेन्शस लेकर, सारे दलों की एक किस्म से स्वीकृति लेकर के एक डेफिनेट कमिटमेंट दिया था कि अप्रेल के अन्दर कोशिश करेंगे कि क्लोजर मिल जाय और इस दौरान पी. एम. से बात होगी, हरियाणा के मुख्य मंत्री से बात होगी और पंजाब के नये चुनावों के बाद जो नये मुख्य मंत्री आए हैं, उनसे भी बात करने का मौका मिलेगा। मैं इतना ही निवेदन कर दूं आपकी मार्फत कि प्रधान मंत्री ने इस बारे में क्या कोई आश्वासन दिया, नम्बर एक। हरियाणा के मुख्य मन्त्री ने क्या आश्वासन दिया क्योंकि उनका भी इससे सम्बन्ध है और पंजाब के नये मुख्य मन्त्रीजी से आपको बातचीत करने का मौका मिला या नहीं और दूसरी बात जो हमारे 25 एम. पीज. हैं। हमारे दल का तो कोई एम. पी नहीं है,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

उनको भी आपने कोई ब्रीफ किया है क्योंकि वे भी वहां लोक सभा में अपना असर एग्जर्ट करे। वे बार-बार किसी न किसी ढंग से लोक सभा में सवाल उठा करके, पर्सनली मुलाकात करके, चेम्बर में बातचीत करके कोई रास्ता निकाले। यह भी एम. पीज. का बहुत बड़ा फर्ज है राजस्थान में क्योंकि मान्यवर, यह सवाल केवल गंगानगर का नहीं है, यह गलतफहमी है। यह राजस्थान की खुशहाली के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, दूसरा यह इन्टरस्टेट जितने भी मसले हैं, उनकी सेंक्टिटी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है और तीसरा यह हमारी सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ सवाल है। ये तीन पहलू बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं क्योंकि हमने जब इसको बनाया है तो उस वक्त पंजाब से हरियाणा से बातचीत हो गई, जब यह कंस्ट्रक्शन शुरू किया, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। हरियाणा को मुआवजा मिल गया और मुआवजे के साथ-साथ मान्यवर, हमने उनको 12 क्यूसेक्स पानी भी दे दिया है, वैसे वह उनके शेयर का पानी है। हमने अपनी ओर से पानी देने की इजाजत दे दी है, लिखित फैसला भी कर लिया अब क्योंकि पंजाब के चुनाव हो गये। मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस के बन्धु भी मुख्य जितने भी आदमी है, वे भी वहां क्योंकि बलराम जी एम. पी. यहां से हैं, उनका फर्ज है। इसके बारे में अपनी ओर से प्रयास करेंगे। मुख्य मंत्री जी भी उनके असर में है और दिल्ली में खुद भी कृषि मन्त्री हैं और हरियाणा के मुख्य मंत्री भी कांग्रेस के हैं। इसलिए कांग्रेस के मुख्य माननीय सदस्य जितने भी यहां हैं, उनका भी फर्ज है कि वे पर्सनल लेवल पर, पार्टी लेवल पर वहां बातचीत करके इसका हल निकाले क्योंकि अप्रेल तक समय निकल गया तो हमें एक साल आगे बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान कैनाल का होगा। यही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेतराम जी।

(2.00 म.प.)

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असल में यह जो क्लोजर है, इस क्लोजर का जो फर्स्ट फेज है, निश्चित रूप से उसकी अहमियत है, दूसरा क्लोजर जो है, वह हमें राजस्थान कैनाल से अपनी नहर से लेना है। मैं एक चीज माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि यह क्लोजर अप्रेल में बात हो रही है क्योंकि मैंने माननीय भजनलालजी का स्टेटमेंट अखबारों में पढ़ा है, उससे मुझे एक चिन्ता हो रही है। उन्होंने जिस क्लोजर के बारे में जिक्र किया है अगर वह अप्रेल में मिलता है तो निश्चित तौर से इस नहर को इस साल में नहीं बना सकेंगे क्योंकि यह क्लोजर है अगर सरहिंद नहर अप्रेल में बन्द होती है तो सरहिंद के बन्द होने का तो सिर्फ एक दिन का क्लोजर चाहिए, दो दिन का चाहिए क्योंकि पूरा डाइवर्सन पक्का बना हुआ है जो हमने आज से साल भर पहले बना लिया। उसमें पानी कैनाल से तोड़ना है जिसमें 2 दिन लगेंगे। इस साल में जो हमने क्लोजर चाहा है वह उसके बाद जब हम डाइवर्सन चालू कर देंगे नीचे से साइफन सरहिंद का, उस साइफन के ऊपर से हमको अपनी दीवार लिंक कैनाल

(श्री हेतराम बेनीवाल)

से जोड़नी है वह 300-300 फीट की दीवार है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। वह कंस्ट्रक्ट करने के लिए हर हालत में 15 या 20 दिन चाहिए और काम होगा हरियाणा में। अगर हम हरियाणा के साथ मिल जाय और हरियाणा मान जाय तो हम अपनी लेबर देकर के भी उनसे इस काम को 15-20 दिन में करा सकते हैं, यह एक काम है।

दूसरा काम होगा राजस्थान कैनाल के क्लोजर का जो सबसे सीरियस बात है। उसके बाद राजस्थान कैनाल को बन्द करके उसको बनाने में 15 दिन लगेंगे। वह नहर क्लोजर होगी अगर ये अप्रैल के महीने में उसको सरहिंद को क्लोजर करते हैं। इसका मतलब मई के महीने में राजस्थान कैनाल बन्द होगी और मई के महीने में अगर राजस्थान कैनाल बन्द हुई तो हमको करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा हमारी सारी फसलें चौपट हो जायेंगी। 8,000 क्यूसेक्स पानी हम यूज करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो कैनाल बनी है वह एक साल पहले बनी है और उस कैनाल में जो पानी छोड़ा जायेगा वह फेजवाइज छोड़ा जायेगा। यह नहीं कि हम दिन में छोड़ दें क्योंकि उस कैनाल को एक साल हो गया इसलिए उसमें दोनों तरफ से हमको पानी छोड़ना पड़ेगा, गंग कैनाल की तरफ से और लिंक कैनाल की तरफ से। माननीय सिंचाई मन्त्री जी से मैं निवेदन करूं कि वह उस नहर को देखकर नहीं आये। एक बार बीच में कभी होली के दिनों में देखकर आयें यह बड़ा सेंसेटिव मामला है उस इलाके के लिए कि वह दोनों तरफ से शुरू करके हम इसको जल्दी से जल्दी शुरू करें। मुझे एक अपेक्षा और है और वह मैं निवेदन करूं कि गंगानगर जिले के लोगों को असली पानी तब मिलेगा जब हम दूसरी नहर को शुरू करेंगे। उसके लिए अभी तक योजना नहीं है। तो मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मन्त्री जी यहां हैं कोई आश्वासन देंगे क्योंकि जो सवाल उठाया है वह ऐसे पक्ष ने उठाया है जो इस पक्ष में सबसे ज्यादा असरदार हो सकता है। आज तीनों जगह उनकी सरकार है। केन्द्र में उनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है और पंजाब में उनकी सरकार है। ये तीनों सरकारें अगर मिलकर चाहें तो हमें वक्त से क्लोजर मिल सकता है। इसमें कोई भी शरारत करे तो हमारा इसमें नुकसान हो सकता है। मैं चाहूंगा इस मामले में सारा हाउस उसी तरह से जैसा पहले था, उस तरह से मदद करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय प्रो. केदारनाथ जी और हेतरामजी ने यहां पर इस मामले को उठाया था। उसके तुरन्त बाद मैंने प्रधानमन्त्रीजी को टेलेक्स के द्वारा इस सारे घटनाक्रम की सूचना दे दी और क्लोजर कितना आवश्यक है यह भी उनके ध्यान में मैं लाया हूं। उसके बाद भी पिछले सटरडे या सण्डे को दिल्ली गया था तो सम्भवत: इतवार होगा, उस दिन मैं प्रधान मन्त्री जी से मिला हूं और मिलकर यह विषय मैंने उनके सामने रखा। उस पर उन्होंने मुझसे कहा कि आज पंजाब के गवर्नर और पंजाब

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के मुख्य मन्त्री उनसे मिलेंगे और दोनों से मैं इसके ऊपर चर्चा कर लूंगा। उसी के साथ हरियाणा के मुख्य मन्त्री से मैंने चर्चा की थी। मैंने कहा कि आप रोज पंजाब के मुख्य मन्त्री से मिलते हैं। पंजाब के मुख्य मन्त्री सम्भवत गंगानगर की स्थिति से पूरे परिचित नहीं हैं। अतः आप प्रयत्न करके क्लोजर जल्दी से जल्दी उनको दिला दें, उसके लिए बातचीत करें। उनका वक्तव्य आज अखबारों में आपने सबने पढ़ा होगा कि उन्होंने उनसे बातचीत की है और पंजाब के मुख्य मन्त्री ने उनको एश्योरेंश दिया है कि यह क्लोजर हम अप्रेल के महीने में दे देंगे। अप्रेल से तात्पर्य मैं समझता हूं कि अभी यह नहीं है। 20 मार्च से क्लोजर देने की बात उस समय तय हुई थी। अब वह अप्रैल का महीना आता है या मार्च के महीने में आता है। क्लोजर के लिए मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से हमको मिल जायेगा।

दूसरा प्रश्न माननीय हेतरामजी ने उठाया कि राजस्थान कैनाल का पानी सरहिंद फीडर से क्लोजर मिलने के बाद में राजस्थान कैनाल का पानी हमें गंग कैनाल के ऊपर साइफन बनाकर या किसी प्रकार से पानी लेना पड़ेगा वह भी सरकार के ध्यान में है और उस दृष्टि से हम नहीं चाहेंगे कि जिस समय सिंचाई के लिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता हो उस समय कैनाल को बन्द करना पड़े। उसके पहले-पहले यह सारा काम हो जाय इसके लिए मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, मेरे हाथ में केवल प्रयत्न करना है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं इसमें कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हूं। कल्ला साहब कह रहे थे कि दिल्ली जाकर बैठ जाओ। मैं ऐसा समझता हूं कि दिल्ली मैं जाऊं उसके साथ अगर जोशी जी भी चलें और हम दोनों चलकर....

श्री बुलाकीदास कल्ला : जोशी जी ने कह दिया था आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात तो सुनो। दोनों चण्डीगढ़ चलें, दिल्ली चलने से काम नहीं चलेगा और चण्डीगढ़ में आप उनके साथ चलें तो और भी ज्यादा मुझे फायदा होगा क्योंकि आप बहुत खूबसूरती, बड़े दबंगपन से उनको कह सकेंगे कि हमारे ऊपर बहुत जबर्दस्त दबाव आ रहा है और इस काम को कीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप ले चलेंगे तो चले चलूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नहीं, जोशी जी साथ चलें। आप और जोशी जी जिस समय साथ चलें तो मुझे बता दें एक-दो दिन चलेंगे। अपन चलकर उनसे प्रत्यक्ष में बात कर लेंगे, सारी स्थिति बता देंगे और मैं चाहूंगा उस समय केदार जी और हेतरामजी भी साथ हों, एक डेपुटेशन के रूप में चलें तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है। इस मामले में जितनी चिन्ता आपको है उतनी ही चिन्ता हमको भी है। रुपया हमने खर्च कर दिया और उसके उपरान्त भी उसका उपयोग नहीं हो रहा है यह वास्तव में चिन्ता का विषय है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि यथाशीघ्र क्लोजर मिले और इस समस्या का समाधान हो।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। समितियों के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री श्री टीकमचन्द कान्त।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1992

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1991-92 राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा वर्ष 1983-84 में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यकलापों से सम्बन्धित अनुसूचित जाति कल्याण समिति 1985-86 के दूसरे प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर क्रियान्वित विषयक समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

वित्तीय समितियों का निर्वाचन

श्री उपाध्यक्ष : वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। माननीय मुख्य सचेतक जी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

(1) जनलेखा समिति 1992-93 :– इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 1992-93 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(2) प्राक्कलन समिति (क) 1992-93 :–इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (क) 1992-93 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(3) प्राक्कलन समिति (ख) 1992-93 :–इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (ख) 1992-93 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(4) राजकीय उपक्रम समिति 1992-93 :–इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233(ख)(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1992-93 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

वित्तीय समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा की चारों

(श्री उपाध्यक्ष)

वित्तीय समितियां अर्थात् जनलेखा समिति, 1992-93, प्राक्कलन समिति (क) 1992-93, प्राक्कलन समिति (ख) 1992-93 तथा राजकीय उपक्रम समिति, 1992-93 के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यक्रम प्रस्तावित है :–

मनोनयन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि : 13 मार्च, 1992 से 17 मार्च, 1992 मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक और मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक का।

मनोनयन पत्रों की जांच : 21 मार्च, 1992 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे तक

मनोनयन वापस लेना : 25 मार्च, 1992 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक

मतदान, यदि आवश्यक हो : 28 मार्च, 1992 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक।

मतपत्रों की गणना : 28 मार्च, 1992 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे से।

आय-व्ययक वर्ष 1992-93 पर अग्रेत्तर वाद विवाद

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था और बिजली पर बोल रहा था। मैं माननीय सदस्यों को और सदन के नेता को फिर यह जानकारी देना चाहता हूं कि जिन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया, लाइनें खींच दी, ऐसे गांवों की संख्या सात सौ से बढ़कर हजार तक है जिनमें एक भी कनेक्शन नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 28 गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे हैं जिनमें दो-दो साल से लाइनें खेंच रखी हैं आज तक एक भी कनेक्शन वहां पर नहीं दिया गया है और इस वर्ष जिन गांवों का विद्युतीकरण करना था वहां अब तक एक भी खम्भा विभाग के अधिकारियों ने नहीं गाड़ा है और फिर कहते हैं कि सरकार ने गांवों के विकास का काम किया है, सरकार किसानों का भला करना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को खेती करने के लिए बिजली मुहैया यदि समय पर करा दी जाय तो इस देश का, इस प्रदेश का बहुत भला हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि बिजली की जो वास्तविक दर है इस प्रकार से सुझाव मांगे हैं सदस्यों से, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री महोदय, आप इस तरह के सुझाव लेकर जिस तरह आपने पिछले टाइम चुपचाप पांच पैसा बिजली का पर यूनिट बढ़ा दिया उसकी आड़ में कहीं किसानों का अहित करते हुए आप बिजली की रेट न बढ़ा दें। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जब विपक्ष के नेता थे, हम बहुत सुनते थे कि किसानों के हित में जो भी सरकार काम करती है, अहित करती है, वह किसानों की हितैषी नहीं हो सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि बिजली के मामले में लोगों के पैसे जमा कर रखें हैं तुरन्त योजना में और उनको आज तक कनेक्शन नहीं दिये गये और माननीय मन्त्रीजी कह रहे हैं कि हम कनेक्शन देंगे। दो-दो साल हो गये लोगों के पैसे जमा हुए, फर्स्ट जो उनकी राशि जमा हुई थी

(श्री परसादीलाल मीणा)

पर होर्स पावर की, उसके बाद आज तक उनको डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं किये और डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं किये तो उनको कनेक्शन कैसे दिये जायेंगे। विभाग के अधिकारी कुण्डली मार कर बैठे हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि मार्च, 1985 तक के अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों को कनेक्शन देंगे पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब तक डिमाण्ड नोटिस भी जारी नहीं किये हैं, कनेक्शन कहां से होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में इस तरह लिप्त हैं, एक-एक डिमाण्ड नोटिस निकालने से पहले किसानों से पांच-पांच सौ रुपये रखवाते हैं उसके बाद डिमाण्ड नोटिस निकालते हैं और कल सरकारी पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय कह रहे थे कि किसानों की बहुत हितैषी है, गांवों का बहुत भला किया है, 61 प्रतिशत राशि इन्होंने गांवों पर खर्च की है। मैं आपको पेयजल के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि इन्होंने पेयजल पर 1992-93 में कुल 104.37 करोड़ की राशि रखी है उसमें से 52.80 करोड़ की राशि इन्होंने शहरी लोगों के लिए रखी है और 51.57 करोड़ की राशि इन्होंने ग्रामीण जनता के लिए रखी है। मैं कहना चाहूंगा कि 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 3.42 करोड़ है उसमें से ग्रामीण जनता की जनसंख्या है वह 2.70 करोड़ है। 2.70करोड़ के लिए इन्होंने पैसा रखा है 51 करोड़ 37 लाख और 72 लाख जो शहरी जनसंख्या है उसके लिए रखा है इन्होंने 52 करोड़ रुपये और फिर सरकार कहती है कि हम गांवों का भला करेंगे। मतलब कितना फर्क इन्होंने रखा है ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कहते कि 51.5 पर्सेण्ट रखेंगे

श्री परसादीलाल मीणा : हां, 61.5 प्रतिशत हम गांवों पर खर्च करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आप अन्दाजा लगा लीजिए कि 72 लाख लोगों के लिए तो 52 करोड़ रुपये रखा है और 2.42 करोड़ लोगों के लिए रखा है इन्होंने 51 करोड़ रुपये, कहां से सरकार गांवों का विकास करेगी ? कल हमारे मुख्य सचेतक महोदय जोर-जोर से भाषण दे रहे थे कि सरकार गांवों का विकास करेगी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने जो किसानों का अहित किया है। तुरन्त योजना के तहत, मैं कहना चाहूंगा कि तुरन्त योजना में जो किसान सर्विस लाइन के पैसे जमा करायेगा तो सरकार उसका भुगतान नहीं करेगी और उद्योगों के लिए जो नई नीति इन्होंने जारी की है उसको मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि उद्योगों को रियायत देने के लिए जो सर्विस लाइन का पैसा उद्योगपति से लिया जाता था उसका इन्होंने समायोजन करने के लिए कहा है। इन्होंने एक आर्डर निकाला जून, 1991 में यदि कोई उद्योगपति अपने पैसे से सर्विस लाइन लेगा तो उसकी राशि का बिना ब्याज समायोजन कर दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य सचेतक महोदय से कहना चाहूंगा कि यह आपकी सरकार है, किसानों का भला करेगी ? किसान जो आज तुरन्त योजना में राशि जमाकर कनेक्शन मजदूरी पर ले रहा है, आप उसकी राशि का क्यों नहीं समायोजन करते ?

(श्री परसादीलाल मीणा)

इन्होंने एक आर्डर निकाला है-"सामान्यतः विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित उपभोक्ता से सर्विस लाइन का खर्चा लिया जाता है लेकिन नये औद्योगिक उपभोक्ताओं को सुविधा देने हेतु मण्डल ने जून, 1991 में यह आदेश जारी किये हैं कि नये वृहद् औद्योगिक उपभोक्ताओं से सर्विस लाइन की राशि ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में ली जाय एवं तत्पश्चात् इस राशि का समायोजन उपभोक्ता के मासिक बिलों में कर दिया जाय।" उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार गांवों की हितैषी हो सकती है ? यह सरकार किसानों की हितैषी हो सकती है ? यह किस तरह दावा करते हैं ? इनके लोगों को, जो गांवों से चुनकर माननीय सदस्य आते हैं, उन माननीय सदस्यों को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, गांवों की समस्याओं को रखने के लिए कि गांवों की किस तरह उपेक्षा की जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि इन्होंने गत वर्ष सैकण्डरी, मिडिल और हायर सैकण्डरी, प्राइमरी स्कूल खोले थे, इन्होंने सारे स्कूल तो पहले खोल दिये सैकण्डरी, मिडिल, जहां भी इनको शहरों में खोलने थे और गांवों के जो स्कूल इन्होंने एक हजार के करीब खोले हैं प्राइमरी स्कूलें, उपाध्यक्ष महोदय वह इन्होंने फरवरी, 1992 में आर्डर किये हैं। मैं पूछना चाहूंगा सरकारी मुख्य सचेतक महोदय से, जो सरकार की बहुत जोर से पैरवी करने के लिए आये थे, वह खड़े होकर जवाब दें कि आपकी इतनी सी नहीं चलती थी कि गांवों की स्कूलें जुलाई और अगस्त में खुलवा देते। अगर आपकी नहीं चलती तो आपको उन किसानों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है और इस्तीफा देकर अपने घर बैठ जाना चाहिए, इसी में भला है, नहीं तो किसान आपको अगली बार बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। इस तरह आप किसानों का भला करेंगे ? आप किसी भी बात पर ले लो, गांवों की घोर उपेक्षा हो रही है। चाहे पेयजल की बात ले लो, चाहे शिक्षा की ले लो, चाहे स्वास्थ्य की ले लो, चाहे आप दूसरे विकास कार्यों की देख लो, आज गांव में कौन सी सड़क बन रही है। आज जयपुर शहर में देख लो, सड़क ऐसी बनाई गई है, सारा पैसा, जो गांवों का था शहर की सड़कों पर खर्च किया गया है। ऐसी सड़क कहीं मुख्य सचेतक महोदय के कोई जरा सी है तो नहीं लग जाय, तकलीफ नहीं हो जाय, आज गांवों की सड़क की क्या हालत है। आज गांवों में लोग किस तरह, आपने तो साबित कर दिया, मैं कहना चाहूंगा, हम बामनवास उप चुनाव में गये थे, आप भी गये थे मुख्य सचेतक महोदय, आपने जिन गांवों को वहां इलेक्ट्रिफाइड कर दिया और वहां पर आज तक एक कनेक्शन नहीं हुआ, वहां पर आपने ऊर्जा मन्त्री जी को बैठाकर गांवों-गांवों में खम्भे डलवाये थे, अगर आपकी आंख में थोड़ा सा भी पानी है, थोड़ा सा भी आप अपना मान-सम्मान रखते हैं, उन खम्भों को मेहरबानी करके गड़वा दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको गांव के लोग और उन गांवों के लोग, जिनमें आप कह कर आये थे कि एक महीने में, दस दिन में चुनाव के बाद कनेक्शन करवा देंगे, आज आप वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। चाहे वोट नहीं दिया, कोई भी जीता, पर आपका यह कर्तव्य है

(112)

(श्री परसादीलाल मीणा)

कि ग्राप वहां जाकर उन खम्भों को गड़-वायें। मैं कहना चाहूंगा कि ग्राज गांव के सारे हैण्ड पम्प ग्राज खराब पड़े हैं। पहले पंचायत समितियां मेन्टीनेन्स करती थीं। ग्राज पानी के लिए, हमारे जन स्वास्थ्य मन्त्री जी कहते हैं कि हम दो हजार गांवों का इस साल करेंगे, एक हजार पिछले साल कर दिया। इस तरह के ग्रांकड़े देकर हमको कैसे गुमराह करना चाहते हैं कि हम इस साल दो हजार गांवों में कितने हैण्ड पम्प लगाये जबकि ग्रापकी घोषणा के मुता-बिक 1990-91 का ग्रापका जो प्रगति विवरण है उसमें ग्रापने केवल एक हजार गांवों को ग्रभावग्रस्त घोषित किया था। केवल एक हजार गांव ग्रापके ऐसे थे जिनमें ग्रब तक पानी नहीं पहुंचा है। ग्रापने 1991-92 में दो हजार गांवों को पानी सुलभ कराने के लिए कहा था, फिर इस ग्रापने दो हजार गांवों के लिए कह दिया कि हम दो हजार गांवों को ग्रौर कुछ ढाणियों, पांच सौ ढाणियों ग्रौर हरिजन बस्तियों को पानी देंगे।

ग्रापने कुछ किया भी है तो ग्रापके ग्रांकड़े हर साल बढ़ते जाते हैं। ग्राप गांव में काम करते नहीं, एक सामुदायिक जल प्रदाय योजना ग्रापने बनाई नहीं, ग्रापने कहीं ग्रापके समय में चालू नहीं की, ग्राप कितना गांव का भला करना चाहते हैं? माननीय मुख्य सचेतक महोदय मैं ग्रापको बहुत बड़ा किसानों का हितैषी मानता था पर जब मुख्यमन्त्री जी चालीसा पाठ कर रहे थे, ग्रपनी कुर्सी ग्रपना प्रमोशन बनाने के लिए तो मुझे हंसी ग्रा रही थी ग्रौर मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि हो सकता है इनका केबिनेट मन्त्री में ग्रब की बार नम्बर ग्रा जाये। पर ऐसा होने वाला नहीं है। कैबिनेट मंत्री से तो ग्रच्छा यह है कि ग्राप ग्रपने इलाके का काम करो ग्रौर ग्रगली बार यहां चाहे एम. एल. ए. ही चुनकर ग्राग्रो उसमें ग्रापकी शान है। ऐसे ग्राप यहां कैबीनेट मन्त्री क्या कुछ ग्रौर भी बन जाग्रो तो ग्रगली बार वहां की जनता नहीं ग्राने देगी....

श्री ग्रोमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हुग्रा मैं माननीय सदस्य से यही निवेदन करता हूं कि ग्राप जो बार-बार मेरे प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं उसका तो बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं ग्रौर मैं ग्रापको विश्वास दिलाता हूं ग्रौर मैं समझता हूं कि जयपुर जिले या दौसा जिले के माध्यम से ग्राप मुझे बार-बार सम्बोधित कर रहे हैं....

श्री परसादी लाल मीणा : ग्रापने भी तो मुझे किया था।

श्री ग्रोमप्रकाश गुप्ता :....ग्राप जो मुझे बार-बार सम्बोधित कर रहे हैं ..

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वहां कमला कमला हो रही है। इसलिए ग्रापको सम्बो-धित कर रहे हैं।

श्री ग्रोम प्रकाश गुप्ता : मेरे ग्रौर इनके बीच में बात हो रही है ग्रौर ग्राप बीच में ही बोल रही हैं। माननीय उपा-ध्यक्ष महोदय के माध्यम से बात हो रही है। उनकी क्यों याद दिलाती है, बड़ी कड़वी होगी। तो माननीय उपाध्यक्ष महो-दय, मैं निवेदन यह कर रहा था माननीय

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

सदस्य से कि मैं निश्चित रूप से आपके साथ बैठकर और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए जितना सहयोग आपका कर सकता हूं उतना निश्चित रूप से करूंगा।

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सहयोग करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरी जनता के काम कराने के लिए सजग रहता हूं। मुझे आपकी चिन्ता है कहीं अगली बार मेरी जोड़ी नहीं बिछड़ जावे...

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : इसकी चिन्ता आप मत करिये।

श्री परसादी लाल मीणा : इसकी चिंता है क्योंकि मुझे उधर का डर हो रहा है। उधर आपकी प्रतिद्वन्दी जो किसान नेता है उसका जोर ज्यादा हो रहा है इसलिए आपकी चिन्ता लग रही है।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : उन्होंने तो उपाध्यक्ष महोदय, आजकल व्यापार करना शुरू कर दिया ट्रेक्टर्स के पुर्जे बेच रही हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय सरकार ने वर्ष 1992-93 में एक हजार प्राथमिक शालायें, 100 उच्च प्राथमिक शालायें 80 माध्यमिक शालायें और 25 सीनियर माध्यमिक शालायें खोलने के प्रस्ताव रखे हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से कहना चाहूंगा कि आपने गत वर्ष भी शायद इन्हीं आंकड़ों पर खोले थे। आपने बहुत ही पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए किसी भी कांग्रेसी सदस्य के क्षेत्र में यह नहीं खोले। हमारी सरकार भी पहले पांच साल रही थी। चतुर्वेदी जी के इलाके में, दिग्विजय सिंह जी के इलाके में चाहे वह अपोजीशन के एम. एल. ए. थे इनकी भी स्कूलें खोली थी और मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपने न तो मेरे यहां एक मिडिल स्कूल खोली है और न कोई सैकेण्डरी खोली हैं, न किसी प्रकार की कोई हायर सैकेण्डरी खोली है और तो और हमारे यहां के लोगों से सरकार ने यह कहा था कि यदि आप 4 लाख रुपया दें तो हम आपके यहां कालेज खोल सकते हैं। वहां लालसोट के निवासियों ने कालेज की बिल्डिंग बना दी। वहां पर मौका देख आये आपके डाइरेक्टर और जोइंट डाइरेक्टर और मुझे शर्म आती है कहते हुए कि 4 लाख रुपये कहने के लिए आये तो आपकी सरकार के लोगों ने डाइरेक्टर ने और मुख्यमन्त्री जी ने हमारे लोगों से यह कहा कि इस साल नहीं अगले साल कालेज खोलेंगे। इस साल तो हमने बयाना, भवानी मण्डी और सलूम्बर में खोला है इसलिए इस साल सम्भव नहीं है। अब 4 लाख रुपये नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि लालसोट की जनता की ओर से हम 5 लाख रुपये भी आपको देने के लिए तैयार हैं। हम न तो आपसे कोई बिल्डिंग का पैसा मांगेंगे पर हमारे साथ भेदभाव क्यों? स्कूलें नहीं खोली आपने। आप वायदा करके पलट गये और इस साल का बजट देखें उपाध्यक्ष महोदय, एक भी कहीं कालेज का नामोनिशान नहीं है। क्या सरकार इसी तरह से गांवों का विकास करेगी? यह सारी स्कूलें जो आपने शहरों में खोली हैं, शहरों में जो एम. एल. ए. चुनकर आते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए यह बजट पेश किया है ....

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष मुन्सिफ कोर्ट के लिए तो सरकार को बधाई दें।

श्री परसादी लाल मीणा : अभी न्याय मन्त्री जो बैठे हैं। वह वास्तव में न्याय मन्त्री हैं। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि वह दूसरे मन्त्रियों की तरह वायदा करके बदलने वाले नहीं हैं। वह अपनी जुबान पर कायम हैं। उन्होंने मुझे हाउस में कह दिया था पहली बार ही कि जब भी कोर्ट खुलेगी तो जरूर खुलेगी। उन्होंने सबसे पहले लालसोट में खोली। उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी सरकारी निर्णय ही है।

श्री परसादी लाल मीणा : उन्होंने अपने पर्सनल बेस पर खोली है।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : हमने भी आपकी पैरवी की थी।

श्री परसादी लाल मीणा : आप पैरवी करते तो मेरे यहां कालेज खुल जाता। आपने मेरी काट की थी इसलिए कालेज नहीं खुला। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के कार्य सरकार ने कहीं शुरूआत नहीं किये। आपने देखा होगा माननीय मुख्य सचेतक जी कि जब पिछली बार हमारी सरकार थी अकाल राहत के तहत सारे जयपुर जिले में पहली बार इतने पक्के काम करवाये गये। एनीकट जो किसानों की जमीन के पानी के स्तर को बढ़ाने वाले तालाब बनाये, स्कूल भवन बनाये, और आपने एक भी काम शुरू नहीं किया। आज हमारे दौसा जिले में कम से कम सौ गांव ऐसे हैं जिनमें सौ प्रतिशत खराब है। एक भी गांव में फसल नहीं है। न वहां कुओं में पानी है। आप वहां पर अकाल राहत कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं। किस तरह की आपकी सरकार है? आपको पांच साल के लिए 465 करोड़ रुपये मिले हैं। उसी पैसों को खर्च नहीं किया और फिर हमारे नेता महोदय ने भी कहा था कि इसको खर्च तो करिये। आपको काम करना आता नहीं आपको संवेदनशील तरीका अपनाना आता नहीं और आप बहुत भाषण देते थे जब आप विपक्ष के नेता थे कि लोग मर गए, भूखे मर गए। वास्तव में लोग आज मर रहे हैं। लोग आज परेशान हैं। आज काम खोजने के लिए वह दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। आज वह शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे तो लगता नहीं कहीं कि आपकी सरकार काम कर रही है।

यही हालत चिकित्सा विभाग की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने स्वास्थ्य मन्त्री जी को कई बार पत्र लिखे। विधान सभा सेशनों में बारबार कहा। आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जो डाक्टर के पद हैं उनको भर दीजिये। अच्छे डाक्टर जो वहां रहने वाले हैं उनको लगा दीजिये। ऐसे-ऐसे डाक्टर है, उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम 5 साल जयपुर में बैठ कर तनख्वाह लेते है और वहां एक महीने में एक दिन भी नहीं जाते हैं। ऐसे आपने हमारे यहां चिकित्सा अधिकारी लगा रखे हैं। इस प्रकार जो सारे पद रिक्त पड़े हैं उसकी शिकायत की गयी। यह मेरे ऊपर

(श्री परसादी लाल मीणा)

मुकदमा बनवा सकते हैं, एक डाक्टर को कहकर मेरा चालान करवा सकते हैं उसकी मुझे परवाह नहीं। पर हम ग्रामीण जनता के हितैषी हैं। आज गांव में यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसको जयपुर लाने में दो ढाई घन्टे लगते हैं। आज इस तरह की हालत गांवों की बना दी। न सब-सेन्टर्स में कोई ए. एन. एम. हैं, न कोई कम्पाउन्डर हैं और न कोई दवाइयां हैं, न किसी प्रकार की दूसरी फेसेलिटीज हैं। और हमारे मुख्य सचेतक महोदय और सारे ही सदस्य दल के और मुख्य मन्त्री चालीसा का पठन कर रहे थे जैसे चालीसा में एक ही बात लिखी हुई है, हर आदमी पढ़ेगा वही कहेगा। इस तरह के जो आपके कार्य हैं सिंचाई विभाग से कोई रिटर्न नहीं हो रहा है। कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। इतने करोड़ रुपये खर्च कर दिये। मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने बिजली पर पैसा बढ़ाया। 5 पैसा प्रति यूनिट किसानों के ऊपर फिर बढ़ाने की नीयत है और फिर सिंचाई का भी बढ़ाने को मुख्यमन्त्री की नीयत है। मैं उसकी आलोचना करता हूं। अगर मुख्य मन्त्री जी ने ऐसी हिम्मत की और किसानों के ऊपर यह भार बढ़ाया तो किसान किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं किसान किसी का भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। किसान सरकार से भी बड़ी ताकत से लड़ने की हिम्मत कर सकते हैं वह सरकार को इधर से उधर और उधर से इधर बैठा देते हैं ..

श्रीमती तारा भण्डारी : जैसे आपको बैठाया ...

श्री परसादीलाल मीणा : बिल्कुल हमने गलतियां की होगी इसलिए बैठे हैं। मैंने कब कहा कि हमने गलतियां नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा कीजिए परसादी लाल जी।

श्री परसादी लाल मीणा : मुख्यमन्त्री जी ने जो पैसा रखा कि हम 30 जिले 30 काम या अपना गांव अपना काम, मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि मुख्य मन्त्री जी ने जब अपना गांव अपना काम की योजना शुरू की थी तो सरकार की तरफ से इन्होंने 70 प्रतिशत देने के लिए कहा था। और जनता की ओर से यह कहा था कि हम 30 प्रतिशत राशि यदि जन सहयोग से देंगे तो हम 70 प्रतिशत राशि देंगे। पर मुख्यमन्त्री जी ने पैसा जब अधिक आने लगा अपने ही रंग बदल दिये। अपनी नीति को बदल दिया। लोगों ने यह सोचकर पैसा जमा कराया था कि हमारे पैसे का सदुपयोग होगा, हमारे से पैसे गांव में काम होगा। अब इन्होंने कह दिया कि सरकार 35 प्रतिशत देगी और बाकी 35 प्रतिशत ग्राम पंचायतें अपने स्तर से करेंगी। ग्राम पंचायतों को जो जवाहर योजना का पैसा मिलने वाला था उसका उपयोग दूसरे कामों में जो उसके प्लान हैं जो उसके शाला भवन हैं और दूसरे कामों में खर्च कर दिया गया। जिन गांवों वालों ने औषधालय का या पी.एच.सी. का या दूसरी चीजों का पैसा जमा कराया था वह काम ऐसे के ऐसे ही अधूरे पड़े हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं इसको अच्छी स्कीम मानता हूं कि गांव वाले भागीदार बनें, गांव वाले काम में हिस्सा लें 30 जिले 30 काम योजना भी ठीक है पर मैं कहना

(श्री परसादीलाल मीणा)

चाहूंगा आपने 20 करोड़ गत वर्ष रखे और 20 करोड़ इस साल रखे। पहले का पैसा ही आप का खर्च नहीं हो पा रहा है डी. आर. डी. ए. के माध्यम से फिर यह पैसा कैसे खर्च होगा ? जैसे हमारे दौसा जिले में काम हुए वैसे ही सब जगह हुए होंगे। मैं सोचता हूं कि 10 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुआ। इस राशि को बढ़ाया जाये। और इसमें दूसरे नये काम हाथ में लिये जायें जिससे गांव का विकास हो।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं।

माननीय राजपाल सिंह जी।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का यह तीसरा बजट प्रस्ताव इस सदन में रखा गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और जैसा कि कल बैंद साहब फर्मा रहे थे, बजट कोई खर्च और आय का लेखा-जोखा ही नहीं होता। सरकार की विकास की दिशा को भी दिखाता है. सरकार की मंशा को जाहिर करता है, जनता को एक मैसेज देता है। मुझे खुशी है कि जो आर्थिक दर्शन माननीय भैरोंसिंहजी साहब की सरकार ने बजट के रूप में शुरू किया उससे बैंदजी को आज यह समझदारी आने लगी है कि बजट सोच का विषय है, बजट दिशा देने का विषय है... (व्यवधान) आप काम करते लंका वाला....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप बहुत इंटेलिजेण्ट स्टूडेण्ट रहे हैं....(व्यवधान)

श्री राजपालसिंह शेखावत : जहां तक छात्रों के लिये, विकलांगों के लिये, महिलाओं के लिये, काश्तकारों के लिये, कारीगरों के लिये जितना कुछ बजट में है, कर को ठीक करने का यह करारोपण के सिस्टम को लिबरलाइज करने के लिये करों में छूट लगातार देने के बावजूद बजट घाटे को एक लिमिटाइज शेष में रखना और खास तौर से एक ऐसी स्थिति में रखना और जब रेवेन्यू अकाउण्ट का डेफिसिट लगातार राज्य से कैपिटल अकाउण्ट से भरे जाने की स्थिति के कारण जबर्दस्त डेट की स्थिति थी और जबर्दस्त रेवेन्यू डेफिसिट चल रहे थे, एक परसिसटेंट रेवेन्यू डेफिसिट की थीम थी उसको हम ठीक तो नहीं कर पाये, कल बैंदजी फर्मा रहे थे कि केन्द्र कमजोर हो जायेगा, राज्य हक मांगेंगे तो केन्द्र कमजोर हो जायेगा, बड़ी अजीब-सी बात लगी। बाप के 5 बेटे हैं। बड़े हो जायेंगे, अलग कमरों में रहेंगे इससे बाप की युनिटी कमजोर हो जायेगी, समझ में नहीं आता। खास तौर से ऐसे राष्ट्र के अन्दर जो संघीय परिकल्पना पर टिका हुआ हो। उस राष्ट्र के अन्दर इस तरह की कल्पना करना कि आर्थिक हकों की मांग करने से राज्य के हकों की मांग करने से केन्द्र कमजोर होता है। तो मैं बताना चाहता हूं केन्द्र कमजोर राज्यों के हकों को देने से नहीं होता, केन्द्र कमजोर राज्य को स्वायत्तता देने से नहीं होता, केन्द्र कमजोर होता है तो आई. एम. एफ. के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने घुटने टेकने से होता है, अगर केन्द्र कमजोर होता है तो स्थिति यह आती है कि इस बात पर मूल्य नियंत्रण खत्म होगा, यह बात रखी जाती है कैबिनेट के सामने 16 जनवरी को इस वर्ष और लैटर दिया जाता है इस बात

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

का आई. एम. एफ. को गये साल 11 नवम्बर को स्थिति ऐसी होती है तब घुटने टेकने पड़ते हैं। घुटने टेकने पड़ते हैं केन्द्र सरकार को उस वक्त जब आयात, निर्यात के मामले में चावल किस को बेचेंगे, गेहूं किस को बेचेंगे इस बात के लिये अमेरिका के इट्रेस्ट को मानने के लिये मजबूर होना पड़ता है उस वक्त। केन्द्र कमजोर उस वक्त होता है केन्द्र के डेफिसिट के अन्दर, जब केन्द्र लिबरलाइज की बात करता है, केन्द्र कमजोर तब होता है जब रेवेन्यू अकाउण्ट के डेफिसिट को कम करने के लिये, बजट के डेफिसिट को कम करने के लिये 6.5 प्रतिशत की जी.डी.पी. का डेफिसिट बचाने के लिये, जबकि डवलपमेण्टल एक्सपेंडिचर के लिये पैसा कम कटता है। गई बार का पूंजीगत व्यय 29 हजार 472 करोड़ का था उसमें केवल 45 करोड़ की बढ़ोतरी हुई।

वैदजी साहब कल बात कर रहे थे नोन प्लान आउट ले की। उनको बताना चाहता हूं केन्द्र में 83 हजार 630 करोड़ रेवेन्यू अकाउण्ट एण्ड एक्सपेंडिचर था जो 89 हजार 570 करोड़ हो गया। 5 हजार 940 की बढ़ोतरी हुई है। वृद्धि किधर हुई है? केन्द्र वृद्धि करे कोई तकलीफ नहीं, राज्य वृद्धि करे तकलीफ है। अर्थशास्त्र के सिद्धान्त दिल्ली के लिये कुछ और होंगे और राजस्थान की माननीय भैरोंसिहजी की सरकार के लिये कुछ और होंगे। ऐसी स्थिति है। पूंजीगत व्यय को कम कर के आप विकास करना चाहते हैं। खास तौर से जब आप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडेक्ट्स की ग्रोथ रेट 2.5 प्रतिशत रह गयी हो, उस स्थिति में बजट के डेफिसिट को आप एक्सपेंडिचर के कैपिटल अकाउण्ट से खत्म करना चाहते हैं और फिर आप विकास की दर को 2.5 प्रतिशत से आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पर कैपिटा इन्कम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आपने रुपये का दो बार डी-वेलुएशन किया। आयात बढ़ जायगा, – आयात बढ़ जायगा, आयात माइनस 5 प्रतिशत गिर गया। रूस का नाम ले लीजिए, रूस डिसइंटिग्रेट हो गया। युरोप में क्यों नहीं बढ़ा, अमेरिका में क्यों नहीं बढ़ा। रूपी टर्म में डवलपमेंट बढ़ गया। डालर टर्म में क्यों नहीं बढ़ा, पोण्ड्स की टर्म में क्यों नहीं बढ़ा? तीसरी बार फिर अवमूल्यन किया गया। इस बार रुपये को कन्वर्टेबल बना के पिछले दरवाजे से। कन्वर्टिबलिटी का मतलब क्या होता है? 40 प्रतिशत पैसा आर.बी.आई. को सौंपिये 60 प्रतिशत पैसा जहां शेयर मार्केट के अन्दर फल्क्च्यूएट होता है इस तरह से भारत की फोरेन करेंन्सी यहां फल्क्च्यूएट होगी। खुद मनमोहन सिंहजी ने यह कन्फेस किया है कि 15 प्रतिशत डालर की, पाउण्ड की रेट खुले बाजार में ज्यादा होगी मतलब 15 प्रतिशत डी-वेलुएशन को फिर स्वीकार किया है। यह शर्म की बात है। इस बात से केन्द्र कमजोर होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र की कमजोरी की बात मत कीजिये। आपने रेवेन्यू डेफिसिट कम कर लिया, 6.5 प्रतिशत तक ला दिया.... (व्यवधान) मैं इस पर भी आऊंगा। मैं आऊंगा हजूर इसमें चिन्ता की बात नहीं है। हैण्ड पम्पों में आप आते हैं तो मैं इस पर भी आऊंगा कोई चिन्ता की बात नहीं है। बात कर लेंगे। आगे सारी बात कहूंगा मैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : 12 सौ करोड़ रुपये का जो पब्लिक एण्टरप्राइजेज हिन्दुस्तान के पब्लिक इण्टरप्राइजेज जो प्रोफिट में जा रहे थे, जो प्रोफिट अर्न कर रहे थे उनको डिसइन्वेस्ट किया गया उसके जरिए 12 सौ करोड़ रुपये इकट्ठे किये गये। आज आप कहते हैं कि हमारी रेवेन्यू रिसीट बढ़ गयी है, आपकी रेवेन्यू रिसीट सिर्फ उतनी ही बढ़ी है जितना कि 12 सौ करोड़ रुपये का डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपने अपने प्रोडेक्टिव रिसोर्सेज को डिसइन्वेस्ट कर के, मामला ऐसा हुआ साहब हजार रुपये मैं कमाता हूं और 11 सौ खर्च करता हूं। सौ रुपये का घाटा है। सौ रुपये का घाटा पूरा करने के लिये मकान बेच दिया। कह दिया सरप्लस है। मेरी समझ में नहीं आता यह कौन-सा डेफिसिट कण्ट्रोलिंग कर रहे हैं आप और फिर मैं कहना चाहता हूं कि डेफिसिट कण्ट्रोलिंग के बाद में ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडेक्ट की रेट यहां बहुत ज्यादा गिर गई तो इस बार प्राइस राइज किस बात से होगी ? इन्फ्लेशन नहीं होगी इस बार की प्राइस राइज डी-इन्फ्लेशन से, स्केयरसिटी ऑफ प्रोडेक्ट से, इस बात से सरकार कमजोर होगी, केन्द्र कमजोर होता है।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियां डिफेशन के दौर में जो एक ग्लोबल फिनोमेना है उस दौर में आपने मल्टी नेशनल को बुलाया है उन्होंने कहा है कि 50 प्रतिशत की इक्विटी ले जाओ। हिन्दुस्तान कम्पनी के मैनेजमेंट हड़प जाओ और हड़पने के बाद इंडस्ट्रीयल ग्रोथ रेट पकड़ भी ली, मुझे कम से कम सम्भावना नजर नहीं आती है। तो वह इडस्ट्री ग्रोथ रेट का फायदा हिन्दुस्तान की आम अवाम को नहीं मिलेगा वह ब्रिटेन जायेगा, कभी अमेरिका जायेगा। कैसा इण्डस्ट्री ग्रोथ करना चाहते हैं आप ? आपने कहा कि साहब डालर भेज दीजिए बैलेन्स आफ पेमेण्ट की हालत बहुत खराब है, डालर भेज दीजिए, ब्लैक मनी की हवाले सौदे कर दीजिए। 18 हजार करोड़ रुपये की ब्लैक मनी को फॉरेन रिजर्व के नाम पर। फॉरेन रिजर्व भरी है। कहां से भरी है ? आपका एक्सपोर्ट माइनस 5 प्रतिशत गिर गया फिर फॉरेन रिजर्व कहां से आया ? फॉरेन रिजर्व आपका हिन्दुस्तान के रुपयों के काले पैसे को हवाले सौदे के अन्दर डालर में कन्वर्ट कर के हिन्दुस्तान ले आया गया। सरकार इस बात से कमजोर होती है। सरकार अपने हकों को मांगने से कमजोर नहीं होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा और पूरी रेस्पान्सिबिलिटी के साथ में कहना चाहूंगा कि मुद्दा हिन्दुस्तान की संघीय संरचना को मजबूत करने का है। रूस इसलिए नहीं टूटा कि केन्द्र कमजोर हो गया था। रूस इसलिए टूटा कि केन्द्र स्टालिन और लेनिन के टाइम में इतना ज्यादा केन्द्रित हो गया था, गोर्वाच्योव ने रूस खत्म नहीं किया खत्म तो इन्होंने किया और बदकिस्मती गोर्वाच्योव की थी जो नाम उसके आया। इस केन्द्रीयकरण ने युगोस्लाविया को तोड़ा और आप कहते हैं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण से, आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण से केन्द्र कमजोर होता है। केन्द्र किस ढंग से कमजोर होता है मैं बता दूं आपको, केन्द्र सत्ता के केन्द्रीकरण से और सत्ता की निरंकुशता से अन्तिम रूप से उस साम्राज्य का पतन होता है। इतना विशाल रूस आपके सामने टूट गया फिर

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

भी आप इस कहानी को उलटी समझें तो बात अलग है। जहां तक मैं इस बात पर कहना चाहूंगा सेण्टर गवर्नमेंट ने राज्यों के हकों का अतिक्रमण नहीं किया, बैदजी बहुत परेशान हो रहे थे अतिक्रमण शब्द पर, मैं कहता हूं अपहरण कर लिया। अपने डेफिसिट को कण्ट्रोल करने के लिये उसने टैक्स उस इलाके में लगाये जिस इलाके में स्टेट का शेयर नहीं बनता था। इन्कम टैक्स में शेयर बनता है तो इन्कम टैक्स, इन्कम टैक्स नहीं बढ़ाया सरचार्ज लगा दिया। सरचार्ज का पैसा आपके पास नहीं आता, स्टेट के पास नहीं आता। आपने कार्पोरेशन टैक्स लगाया, कानून के ज्ञाता बैठे हैं। बैदजी तो खुद फाइनेंस के मास्टर हैं, खुद कन्फेस कर रहे थे, कह रहे थे कि फाइनेंस के बारे में इस सदन में मुझ से ज्यादा कोई नहीं जानता, कार्पोरेशन टैक्स, कोरपोरेट टैक्स, कम्पनी इज दी लीगल पर्सन दैट पार्ट आफ इन्कम टैक्स, कार्पोरेशन टैक्स का हिस्सा अगर राजस्थान मांगता है और कार्पोरेशन के अन्दर लेवी लगायी जाय और काउण्टर बनाया जाय शेयर के लिये, आज एम पी., हिमाचल मांगते हैं तो केन्द्र कमजोर होता है, राजस्थान के हकों के मांगने से केन्द्र कमजोर होता है ऐसा मैं नहीं सोचता। आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस को रेज कर देते। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइज में शेयर आपका है अकेले का स्टेट का शेयर नहीं है। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइज को रेज करना शुरू कर दिया। आपने उस एडीशनल एक्साइज ड्यूटी की आइटम की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। आप जानते होंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो बायोन्सी है सेल्स टैक्स की उसके मुकाबले इसकी बायोन्सी नहीं है। ऐसी आलोचना अल्टीमेट टैक्स रिकवरी, अल्टीमेट रेवेन्यू कलेक्शन, यह नेशन का है चाहे स्टेट के पास जाने वाला हो या सेण्टर के पास जाने वाला हो उस कलेक्शन में कमी आती है। इसको नेशनलाइज किया जाना चाहिये। लेकिन नेशनलाइज करने की कोशिश नहीं की गई। हमने न केवल केन्द्र ने कहीं पर राजस्थान के और राज्यों के हकों को मारा है और कहीं पर आब्स्ट्रक्शन क्रियेट कर दिये हैं जिन आब्स्ट्रक्शंस को वह हटा सकती है, उनको हटाने को तैयार नहीं है। कई इन्फार्मिटीज हैं, सीरियस इन्फर्मिटीज हैं सेल्स टैक्स के अन्दर। अण्डमान निकोबार में कार का सेल्स टैक्स कम लगेगा, यहां ज्यादा लगेगा। राजपालसिंहजी को गाड़ी लेनी है, अण्डमान निकोबार से लायेगा। कई बार इन्फर्मिटीज सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने की। इन इन्फर्मिटीज को खतम किया जाय, यूनियन टेरिटरीज पर कण्ट्रोल किया जाय, सेल्स टैक्स की कोई यूनिफार्म पालिसी बने। सेण्ट्रल गवर्नमेंट एक मानिटरिंग एजेन्सी बने लेकिन इस तरह की बात नहीं हुई।

स्माल सेविंग्स लास की बात हुई। स्माल सेविंग्स करवाता राजस्थान है। स्माल सेविंग्स करवाता है राज्य। उसका प्रशासन लगता है। 75 पर्सेन्ट उसमें से आप लोन देते हैं। लोन पर दलाली का इंट्रेस्ट लगा देते हैं। यहां का पैसा, यहां क्रियेट किया गया पैसा दिल्ली से वापस आया तो उस पर एडिशनल इंट्रेस्ट हो गया। हमने कहा, साहब, हमारा पैसा है, 75 पर्सेन्ट नहीं 90 पर्सेन्ट मांगते हैं, क्या तकलीफ है? जितना आप डिपाजिटर को

(120)

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

इंट्रेस्ट देते हैं उतना इंस्ट्रेस्ट हमसे ले लीजिये उसमें क्या तकलीफ है ? इसमें कौनसा अन्याय कर रही है राज्य की सरकार यह मांग करती है तो ? यू.टी.आई. की डिपाजिट्स, इन्होंने सीरियसली जियोपारडाइस किया है स्टेट की सेविंग्स को। स्टेट की सेविंग्स को जियोपाइडाइस किया है। लेकिन यू. टी. आई. हैम्पर तो करती है स्टेट की सेविंग्स को और जब वापस कलेक्शन करके ले जाती है तो उस सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट किस स्टेट में कितना होगा इससे कोई ताल्लुकात नहीं रखता कि किस स्टेट से कितना पैसा लिया गया। सेण्ट्रल गवर्नमेंट को चाहिये, सेण्ट्रल गवर्नमेंट से मांग की गयी कि वह पैसा इन्वेस्ट जब हो तो एक फार्मूला हो, किस स्टेट को कितना इन्वेस्टमेंट का हिस्सा मिलेगा। यू.टी.आई. पर कोई चैक हो, रिटर्न पर कोई प्रिंसीपल्स लागू हों। अगर इस बात पर बात करना केन्द्र को कमजोर करना है तो मैं समझता हूं इस तरह का सोच बड़ा ही हास्यास्पद होगा।

आपने कल बात कही थी, नान प्लान आउट ले कैसे बढ़ गया ? अब 12.5 पर्सेन्ट डी.ए. का जो मामला था दिल्ली के अन्दर, जब तक यह महंगाई बढ़ती रहेगी, जब तक आप डेफिसिट प्लानिंग करते रहेंगे, जब तक रुपये को डी-वेल्यू करते रहेंगे तब तक इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, आप डी.ए. बढ़ाते रहेंगे और स्टेट के एक्सचेकर पर नान प्लान आउट ले बढ़ता रहेगा। फिर आप यहां बैठ कर कहेंगे, कर्म आपके दिल्ली के, क्वेश्चन आप हमसे पूछेंगे कि नान प्लान आउट ले बढ़ कैसे गया ? डवलपमेंटल एक्सपेण्डीचर जो था वह तो बहुत कट गया, नान डवलपमेंटल एक्सपेण्डीचर कैसे बढ़ गया ? मैं इस तरह की बातों पर नहीं जाना चाहता कि इक्विटी पार्टिसिपेशन के अन्दर सेण्टर के फाइनेन्शियल आर्गेनाइजेशन हैं, उनका इक्विटी पार्टिस्पेशन होना चाहिये या नहीं होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पार्टी का टाइम लूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल इस बात की भी बात हुई कि सामाजिक सेवाओं के अन्दर हमने कटौती कर दी, उस में उसका पर्सेन्टेज गिरा दिया। माननीय बैदजी बता रहे थे, 1990-91 में यह था, सामाजिक सेवाओं पर खर्चा था 39.41 पर्सेन्ट, 1991-92 के अन्दर था 38.24 पर्सेन्ट। फिर यह रिड्यूस हो गया, यह गिर गया, हम कैसा विकास चाहते हैं। हम कैसा जन कल्याण चाहते हैं। धीरूभाई अम्बानी जब बाम्बे की सड़कों पर घूमा करता था और नाइजीरिया में क्लर्क हुआ करता था उस समय खाने पर जितना खर्चा किया करता था, अपने टोटल खर्च का 20-30 पर्सेन्ट किया करता था। आज धीरूभाई अम्बानी अपनी टोटल इन्कम का 20 पर्सेन्ट या 30 पर्सेन्ट खाने पर खर्च नहीं करता, पर्सेन्टेज गिर गया है, क्या धीरूभाई अम्बानी गरीब हो गया है ? मैं पूछना चाहता हूं कि सिम्पल इकानामिक्स को डिस्टार्ट करने की जो कोशिश की गयी है, बात कर रहे थे कन्सेन्सस प्लानिंग की, बात कर रहे थे हम सब बैठ करके राज्य के विकास की सम्भावनाओं की बात करें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास, अखबार नहीं पढ़ें।

श्री राजपालसिंह शेखावत : विकास की सम्भावनाओं की बात करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ स्टेटिसटिक्स को डिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, मामला पर्सेन्टेज का नहीं है। हुजूर, आपकी सरकार थी 1989-90 में आपने खर्चा किया 663 करोड़ रुपया, हमारी सरकार इस बार खर्चा कर रही है 1039 करोड़ रुपया। पौने दो गुना बढ़ गया है। क्या इससे विकास नहीं कर रहे? बात कह रहे थे, गैर विकास व्यय बढ़ गया। गैर विकास व्यय बढ़ गया। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि गैर विकास व्यय की ग्रोथ रेट डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर की ग्रोथ रेट से कम होनी चाहिये और काफी कम होनी चाहिये। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर आपकी 1988–89 में सरकार थी, रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर के अन्दर डवलपमेंट का हिस्सा था 61.42 पर्सेन्ट, 1989–90 में आपकी सरकार थी, था 63.74 पर्सेन्ट। हमारी सरकार के अन्दर यह है 66.58 पर्सेन्ट। कुल रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर के अन्दर 66.58 पर्सेन्ट डवलपमेंट पर खर्चा किया जाता है जो कि आपकी सरकार से ज्यादा है पर्सेन्टेज में, जो पर्सेन्टेज की बात बैंदजी कर रहे थे। सोचता हूं, विकास कैसे नहीं हो रहा है। विकास खर्च कैसे नहीं बढ़ रहा है। अनुत्पादक खर्च कम हो रहा है और विकास का खर्चा बढ़ रहा है। जहां तक कुल खर्च की बात है, रेवेन्यू को, केपीटल को, लोन को मिला लें आप, तो विकास व्यय आपके टाइम में था 2279 करोड़ और आज की तारीख में विकास व्यय है 4092 करोड़। गैर विकास व्यय आपके टाइम में था 1148 करोड़, हमारा हुआ है सिर्फ 1662 करोड़। विकास व्यय इतना बड़ा इम्पार्टेण्ट नहीं है, उसकी दर क्या रही है What was the growth rate of developmental expenditure and non-developmental expend ture is more important. मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, आपका 2000 करोड़ था विकास व्यय पर, हजार करोड़ है तो हमारा 1600, 500 करोड़ की वृद्धि जब डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर हो गया कितना? दो गुणा। 2200 से 4000 आपके, हुजूर, 2200 करोड़ रुपये के डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर के ऊपर 1000 करोड़ रुपये का नान-डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर हुआ करता था। कौनसी ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं आप?

(2.45 म.प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप टोटल सर्सेन्टेज बताओ। टोटल बजट की पर्सेन्टेज क्या है, डवलपमेंट पर और नान-डवलपमेंट पर।

श्री राजपालसिंह शेखावत : कौनसी पर्सेन्टेज, मैडम? टोटल बजट की कौनसी पर्सेन्टेज? मैंने बतायी ना आपको। 66.68 पर्सेन्ट खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर का हमारा डवलपमेंट के ऊपर। मैंने बताया ना, पर्सेन्टेज बतायी, मैडम आपको। अब मैं नान-पर्सेन्टेज बता रहा हूं। क्योंकि आप पर्सेन्टेज की बात समझती हैं, कई बार नहीं समझती हैं। तो दिक्कत यह है कि मैं नया हूं, अभी मुझे टाइम लगेगा समझने में कि कोई बोलता कहां है, निकलता क्या है, क्या तकनीक है यहां जो लागू होती है।

(122)

श्री सभापति : आप सीधी बात न करें। कृपया सीधी बात न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके माध्यम से करें।

श्री राजपालसिंह शेखावत : तो हमारे यहां डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर बढ़ाने की ग्रोथ रेट ज्यादा रही है हमारी सरकार के अन्दर, आपकी सरकार के मुकाबले। जहां तक इस गैर विकास व्यय से ताल्लुकात है, यह आया कहां से ? तो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, बैदजी जब फाइनेन्स मिनिस्टर थे, कल डवलपमेंट, नान-डवलपमेंट की बात करने लगे, अच्छी बात है सत्ता से उधर विपक्ष में आये तो इस संदर्भ में बातें तो शुरू हुई, मैं आपको अर्ज करूं, 1976–80 के अन्दर डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर के बढ़ने की रेट थी 19.4 पर्सेन्ट जो आपके नान-डवलपमेंट की रेट थी 12.4 पर्सेन्ट। 1982–85 के अन्नर डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर बढ़ा सिर्फ 11.8 पर्सेन्ट की रफ्तार से और 1980-85 के अन्दर आपका नान-डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर बढ़ा 18.8 पर्सेन्ट की रफ्तार से। 1985-90 के बीच में डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर बढ़ा 14.5 पर्सेन्ट की रफ्तार से और नान-डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर हुआ 16.8 पर्सेन्ट की रफ्तार से। मैं पूछना चाहता हूं बैदजी, जब आपकी सरकार थी उसके अन्दर कुछ पीरियड तक आप फाइनेन्स मिनिस्टर थे और आप डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर के बारे में इतने कन्सन्र्ड हैं तो डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर की ग्रोथ रेट नान-डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर की ग्रोथ रेट से घट कैसे गयी ? मैं सोचता हूं इस तरह की बात करने के पहले हमें जो कन्सेन्सस की बात आपने अन्त में कही थी उस कन्सेन्सस की बात से शुरू करते, उसके संदर्भ में पूरी चर्चा करते तो मैं समझता हूं ज्यादा प्रोडेक्टिव होता।

प्रति व्यक्ति आय का मामला है। 1989–90 में चालू कीमतों पर 3219 रु. थी। 1991–92 में प्रति व्यक्ति आय 4232 रुपये है चालू कीमतों पर। मैं जानता हूं कांस्टेंट प्राइसेज के अन्दर डिप है। पर कांस्टेंट प्राइसेज के डिप का ताल्लुक यह है, आप जानते हैं, बैदजी तो खास तौर से जानते हैं कि राजस्थान जिसका दो-तिहाई हिस्सा रेगिस्तानी है, आल मोस्ट सारा का सारा ड्राट प्रोन एरिया है, जिस स्टेट की इकानामी एग्रो बेस्ट इकानामी हो और उसके अन्दर भी पूरे के पूरे इलाके के अन्दर पेनीनियल ड्राट और पेरीनियल फेमिन की स्थिति हो उसके अन्दर जी. डी. पी का ताल्लुकात मानसून से कितना रहता है और आप कांस्टेंट प्राइसेज की बात इतनी जोर से कर रहे थे तो मैं पूछना चाहता हूं कि संवत् 2044 के अकाल के टाइम आपका जी. डी. पी. क्या था और कांस्टेंट प्राइसेज के ऊपर जी. डी. पी. के ऊपर कितना इनकम किया था ? माननीय सभापति महोदय, अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति जो खर्चा हो रहा है वह विकास में परिणत हो रहा है या नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांस्टेंट प्राइसेज के ऊपर जी. डी. पी. जब गिर जाता है तो मानसून पर, तो जी डी. पी. जब मानसून के कारण बढ़ जाता है तो उतना केन्द्र सरकार को जाना चाहिये, गयी बार, लास्ट ईयर 17.7 पर्सेन्ट था करेंट प्राइसेज के ऊपर आल इण्डिया का ग्रोथ रेट जी. डी. पी. का, हमारा था 25.18 पर्सेन्ट। आपका

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

कांस्टेंट प्राइसेज के उपर था दिल्ली का 5.6 पर्सेण्ट, हमारा था 14.39 पर्सेण्ट which is record । तो गयी बार के लिए तो वैदजी नहीं बोले आप पहले, जी डी.पी. और पर कैपिटा इनकम की इतनी ज्यादा आपको चिन्ता थी तो पर कैपिटा इनकम जो गयी बार कांस्टेंट प्राइसेज पर बढ़ गयी थी कांस्टेंट प्राइसेज पर 12.72 पर्सेण्ट बढ़ी थीं, आपकी दिल्ली की 3.7 पर्सेण्ट बढ़ी थीं उस समय, वैदजी, क्यों नहीं बोले, भैरोंसिंह सरकार का प्रेज क्यों नहीं किया ? भैरोंसिंह सरकार जिसके लिये आप कहते हैं, हम यहां जन के लिये बैठे हैं, जन कल्याण के लिये बैठे हैं, जन कल्याण के किसी भी कार्य के ऊपर आपने पीठ क्यों नहीं थपथपायी ? कहना चाह रहे थे आप, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की बात पर । आपका सौ दिन में महंगाई खत्म करने के घोषणा पत्र का क्या हुआ ? 16 पर्सेण्ट से ऊपर आपकी इन्फ्लेशन रेट पहुंच गयी । तब आपको याद नहीं आया । तो अपने घोषणा पत्र को पढ़ लें बजाय भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को पढ़ें, तो मुझे सममुच खुशी होगी ।

सवाल इस बात का है कि विकास के लिये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है । यह इस बात से तय होगा कि पर केपिटा प्लान आउट ले क्या है और पर केपिटा प्लान आउट ले पर मानसून का कोई असर नहीं पड़ता । पर केपिटा प्लान आउट ले का सीधा-सीधा असर पड़ता है डवलपमेंट पर, सीधी-सीधी गवर्नमेंट की परफार्मेन्स इससे जुड़ी होती है । सीधी-सीधी इस बात से जुड़ी रहती है कि दिल्ली की सरकार के अन्दर राजस्थान के मुख्य मन्त्री की कीमत क्या है । 1400 करोड़ की प्लान की साइज के बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन की बात कर रहे थे आप भूल गये नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन ने माननीय भैरोंसिंह शेखावत से, जो उस समय विपक्ष के नेता थे, मिलने के बाद कहा कि जिस ढंग से विपक्ष के नेता ने राजस्थान के केस को प्रिसाइड किया है, उतना चीफ मिनिस्टर नहीं कर पाये, वह बात भूल गये । प्लानिंग कमीशन भी आपका, प्लानिंग का अन्दाज भी आपका, सरकार भी आपकी, तो 40-40 साल तक प्लान का साइज क्यों नहीं बढ़ा आपका ? 76 पाइण्ट कैसे हो गया ? गवर्नमेंट की परफोर्मेन्स का ताल्लुक नहीं है इससे, गवर्नमेंट की कोम्पीटेंस का ताल्लुक नहीं है इससे ? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1991 के अन्दर प्रति व्यक्ति योजना व्यय 216 रुपये था, 1992 के अन्दर पर केपिटा प्लान आउट ले 257 रुपये था, 1992-93 के अन्दर 301 रुपये हो गया । आप सातवीं योजना, आठवीं योजना की बात कर रहे हैं । आठवीं योजना तो प्रपोज्ड है । मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय, कि सातवीं और आठवीं योजना के पहले छठी व सातवीं योजना की थोड़ी सी तुलना करें और इसी सन्दर्भ में, जिस सन्दर्भ में मैं बात कर रहा था, पर कैपिटा प्लान आउट ले, कितना खर्च होता है । जब हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दुस्तान का एवरेज 707 रुपये था छठे प्लान के अन्दर । तो राजस्थान के अन्दर प्रति व्यक्ति योजना राशि 622 रुपये थी । सातवें प्लान में अन्य राज्यों की व्यक्ति योजनागत राशि बढ़कर 1162 रुपये हो गई, आपकी बढ़ी 675 रुपये । मुझे यह

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

कहते हुए खुशी होती है कि इस बार प्रति व्यक्ति योजना राशि आठवीं योजना के अन्दर 1500 रुपये हो गई। हमने 675 रुपये से 1500 रुपये तक प्रति व्यक्ति प्लान आउट ले कर दिया, यह माननीय बैदजी को नजर नहीं आया। मैं यह कहना चाहता हूं कि सातवी, आठवीं योजना की बड़ी चर्चा हुई, इरिगेशन के मामले में हुई, एनरजी के मामले में हुई। आपने उद्योग, खनिज, सार्वजनिक सेवा मद को तो साफ ही कर दिया, पर्सेण्टेज कम कर दिया। मैं फिर कहता हूं कि विकास की जो दिशा आपने दी है, अगर वह सही तो हम यहां पर नहीं होते और आप वहां पर नहीं होते। विकास की दिशा में कुछ गड़बड़ जरूर है और जो गड़बड़ थी, उसको ठीक करने के लिए जनता ने भैरोंसिंह जी शेखावत साहब को भेजा। तो उन्हें क्या प्रायोरिटीज को डीलोकेट करने का हक नहीं। जो कुविकास आपने किया, उसको सुविकास में तब्दील करने के लिए क्या कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत मौलिक बदलाव नहीं किया लेकिन पर्सेण्टेज की बात करते है, .001, .002 पर्सेण्ट की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ग्रामीण विकास की बात भी की गई। सातवीं योजना में स्थिति क्या थी और आठवीं योजना के प्रपोज्ड की स्थिति क्या है, यह चार मुद्दे माननीय बैदजी ने उठाये। मैं सभापति महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि रूरल डवलपमेंट की बात हुई। कहा गया पर्सेण्टेज गिर गया। मैं बताना चाहूंगा कि 1991 में रूरल डवलपमेंट के अन्दर आपके सातवें प्लान का एक्सपेण्डीचर था 209.42 करोड़, हमारा एक्सपेण्डीचर प्रपोज्ड है 677.55 करोड़। विच इज ट्रिबल आल मोस्ट। आप बात कर रहे थे इरिगेशन और फ्लड कन्ट्रोल की। मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि आपके सातवें प्लान में था 921.77 करोड़, प्रपोज्ड प्लान के अन्दर हमारा है 1619 करोड़। विच इज मोस्ट रिकवर्ड। पावर की बात कर रहे थे, विरासत में आप क्या छोड़ गये थे। सुमित्रा जी गई बार चर्चा कर रही थीं राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में तो बड़ी अच्छी बात कही कि इनका एक जेस्टेशन पीरियड होता है। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो पांच साल से पहले क्रिटीकल हो पाये, पांच साल से पहले कमीशन हो पाये। हमारी सरकार को आये तो केवल तीसरा साल शुरू हुआ है। आप विरासत में कौनसा ऐसा पाइण्ट जो क्रिटीकल होने की स्थिति में था, या जो सैंक्शन था, काम शुरू हो गया था, ऐसा कह दिया। हमारे पास एक ऑप्शन बचा था। पहला ऑप्शन तो यह आप्टीमम यूटिलाइजेशन, जो प्लानड सैक्टर में देखा और यह सरकार की एफीशियेंसी का प्रमाण और प्रतीक भी है कि जो प्लान आउट ले, नोन-प्लान आउट ले की यहां चर्चा करते हैं, जो डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर, नोन-डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर की बात करते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि प्लान लोड सैक्टर की वृद्धि चाहे कोयले को नजदीक से लाकर, कोयले की अच्छी क्वालिटी लाकर की जाये या किसी और चीज से की जाये, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से किया जाये, कोयला तो बाहर से, दूर से आने लग गया आपके राज में, कोयला भी तो गड़बड़ आने लग गया आपके राज में। उसको करेक्ट किया और उसके बाद में दो नयी यूनिट

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

तैयार की गई। दोनों में काम चल रहा है। एर्थट प्लान के अन्दर कमीशन हो जायेंगी। उस सबके बावजूद सूरतगढ़ और बरसिंहपुर की योजनाएं स्वीकृत करायीं, काम शुरू किया। हमने प्राइवेटेशन का भी इस इलाके के अन्दर काम शुरू किया, प्राइवेटाजेशन की कोशिश है और इस बिल का एक मुख्य मुद्दा, बुनियादी रूप से जो सवाल उठाये हैं, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बजट भाषण के शु। एक तो यह है कि सब्सिडी लेगा कोई और भरेगा कोई और। मैं सोशल वैलफेयर, सोशियल सोसाइटीज, सोशल सर्विसेज के प्रति थोड़ा सम्मान रखते हुए बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर कवर्ड और ग्रॉड सब्सिडी की स्थिति बड़ी खराब है। राजस्थान में इस वक्त महाराष्ट्र की बोम्बे कार्पोरेशन का बजट, राजस्थान के बजट बराबर है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में सब्सिडी, पर कैपिटा सब्सिडी है, राजस्थान के अन्दर पर कैपिटा सब्सिडी is almost Rs. 430/- in the area of social and economic services. जबकि महाराष्ट्र के अन्दर है 406 रुपये। मैं कहता हूं कि राजस्थान की सरकार का दायित्व एम. पी., ए. पी. तमिलनाडू इन सबसे बहुत पीछे है। आम जनता का कल्याण करना, कल्याणकारी योजनाएं बनाना, एजुकेशन के सैक्टर में, चिकित्सा के सैक्टर में सब्सिडी देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। राजस्थान का विकास करना हमारी पहली जिम्मेदारी है और राजस्थान के विकास के लिए दूसरी बात यह कि राजस्थान की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, राजस्थान की सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी एम. पी., यू. पी., तमिलनाडू और भारत की सरकार से ज्यादा है और इतनी ज्यादा है कि विकास चाहे सफर करे, लेकिन कवर्ड एण्ड ओवर्ड शेष में आप सब्सिडी देना शुरू करें। सभापति महोदय, कंसेंसस की बात आप कर रहे थे। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा मुद्दा है, जैसा परसादीलाल जी बात कर रहे थे कि बिजली पर आपने पैसा बढ़ा दिया तो आन्दोलन हो जायेंगे। आन्दोलन का प्रश्न तो है। ठीक है हो जायेगा। आन्दोलन हो जायेंगे, पैसा नहीं बढ़ायेंगे, इस तरह से चलते रहे तो राजस्थान तबाह हो जायेगा। आज का आन्दोलन हो जायेगा या कल की तबाही हो जायेगी, इसमें से आपको कोई एक चूज करना है। राजस्थान की जनता ने जिस कारण से आपको यहां भेजा है, अपना नुमाइन्दा बनाकर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में या सी.पी.आई. के उम्मीदवार के रूप में, लेकिन आप जनता के नुमाइन्दे हैं। जनता का वास्तविक हित जहां होगा, उस हित की बात करना आपकी जिम्मेदारी है और अगर सब्सिडी के कारण डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर में कमी आ रही है, राजस्थान का रेवेन्यू डेफीसिट कैपिटल अकाउण्ट से भरा जा रहा है, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है और इस मुद्दे के ऊपर कि सब्सिडी किसको दी जाती है और रिकवरी किसी अन्य से होगी, ऐसी स्थिति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यह तय करना पड़ेगा कि सब्सिडी जिस इलाके में दी जाये, आपकी सोशियल, इकोनोमिक सर्विसेज के अन्दर आपका रेशो, रिकवरी रेशो, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सब्सिडी को खत्म करना सम्भव नहीं है तो

(126)

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

इस रिकवरी रेशो को इम्प्रूव करना पड़ेगा और इस बात के लिए सदन को पार्टी से ऊपर उठकर किस-किसको फ्रास बाक्स में डालना है, रांग बाक्स में खड़ा करना है, इस चीज से ऊपर उठकर सचमुच ही कंसेंसस की राजनीति करना चाहते हैं आप, तो एक तो मुद्दा होगा यह और दूसरा होगा यह कि अकाल की चर्चा की गई, क्यों नहीं पैसा खर्च कर देते आप। पैसा तो ले आयेंगे। माननीय जोशीजी ले आयेंगे। ले आये थे। प्लान आउट ले, आपका छोटा रह गया था, खर्च उससे ज्यादा बढ़ गया था। प्लान के लिए क्या किया उस साल ? माननीय जोशीजी तो ले आये थे। प्लानिंग लाते तो देश का भला होता, राजस्थान का भला होता, स्थिति इतनी खराब नहीं होती, जितनी हमें विरासत में मिली। सचमुच की बात है ड्रोट एण्ड फेमिन के अन्दर जो खर्च हम कर रहे हैं, वह अनसस्टेनेबल हो गया है और केन्द्र सरकार ने राजस्थान के फेमिन और ड्राट का परमानेण्ट सोल्यूशन करने के लिए कोई भी राज्य सरकार को सस्टेनेबल हैल्प दी, ऐसा नहीं है। राजस्थान में सूखा पड़ गया है, कल कह रहे थे आप, नाइन्थ फाइनेन्शियल कमीशन आपको 65 करोड़ नहीं देता, तो आपके पास रखा क्या था अकाल के अन्दर। रखने को तो स्वाभिमान वगैरह कई रखे हैं। बैदजी शायद नहीं जानेंगे। लेकिन जहां तक इकोनोमिक प्रिंसीपल्स का ताल्लुक है, सेण्ट्रल गवर्नमेंट की रेस्पोंसिबिलिटी थी कि इस राज्य के अन्दर अकाल की घोषणा करे। जहां अनबरत् फेमिन रहता है, उस स्थिति से उभरने के लिए हमें परमानेण्ट सोल्यूशन करने के लिए 40 और 50 साल की योजना बनानी चाहिए, प्लानिंग कमीशन में ऐसी स्थिति आपने झुनझुना हाथ में पकड़ाया केलेमिटी फण्ड के नाम से, It is calamity itself. मैं कहना चाहूंगा कि सदन इस मुद्दे को, जिससे आम आदमी और हमारी सरकार जूझती रही है, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जूझने के बाद भी हम जीते नहीं, हर बार हम हारे। यह हार कब तक रहेगी। इस हार का परिणाम कब तक लगातार यहां की जनता भुगतती रहेगी, इसका जवाब आप सबको एक दिन जनता को देना होगा और जैसा कि कल बैदजी कह रहे थे, मैं आमन्त्रित करता हूं कि कंसेंसस की बात पर वह पहल करें, सब्सिडी के मामले में पहल करें, इस बारे में पहल करें कि यह जो फेमिन रिलीफ का पैसा है, वह अनसस्टेनेबल हो गया है। जो राजस्थान की इकोनोमी को पंगु बनाये हुए है, राजस्थान के विकास को अवरुद्ध किये हुए है, उस अवरुद्धता को दूर करके, विकास के रास्ते पर राजस्थान को तेज गति से दौड़ाने की स्थिति कैसे हो, इस बात पर पूरा सदन एकजुट होकर कोई प्रस्ताव पास करे जहां तक पब्लिक एन्टरप्राइजेज का ताल्लुक है। यह सच बात है कि उनकी स्थिति बड़ी खराब है। जितना पैसा उनमें लगा हुआ है उस पैसे का रिटर्न हमारे पास न के बराबर आ रहा है। पहले बिल्कुल घाटे में था आज नाम को फायदे में है। आर.एस.ई.बी. को कुछ इक्विटी में चेंज किया, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की और बड़ा सराहनीय कदम है अपने आप में लेकिन इससे कोई लम्बा-चौड़ा सोल्यूशन होगा यह सम्भव नहीं है। मथुरादास की कमेटी बनी। दिल्ली की सरकार की तरह

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

प्रोफिट रनिंग इन्स्टीट्यूशन के अन्दर डिस-इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शेयर के मार्केट के अन्दर कम्पनी की परफोमेन्स से शेयर चलता है, ऐसा नहीं है। शेयर की बोयेन्सी और कम्पनी की परफोर्मेन्स दोनों अलग-अलग चीज है। कई कम्पनियां कैश लोस में है और शेयर बड़ा ऊंचा है। राजस्थान की ऐसी कम्पनीज को आइडेंटीफाई किया जाय जो शायद नुकसान में भले ही हो पर उसके शेयर को फ्लोट किया जा सके और शेयर फ्लोट से पब्लिक पार्टिसिपेशन इन्वाइट किया जाय। सरकार अपने आपको डिसइन्वेस्ट करना शुरू करे। यह एक तरीका हो सकता है। लेकिन इसमें राजनैतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। अकेली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जैसा मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। यह सब की जिम्मेदारी है कि इन हाथियों को कब तक लादे फिरेंगे। साम्यवाद का नाम लिया, समाजवाद का नाम लिया और 40 साल से उसको ढोते रहे। वह गिर गया फिर भी पूरी तरह गिरा नहीं पाये हैं। फिर नरसिंह राव जी धीरे-धीरे लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, जो गिरा देना चाहिये था वह नहीं गिरा पाये। इन चीजों को अब तक आप ढोते रहेंगे। यह लाशें बन चुकी है और लाशों को ढोने का शौक छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, इस मामले के अन्दर सरकार ने एक मथुरादास कमेटी बनाई और यह नई सोच शुरू की है सरकार के अन्दर, इसका स्वागत करना चाहिए। पर इसमें एक कंक्रेटाइज शेप देनी पड़ेगी।

जनसंख्या नीति का ताल्लुकात है। पापूलेशन पालिसी के नाम से कोई पोलिसी एज सच हमारे हिन्दुस्तान में काम नहीं कर रही है। फेमली प्लानिंग जितना इनइफेक्टिव हुआ इमरजेन्सी ने जितना उसको लोकप्रिय बनाया उसके बाद तो सम्भल ही नहीं पाये। मैं चाहता हूं कि जिस तरह की योजना माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब ने दी है कि 35 साल तक की एज-ग्रुप, एक रीप्रोडक्शन एज ग्रुप के अन्दर अगर किसी के दो लड़कियां हैं और स्टरलाइजेशन करवा लिया है तो उसको एक हजार रुपये का परिवार नियोजन बाण्ड जो 20 साल बाद मेच्योरिटी होगी, तब दिया जाएगा इन्सेन्टिव के रूप में। मैं कहता हूं सारी इन्सेन्टिव खत्म कर देना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि लड़कियां पैदा होने से लोग लड़के के लिए लाइन लगा देते हैं। इस इन्सेन्टिव को कन्ट्रोलाइज नहीं किया जाय, इसको और पापुलराइज किया जाये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर आप सारी तरह की इन्सेन्टिवज को खत्म कर दें और प्रोडक्टिव एज ग्रुप के अन्दर लड़का हो या लड़की कोई भी आदमी दो से ज्यादा अगर वह लड़का-लड़की करने के बाद कुछ नहीं करता है तो उसे इस तरह का इन्सेन्टिव दिया जाना चाहिये और इस तरह के इन्सेन्टिव देकर मैं सोचता हूं कि इस तरह की योजना आपकी अन्त्योदय योजना की तरह पापुलराइज होगी।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : आपसे ही शुरू कर दें इनसे ही शुरू करेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : आपको बियया ही मेरे को खर्च देना पड़ेगा।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हजार से क्या हो। हजार रुपए में कौणी आव है बिनणी।

तो एक अण्डरटेकिंग ली जाय, उसमें मैच्योरिटी के टाइम आप वेरीफाई कर सकते हैं कि दो से ज्यादा बच्चे हैं या नहीं। मैं चाहूंगा इसको मेच्योरिटी के टाइम वेरीफाई कर लिया जाय। स्टरलाइजेशन कराये न कराए जिम्मेदारी नहीं है जैसे इण्डोनेशिया के अन्दर है हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा स्टरलाइज्ड मैन-वुमैन रहते हैं लेकिन पापुलेशन ग्रोथ क्या है? इण्डोनेशिया के अन्दर स्टरलाइजेशन का वह रेशो नहीं है, डेमोग्रफिक प्राब्लम तो वहां भी थी, रेट आफ मोरर्टीलिटी गिरा ली थी कर्स्टीलटी उतनी की उतनी रही थी लगभग ही है। यही प्रोब्लम हमारे यहां पर है। वहां पर स्टरलाइजेशन केम्पेन इतना तेज नहीं चला फिर उन्होंने कन्ट्रोल कर लिया। हमारे यहां स्टरलाइजेशन केम्पेन बहुत तेज चला लेकिन कन्ट्रोल नहीं कर पाये। इसको सोचा जाय, स्टरलाइजेशन के साथ इसको जोड़ा नहीं जाय। दो से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करने की अन्डरटेकिंग के ऊपर, लड़का हो लड़की, उसको हजार रुपये का बाण्ड दिया जाय और मेच्योरिटी के टाइम इस बात को वेरीफाई कर लिया जाय कि दो से ज्यादा बच्चे हैं या नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अर्ज करना चाहता हूं कि 7वीं योजना, 8वीं योजना का मुद्दा भी उठा और इसके अन्दर कई ऐसी चीज आई मेरे ख्याल से कई ऐसे एरियाज हो सकते हैं। हमने, सरकार ने एक डिसेन्ट्रलाइज प्लानिंग शुरू की। राजस्थान या किसी भी राज्य की प्लानिंग या आयोजना सचिवालय में बैठक कर होती थी और सचिवालय की आयोजना गांव-गांव जाती रही है। सचिवालय की आयोजना के अन्दर अवाम का आम आदमी का कोई पार्टीसिफेशन नहीं था। पहली बार प्लानिंग को डिसेन्ट्रलाइज करने की कोशिश की जिसमें न केवल सचिवालय में बैठे हुये सेक्रेटरी और मिनीस्टर आयोजना बनाए बल्कि इस योजना के अन्दर गांव के चोपाल की हिस्सेदारी भी शामिल हो। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बैदजी ने जो कन्सेन्सस बात कही मैं सोचता हूं कि सर्टेन एरिया में जहां कन्सेन्सस इन्वाल्व कर सकते हैं। सवाल इस बात का है हमें मोह छोड़ना पड़ेगा कि किसको रोंग बाक्स में डाला जाय, किस को रोंग बाक्स में न डाला जाय। हमें सचमुच एक कन्विक्शन तय करना पड़ेगी। सदन में बैठ कर जो बात कहते हैं, वह कन्विक्शन की बात है या हमारे राजनीतिक कम्प्लशन के कारण हम बात करते हैं। मैं सोचता हूं कि यहां आने के बाद, मैं विधायक बन कर आया, मैंने सोचा था कि मुझे सीखने को काफी मिलेगा। मैं सोचता हूं मेरी बात काफी सही नहीं हुई मुझे सीखने को तो मिला पर वह नहीं जो मैं सोचता था, कुछ और मिला जिसे मैं सीखना नहीं चाहता।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बारे में सदन का और ज्यादा वक्त नहीं लेकर यही कहना चाहूंगा कि जो विकास की दिशा माननीय भैरोंसिंह शेखावत सहाब की सरकार ने तय की है और जैसा मैं कह रहा था डिक्शन आफ डवलपमेण्ट, एक नयी डिक्शन आफ डवलपमेण्ट, विकास

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की नयी दिशा जो दी है उसके अन्दर कन्सेन्सस के लिए भी जगह है और इसके साथ में राज्य का विकास हो, राज्य का विकास हम कर सके और सर्वजन सुखाय: की जो बात की गई है, उस बात के सन्दर्भ में हम सब लोग अपनी हिस्सेदारी दे पायें। इसी भावना के साथ मैं सोचता हूं बजट को, इस तरह के बजट को पास करें। मैं सोचता हूं इसमें विरोध करने के लिए कोई चीज नहीं है और विरोध करने की मेरे ख्याल से आपकी स्थिति भी नहीं है। अब विरोध के लिए विरोध करेंगे तो बेईमानी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : (फलौदी) : सभापति महोदय, दो दिन से 1992-93 के बजट पर बहस चल रही है। किसी भी पार्टी का बजट हो, वह केवल हिसाब का लेखा-जोखा नहीं होता। उसमें पार्टी का दर्शन, समाज की सेवा के लिए, विकास के लिए वह क्या रणनीति अपनाते हैं और उनको किस तरह से पूरा करना चाहते हैं। इसका नाम बजट है। इस दृष्टिकोण से यदि हम इस बजट को देखे तो लीक से हटकर इसमें कोई नई बात नहीं है। बजट को माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों ने काफी तारीफ की लेकिन मुझे एक बात बतायें, ठीक है, राजस्व की आमदनी है, उसका खर्च है, खर्च के मद है वह पहले से ही तय है। तो घिसेपिटे रास्ते पर चलने वाला यह बजट है। हमारे देश की बहुत सी ज्वलंत समस्यायें हैं उनको हम....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : घिसेपिटे से मतलब पुराना रास्ता था।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, तो पुराना वही रास्ता मैं कह रहा हूं। मैं यही बात कह रहा हूं। कोई रास्ता जब नया इजहार होता है तो एक नया रास्ता होता है। 1935 के मॉडल की गाड़ियां जिस वक्त आई होगी उस वक्त भी बहुत सुन्दर लग रही थी। आज है विंटेज कार। हमारे समय के अन्दर जो हम योजनाएं लाये थे उस समय के लिए नयी थीं, उपयोगी थी लेकिन समय के समय के बाद में वह घिसीपीटी हो जाती है। इसमें दोराय नहीं है। अब जब नयी पार्टी आयी, नया दर्शन लेकर आये तो वह आपकी कुछ नई नीतियां और जो हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं उनको हल करने के बारे में आपके जोरदार प्रयास होने चाहिये थे।

मुख्यमन्त्री जी ने अपने भाषण के अन्दर दो-तीन मुद्दे बड़े सही उठाये हैं लेकिन उनको हल कैसे किया जाये इसके बारे में इस बजट में कुछ नहीं है और उस चीज को प्राप्त करने को या उस खराबी को दूर करने के लिए उनका कोई सोच ही है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि लगभग 645 करोड़ रुपये का घाटा बिजली बोर्ड को हो चुका है और अगर यही स्थिति बनी रहती है और इसी भाव पर हम बिजली उद्योगों को या डोमेस्टिकयूज के लिए या खेती के लिये देते रहते हैं तो यह तो घाटा और भी ज्यादा दिनों दिन बढ़ता जायेगा और कोई भी आधुनिक समाज अपनी बिजली की तरक्की नहीं कर सकता, यह भी बात सही है। आपने बात तो सही कही है कि इस घाटे को कब तक बरदाश्त करें लेकिन इसमें आपने हिम्मत ही नहीं

(130)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

है। इसमें कारण क्या है? रेट बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइये। मैं आपके सामने तथ्य रखता हूं। खेती के लिए बिजली। जो व्यक्ति बिजली से खेती करता है उसका यदि एक रुपया खर्च आता है तो बैल से खेती या सिंचाई करता है उसका 15 रुपये खर्चा आता है और जो डीजल से करता है 10 रुपये खर्चा आता है। उसके घाटे का मार तो सब नागरिकों के ऊपर बराबर है फिर जो बिजली को काम में ले, आराम से सोता रहे और उधर वह बैलों से या जानवर से खेती करें, चाहे डीजल पम्प से या और साजो सामान उसमें रात दिन मरता रहे, घाटा खाता रहे, यह भेद भाव क्यों। इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं तो खुद काश्तकार हूं। मैं कहता हूं कि रेट को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये। हम क्यों नहीं बढ़ायें?

दूसरा आपने बड़ा मुद्दा उठाया कि सिंचाई के ऊपर 1800 करोड़ रुपये खर्च किया है। पूरे देश की यही हालत है। नहरों की मरम्मत का खर्चा, जितना सिंचाई से हम वसूल करते हैं, सिंचाई का लगान सिंचाई की रेट, उससे नहरों की मरम्मत का खर्चा भी नहीं निकल सकता। प्रशासनिक खर्चा और दूसरे खर्चे तो अलग हैं. उससे संधारण नहीं हो सकता उन लोगों से आप 25 रु., 30 रु., 35 रु. एकड़ सिंचाई का लेते हैं। हमारे क्षेत्र में जहां पर 300 फिट की गहराई से पानी निकाला जाता है. वहां पर बिजली का खर्चा एक एकड़ की सिंचाई का करीब 800 रुपया आता है। जो बैल से या डीजल से सिंचाई करते हैं उसका खर्चा और भी अधिक आता है। दोनों इस देश के नागरिक हैं। कृषि उत्पादन है उसको वह एक भाव से बेचते हैं। यह भेद भाव क्यों? उसका भी रेट बढ़ाना चाहिये। इधर इसको भी सबसिडी देने की कोशिश करनी चाहिये। तो यह महत्वपूर्ण समस्या है। अकाल की बड़ी समस्या है। हमने अकाल पर अरबों रुपया खर्च किया है। कम से कम 20 अरब रुपया तो खर्च कर दिया होगा, जुबानी मुझे फिगर याद नहीं है लेकिन अकाल की समस्या का अभी तक हम हल नहीं निकाल पाये हैं। इतना अरबों रुपया जब अकाल पर खर्च होता है, खर्च काहे पर होता है, सड़कों के निर्माण पर, बांध बनाने में और दूसरे रेत मिट्टी के काम करने में, वन विकास में लेकिन हमारे पास कोई फेमिन में कौन सा काम हाथ में लिया जायेगा ऐसी कोई योजना 40 साल के अन्दर नहीं बनी। आप कहेंगे, हमारी सरकार ने नहीं बनाई। हमारी सरकार ने नहीं बनाई, आपकी सरकार नई आयी थी तो आपको करना चाहिये था। अब भी हमारी पार्टी के जो सदस्य हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अकाल के पैसे का सदुपयोग किया जा सकता है। मेरा नम्र निवेदन है कि कौन सा अर्थ-वर्क उपयोगी है, कौन सी सड़क उपयोगी है, कौन सा तालाब उपयोगी है, वन विकास के कार्य सब उपयोगी हैं तो इनको एक सिस्टेमेटिक तरीके से हम क्यों नहीं बनायें? आपको यह पहल करनी चाहिये कि इस तरह के फेमिन में कौन से वर्क्स लिये जायेंगे। मैं तो यह कहता हूं कि किसान अकाल का मुकाबला कर सकें ऐसे कार्य हाथ में लिये जायें। ठीक है, सड़कें काम आती हैं लेकिन वास्तव में हम देखें तो यह कार्य अकाल से लड़ने में कभी कामयाब नहीं हुए हैं। यह योजना

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

अपने को बनानी चाहिये। हमारे यहां सूखी खेती का क्षेत्र है लेकिन जैसाकि मैं हमेशा कहता हूं, चाहे भू-संरक्षण के हों, चाहे लघु सिंचाई के हों, चाहे जल-संरक्षण के हो, यह सब पैसा वाहियात में जा रहा है। हमारा देश कोई असभ्य देश नहीं है, हमारा देश खाली तो था नहीं यह सदा ही आबादी से भरा हुआ था। लोग खेती करते आये हैं, पशु पालन करते आये हैं, लोग वन भी अपने गांव के अन्दर रखते थे, पानी के तालाब रखते थे, कुएं, बावड़ी, भू-संरक्षण के कार्य, जल-संरक्षण के कार्य सब कुछ पहले होते थे लेकिन पहले जो कुछ होता था जो हमारे लोगों की आदत है, उसको आज के वैज्ञानिकों ने, आज के एक्सपर्ट ने कभी आधार ही नहीं माना। वह अमेरिका की या दूसरे देशों की देखादेखी वाटर शैड का मैनेजमेंट और फलां मैनेजमेंट वह करना चाहते हैं लेकिन यहां उस वाटर शैड को यहां किसी नाले या नदी में लेते हैं पहले ही उस पर कुएं बने हुए हैं जिससे सिंचाई हो रही है, जिससे लोग पानी पी रहे हैं, जिससे सेवज की खेती पहले से हो रही है। तो इन सब बातों का ध्यान नहीं रखने के कारण यह सब कार्य अलाभकारी हो रहे हैं और उल्टा कूओं में पानी सूख रहा है। मेरा निवेदन करने का अर्थ यह है कि हमको सूखी खेती पर जोर देना पड़ेगा। तो इसके लिये खाली जो बाह्य जो टेक्नीक है या जो बारोड टेक्नोलाजी है उसके आधार पर नहीं, जिले के स्तर पर बहुत गहराई से विचार करके इस तरह की योजनायें हमको हाथ में लेनी चाहिये।

पानी की बड़ी भयंकर समस्या है और ज्यों-ज्यों आप इस समस्या का हल करने जा रहे हैं त्यों-त्यों पेयजल की कठिनाई दिनों-दिन बढ़ रही है। नेता महोदय जानते हैं, बीस साल से मैं रो-पीट रहा हूं, आप बरबादी की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी पेयजल की समस्या इस तरीके से कभी हल हो नहीं सकती। अरबों रुपया आपने खर्च कर दिया। ज्यों ज्यों खर्च कर रहे हैं त्यों-त्यों स्थिति और बिगड़ती जा रही है। मान लो पहले एक-तिहाई लोग यहां बसते थे। आप अपने बचपन का समय देखें, बहुत से ग्रामीण यहां बैठे हैं उस वक्त न नल कूप थे, न इंजन थे न बिजली चालित पम्प थे। सुबह हम उठते तो कुए के पास हौजी है, खालियां हैं, सब भरी रहती थी। पनघट चलता था। आज कहीं पानी के दर्शन नहीं होते, वन्य प्राणियों के पीने के लिये पानी नहीं है। यह स्थिति क्यों बन रही है? इस पर गहराई से विचार नहीं कर रहे हैं। इसके दोषी हम भी हैं। एक तरफ तालाब की खुदाई की बात करें तो गांव वालों को हम भी प्रभावित करने के लिये कि साहब, तालाब की बात करते हो, आपके ट्यूब वैल लगायेंगे। हमने एक ट्यूब वैल खुदवा दिया, इसलिये वोट दे दो। हमने यह नल योजना डलवा दी इसलिये हमको वोट दे दो। यह हमने बड़ी भारी गलती की है, अब भी कर रहे हैं। पेयजल की समस्या का एक ही हल है कि बरसात के पानी को भविष्य के लिये एकत्र करना चाहिये तालाबों में और छोटे पोकरों में। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक पेयजल की समस्या का कोई हल आप नहीं निकाल सकते। दूसरा वाटर कन्जर्वेशन, वाटर कलेक्शन, वाटर हार्वेस्टिंग की जो आधुनिकतम फिलासफी है, जोधपुर, बीकानेर इसके नमूने हैं। सूरसागर को पूरने की

(132)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

आप योजना बना रहे हैं, इसको खत्म कर दिया जाये। हमारे जोधपुर शहर के तालाब में 50 करोड़ रुपये के तराशे हुए पत्थर हैं, आज आप बना नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय, दो इंच बरसात होती थी तो उस समय आबादी 80 हजार थी लेकिन दो इंच की बरसात में साल भर का पानी आता था। यह सब चीजें खत्म कर दी लेकिन हमारा असल आधार जो पूर्व में था, हम असभ्य समाज नहीं थे, सभ्य थे। हमारे काम करने का तरीका उन परिस्थितियों में सही था। उनके ऊपर आयातित विचार लाकर लाद दिये और नतीजा आपके सामने आ रहा है। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि चाहे अकाल का हो, चाहे बिजली की हो, सिचाई की वही पद्धति अब तक काम में ले रहे हैं जो आज से 100 वर्ष पहले ईजाद हुई थी। जब भारत पाकिस्तान और बंगलादेश की आबादी मिलाकर 25 करोड़ थी या 20 करोड़ की थी। उस वक्त नदियां भरी हुई चलती थी। उस वक्त हमने फ्लो इरिगेशन की तरकीब निकाली थी। आज बूंद बूंद पानी का उपयोग करना होगा। इस हेतु चाहे फ्लड के पानी को भूगर्भ में एकत्र करें और चाहे बूंद बूंद वाली राजस्थान नहर का पानी है, उस तरह से किया जाय, ज्यादा से ज्यादा लाया जाय, जब यह नहीं होगा तब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा। यह ज्वलंत समस्या है। मुख्य मंत्रीजी, आपने उल्टी बात तो कह दी कि यह रास्ता सही है लेकिन इसकी ओर कोशिश करने से डर गये कि अनपापुलर हो जाऊंगा, टैक्स लगाने पड़ेंगे। इसलिए आपको एक हिम्मत के साथ बजट देना चाहिए था।

वन विकास की बात यह है कि वन विकास की बात बहुत हुई है और यह वन विकास वालों का एक और काम है जो हमारे पशुधन को खत्म करके रख देगा। जो वृक्ष और झाड़ियां आप लगा रहे हैं वह किसी काम की नहीं है। हमारे यहां पर जो वृक्ष, झाड़ियां और घास है, वह संसार की श्रेष्ठतम है। चाहे वह हरी-भरी नहीं होगी लेकिन चाहे वह कैर हो, खेजड़ी हो, चाहे मुराली हो दूसरी या तीसरी हो, उसके ऊपर पलने वाला पशुधन और जानवर सबसे श्रेष्ठ है। उसको हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। कृषि के बाद हमारा मुख्य व्यवसाय पशुपालन है लेकिन पशुओं का क्या होगा? एक तरफ इलाके उजड़ रहे हैं, पहाड़ नंगे हो गये हैं, घास की जमीन है, ढाल की वह उजाड़ हुई, वन विकास का कोई काम नहीं हुआ। अधिकारी इन वृक्षों को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। इस पर आपको विचार करना चाहिए था।

मेरा सुझाव यह है कि यहां योजना बोर्ड और प्लानिंग बोर्ड जो है, वह केवल नाम मात्र के लिए है। आपके पास घणे अफसर हैं, घणे साधन हैं आप एक जिला स्तर पर और एक राज्य स्तर पर रात-दिन काम करने वाले ऐसे कोई को जिसके अन्दर पापुलर एलीमेण्ट भी हो, जिसमें वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भी हो, इस तरीके से काम करते हैं तो यह अरबों और करोड़ों का जो यों ही व्यय हो रहा है उससे बचा जा सकेगा और राजस्थान के लोगों को आप सही मायने में सम्पन्न बना सकेंगे।

गांव के अन्दर हालत यह हो रही है कि काम नहीं है। शहर की आबादी 32 लाख या 35 लाख या 40 लाख तक हो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जायेगी (व्यवधान) 16 लाख नहीं 35 लाख ही होगी। इतने लोग यहां इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? गांव के अन्दर काम नहीं है। लेकिन इस समस्या की तरफ आपके बजट में कोई भी ध्यान नहीं दिया है। मेरा सुझाव है कि यह जो हमारी मूलभूत समस्या है चाहे खेती की हो, चाहे पशुपालन की हो, चाहे पेयजल की हो, उनकी ओर क्रांतिकारी, लीक से हटकर आपको कार्यक्रम लाने होंगे।

अब आपने एक बात कह दी 61 प्रतिशत हम ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय करने लग गये। हम गांवों में जाते हैं तो कहते हैं मीनी के हाथ फेर दिया। साहब, आप खुद बिराजमान हैं। पिछले साल के आंकड़े देखिए, उससे पहले साल के देखिए। माननीय सदस्य तारीफ कर रहे हैं। आप एक मुद्दा बता दीजिए जिसके अन्दर 10–20 करोड़ रुपया किसी योजना के नाम से जुड़ा हो, छोटी सी पुस्तक दी है। उसमें गांव में कौन-कौन से में लगा दिया वह है। उसमें ट्रेण्ड इन्क्रीज है। 615 करोड़ है तो इस साल 630 करोड़ हो गया, उससे पहले साल 600 करोड़ था। इसके अन्दर कहां से आ गया? सवाल ही नहीं है। यह केवल जंजाल है। क्या पता बैठे बैठे कुछ कर दिया। पहले वाले बजट में भी 61 प्रतिशत ही हो, क्या पता? आपने नयी बात कह दी लेकिन आंकड़ों में जब मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे, तब हमको समझायेंगे कि यह नया किया है। हमने तो सब देख लिया। ट्रायबल के लिए दो करोड़ कम हुआ है, खेती वाले पर 30 करोड़ बढ़ा है। पोने तिरेसठ अरब का बजट है, 6275 करोड़ का एक प्रतिशत अगर होती है तो पोने तिरेसठ करोड़ का फर्क पड़ता है। पहले 50 प्रतिशत हम खर्च कर रहे थे, या 55 कर रहे थे उसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि हो तो 300 या 400 करोड़ का फर्क आना चाहिए। यह तो कहीं हुआ ही नहीं है।

एक बात माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरसों के अन्दर हम प्रथम आ गये। आपने कब नारा लगाया? पिछले साल कहा होता कि प्रोग्राम हाथ में लेंगे, सरसों उत्पादन का। कहीं मीटिंग की होती। एग्रीकल्चर विभाग ने कुछ अभियान चलाया होता। कैम्पेज चलाया होता, सहुलियतें दी होती। यह तो वही बात हो गयी "स्याल के बिल के आगे रात को हाथी मर गया" तो वह मालिक बन गया कि इस हाथी का तो मैं मालिक हूं। तो यह तिल वाली बात है कि बाहर से आयात बन्द कर दिया। भाव 11 रुपये हो गया। कीमत बढ़ी तो लोगों ने पैदा कर दिये। यह नयी बात नहीं की।

कई दफा माननीय सदस्य कह देते हैं–ठीक है हमारे राज में भी त्रुटियां थीं आपके राज में भी त्रुटियां हैं लेकिन चालीस वर्ष में कुछ नहीं हुआ। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में हाई स्कूल, माध्यमिक स्कूल, सड़क की लम्बाई, शफाखाने, हैण्ड पम्प, नल कूप और बिजली यह हिसाब लगा लीजिए कि चालीस साल पहले कितने थे और अब कितने हैं। एक मील भी सड़क थी? हमारे टाइम में कितना हुआ? आपके राज में, लम्बे समय बाद में, 10-15 साल में आपको कभी-कभी मौका मिलता है। ढाई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

साल पहले मौका मिला था, दो साल अब हो गये। इसमें आपने कितना किया यह देख लेना आप। बात कहें कायदे की। कांग्रेस राज में बहुत तरक्की हुई है। आपको अवसर मिला है। हमको खुशी होगी, आप बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने प्रदेश को नया रास्ता बताते हैं तो।

टैक्सों के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह घाटा कभी 20 करोड़ कभी 40 करोड़ बढ़ता रहता है, घटता रहता है। बेलन, चकला और तवा, न तो बहुत ज्यादा इनसे टैक्स आता था और टैक्स-पेयर जो है, वह इनको बेचता ही नहीं है। यह तो सड़क पर बैठने वाले बेचते हैं, हटवाड़े में बिकता है। खैर आपने बहुत मेहरबानी की। लेकिन महिलाओं को अगर वास्तव में कुछ राहत दिलाना चाहते हैं तो महिलाओं को आजकल काम बहुत करना पड़ता है, घरेलू उपयोग के इलेक्ट्रिक गुड्स हैं उस पर आपने टैक्स लगा दिया। महिलाओं को वास्तव में चाहे वह कपड़े धोने की मशीन है, इस्त्री हो चाहे दूध की क्रीम निकालने की, यह बहुत उपयोगी है। औरतों को बहुत काम करना पड़ता है आधी रात तक, उसमें कमी की थी वह आपने बढ़ा दी।

खैर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आपने बजट पेश किया, इसमें मैंने कुछ सुझाव दिये हैं। आप इन पर, जो हमारी मूल समस्याएं हैं उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे। अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं उसके बाद में भी जो परिणाम आने चाहिये, वे नहीं आ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है। मुझे यही निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : सभापति जी, किसी भी सरकार के बजट प्रस्ताव उस सरकार के राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सोच का दिग्दर्शन कराते हैं, लेकिन इस बजट में न कोई सोच है और न ही कोई दिशा। वर्ष 1990 के बाद से इस सरकार के तीसरे बजट ने इस प्रदेश की जनता को निराश किया है। देश और प्रदेश की मूलभूत समस्याएं चाहे वे अकाल की हों, गरीबी की हों, बेरोजगारी की हों, आतंकवाद की हों या प्रदूषण की हों' इन सब बड़ी समस्याओं के सम्बन्ध में मौजूदा सरकार का इस बजट में कोई सोच नहीं हैं। विकास कार्य ठप्प पड़े हैं, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन अधिक व्यापक और जटिल रूप धारण करता जा रहा है। मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था इस रोग के निदान के लिये एक तरह से असहाय साबित हो रही है। प्रदेश का सारा प्रशासनिक ढांचा एक तरह से अनिर्णय की स्थिति में है। मेरी इस मान्यता को बल मिलता जा रहा है कि जो सरकार अपने अस्तित्व के प्रति आशंकित हो उससे जन-कल्याण और क्रांतिकारी कदम अथवा राहत की उम्मीद करना निरर्थक है। यह बजट केवल मात्र परम्परा का निर्वहन है। सारे बजट में प्रक्रिया, आंकड़े और भाषण के जाल के अलावा और कुछ भी नया नहीं है। निसंदेह हमारी प्रादेशिक सरकार के आय के साधन सीमित हैं लेकिन आय के साधनों को बढ़ाने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भी इस बजट में कोई प्रयास या किसी तरह का संकेत भी दिखाई नहीं है। भारत सरकार ने अपने बजट में लीक से हटकर कुछ

(श्रीमती मदन कौर)

क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं। उसका अनुसरण यह सरकार कर सकती थी, लेकिन किसी तरह की कोई नयी बात इस बजट में नहीं है। हमारे प्रदेश में विभिन्न मण्डल और निगम ऐसे हैं जो सरकार के लिए सफेद हाथी साबित हुए हैं और उनकी कार्यकुशलता पर भी प्रश्नचिन्ह लगे हुए हैं। मात्र एक कमेटी बैठा देने और बजट भाषण देते समय औपचारिक रूप से विपक्ष का सहयोग मांग लेने मात्र से इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। इन निगमों और बोर्डों पर सरकार का कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है। सरकार फिजूलखर्ची के विरुद्ध भी कोई वातावरण नहीं बना पायी है। सरकार की कर नीति भी दोषपूर्ण है। मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूं। बाड़मेर में भूमि की कीमत बहुत कम है, लेकिन उस पर जो रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी लगती है वह बिलकुल न्यायसंगत नहीं है। बाड़मेर जिले में अगर कोई पांच एकड़ का जमीन के टुकड़े को 20–22 हजार में खरीदे तो उस पर उसको रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है लगभग ग्यारह हजार रुपये के बराबर। यह कहां का न्याय है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि आप इस रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी को युक्तिसंगत बनाएं।

मेरा दूसरा एतराज आबकारी शुल्क के सम्बन्ध में है। यह सरकार आबकारी शुल्क की आय से तो अपना मोह नहीं छोड़ पायेगी। मेरी आपत्ति पोस्त डोडों के संबंध में है। अफीम का व्यापार नारकोटिक्स कानून के तहत प्रतिबन्धित है, लेकिन राज्य सरकार पोस्त डोडों का व्यापार करके, उसके ठेके देकर एक तरह से जो अवैधानिक काम है उसको वैधानिक जामा पहना रही है। पोस्त डोडों के ठेकेदार कोई बहुत बढ़ी आमदनी सरकार को नहीं देते। लोगों का वे शोषण करते हैं, तौल में कम देते हैं, और कभी-कभी तो कृत्रिम अभाव पैदा करके लोगों को परेशानी भी करते हैं। अफीम और पोस्त डोडों में फर्क क्या है? दोनों का नुकसान एक ही जैसा है। तो फिर राज्य सरकार पोस्त डोडों के ठेके देकर इतना भी नहीं जानती कि एक तरफ स्लो पाइजनिंग करती है और दूसरी तरफ लोगों के शोषण में भी भागीदारी बनी हुई है।

मान्यवर, प्रदेश में आर्थिक संकट है, साधन सीमित है। यह राज्य सरकार आर्थिक संकट और सीमित साधनों का बहाना बनाकर, उसका हौवा खड़ा करके प्रदेश के सबसे कमजोर तबके के हितों पर उसकी सबसे अधिक कठिनाई के समय में कुठाराघात और प्रहार करती रही है। पश्चिमी राजस्थान आज अकाल और अभाव से ग्रस्त है। वहां का जन-मानस मजदूरी के अभाव में जगह-जगह भटकता फिर रहा है। अनाज के मूल्य ज्यादा हैं, लोगों की क्रय शक्ति नहीं है। लेकिन यह राज्य सरकार मितव्ययता के नाम पर, नेचुरल कैलेमिटी फण्ड से इस सरकार को केन्द्र सरकार से जो पैसा मिला है उसमें भी मितव्ययता करके लोगों को कोई राहत नहीं पहुंचा रही है। जब तक हम मौजूदा धनराशि का व्यय नहीं करेंगे तो भारत सरकार के पास क्या सन्देश भेजेंगे? भारत सरकार को यह सन्देश जायेगा कि राजस्थान में कोई अकाल नहीं है और भविष्य में भी इस तरह के नेचुरल कैलेमिटी फण्ड से हमें कम

(श्रीमती मदन कौर)

पैसा मिलेगा। इस तरह से राज्य को केन्द्र के धन से भविष्य में वंचित कर रही है।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में जवाहर रोजगार योजना के संबंध में प्रदेश के प्रथम आने पर खुशी जाहिर की है। वह तो अच्छी बात है लेकिन इसके अलावा इस प्रान्त के पास और चारा क्या है? दूसरे अनेक प्रान्त ऐसे हैं जो अपने बल-बूते पर अपने साधनों से अपने प्रदेश का विकास कर सकते हैं। हमारे पास कौनसे साधन हैं? इसलिए हमें तो इसका अत्यधिक उपयोग करना ही चाहिए। मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जे. आर. वाई., बार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम और ग्रामीण विकास के लिये केन्द्र से जो धन हमें मिलता है उसका हमें अधिक उपयोग करना चाहिये। लेकिन अगर हमारे क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएं चुनी हुई हों तो इनका उपयोग और व्यापक और सुचारू रूप से किया जा सकेगा। मैं उदाहरण दूंगी जीवन धारा का। जीवन धारा एक बहुत ही अच्छी योजना है, पिछड़े लोगों को कमाई का अच्छा साधन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन चूंकि हमारी पंचायती राज संस्थाएं चुनी हुई नहीं हैं, वहां प्रशासक बैठे हैं, आज यह जीवन धारा कई खण्डों में विकास अधिकारियों की जीवन धारा बनी हुई है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में चहुंमुखी विकास हो, हमारे प्रदेश में विकास कार्य हो, यह हमारी सब की मांग है। लेकिन विभिन्न विभागों में अलग-अलग योजनाओं में आइसोलेटेड रूप में जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लक्ष्य प्राप्त करके अपने आप को सन्तोष दिलाते हैं, इससे हमारे क्षेत्र का विकास सम्भव नहीं है। मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी उदाहरण आज "जीवनधारा" में जो कुएं बने हैं उन कुओं को अगर बिजली बोर्ड विद्युत उपलब्ध नहीं कराये तो क्या उपयोग है ऐसी योजना का? जो गरीब कुआ नहीं बना सकता है, उसने "जीवन-धारा' के अन्तर्गत कुआ बनाया, उसको बिजली कनेक्शन नहीं मिला। वह क्या आमदनी करेगा उस कुएं से?

इसी तरह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और बिजली बोर्ड तो सदा विवाद में उलझे रहते हैं। कितनी ही नल योजनाएं हमारी बन गई, कितने ही नलकूप हमारे कमीशन हो गये लेकिन आज अनेकों जगह ऐसी स्थिति है कि वहां पानी नहीं पहुंचता। बिजली बोर्ड कहता है कि हम पूरी वोल्टेज दे रहे हैं और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कहता है कि हमको वोल्टेज नहीं मिला। और इस तरह के विवाद में हमको समुचित लाभ नहीं मिलता।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि राज्य सरकार को इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिये। जो भी योजना स्वीकृत हो उसको विभिन्न विभागों से तालमेल बिठाकर, एक तरह से एकता बनाकर करेंगे तभी हमारे क्षेत्र की योजनाओं से समग्र विकास हम प्रदेश का करने के समर्थ होंगे।

मान्यवर, मुख्य मन्त्रीजी ने एक बात कही है। मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने पर उन्होंने 225 लाख रुपये का प्रावधान किया है। प्रथा तो अपने आप में कोई बुरी नहीं होती लेकिन जो लोग इस काम को करते हैं वे हमारे समाज के पूजनीय

(श्रीमती मदन कौर)

सेवक हैं। उन लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिये हमें हर सम्भव प्रयास करना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हम सब चाहते हैं कि मल-मूत्र और गन्दगी का एक आधुनिक ढंग से निदान हो, उसको इकट्ठा किया जाय। हमारे जैसे देश में जहां पर जनसंख्या अत्यधिक है, उस क्षेत्र में तो यह संसाधन हमारे लिये बहुमूल्य साबित हो सकते हैं। अगर इसका राशतल उपयोग किया जाय तो हमें ऊर्जा और खाद तो मिलेगी ही, इसका परोक्ष लाभ प्रदूषण संरक्षण में और जन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मिलेगा। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी इस प्रदेश में इस संसाधन के आधुनिक उपयोग के लिये कि नगर और शहरों में, प्रदेश की तरफ से पहल करके ऐसे संयंत्र लगायें।

मान्यवर, अगर शिक्षा की तरफ हम नजर डालें तो पिछले दो सालों में जितना अवमूल्यन इस प्रदेश में शिक्षा का हुआ है, उतना 42 सालों में कभी नहीं हुआ। कुछ नये स्कूलों को खोलने का, कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत करने का निर्णय पिछले बजट में लिया गया, वे स्कूल समय पर क्यों नहीं खोले गये, क्या उलझन थी? कोई सरकार स्कूलों को खोलने, स्कूलों की स्वीकृति जैसी मामूली बातों पर भी अगर समय पर निर्णय नहीं कर सके तो वह उसके इम्मेच्योर्ड चिन्तन का द्योतक है।

शिक्षकों की तरफ देखें तो स्थिति और भी दयनीय है। अनेक स्कूल ऐसे हैं जहां पिछले दो सालों से प्रधानाध्यापक नहीं, विज्ञान के शिक्षक नहीं और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज भी सरकार के पास किसी तरह की नीति नहीं है कि किस तरह से इन शिक्षकों की कमी को हम पूरा करेंगे।

सरकार ने कुछ जिलों में शत-प्रतिशत शिक्षा का बीड़ा उठाया। अगर यह काम करना ही था तो फिर "पिछड़े को पहले" के सिद्धान्त को अमल में लेते। अन्यथा कोई जिला तो शत-प्रतिशत शिक्षित हो जायेगा और दूसरा जिला वैसा ही अशिक्षित रह जायेगा। आज हमारे जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां प्राइमरी स्कूल थी, वह मिडिल ही नहीं सैकण्डरी भी हो गई लेकिन वहां......

श्री राम किशन : साक्षरता, शिक्षित नहीं।

श्रीमती मदन कौर : साक्षरता शिक्षा है, और है क्या? अक्षर क्या है। उसके अलावा कौनसी शिक्षा देते हैं स्कूलों में?

तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे यहां कई सैकण्डरी स्कूल हो गये लेकिन वहां आज प्राइमरी स्कूल नहीं। मैं उदाहरण देना चाहती हूं आडेल, कोना, धोरीमन्ना और सिन्दरी का जहां प्राइमरी स्कूलें नहीं हैं। ऐसे बड़े गांवों में प्राइमरी स्कूल हमें प्राथमिकता से खोलने चाहिए।

विद्युत के सम्बन्ध में मैं इस बात पर सरकार की सराहना जरूर करूंगी कि पिछले साल में विद्युत कटौती नहीं की और कुओं की नियमित (व्यवधान) अच्छी बात की तो तारीफ करूंगी लेकिन आपकी तरह गलत काम की तारीफ नहीं करूंगी। विद्युत का वोल्टेज ठीक रहा और कहीं कटौती नहीं हुई लेकिन जहां विद्युत के प्रसार का प्रश्न

(श्रीमती मदन कौर)

है, एकदम रिजल्ट निल आया है। हमारे यहां धोरीमन्ना और सिन्दरी दो सब-डिविजन हैं। दोनों सब-डिविजनों में एक भी गांव को नया विद्युतीकृत नहीं किया गया और न ही कुओं को

(3.45 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बिजली उपलब्ध कराई गई। सिन्दरी पंचायत समिति में आडेल में 33 के.वी. का सब-स्टेशन लगाना था। पिछले दो सालों से चर्चा चल रही है लेकिन आज तक उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, आप घण्टी बजायें, इसके पहले मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय समस्या है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नेशनल स्तर पर अपनी पहल की बात इस बजट में कही है। वह तो ठीक है लेकिन यह प्रान्तीय सरकार भी इस सम्बन्ध में कुछ कर सकती है। वैसे लोगों को लुभाने के लिये तो कुछ बातें कही हैं लेकिन आज जनसंख्या वृद्धि इस स्तर पर आ चुकी है कि इस सम्बन्ध में हमें एक आम सहमति बनाकर कोई दृढ़संकल्प लेकर, कोई डिटेरेंट स्टैप भी लेने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : कल इसी के लिये एक सेमीनार रखी गई है। आप सभी को आमंत्रित किया गया है। दो दिन की सेमीनार है।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्षजी, मैं बाड़मेर जिले के विकास की बात किये बिना अपने विचार इस बजट पर अधूरे ही मानती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया थोड़ा संक्षिप्त कीजिये।

श्रीमती मदन कौर : बहुत जल्दी करूंगी।

इस सरकार के और केन्द्र सरकार के सभी मंत्रीगण और प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि बाड़मेर जिला राज्य का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है — आर्थिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, और शिक्षा की दृष्टि से। आज जैसलमेर भी हम से आगे है। जैसलमेर में इन्दिरा गांधी नहर आई और यह जिला पर्यटन की दृष्टि से भी देश और विदेश के मानचित्र पर आ चुका है। लेकिन बाड़मेर जिले में किसी प्रकार का कोई विकास ऐसा नहीं हुआ जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को आमदनी के साधन मिल सके। आज भी बाड़मेर में पानी की किल्लत है और विद्युत के लिहाज से भी टेल पर है। कोई बड़ी परियोजना या उद्योग जिले में नहीं लगा। हर पांच साल में चार साल हमें अकाल और अभाव से जूझना पड़ता है। नर्मदा नहर से कुछ उम्मीद थी लेकिन उसमें भी विलम्ब होता जा रहा है। किसी तरह का जब रोजगार और आमदनी का स्रोत नहीं है तो वहां का आदमी भूखा सारे देश में मजदूरी के लिये भटकता फिरता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं इस सम्बन्ध में भी इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि भौगोलिक दृष्टि से हमारा जिला देश की और प्रदेश

(श्रीमती मदन कौर)

की राजधानी से दूर स्थित है। एक तरह से दोनों ही सरकारों की नजरों से ओझल है। यह जिला निरन्तर पिछड़ता चला जा रहा है और सच्चाई यह है कि वहां का इन्सान, खासकर के ग्रामों में रहने वाला आदमी तो भगवान से भी छिप कर अपनी जिन्दगी बिता रहा है। इस जिले की ओर उपेक्षा अगर की गई तो निश्चित ही प्रदेश को ही नहीं, देश को भी महंगी पड़ेगी। यह सीमान्त जिला है और उसके साथ ही साथ....(व्यवधान) धमकी ही है और इसको धमकी के रूप में लेना भी चाहिये आपको। उस क्षेत्र में रेतीले दुर्गम रास्ते हैं। ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसी भुखमरी और ऐसी भयंकर स्थिति, उसमें अगर वहां के लोग अपने आप को तस्करी में आकर्षित करें, पाकिस्तान के दुष्प्रचार के शिकार हों तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि आखिर आदमी मरता क्या न करे। अतः मेरी मांग है कि सरकार इस संवेदनशील जिले के विकास की तरफ समुचित ध्यान दे।

अन्त में, मैं विकास कार्यों और प्रशासनिक ढांचे को अंजाम देने वाली सरकारी सेवाओं के सम्बन्ध में दो शब्द आपसे निवेदन करना चाहूंगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रशासनिक कर्मचारियों को 9वें, 18वें और 27वें साल में पदोन्नति के अभाव में अगले वेतनमान देने की व्यवस्था की बात कही है लेकिन राज्य के तकनीकी कर्मचारियों में आज भी बड़ी निराशा है। आप सार्वजनिक निर्माण विभाग में देख लीजिए, सिंचाई विभाग में देख लीजिए, विद्युत बोर्ड में देख लीजिए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में देख लीजिए, सारे अभियन्ता करीब 10-10, 15-15 साल से अपनी पहली पदोन्नति के लिये आज भी बैठे हुए हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरह की कोई व्यवस्था आपको इनके सम्बन्ध में भी करनी चाहिए। खास तौर से सिंचाई विभाग में तो स्थिति बहुत ही शोचनीय है। वहां सहायक अभियन्ता के पद खाली हैं और 10-10, 15-15 साल से डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता पहले प्रमोशन भी नहीं पा सके हैं। मुख्य मंत्रीजी ने उनकी बात सुनी थी और एक साल पहले सिंचाई सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी लेकिन वह कमेटी भी एक तरह से निष्क्रिय होकर रही और किसी तरह का नतीजा नहीं निकला है। अगर ऐसी स्थिति में यह अभियन्ता आन्दोलन की राह पकड़े तो क्या न्यायोचित नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : आप अब बिराजिए। माननीय श्री गुलाम मुस्तुफा खान जी।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को मैं यथास्थितिवादी बजट मानती हूं और जो पिछले 2 साल में इस सरकार की छवि विकृत हुई है उसको सुधारने में यह बजट सक्षम नहीं है। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने विधान सभा बनने के बाद जितने भी बजट देखे, सबका अध्ययन किया है। एक बात....(व्यवधान) आप सुनिए तो सही पहले ही बोलने लग

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

गए। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। मुझे पता है कि मैं बोलूंगा तो आप.... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आपको मालूम नहीं है शायद मैं भी आपकी जैसी टोपी पहन कर आया हूं। आपको मालूम नहीं है कि सन् 1952 से चल रही है विधान सभा और आपको जुम्मे-जुम्मे दो दिन हुए हैं....

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : तो मैंने पढ़े हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अध्ययन किया है लाइब्रेरी के अन्दर। आपको चैलेंज नहीं करूंगा मुझे पता है कि आप कहेंगे। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को धन्यवाद इस बात का देता हूं कि अपने बजट के अन्दर मुसलमानों को उन्होंने याद किया है। 1952 के बाद में आज तक जितने भी बजट बने हैं उनके अन्दर एक लफ्ज मुसलमानों के लिए नहीं आया। इसलिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 7 करोड़ 60 लाख रुपये सूफी साहब, जो गरीब नवाज़ हैं उनकी दरगाह में आने-जाने के रास्ते, उनके विकास के लिए रखे हैं। यह राजस्थान के अन्दर सबसे पहला काम है और पहली बुनियाद उन्होंने डाली है कि मुसलमान भी उनकी तरफ देखें। दूसरी बात... (व्यवधान)

श्री अमीन खां : मुसलमानों को कितनों को रोजगार दिया गया, शिक्षा की तालीम कितनों को दी गई,. यह तो मुझे बता दीजिए।... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप अपना कथन जारी रखिए।

श्री राम प्रताप कासनिया (उप मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लड़ेंगे।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : सुन तो लीलिए। दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी को मैंने पिछले दिनों के अन्दर भरतपुर के कुछ ऐसे गांव दिखाए जो मेवों के थे जिनके अन्दर न सड़कें थीं, न बिजली थी, न स्कूल थे और न पानी था... (व्यवधान)... एक गांव तो मुझे ऐसा मिला जिसके अन्दर जाने की रेवेन्यू की रोड भी नहीं थी और मुख्य मन्त्रीजी को खेतों के अन्दर से मैं ले गया था। मुख्य मन्त्रीजी ने इस बजट के अन्दर 1 करोड़ रुपया मेवात विकास बोर्ड के लिए दिया है। 1987 के अन्दर जो मेवात विकास बोर्ड बना था उसमें पहली बार ऐसा हुआ है.... (व्यवधान)

श्री अमीन खां : ऐसा कभी नहीं हुआ आपके नागौर में भी सड़कें नहीं बनी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खांजी, बिराजिए आप। व्यवधान पैदा मत कीजिए।....(व्यवधान)

श्री राम प्रताप कासनिया : आपको वह तकलीफ हो रही है। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : जयपुर का मालूम नहीं है इनको ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।... बिराजिए आप।

एक माननीय सदस्य : मुसलमान भाइयों की जिप्सी में आग लगा दी जाय और आप यहां बात करते हैं मुसलमानों की....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खांजी ।....(व्यवधान)....

श्री अमीन खां : यह पहला प्रदेश है जहां मुसलमानों....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप ।....(व्यवधान)....माननीय श्री गुलाबसिंह विराजिए आप ।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन के माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि इस तरह से व्यवधान पैदा न करें ।....(व्यवधान)....श्री अमीन खां जी ।....श्री गुलाब सिंहजी....(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है ।

श्री उपाध्यक्ष : कहिए आप ।....(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय सदस्यों को तकलीफ इस बात की हो रही है....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ....हत्या कर दी राज में भी और आज आप तारीफ कर रहे हैं ?....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मीणा साहब । यह व्यवधान का कोई तरीका नहीं है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह गलत बयानी कर रहे हैं । सड़क मुसलमानों के लिए नहीं बन रही है । सार्वजनिक उपयोग के लिए बन रही है । फिर मुसलमानों के लिए कैसे कह रहे हैं ?....(व्यवधान)

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : यह सारा 1 करोड़ रुपया मेवात विकास बोर्ड के लिए है और मेवों के लिए है....(व्यवधान).... मेवों के विकास के लिए खर्च किया जायेगा ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सहयोग कीजिए आप । ... (व्यवधान)

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मेवों के सारे गांवों के अन्दर सड़कों के लिए खर्च किया जायेगा । आज तक जितने भी 5 या 7 लाख रुपये जो बजट के अन्दर दिए हैं वह आज तक मेवात विकास बोर्ड में खर्च नहीं हुआ....(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : आज तक इतना रुपया खर्च नहीं किया....(व्यवधान)

श्री घासीराम चौपड़ा (टोडारायसिंह): बी.जे.पी. के राज में मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय नेता श्री परसरामजी मदेरणा साहब से आग्रह करूंगा कि कृपया वह सहयोग करेंगे । इस प्रकार से व्यवधान करने का कोई तरीका नहीं है ।....(व्यवधान)....माननीय श्रीमती तारा भण्डारी जी....

श्रीमती तारा भण्डारी : इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : हम यहां

(श्री रामकिशन)

विराजमान हैं। वह बोल रहे हैं, आप बाद में उत्तर दे सकते हैं लेकिन बात कह लेने दें। इससे सदन का समय भी जाता है और सदन की गरिमा भी गिर रही है।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप आरम्भ रखिए।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवधान इसलिए हो रहा है कि मेरे ख्याल से कि माननीय सदस्यगण को इस बात का डर है कि उनका वोट बैंक खिसक चुका है।... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मिर्धाजी की वजह से जीतकर आये हैं अब की चुनाव लड़ेंगे तो पता चल जायेगा।.... (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनसे पूछ लीजिए यह क्या चाहते हैं, बार-बार बीच में खड़े होकर व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।.. (व्यवधान)....श्री अमीन खां जी।.... (व्यवधान)

श्री अमीन खां : हम परसराम के नाम पर जीत कर आये हैं....(व्यवधान)

(4.00 म.प.)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : बजट जो होता है वह जनता की और अल्लाह की अमानत है और माननीय मुख्य मन्त्रीजी को बजट बनाते समय कम से कम.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय गुलाम मुस्तुफा जी, अब के फील्ड में जायेंगे तब आपको पता लगेगा कि वोट बैंक किसका निकला है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है। I am on a point of order.

श्री उपाध्यक्ष : What is your point of order ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर भगवान को और खुदा को शामिल करना, मैं समझता हूं कि यह अच्छा नहीं है....(व्यवधान)

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मैंने खुदा के नाम की शपथ ली है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा गौर करें इस बात पर कि अल्लाह की अमानत किसको कहा जाता है। यह बजट मुख्य मन्त्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने पेश किया है या अल्लाह ने पेश किया है ? आप पहले व्यवस्था दें मेरे पाइण्ट आफ आर्डर पर उसके बाद आप आगे बात कीजिए . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। बिराजिए आप....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कहा है।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, यहां ईश्वर और अल्ला के नाम पर शपथ लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद साहब, विराजिए आप ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुनिए तो सही । आपने सुना ही नहीं व्यवस्था क्या देंगे आप ? मेरी बात ही पूरी नहीं हुई ..(व्यवधान)....माननीय नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि यह बजट....(व्यवधान)....एक मिनट सुन तो लीजिए आप । गलत हो तो आप कह देना अपनी बात । बात तो सुननी चाहिए ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : अमानत है यह जनता की, अमानत है यह राजस्थान के रहने वाले नागरिकों की, इस पर हमें सोच विचार करके....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह कह रहा हूं कि माननीय नागौर से आने वाले सदस्य ने यह कहा कि यह बजट जो मुख्य मन्त्रीजी ने इस सदन में रखा है, यह मुख्य मन्त्रीजी की और अल्लाह की अमानत है । इस पर मुझे आपत्ति है । आप यह कह सकते हो कि यह सरकार की अमानत है, यह....(व्यवधान) यह मुख्य मन्त्री जी की है । इस शब्द को निकालिए.... (व्यवधान)....यह ठीक नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एतराज है । जो इन्होंने पाइण्ट आफ आर्डर उठाया है, इसका एतराज है मुझे । उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर प्रत्येक माननीय सदस्य ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली और गवर्नर के समक्ष, मिनिस्टर बनते हुए, मुख्य मन्त्री बनते हुए भी ईश्वर के नाम की शपथ ली है । उनके द्वारा बनाया हुआ बजट या कुछ भी रचना है और उसमें ईश्वर और अल्लाह का नाम आ गया, इनको कहां एतराज हो गया ? इन्होंने क्या ईश्वर के नाम की, अल्लाह के नाम की शपथ नहीं ली ?

श्री हेतराम बेनीवाल : आप असत्य बोल रहे हैं । यहां प्रत्येक सदस्य ने ईश्वर की शपथ नहीं ली । मैंने नहीं ली ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मैंने खुदा के नाम की शपथ ली है और कोई गुनाह नहीं है....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : मैं जो शब्द प्रयोग में लिया गया है उसको देखूंगा उसके बाद ही कोई व्यवस्था दूंगा । आप अपने भाषण को प्रारम्भ रखिए ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : खुदा और भगवान के नाम को कैसे निकाला जा सकता है ? मुझे कहने का अधिकार है ।.... (व्यवधान) जरा शान्ति से सुनिए उसके बाद कुछ कहना ।

उपाध्यक्ष जी, राजस्थान के अन्दर करीब 80 लाख मुसलमान हैं जो करीब 18 प्रतिशत राजस्थान की जनसंख्या का हिस्सा है । आज उनकी जो स्थिति है वह मैं आपको बताना चाहता हूं । बिल्कुल सही बताऊंगा । आप मेरे को साथ में लेकर चलिए । राजस्थान के अन्दर जो भी मुसलमानों के गांव हैं, उनकी हालत आप देख लीजिए । जो दूसरी जातियों के गांव हैं उनकी हालत आप देख लीजिए । बिल्कुल इस तरह डिमारकेशन कर रखा है कि जैसे हमारे यहां पर दूसरे नम्बर के नहीं, तीसरे नम्बर के नागरिक हैं । इसके अलावा शहरों के अन्दर मोहल्ले अलग हैं । दूसरे

144

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

मुसलमानों के मोहल्लों की हालत न तो बिजली है, न पानी है, न सड़कें हैं न उनके मोहल्लों में स्कूलें हैं और न ही कोई अस्पताल है। यह हालत 1947 से आज तक है। हम हमारी सरकार में बैठकर के रोज बात करते हैं कि हम बजट के अन्दर बराबर का हिस्सा देंगे, पिछड़ों के लिए देंगे लेकिन वह आज तक कहां गया उनका हिस्सा ? उन्हें आज तक क्यों नहीं मिला ? यह स्थिति जो है यह हमारी आज दो साल की नहीं है, यह 1947 के बाद की है। अमीन खां जी पहले भी आए हुए हैं। आज तक इन्होंने कुछ भी किया हो एक भी काम मुसलमानों के लिए तो बताएं। मुसलमानों के गांवों के गांव जो मैंने बताए हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि हम उनको अपना नागरिक, उनकी मानवता की बात कैसे करें, मानव अधिकारों की बात कैसे करें। हमें शर्म आती है इस विधान सभा में बैठ करके जब हम बजट बनाते हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सदन को चलाने में सहयोग कीजिए।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य बोर्डर के इलाके पर लड़ रहे हैं।.... (व्यवधान) आपका कई जगह नाम दर्ज है अच्छे-अच्छे काम किए हैं ...।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के तहत राजस्थान के जितने भी नागरिक हैं उनका यह अधिकार है कि यह बजट का उनका जो हिस्सा है उनके हिसाब से उनको मिलना चाहिए। पिछला बजट मुख्य मन्त्री जी ने जब यहां पेश किया था तो मैंने कहा था....

श्री परसराम मदेरणा : इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य को यह जानने का अधिकार है कि जो हमें मेटेरियल सप्लाई किया जाता है सरकार के द्वारा या सेन्सस डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें 18 प्रतिशत मुसलमानों की संख्या राजस्थान में है, यह आंकड़ा मुझे कहीं देखने को नहीं मिला है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : 18 प्रतिशत है। आप इसी वजह से सरकार में आए हो। नहीं तो आते ही कहां से ? सारे वोट आपको उनके मिले थे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आंकड़ों को बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से देखता हूं। 1981 की सेन्सस में मुस्लिम पोपुलेशन की अलग मर्दुम शुमारी हुई है, 1991 में नहीं हुई है। 1981 की सेन्सस में जब अलग मर्दुम शुमारी हुई है वही आंकड़े हैं और वह आंकड़े 18 और 16 फीसदी आ रहे हैं। माननीय सदस्य, मैं समझता हूं, आंकड़ा वहां सही प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं सदन में। अगर ऐसी कोई किताब हो, अगर कोई ऐसी सेन्सस बुक हो, तो आप हमारा ज्ञानवर्द्धन कर दीजिए ताकि हम उसको करेक्ट कर लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप मुसलमानों की संख्या क्यों कम करना चाहते हैं ?

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मैं माननीय मदेरणाजी को एक बात कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन होते हैं उन दिनों के आप अखबार पढ़ लें, उसमें हर सीट के लिए लिखा होगा कि यह मुसलमानों के वोट इतने हैं। यह फलाने डिसाइडिंग वोट हैं, यह फलाने डिसाइडिंग वोट हैं। इस जिले में डिसाइडिंग वोट हैं, इस जिले में

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

डिसाईडिंग वोट हैं। जब अगर उनकी जनसंख्या इतनी नहीं हैं तो यह सब अखबारों में क्यों आता है ?.... (व्यवधान) हर सीट के ऊपर लिखा रहता है कि यहां का मुस्लिम वोट डिसाईडिंग फैक्टर रहता है।

श्री परसराम मदेरणा : एस्पाईरेंट टिकट का होता है .. (व्यवधान)

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : जब यह जनसंख्या इतनी है सात प्रतिशत ही है तो फिर यह अखबारों में रोज क्यों आता हैं ? ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण प्रारम्भ रखिए ना।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष जी, जो बजट बनाते हैं उसमें अगर उन गरीब लोगों का ध्यान नहीं रखा गया तो हमारी जिम्मेदारी जो कान्सटीट्यूशन के प्रति है वह पूरी नहीं हुई और न होगी।

इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह तो नई चीजें दी हैं, एक नई चीज और दी और जो यह मुख्य मंत्री जी कर सकते हैं घाटे का जो बजट है उससे हमें छुटकारा दिलाया जा रहा है। पिछली बार जो बजट था उसमें करीब 24 करोड़ रु. का घाटा था इस बार 6278 रुपए आमद बताई गई 6276 रुपया खर्चा बताया गया है जिसमें 1.109 बजट में बचत बताई गई है। यह राजस्थान का पहला बजट है जिसमें इस प्रकार की कोई बचत बताई गई है। आज तक के जितने भी बजट थे उन सबमें घाटा बताया गया है और घाटा जो बताया गया है वह पिछले बजट में जो घाटा था उसकी वजह से रहा है घाटा। अगर पिछले बजट में घाटा नहीं होता वो भी पिछली सरकारों के ऋण वगैरहा की वजह से रहा था। इसलिए यह जो नया मार्ग दर्शाया गया है इसके लिए मैं उनका समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि एक नया रास्ता उन्होंने हमें बताया।

श्री बिरधाराम चौधरी : नागौर जिले में क्या विकास हुआ हैं ?

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : सब आएगा नागौर का भी आएगा....(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए और दूसरे छोटे-छोटे गरीब लोगों के धन्धे वगैरह में जो छूट दी है वह आज तक कोई बजट में नहीं आई। इसलिए मैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

एक समस्या राजस्थान के अन्दर है। हमारे यहां से करीब 25-30 हजार श्रमिक हमेशा अरब कण्ट्रीज में जाते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। उसका कोई न कोई रास्ता निकाला जावे तो बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है। इससे राजस्थान का विकास हो सकता है। उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जो बीजा वहां से लेते हैं अरब कण्ट्रीज से उसके लिए उन्हें 30-35 हजार रुपया देना पड़ता है। कभी कभी 40 हजार रुपये देने पड़ते हैं। 80 हजार तक की बात बताई गई है। इसके अलावा जो बीजा दिया जाता है, कई बार फर्जी दिया जाता है जिससे यहां पर से जो

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

श्रमिक जाते हैं 30-40 हजार रुपये देकर वहां जाकर उनको हथकड़ी लग जाती है। इसके अलावा महिलायें वगैरह है उनके साथ दुर्व्यवहार तक की बातें आई हैं। कई बार यहां से जो कान्ट्रेक्ट दिया जाता है कि पांच हजार रुपये वहां देंगे और वहां जाने के बाद उसको एक हजार दीनार मिलता है, पांच सौ दीनार मिलता है। इसलिए दो-तीन साल वहां पर रहने के बाद में जो खर्च करके जाते है, उनको पैसा बराबर नहीं मिलता। मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को चाहिये कि इस समस्या के बारे में कोई नियम बनायें ताकि जो बीजा पद्धति है वह सरकार हाथ में लें या माइनारिटी बोर्ड के हाथ में दे ताकि उन लोगों का जो शोषण हो रहा है वह बिल्कुल खत्म हो और विदेशी मुद्रा जो बाहर से आ रही है उसका सही ढंग से उपयोग किया जा सके।

इसके अलावा एक बात और बताना चाहता हूं। परिवार नियोजन के बारे में मुख्य मंत्री जी ने इन्सेंटिव दिया उसका मैं स्वागत करता हूं। एक बात खास तौर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस मामले में मुसलमानों के बारे में गुमराह किया जाता है कि मुसलमान परिवार नियोजन का विरोध करते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। राजस्थान के अन्दर मुसलमानो में परिवार नियोजन क्यों नहीं हुआ, उसका कारण आप लोगों की कमजोरी है। कांग्रेस शासन में उनको यह शिक्षा .... नहीं दी (व्यवधान)

आप सुन तो लीजिए। जब तक किसी कौम को शिक्षा नहीं देंगे, परिवार नियोजन उसमें नहीं आएगा। जब तक उनको रोजगार नहीं देंगे....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने किया क्या ? आपके खुद के कितने बच्चे हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बतायें कि कितने बच्चे है ? मैंने परिवार नियोजन को अपनाया हैं इसलिए कह रहा हूं। दूसरों को उपदेश देना आसान है परन्तु खुद तो बतायें।... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गुलाम मुस्तुफा जी पूरा कीजिए आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप अपनी खुद की तो कह दो कि कितने बच्चे हैं ?

एक माननीय सदस्य : आपने राष्ट्रीय कार्यक्रम की अवहेलना कर रखी है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : राष्ट्रीय कार्यक्रम इसलिए सफल नहीं हो रहा है कि मुसलमानों के अन्दर एजुकेशन नहीं हैं। मुसलमानों के अन्दर रोजगार नहीं है, बेरोजगार लोग हैं। जब तक उनके अन्दर शिक्षा और रोजगार, दो चीजें नहीं देंगे मुसलमानों के अन्दर परिवार नियोजन नहीं हो सकता है। इसके अलावा हमें कोई न कोई कार्यवाही, योजना करनी पड़ेगी, कोई न कोई रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी।....(व्यवधान) एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और माहिर आजाद साहब भी जानते हैं कि शहरों के अन्दर जितने पढ़े लिखे मुसलमान है उन्होंने परिवार नियोजन को अपना रखा है। तो जब एजूकेशन होगी.... (व्यवधान)

श्री अमीन खा : आपके आठ बच्चे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : पूरे देश के अन्दर एक बात और मुसलमानों के बारे में कही जाती है कि चार शादियां कर सकते हैं । मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसने चार शादियां की, एक भी मुसलमान ऐसा नहीं हैं जिसने तीन शादियां की बलिक कहीं पर भी आप चले जायें कही एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है । इस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की प्रवृत्ति है उसको मिटाया जाय और इस तरह की बातों को हम दूर करेंगे । आपस में मेल-मिलाप करेंगे तो यह जो परिवार नियोजन की जो हमारी राष्ट्रीय मान्यता है वह कामयाब होगी । यह समस्या मिल बैठ कर, एजूकेशन और रोजगार से दूर होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : नागौर जिले के अन्दर रह गया साहब । उपाध्यक्ष जी नागौर जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । बिरदाराम जी बैठे है, उपाध्यक्ष जी, नागौर जिले के अन्दर पिछले दों वर्ष में ही एक प्रगति का मार्ग शुरू हुआ है । वहां पर पानी और बिजली की व्यवस्था 30-40 प्रतिशत ठीक हुई है । पहले बिल्कुल शून्य थी । न बिजली थी न पानी था । कम से कम 15 सौ ट्यूबवैल पिछले साल के अन्दर लगे और कम से 30 40 प्रतिशत हिस्सा हरा भरा हुआ है । दो साल के अन्दर हुआ हैं । पहले कुछ नहीं था । तो राजस्थान में नागौर जिला ऐसा हैं जिसके अन्दर इतनी उपजाऊ जमीन है कि हम पूरे राजस्थान को अनाज पैदा करके दे सकते हैं । मुख्यमन्त्री जी बैठे हैं, सुन रहे हैं, पी. एच. ई डी. मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मेरा आप से निवेदन है कि राजस्थान केनाल 110 कि. मी. दूर है, जब तक राजस्थान केनाल का पानी नागौर में नहीं आएगा तब तक नागौर का सर्वांगीण विकास नहीं होगा । मेरा निवेदन है कि पानी और सिंचाई यह दो चीजें आप कर दें, 110 किलोमीटर ज्यादा लम्बा नहीं है । जोधपुर में पानी ले जा सकते हैं तो नागौर तो 110 किलोमीटर ही है ।

एक बात पानी के बारे में और निवेदन करूंगा । इन्जीनियर्स ने कहा है कि अण्डरग्राउण्ड वाटर नागौर के पूरे जिले के अन्दर 15-20 साल से ज्यादा नहीं चलेगा । इसलिए हमें अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा । आगे की व्यवस्था के लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी । पिछले दिनों में, दो-तीन दिन पहले एक स्कीम वहां पर आई है, उसने इस बात का अध्ययन किया है । तो मेरा निवेदन है कि यह सब मिलाकर राजस्थान केनाल अगर नागौर जिले के अन्दर लायेंगे तो नागौर जिला इतना सरसब्ज है कि वहां से पूरे राजस्थान को नहीं, पूरे देश को अनाज पैदा करके दे सकता है । मेरा निवेदन है कि पानी की व्यवस्था परमानेन्ट की जाये ।

आपने मुझे समय दिया और आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि वक्त बहुत कम है । कम से कम समय लें और 10-15 मिनिट

(श्री उपाध्यक्ष)

का समय बहुत लम्बा होता है। इसलिए समय पर अपनी बात को पूरा करें।

श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने ऐसा श्रेष्ठ बजट प्रस्तुत कर राजस्थान की प्रतिष्ठा न केवल राजस्थान में बल्कि हिन्दुस्तान में बढ़ाई है। 4 मार्च को राजस्थान का 1992-93 का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया और उस पर वाद-विवाद चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि इस बजट में विवाद जैसी है ही क्या। मेरा तो यह मानना है कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को, चाहे इधर बैठे हो, चाहे उधर बैठे हो, ध्वनि मत से इस बजट को पारित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते हुए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने गरीब को गणेश मानकर चलने का सकल्प किया था। इस बार गरीबों को, दस्तकारों को, महिलाओं के उपयोग में आने वाली चीजों को, छोटी-छोटी चीजों पर टैक्स फ्री करके हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने ऐसा लगता है कि गरीब रूपी गणेश को सवा रुपये का प्रसाद चढ़ाया है। माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य कल कह रहे थे तथा आज भी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि क्या टैक्स फ्री किया-तवा और हल मूसल, हल मूसल। मेरे को एक प्रकरण याद आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय तो मत काटना। भागवत में एक प्रसंग आता है और यह बताया जाता है कि बलदेवजी के कन्धे पर हमेशा हल और मूसल रहता था। एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर रेवतीजी को छोटा कर दिया। मैं कहना चाहती हूं कि छोटी-छोटी चीजों पर, महिलाओं के उपयोग में आने वाली चीजों पर, गरीब और कमजोर वर्ग के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर छोटे धन्धे में लगे लोगों को राहत देने के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो टैक्स फ्री किया है, बलदेवजी के कन्धे से हल और मूसल उतरवा दिया है ऐसा लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, योजना का आकार इतना बड़ा हुआ....आपको कहानी तो बाद में सुना दूंगी, अभी मेरा समय चला जायेगा। बलदेवजी की पत्नी रेवतीजी लम्बी थी, बलदेवजी से और लोग चिढ़ाते थे कि ताऊ की पत्नी लम्बी और ताऊ छोटा। दाऊ जी ने एक दिन गुस्से में आकर हल मूसल से रेवती को छोटा कर दिया। उस दिन से हमारी रेवतियां छोटी चली आ रही है जिनका इस बजट में हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उनका कद बढ़ाया है, उसके लिए मैं धन्यवाद प्रस्तुत करती हूं।

बजट में कुशल वित्तीय प्रावधान किया गया है। बजट में कुशल वित्तीय प्रावधान के कारण ही हमारी योजना का आकार इतना बड़ा हो सका है, जो अब तक की सारी योजनाओं से बड़ा है। इसका कारण एक ही है कि इसमें वित्तीय प्रावधान ठीक से किये गये हैं। आम आदमी और गरीब आदमी पर टैक्स नहीं लगाया गया, यह बहुत बड़ी और गहरी सूझ-बूझ का परिणाम है।

बजट में महिलाओं, विकलांगों, अनाथों, समाज के कमजोर वर्ग तथा सभी वर्गों के

(श्रीमती तारा भण्डारी)

लिए समुचित उत्थान एवं विकास की योजनाएं बनाई गई हैं। यह हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की गहरी सूझ-बूझ और सोच का ही परिणाम है। बजट में पेयजल, भू-जल, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, वन विकास के समस्त आयामों को गति देने का प्रयास किया गया है।

माननीय सदस्य बात करते थे किसानों के हिमायती होने की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूं उस समय की जिस समय भयंकर अकाल की पीड़ा भोगता था राजस्थान; लेकिन इनके राज में, कांग्रेस के राज में मेरे काश्तकार भाइयों को वसूली के लिए मुर्गा बनाते थे. उनकी पीठ पर डण्डे बरसाये जाते थे। वह दिन सामने बैठे सदस्य भूल गये हैं कि कैसे-कैसे जुल्म इन्होंने राजस्थान के किसान पर किये हैं। हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने राज्य की वित्तीय आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होते हुए भी कर्जा माफी करके किसानों के हिमायती होने का दावा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सड़कों की बात करते थे। एक सदस्य तो कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में सड़कों का बहुत विकास हुआ। दूसरे सदस्य कह रहे थे कि गांवों में सड़क नजर ही नहीं आती। मेरी समझ में नहीं आता कि इनको सड़क नजर आएगी कहां से, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य सारा बजट तो बीकानेर ले गये। यहां कहां से आएगी ?

उपाध्यक्ष महोदय, यज्ञ की पूर्णाहूति तभी होती है जब समय पर उसकी पूर्णाहूति की जाय, तभी यज्ञ में किये गये वांछित फल आते हैं। यह जो हमारा राजस्थान का बजट है, यह भी एक महायज्ञ है और जैसी कि पहली बार हमारे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि बजट में किये गये प्रावधान, बजट में रखे हुए आयोजन समयबद्ध तरीके से पूरे करेंगे, सो उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया है। यह तो हमारे कांग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्रियों की कमजोरी रही कि वे घोषणाएं तो करते रहे लेकिन उन घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, कोई ठोस उपाय नहीं किया कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं की स्थिति के ढोल तो बहुत पीटे गये, विकास की बहुत सारी बातें कही गई और राजस्थान में महिलाओं की स्थिति पर घड़ियाली आंसू भी बहुत बहाये गये लेकिन किसी भी मुख्य मन्त्री ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया, गम्भीरतापूर्वक कोई कोशिश नहीं की। हमारे मन्त्रिमण्डल और हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया है कि विकास के कार्यों में, जनहित के कार्यों में जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, इस देश की, इस राज्य की उन्नति सम्भव नहीं है और यह विचार कर मातृशक्ति को मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सारे प्रावधान इस बजट में किये हैं।

माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं कि मूसल और तवा, इन चीजों के अलावा कोई टैक्स फ्री नहीं किया। मैं 801 आइटम्स की सूची आपको उपलब्ध करा सकती हूं जो टैक्स फ्री हुए हैं। रेवड़ी, गजक, माननीय

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सदस्यों के मुंह में पानी और आ जायेगा, तिलपपड़ी, भूने हुए चने, इन्होंने किसी को तो छोड़ा नहीं। सब्जी के बीज, आज टैक्स फ्री किये गये हैं। सब्जी और महिलाओं का गहरा नाता है। ये जो रेवड़ी, गजक, तिलपपड़ी, अगरबत्ती आदि बनाई जाती है इनके उत्पादन के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी है, हिस्सा हैं, वे इसमें लगी हुई है। इस प्रकार जो चीजें टैक्स फ्री की गई है, यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ी बात है। विकास की योजनाओं में, नगरपालिकाओं में, उपभोक्ता परिषदों में महिलाओं की भागीदारी हो, नगरपालिकाओं में चुनकर आने की व्यवस्था, यह सारा कुछ इस बार इसी मंत्रिमण्डल के द्वारा की गई है ताकि महिलाएं स्वावलम्बी बने।

महिलाओं को छात्रवृत्ति देने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लेने की बात सोची गई है। स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रेरित करके गरीब बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जायेगी। यह एक बहुत बड़ी बात है। साथ में अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की एक योजना बनाई है। इस बार प्रत्येक जिले से 10 मेधावी बालिकाओं का चयन किया जायेगा। यह बहुत ही अच्छी बात है।

इतना ही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष तौर से बालिका शिक्षा के लिए हमारे इस बजट में अनेकों प्रावधान किये गये हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं को छात्रवृत्ति देने की जो आय सीमा 36,000 रुपये थी, उसमें महिलाओं की आय सीमा यानी कि उनके पेरेन्ट्स की आय सीमा 60,000 रुपये की गई है। तीन कन्या महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करने का फैसला किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो बालिका शिक्षण संस्थाएं हैं, उनका भी अनुदान बढ़ाने की बात की गई है जिसका मैं हार्दिक रूप से स्वागत करती हूं और साथ ही एक अनुरोध करती हूं कि गंगानगर जिले के मीरा कन्या महाविद्यालय, सांगरिया और सरस्वती कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ़, ये दोनों ही कन्या महाविद्यालय बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और कहना चाहिये कि वहां बहुत ही अच्छे तरीके से बालिकाओं को शिक्षित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से और मंत्रिमण्डल से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इन दोनों कन्या महाविद्यालयों को भी अनुदान दिया जाय।

परिवार नियोजन पर भी ध्यान दिया गया है। परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन देने हेतु जिन माता-पिता के एक या दो बच्चे हैं और उनके लड़की हैं तो उन बालिकाओं को 1000 रुपये का एक बांड उपहार स्वरूप दिया जायेगा। यह बहुत अच्छी बात है।

विधवाओं के लिए और विशेष रूप से सैनिकों की विधवाओं के लिए जो कैंटीन में पूर्व सैनिकों को सुविधा उपलब्ध है, वह ही सुविधा, जिसमें करीब-करीब 200 आइटम्स आते हैं, सैनिकों की विधवाओं को भी दी गई है। यह एक बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आज के इस जमाने में विधवाओं का जीवन-यापन बहुत ही मुश्किल हो गया है और सैनिकों की विधवाओं के लिए और भी मुश्किल है लेकिन कैंटीन की यह जो

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सुविधा दी गई है, यह एक बहुत बड़ी सुविधा है।

माननीय सदस्य कहते हैं कि बहुत सारी योजनाएं इन्होंने बनाई थीं 87-88 के बजट में महिलाओं के लिए, मेरे पास इसकी कॉपी है लेकिन इन योजनाओं की कांग्रेस के शासन में क्रियान्विति नहीं हुई लेकिन इनकी बनाई हुई योजनाओं को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी को जिन्होंने 466 विधवाओं को इस बार नौकरी देकर के कल्याणकारी बजट की छवि प्रस्तुत की है। अभी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री यहां नहीं हैं लेकिन उनको भी बधाई देना चाहती हूं क्योंकि कल और परसों राजस्थान में जो महिला बाल विकास कार्यशाला आयोजित हुई, उसमें राजस्थान के बाहर से उत्तर भारत के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया और राजस्थान में महिला और बाल विकास सम्बन्धी जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। यह एक गौरव का विषय है कि राजस्थान में बीजेपी के राज में महिलाओं के लिए उपयोगी कार्यक्रम किये जा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, घण्टी तो आपने बजा ही दी लेकिन मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार ने महिला आयोग का गठन किया है। यह महिला आयोग महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन करेगा और उनके समाधान के बारे में सोचेगा। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान में भी महिलाओं संबंधी कार्यों की क्रियान्विति बराबर हो रही है कि नहीं, महिलाओं को नौकरियों में जो 50 प्रतिशत प्राथमिक शालाओं में आरक्षण दिया गया है वह मिल रहा है या नहीं अथवा जो राजस्थान में दहेज हत्या एवं अन्य महिलाओं के शोषण के मामले चल रहे हैं, उन सारी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए राजस्थान में भी एक महिला आयोग का गठन किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी। मेरा निवेदन है कि इतने सारे टैक्स फ्री हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने कर दिए लेकिन एक कच्चा चना रह गया। राजस्थान में दलहन के मामले में अन्य स्टेट्स से बड़ा भारी फर्क है। आज भारतवर्ष में जितना चना पैदा होता है उसका 55 प्रतिशत चना राजस्थान में पैदा होता है परन्तु राजस्थान के पास के स्टेट्स हरियाणा में केवल एक प्रतिशत टैक्स है, दिल्ली में बिलकुल नहीं है, महाराष्ट्र में बिलकुल नहीं है, गुजरात में नहीं है और हमारे यहां, उपाध्यक्ष महोदय, 4 प्रतिशत टैक्स है। चना ज्यादा पैदा होने के कारण यहां पर चने पर आधारित उद्योग भी बहुत लगे हुए हैं लेकिन हमारे प्रदेश का चना अधिक धन कमाने की दृष्टि से बाहर चला जाता है तो हमारे उद्योग केवल मुंह ताकते रह जाते हैं और आज उनकी स्थिति खराब है। अकेले जयपुर में 90 से अधिक उद्योग ऐसे हैं जो चने पर आधारित है। इस प्रकार जो हमारे प्रदेश का चना बाहर चला जाता है उससे हमें बहुत नुकसान होते हैं। 4 प्रतिशत जो टैक्स है उस टैक्स का एक प्रतिशत भी नहीं मिल पाता क्योंकि वह तो बाहर चला जाता है। इसके अलावा मण्डी शुल्क वगैरह जो भी हमारे शुल्क हैं उनका भी, इवेजन होता है। एक तरफ तो राज्य के टैक्स की चोरी

(152)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

होती है तो दूसरी तरफ हमारे चने पर आधारित उद्योग उद्यमी दुःखी होते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मंत्रिमण्डल के सदस्यों एवं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से भी, कि ये जो चने पर आधारित उद्योग हैं इनको पनपाने के लिए राजस्थान में चने को बिक्रीकर से सर्वथा मुक्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय श्री बिरधाराम चौधरी। अब समाप्त कीजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, बजट सर्वांगीण विकास को गति देने के अनुरूप बनाया गया है। बजट में राज्य की कल्याणकारी छवि प्रस्तुत की गई है। मैं आशा करती हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राजस्थान में यह जो भी बजट योजना हमने बनाई है वह निरन्तर उन्नति करें। साथ ही धन्यवाद देती हूं और सबसे मैं आग्रह करती हूं कि इस बजट को सर्वसम्मति से पारित किया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बिरधाराम चौधरी।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने दो बजट पहले पेश किए थे और एक बजट यह 1992–93 का पेश किया है। जो बजट पेश किया जाता है उसके अन्दर जो नई सरकार है उसकी सोच क्या है, वह क्या विकास करना चाह रही है, इस तरह का एक दिशा निर्देश होता है लेकिन इस भैरोंसिंह जी की सरकार ने जो पहला बजट पेश किया था उससे यह पता लग गया था कि यह सरकार कोई विकास करने वाली सरकार नहीं है और इसके बजट से ग्रामों का, किसानों का व मजदूरों का विकास अवरूद्ध होगा। इसी प्रकार जो यह बजट पेश किया गया है 1992-93 का, इसके अन्दर भी मजदूरों व किसानों के बारे में किसी तरह का कोई दिशा-निर्देश नहीं है, कोई सोच नहीं है और इससे जाहिर होता है कि यह बजट विकास की गति को रोकने वाला बजट है। अभी सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने यह बताया कि इस बजट के अन्दर विवाद जैसी क्या चीज है और मैं भी यही कह रहा हूं कि इस बजट के अन्दर कोई चीज है ही नहीं, कोई विकास की बात है ही नहीं तो विवाद किस बात का ?

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बजट पेश हुआ है, बाहर सरकार बात करती है कि हम 60 पर्सेन्ट पैसा गांवों में खर्चा करेंगे और 40 पर्सेन्ट पैसा शहरों में खर्च करेंगे लेकिन जो बजट पेश किया है इसके अन्दर कहीं पर भी यह बात नहीं है कि गांवों का विकास होगा, गांवों के अन्दर स्कूल ज्यादा खुलेंगे, गांवों के अन्दर चिकित्सालय बढ़ेंगे, गांवों के अन्दर बिजली मुहैया कराई जायेगी इसका कहीं उल्लेख नहीं है।

मैं सर्वप्रथम जिस समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है पानी की समस्या और यह आज की मुख्य ज्वलंत समस्या है। विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान, जिसमें नागौर जिला भी है, भयंकर अकाल की चपेट में है और वहां पर पानी के लिए आज लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इस बजट के अन्दर यह बताया गया है कि

(श्री बिरधाराम चौधरी)

500 ढाणियों को पानी दिया जायेगा, 2000 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। यह पिछली बार भी थी 500 ढाणी की बात लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूं कि मेरे मकराना विधान सभा क्षेत्र में 2 ढाणियों को पानी नहीं दिया गया है। आज एक भी ढाणी को पानी नहीं दिया गया है. और ढाणियां नाममात्र की हैं क्योंकि कई ढाणियां ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या 300-400 है। एक प्रकार से वे छोटे गांव हैं और गांव घोषित न होने की वजह से वे ढाणी में हैं लेकिन बजट में केवल 500 ढाणियां हैं। मेरे मकराना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ही कम से कम 200 ढाणियां हैं जहां 150-200 की आबादी है। तो पूरे राजस्थान में 500 ढाणियों को पानी देने की बात तो ऊंट के मुंह में जीरा देने की बात है। मेरे मकराना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कम से कम 30 गांव ऐसे हैं जिनमें आज तक पानी नहीं पहुंचा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कांग्रेस की सरकार ने क्या किया 40 साल में ? मैं बताऊं कि हमारे 40-40 कोस दूर पानी की योजना बनी। एक हमारे बांकापट्टी योजना बनी जिसमें 40 गांवों को पानी दिया जा रहा है लेकिन आज वह योजना पुरानी होने की वजह से, माननीय मदेरणा साहब पधार गये हैं जिनके प्रयासों से वह हुई हैं, हमारे यहां फ्लोराइडयुक्त पानी था, खारा पानी था, आपने गांवों की एक बांकापट्टी योजना बनाई और उस बांकापट्टी योजना के अन्दर 40 गांवों को पानी दिया गया। मैं दो साल से लगातार सरकार से मांग करता आ रहा हूं कि वह बहुत पुरानी स्कीम है, 30 साल हो गए तो अब उसकी मरम्मत कराई जाय या उसका रि-सर्वे कराया जाय। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उसका कहीं पर भी इसमें यह नहीं है कि जो हमारी पानी की पुरानी व्यवस्था है या पुरानी स्कीम्स हैं उनको सुधारा जायेगा। आदमी अन्न के बिना जिन्दा रह सकता है लेकिन पानी के बिना जिन्दा नहीं रह सकता। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूं कि नागौर जिला इस साल भयंकर अकाल की चपेट में है और मैंने पिछले विधान सभा सत्र में निवेदन किया था और यहां पर आदेश दिया गया था, आश्वासन दिया था कि इसकी जांच करा ली जायेगी, अभी हम गिरदावरी कर रहे हैं। कलक्टर ने अक्टूबर के महीने में यह जांच रिपोर्ट भेज दी कि नागौर जिला शत-प्रतिशत अकाल की चपेट में है और विशेष तौर से मेरे मकराना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 80 पर्सेन्ट से ज्यादा खराबा पहुंच गया है लेकिन आज तक नागौर जिले को और हमारे परबतसर तहसील को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया और उसकी वजह से आज कहीं पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इस जिले को अकालग्रस्त घोषित किया जाय और सबसे पहले जहां ढाणी है, जहां की आबादी 250 के आस-पास है, वहां पर पी.आई. की व्यवस्था की जाय और विशेष तौर से जो रेगिस्तानी एरिया है जहां पर पास में पानी नहीं है तो वहां दूर से टैंकर से पानी लाया जाय। तो यह बहुत भयंकर समस्या है पानी की। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री बिरधाराम चौधरी)

मैंने शुरू ही नहीं किया और आपने घण्टी बजा दी। अभी तो हमारे 2 आदमी बोले हैं। मेरा लिंक टूट जायेगा तो बोलने लायक सारी बात ही खत्म हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा करें आप भाषण को। 2-4 मिनट पहले घण्टी बजाई जाती है।

श्री बिरधाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है, राजस्थान एक औद्योगिक क्षेत्र है और मकराना की आबादी अभी जो नई जनगणना हुई है, उसके अनुसार 70-80 हजार के आस-पास है। मकराना के गांवों में बिजली की खपत है ज्यादा लेकिन बिजली की खपत ज्यादा होने के बाद भी बिजली नहीं मिलती है। विशेष तौर से हमारे मकराना के अन्दर एक बूरसर फीडर है उसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर इस साल जो अभी उनालू फसल थी जो बिजली की छीजत आठ प्रतिशत से ऊपर नहीं होनी चाहिए वहां पर 50 प्रतिशत तक, 43·44 प्रतिशत तक छीजत हुई-तो किसान क्या कुएं चलायेगा। जो बिजली की बात कही है कि हम इतने गांवों को कनेक्शन दे देंगे, आज मेरा विद्युत के बारे में एक तारांकित प्रश्न था उसके अन्दर जवाब आया है, अभी सरकारी पक्ष से जो माननीय सदस्यगण बोले, उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने बहुत ही उन्नति की है, बहुत प्रगति की है दो साल के अन्दर। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन दो साल के अन्दर 1991 के बाद में हमारे मकराना के अन्तर्गत पांच गांव विद्युतीकृत किये हैं और आज जो मेरे को जवाब दिया है, मैंने यह प्रश्न किया था कि जिस गांव को आप विद्युतीकृत करते हैं तो उस समय क्या दो कुओं को कनेक्शन दिया जा सकता है तो बिल्कुल असत्य जवाब आया है कि हमने फलां-फलां में दो-दो कनेक्शन दे दिये जब कि आज तक उस गांव में लाइन तक नहीं पहुंची है। जो हमारी कांग्रेस सरकार के टाइम के विद्युतीकृत गांव थे, वह 1985 से आज तक बगैर कनेक्शन चल रहे हैं, वह कनेक्शन कहां गये ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बिजली की आप बात कर रहे हैं, हर आदमी मांग करता है और मैं खुद भी मांग करता रहा हूं और यह किसान, कोई भी किसान होगा जिसके पास कुआ है जो विद्युतीकृत है वह दूसरे वाला चाहेगा कि मेरे कुए पर विद्युत लगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली आदमी को मिलनी चाहिए, किसान को मिलनी चाहिए। यहां पर अभी विश्नोई साहब ने अपने भाषण में बताया था कि बिजली की रेट बढ़ाओ लेकिन किसान को बिजली मिलनी चाहिए। जहां छीजत आठ प्रतिशत होनी चाहिए और जहां पचास प्रतिशत छीजत है, वह किसान क्या कमा कर खायेगा ? उसके बाद में आज जब टारगेट जारी कर देते हैं कि हम दो हजार कुओं को, ढाई हजार कुओं को कनेक्शन दे देंगे इस साल, लेकिन कनेक्शन दोगे कहां से जब आपके पास बिजली की क्षमता ही नहीं है? मकराना के अन्दर 242 कृषि कुओं को कनेक्शन इस साल देना था 31 मार्च तक और 15 फरवरी तक कम से कम अस्सी प्रतिशत कुओं को डिमाण्ड नोटिस कर देने

(श्री बिरधाराम चौधरी)

चाहिए थे लेकिन आज तक सिर्फ दस प्रतिशत कुओं को विद्युतीकृत किया है, दस प्रतिशत के अलावा एक भी कुए के लिए डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं किया गया है, यह मेरा निवेदन है। यह सरकार क्या करेगी ? क्या आपको दस दिन के अन्दर सारे कनेक्शन दे देंगे ? कतई नहीं। मतलब यह सारा, जहां पर बिजली का यह नहीं हो, विशेष तौर से मेरा निवेदन है कि जहां पर बिजली की छीजत ज्यादा हो और कृषि कुओं को देना हो, वहां पर 33 के.वी. की लाइन डालिये। और बिजली की व्यवस्था करनी चाहिये। मेरे मकराना विधान सभा क्षेत्र से मैं मांग करता आया हूं, मेरा बूरसर फीडर है, पूरस का एरिया है जहां पर डेढ़ सौ कृषि कुओं के कनेक्शन हैं, कई चक्कियों के कनेक्शन हैं और बार-बार मांग की जाती है कि 33 के.वी. का वहां पर सब स्टेशन लगाया जाय, नहीं तो किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इनको कनेक्शन कटवाने पड़ेंगे। तो आप 242 कनेक्शन वापस कहां से दोगे ? मेरा यह निवेदन है कि बजट के अन्दर यह बात कही गई है कि कृषि कुओं को कनेक्शन देंगे लेकिन मेरा एक सुझाव है कि जहां पर लाइन की व्यवस्था है और जब तक उनका वोल्टेज नहीं सुधारें तब तक दूसरे कुओं को कनेक्शन देवें और फिर इनकी व्यवस्था करें। उसके अलावा मैं आपसे....

श्री उपाध्यक्ष : अब पूरा कीजिए माननीय सदस्य।

श्री बिरधाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो मेरे महत्व की दो बात ही नहीं की....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, टाइम हो गया है। बस कीजिए आप।

श्री बिरधाराम चौधरी : तो मैं आपको विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो बजट के अन्दर बात कर रहे हैं, बजट भाषण, उसके अन्दर एक ग्रामीण शिक्षा की बात है। अब आपको पता है कि कांग्रेस सरकार ने ग्रामों में जहां ढाणियां हैं जिनकी 200 की आबादी है, उनमें हर ढाणी में स्कूल खोलने की बात कही थी। यहां पर कम से कम सात हजार शिक्षा केन्द्र, प्राइमरी स्कूल खोले थे लेकिन इस सरकार ने आते ही सबसे पहले यह तोहफा दिया गांवों को और विकास के नाम से इन स्कूलों को बन्द किया। हमने बार-बार निवेदन किया पिछले बजट में यह था कि हम एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, क्या तुक है, आज फरवरी आया है, जहां सैशन खतम होने वाला है, आज स्कूलों की लिस्ट जारी की है और वह भी कहां, जहां पर, मेरे मकराना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कम से कम बीस प्राइमरी स्कूल और शिक्षा केन्द्र बन्द हुए हैं लेकिन आज मेरे को कहते हुए, यह कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, आज एक स्कूल खोला है। आप लिस्ट देखिये, दस जगह मीडिल स्कूल हम चला रहे हैं और तीन-तीन सौ लड़के हैं, यहां पर लिस्ट आई है, लेकिन यह भेदभाव कि जहां पर बीस स्कूल बन्द करें और फिर एक स्कूल खोलें तो कहां साक्षरता की बात है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप एक तरफ तो साक्षरता की बात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि पूरे जिले को भी साक्षर किया जाय लेकिन बाप को साक्षर किया जा रहा है और बेटे के लिए कहीं पर

(श्री बिरधाराम चौधरी)

पढ़ने को जगह नहीं है। दो कोस से बेटा जायेगा कहीं, तो यह जो स्कूलें खोलने वाली बात है, मैं निवेदन करूंगा कि जो भी अभी स्कूल खोले जायें, विशेष तौर पर इन्टीरियर में, जहां पर दूर है, वहां जो ढाणियां है वहां पर खोली जाय। इसके अलावा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शांतिलाल जी, कृपया बिराजिए आप।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं-नहीं, दो मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, दो मिनट ही लें, लेकिन पूरा कीजिए इसको।

श्री बिरधाराम चौधरी : मैंने तो पूरी बात ही नहीं की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से सड़कों की बात कहूंगा। मंत्री महोदय यहां बिराजे हैं, सड़कों की, चिकित्सा की बात कि मेरा नागौर जिला वैसे ही सड़कों में बहुत पिछड़ा हुआ है और विशेष तौर से मकरांना। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, लेकिन मकराना में शहर के अन्दर ही सड़कों का काम हुआ है और गांवों के अन्दर एक किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। मैंने यह क्वेश्चन रखा था, उपाध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में, उसका जवाब आया है जिसमें 15 पंचायत मुख्यालयों को ग्रेवल से जोड़ना बताया है जबकि आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सब असत्य जवाब आता है पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया असत्य शब्द का प्रयोग कम कीजिए।

श्री बिरधाराम चौधरी : असत्य आ रहे हैं सब, मैं नाम बता दूं। डांगनवा पंचायत का नाम आया है, बेजवा पंचायत का नाम आया है, चार-पांच पंचायतों का मैं बता दूं जहां पर उसके चारों तरफ टीले हैं, फेमिन में सड़कें नहीं बनीं आज तक लेकिन नाम आया है कि यह ग्रेवल से जुड़ी हुई हैं, यह डामर से जुड़ी हुई हैं। तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपके पास जवाब देते हैं, तो आप विशेष तौर से....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी नौ किलोमीटर सड़क मंजूर कर दी है आपकी, ऐसा मत कहिये।

श्री बिरधाराम चौधरी : मैंने बता दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं आपको, जो आपने की है उसके लिए, उससे व्यापार में फायदा भी होगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां, जी हां।

श्री बिरधाराम चौधरी : अब दूसरी बात....

श्री परसराम मदेरणा : अगर कोई भी उत्तर जो देते हैं, मंत्रीजी तो तैयार नहीं करते, नीचे डिपार्टमेंट वाले....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं-नहीं....

श्री परसराम मदेरणा : करते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर किसी ने

(श्री परसराम मदेरणा)

जवाब आपसे गलत दिलवाया है। That officer should be taken to task.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : डेफीनेटली, आप मुझे डिटेल....

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो मंत्रीजी यह कहूं, जब मैं आपकी जगह बैठता था और अगर कोई जवाब गलत आ जाय....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं भी वही करूंगा जो आप करते थे। फिक्र मत करिये।

श्री परसराम मदेरणा : तो वह ऑफिसर सस्पैण्ड हुए बगैर नहीं रहता था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोई अधिकारी बचाया नहीं जायेगा, अगर गलत सूचना दी गई तो....

श्री उपाध्यक्ष : अब पूरा कीजिए आप।

श्री बिरधाराम चौधरी : मंत्री महोदय बिराजे हैं, मेरा ...

श्री उपाध्यक्ष : अब फटाफट कह दीजिए आज।

श्री बिरधाराम चौधरी : विशेष तौर से मेरा निवेदन चिकित्सा के सम्बन्ध में यह है कि मकराना में औद्योगिक क्षेत्र है और बराबर यह मांग की जाती रही है, मकराना में दूर-दूर खानें और फैक्ट्रियां हैं और हर रोज छोटे-मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कहीं किसी के पत्थर की लग गई, किसी के कुछ भी लग गई तो एक चल चिकित्सालय खोलने की मांग हमने की थी मकराना में और विशेष तौर से मकराना के अन्दर महिला चिकित्सक की बार-बार मांग की जाती रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, महिला चिकित्सक मकराना में लगाई जाती है लेकिन वहां पर जो महिला चिकित्सक का क्वार्टर है या उसके रहने की जो जगह है उसको वहां के प्रभारी चिकित्सक छोड़ते नहीं हैं और महिला चिकित्सक वहां रहती नहीं, इसलिए महिलाओं के हिसाब से वहां पर बहुत ही हमारी समस्या है। दूसरी बात....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। माननीय शांतिलालजी।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं नहीं, मकराना की एक....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, माननीय शांतिलाल जी। विराजिए अब आप, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। श्री शांतिलाल जी।

श्री बिरधाराम चौधरी : मेरे औद्योगिक क्षेत्र की बात करूंगा, एक ही मिनट हुक्म।

श्री उपाध्यक्ष : वह टाइम बढ़ा रहे हैं, हां कह दीजिए। आप पूरा कर दीजिए। एक मिनट ठहरिये आप।

श्री बिरधाराम चौधरी : मकराना वैसे एक मार्बल नगरी है और मार्बल के नाम से विशेष तौर से संसार में मशहूर है लेकिन उस मकराना से पैसा जाता है दिन के लाखों रुपये बाहर और सरकार को भी आमदनी होती लेकिन उस पैसे का सरकार कोई भी उपयोग मकराना में नहीं कर रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो माइन्स है, माइन्स की बात कही गई है कि पचास

(श्री बिरधाराम चौधरी)

प्रतिशत माइन्स ओनर लगायेगा, पचास प्रतिशत सरकार लगायेगी। मेरा निवेदन है कि हण्ड्रेड पर्सेण्ट पैसा माइन्स की कोई एक अलग से सड़क बनाई जाय माइन्स एरिया के अन्दर, जहां पर खानें निकलती हैं और जो मकराना की खानों पर और उद्योगों में लगने वाले मजदूर हैं उनके वेलफेयर के लिए कुछ नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना में रोजाना वहां से पचास हजार....

श्री उपाध्यक्ष : अब कन्क्लूड कीजिए आप, बात को समझ जाते हैं। एक सेन्टेन्स से समझ जाती है सरकार तो, टाईम है नहीं, बीस मिनट हो गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ज्ञान वृद्धि हो रही है....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, ज्ञान वृद्धि तो हो रही है....

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, पचास हजार ट्रक्स की लोडिंग हो किसी एक स्थान पर, शायद हिन्दुस्तान में कोई जगह नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सच है, वह सब जानते हैं कि मकराना औद्योगिक नगरी है..

श्री बिरधाराम चौधरी : मैंने सिर्फ थोड़ी सी, छोटी सी बात सरकार के लिए कि हमारे मकराना में रेल्वे फाटक हैं दो और सैन्ट्रल गवर्नमेंट से सिर्फ साढ़े पांच लाख रुपये की मांग की है और यह कहा है कि दोनों सड़कें, दोनों जो फाटक हैं चौड़ी हो जायें तो एक ट्रक निकलता है और दो-दो घण्टे तक रास्ता जाम होता है और वह पैसा मुहैया करवा कर दोनों जो फाटकें है वह चौड़ी कराई जाय और उसके अलावा जो विशेष तौर से मकराना कस्बा है उसमें पानी के लिए कोई व्यवस्था स्थायी नहीं है और उसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, एक टंकी बनी हुई है मातापर के अन्दर लेकिन वह 1।-2 साल से जुड़ी हुई है। हमने कोशिश की है कि जलदाय योजना बनाई जाये, जलदाय योजना की बात है उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करके पानी मुहैया कराया जाये। जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता) मुख्य सचेतक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय एक घण्टे और बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

माननीय श्री शांतिलाल जी।

आय-व्ययक 1992-93 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री शांतिलाल (राजसमन्द) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के बजट

(श्री शांतिलाल)

में किये गये प्रावधान यह इंगित करते हैं कि सरकार ने ग्राम जनता के प्रति किस तरह की कल्याणकारी और हितकारी योजनायें प्रस्तुत की हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी द्वारा राजस्थान का जो 1992-93 का बजट प्रस्तुत किया गया उसका यदि निष्कर्ष निकालें, उसका हम निचोड़ निकालें तो यह स्पष्ट होगा कि यह बजट सर्वहितोन्मुखी है और इसमें अधिकाधिक कल्याणकारी और हितकारी योजनाओं का समावेश किया गया है। एक ओर पूर्व कांग्रेसी सरकारों द्वारा निर्बल, गरीब और असहाय लोगों पर जो कर लगाया गया, उन करों को माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कुछ मुद्दों पर कम करने का प्रयास किया है और कुछ मुद्दों पर पूरा का पूरा समाप्त किया है जो वास्तव में एक सराहनीय कार्य है। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी का मेरी ओर से और मेरे क्षेत्र की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

यही नहीं, मुख्य मन्त्रीजी ने कुछ मुद्दों पर कम किया है तो कुछ इलेक्ट्रोनिक के जो उपकरण हैं उन पर कर बढ़ाया भी है। अब यह उपकरण गरीब आदमियों के द्वारा प्रयोग नहीं किये जाते हैं अपितु धनाढ्य लोगों के द्वारा प्रयोग किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मुख्य मन्त्रीजी द्वारा करों में बढ़ोतरी की गयी है तो कोई खास बात नहीं है, वह प्रदेश के विकास के लिए नितान्त आवश्यक है और यह युक्तिसंगत कार्य है।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपने बजट में अपने 40 वर्ष की जनसेवा का पूरा-पूरा उपयोग जनता के हित में करने की चेष्टा की है। साथ ही उन्होंने बुनियादी मुद्दे उजागर करने की चेष्टा भी की है कि केन्द्र सरकार की करारोपण नीति राज्य सरकार के बजट को किस हद तक प्रभावित कर सकती है। माननीय उपाध्यक्ष जी, बजट के गहन अध्ययन उपरान्त स्पष्ट झलकें मिलती है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति, उनके कारणों तथा निवारण का विस्तृत रूप से डाइग्नोसिस किया है। किसी भी रोग के निदान हेतु पर्याप्त डाइग्नोसिस किये बिना उपचार घातक सिद्ध हो सकता है और यदि डाइग्नोसिस प्रापर किया हुआ होता है तो मैं समझता हूं कि उसका उपचार आसानी से हो जाता है। प्रदेश की पूर्व कांग्रेसी सरकारों द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय बिना डाइग्नोसिस किये प्रावधान रख दिये जाते थे जिसका नतीजा हमारे सामने है। इसके फलस्वरूप जनता का प्रजातान्त्रिक सरकार के ऊपर विश्वास कम होता जा रहा है और आर्थिक स्थिति चरमरा गयी है। योजनाओं का वांछित लाभ भी ग्राम जनता को नहीं मिल पा रहा है जबकि शेखावत सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की प्रशंसा हर वर्ग एवं क्षेत्र द्वारा की जा रही है। आप प्रदेश के हालातों का डाइग्नोसिस करने पर खरे उतरे हैं। पिछले वर्षों में प्रस्तुत प्रदेश के बजट में वार्षिक योजना पर अधिकांश अर्थ ग्रामीण विकास पर लगाया गया है। 1992-93 का जो माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया है उसमें भी आपने परम्परा को कायम रखते हुए 61.5 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिए अर्थ इंगित किया है इसके बारे में मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को सुझाव देना चाहूंगा कि ग्रामीण

(श्री शांतिलाल)

और शहरी जनता का जो रेशो है, जो अनुपात है उसके हिसाब से बेहिचक वह इस रेशो को भी ज्यादा अर्थ यदि इस पर एलोकेट करते तो कोई खास बात नहीं थी क्योंकि ग्रामीण लोगों का यह हक है और जितने गांवों में लोग बसते हैं वह शहरी जनसंख्या से काफी अधिक हैं और इस रेशो को 70 प्रतिशत तक करने का मेरा सुझाव है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी इसके बारे में ध्यान दें।

आज वैसे तो विद्युत की दृष्टि से राजस्थान अन्य प्रदेशों से काफी पिछड़ा है लेकिन हमारा प्रदेश भी इस मुद्दे पर स्वावलम्बन की ओर अग्रसर है। पिछले वर्ष के बजट में जो प्रावधान रखा गया था वह 700 गांवों को और 25000 कुओं को विद्युतिकृत करने का था। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि फरवरी, 1992 तक 700 गांवों को विद्युतिकृत कर दिया गया है और 18300 कुओं को भी विद्युतिकृत किया जा चुका है, यह एक अच्छी उपलब्धि है और जो शेष बचे हुए हैं मैं समझता हूं कि इसी चालू महीने में यह अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। इसी से प्रेरणा मिली माननीय मुख्य मन्त्रीजी को कि वार्षिक लक्ष्य जब गये वर्ष के प्रस्तुत बजट के थे वह पूरे हो गये हैं तो इस वर्ष भी माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपने बजट में 750 गांवों एवं 25000 कुओं को विद्युतिकृत करने का लक्ष्य रखा है जो कि वास्तव में सराहनीय है। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषकों द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु प्राप्त जनवरी, 1991 तक के प्रार्थनापत्रों के कनेक्शन दिये जा चुके हैं जो कि अपने आप में एक बेमिसाल उपलब्धि है ...

श्री रामनारायण वर्मा : एक साधारण सा निवेदन करना चाहूंगा। माननीय से इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो भी विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं उसमें आदिवासियों का प्रतिशत क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।.... सुन लें, बिराजें न आप....आप बता देना आप बोलें तब।

श्री रामनारायण वर्मा : वास्तविकता पता चल जाये कि कितना प्रतिशत है।

श्री शांतिलाल : जो मैंने अभी तक आपने सामने प्रस्तुत किया कि रेलमगरा तहसील में जनवरी-फरवरी, 1992 तक जो प्रार्थनापत्र विद्युत कनेक्शन के लिए कुओं के लिए प्राप्त हुए हैं उनको कनेक्शन दिये जा चुके हैं। यह इस बात का द्योतक है कि पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति कितने श्रद्धावान हैं और आप कितने सही और खरे हैं इसके बारे में। यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है। मैं विद्युत के बारे में इससे भी ज्यादा बढ़कर आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष विद्युत प्रवाह में बिल्कुल कटौतियां नहीं हुई हैं। जिसके फलस्वरूप जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में मार्बल की फैक्ट्रीज हैं वह अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन कर सकें और इससे मैं समझता हूं कि क्षेत्र का विकास होगा यह बहुत बड़ी उपलब्धी है जो कि पिछले सालों में हर बार कुछ न कुछ रेशों में कटौती अवश्य होती रही है। मैं माननीय मुख्य

(श्री शांतिलाल)

मन्त्रीजी का आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहूंगा कि कृषकों के प्रति अपनाई गयी उदार नीति के फलस्वरूप प्रदेश में तिलहन एवं खाद्यान्नों का जो उत्पादन हुआ है अत्यन्त सराहनीय है। जैसा कि इस बजट प्रपत्र में स्पष्ट तौर से इंगित है कि खाद्यान्नों का उत्पादन इस वर्ष 82 लाख टन होने का अनुमान है और तिलहन का 28 लाख टन उत्पादन होने की उम्मीद है। यह अपने आपमें कीर्तिमान है। वैसे तो इसके साथ ही उर्वरकों का उपयोग भी 8 लाख टन से 9 लाख टन हुआ है-यह इस बात का द्योतक है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जो पिछले दो सालों से इस प्रदेश में सेवारत हैं कितनी उदारतापूर्वक कृषकों के हितों के लिए वह ध्यान दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पूरा कीजिए।

(5.00 सायंकाल)

श्री शांतिलाल : जहां तक शिक्षा का प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा गये वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 हजार नयी प्राथमिक शालायें खोलने की भी घोषणा की है। इसी के साथ 100 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने की और 80 उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। यही नहीं, 25 माध्यमिक शालाओं को भी क्रमोन्नत करने की घोषणा की है जो वास्तव में सराहनीय है। मैं इस तथ्य के साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजसमन्द कस्बे में इस समय तीन सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं। मैं मुख्य मन्त्रीजी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जिले का दर्जा तो दे दिया लेकिन अभी जिले के स्वरूप के अनुरूप वहां महाविद्यालय नहीं है इस कारण वहां जो अधिकारी कार्यरत हैं, सीनियर स्तर के अधिकारी होते हैं वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को वहां नहीं रखते और जब बच्चों को वहां नहीं रखते तो निश्चित तौर से उनके कार्य के अन्दर जितना कन्सन्ट्रेशन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है और वह आये दिन उदयपुर चले जाते हैं। मेरा माननीय मुख्य मन्त्रीजी से अनुरोध है कि जिला स्तर पर कम से कम एक मात्र स्थान बचा है राजसमन्द वहां पर महाविद्यालय खोलने की इसी सत्र में घोषणा करें। हमारे क्षेत्र की जनता आपकी बहुत आभारी रहेगी।

इसी के साथ, मैं माईनिंग डिपार्टमेंट के बारे में, मेरा क्षेत्र इस व्यवसाय के बारे जाना जाता है, निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया है कि सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह माईनिंग क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करा सके इसलिए 50 प्रतिशत अंश यदि वहां के माइन्स ऑनर्स कंट्रीब्यूट करें तो 50 प्रतिशत सरकार का सहयोग कराके उस पर सड़कों का निर्माण कराया जा सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप। बिराजिये प्लीज।

श्री शांतिलाल : ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस 50 प्रतिशत माइन्स ऑनर्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन की बात तो समाप्त कर दें और पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार खर्च करे क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां के माइन्स ऑनर इस....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री शांतिलाल : 50 प्रतिशत राशि को अफोर्ड नहीं कर पायेंगे । ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी ही उचित रहेगी ।

मेरा एक छोटा-सा सुझाव है । माननीय आबकारी मन्त्री महोदया यहां बिराजी हुई हैं....

श्री उपाध्यक्ष : सुनाओ पहले । आबकारी मन्त्रीजी ।

श्री शांतिलाल : इसी सत्र में और गये सत्रों में भी माननीय सदस्यगणों ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है आबकारी विभाग के बारे में, कि गांवों में कुछ अनाधिकृत दुकानें ठेकेदार संचालित कर रहे हैं । यह बात सही है, इसको असत्य साबित करना सम्भव नहीं है । इसके मूल कारणों में हमें जाना पड़ेगा कि इसके मूल कारण क्या हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय राजस्थान का जो रेवेन्यू कलेक्शन है आबकारी विभाग का वह लगभग 4 सौ करोड़ है । मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि यदि आज गुजरात सरकार यह घोषणा कर दे, खुलेआम शराब पीने की, बिना कानून के, तो मैं समझता हूं कि हमारी रेवेन्यू घटकर दो सौ करोड़ हो जायेगी । फर्ज करिये कि इसी सत्र में गुजरात सरकार ने इस तरह की घोषणा कर दी तो हमें आर्थिक दृष्टि से कितना बड़ा धक्का लगेगा, इस बारे में शायद हमारी सरकार ने विचार नहीं किया । मेरा सुझाव है कि आबकारी विभाग अपने स्वयं के स्रोतों को बढ़ाये । यदि गुजरात सरकार शराब पीने की वहां की जनता को छूट दे दे तो कम से आज जितना पैसा आबकारी ठेकेदारों द्वारा पुलिस और एक्साइज अधिकारियों को दिया जाता है उसको रेवेन्यू के रूप में सरकार प्राप्त कर सकती है । इसके लिए मेरा निवेदन है कि जो अवैध दुकानें हैं, अवैध दुकान का मतलब है कि लाइसेन्सधारी की परिधि में जितना क्षेत्र आता है उसमें जो अनाधिकृत दुकानें चल रही हैं उनको आप रेगूलेट कर दें, उन पर आप लाइसेन्स फीस इम्पोज कर दें । मुझे विश्वास है कि ठेकेदार लोग अवश्य इसमें अपनी सहमति व्यक्त कर देंगे और इससे आपकी इन्कम बढ़ जायेगी । गुजरात सरकार द्वारा यदि नीति में कोई परिवर्तन किया गया तो हमारी इन्कम कम होगी, जैसा कि मैंने निवेदन किया है, इसको कम्पनसेट करने की दृष्टि से अन्य राज्यों में जिस तरह का कार्य सचालनरत है, जहां एक लाख की जनसंख्या से अधिक बड़े शहर हैं वहां पर बार खोलने की अनुमति दे दी जाय तो इससे हमारी इन्कम बढ़ सकती है और यदि इन्कम बढ़ जायेगी तो निश्चित तौर से.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना कथन पूरा कर दीजिए ।

श्री शांतिलाल : मेरा तो यही अनुरोध है कि आबकारी आबकारी विभाग को होने वाली संभावित हानि को कम्पनसेट करने के लिए निश्चित तौर से हमें नीति में कोई न कोई परिवर्तन करना पड़ेगा । जहां तक मैं समझता हूं इस बजट प्रपत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया है । इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है कि चूंकि आबकारी

(श्री शांतिलाल)

विभाग की नीति दो साल के लिए होती है और....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये शान्तिलालजी । माननीय हेतरामजी बेनीवाल ।

श्री शान्तिलाल : अभी साल भर ही हुआ है अतः अगले वर्ष तक इस नीति में संशोधन करने का ही मेरा सुझाव है । धन्यवाद ।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय श्री भैरोंसिंहजी द्वारा राजस्थान का जो तीसरा बजट पेश किया गया है उसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । 61 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जो खर्च किये जा रहे हैं इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रूप से विकास कार्य होंगे । मुझे तो विशेष खुशी इस बात की है कि जो मेरा एरिया ग्रामीण क्षेत्र से लगता है, जो गरासिया क्षेत्र से लगता है उसके अन्दर मैं उनसे मांग करूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर विशेष ध्यान दें, और उन गांवों के विकास के लिए कार्य करें । बजट में जो रियायतें दी हैं उससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा । पूर्व सरकार ने इस प्रकार कभी ध्यान नहीं दिया । जो कहना नहीं चाहिए, मेरी बात का कोई सदस्य बुरा नहीं मानें, कि वास्तव में था एक, मैं उदाहरण पेश करूंगा, एक ढपोलशंख होता है और वह घोषणा करता कि आपको मैं इतने पैसे दूंगा, एक लाख रुपये लो, दो लाख रुपया लो, तीन लाख रुपया लो और जब वह लास्ट में यह बोलता है कि दो तो कहता है देने की बात नहीं है वह आपको मैंने सुनाया है । तो इसी प्रकार पूर्व सरकार ने यह काम किया है, देने का कुछ काम नहीं ...(व्यवधान)

इसी प्रकार उसके कार्यकाल में स्कूलों की घोषणा की । खाली कमरे बन गये या स्कूलें बन गयीं, मास्टर कहां गये ? कुछ भी नहीं । आज उनके नाम से इस सरकार को दुःख उठाना पड़ता और उसकी कमी अभी तक पूरी नहीं हो रही है । हमारी सरकार इसके लिए विशेष प्रयत्न कर रही है और हमारे शिक्षा मन्त्रीजी इसके लिए विशेष प्रयत्न कर रहे हैं कि इन शिक्षकों को अभी वहां लगा रहे हैं । अभी वह कह रहे हैं-नहीं लगाये हैं । हमारी पूर्व कांग्रेस सरकार जो थी वह बोलते हैं अभी कहां लगाये ? आपने जो हमको बजट दिया था वह कैसा दिया था और किस प्रकार की सरकार हमको सौंपकर गये थे ? कुछ भी नहीं था । खजाना खाली था और उस हालत में हम जो सरकार चला रहे हैं...(व्यवधान).... उसके लिए हमको आपको धन्यवाद देना चाहिए और उसके बाद भी नई स्कूलें खोली जा रही हैं, और खोलने वाले हैं अभी । कुटीर उद्योग के अन्दर हमारी सरकार ने जो घोषणा की है, निश्चित रूप से महिलाओं को उससे प्रोत्साहन मिलेगा । अभी ताराजी ने रेवड़ी का नाम लिया तो सबके मुंह में पानी आ गया । सही बात है । मैं यह कह सकता हूं कि महिलाओं के लिए और कुटीर उद्योग के लिये जो घोषणा की है निश्चित रूप से महिलाओं को उससे प्रोत्साहन मिलेगा और गांवों में विकास होगा । पूर्व सरकार ने महिलाओं के लिये कभी सोचा नहीं । अभी हमारे अजमेर से आये विधायक और नागौर से आये विधायक ने बोला तो जो हमारे कांग्रेसी मैम्बर थे

(श्री अमृतलाल परमार)

और सदस्य बैठे हैं उनकी हालत खराब यह हो रही थी कि वह जल रहे थे कि भाजपा सरकार ने इस बजट के अन्दर इस प्रकार की घोषणा किस प्रकार की, क्यों की। उनको मालूम है कि अगर यह कार्य हो गया तो उनके वोट टूटने वाले हैं और टूटेंगे और यह जरूर है, आने वाली विधान सभा के जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस के द्वारा जीते गये एम.एल.ए. हैं, जो मुसलमान भाई हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि मैं कांग्रेस के अन्दर रहूं या भाजपा में जाऊं। सोचना पड़ेगा उनको।....(व्यवधान) अभी चन्दनमलजी बैद ने विशेष रूप से जिक्र किया कि केन्द्र कमजोर पड़ जायेगा। केन्द्र कमजोर तब पड़ेगा, सोना बेचने पर केन्द्र कमजोर पड़ेगा। राजस्थान की सरकार भी कमजोर पड़ेगी उसके अन्दर। केन्द्र कमजोर तब पड़ेगा जब कृषि को कमजोर यह कर रहे हैं। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी तरफ यह कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहां की हालत क्या बिगड़ रही है उसकी उनको चिन्ता नहीं हो रही है, तब केन्द्र कमजोर पड़ेगा ही। इसी प्रकार केन्द्र जब कमजोर पड़ेगा, आसाम और पंजाब की हालत जो खराब हो रही है, इनको यह काबू नहीं कर पा रहे हैं तो केन्द्र कमजोर जरूर पड़ेगा। यह इनको सोचना चाहिए। यह इनकी ही देन है।

बिजली के मामले के अन्दर हमारी सरकार ने बहुत कार्य किये हैं और इस साल के अन्दर कोई कटौती नहीं की है। गत साल के अन्दर यह नीति अपनायी थी कि कनेक्शन तुरन्त दिये जावें। उसके अनुरूप हमारी सरकार का जो घाटा था वह कम हुआ है और उसके अन्दर कइयों को राहत मिली है। इस बार भी हमारी सरकार ने इस कार्य को हाथ में लिया है। कोटा ताप बिजली घर, और भी इसके लिये कार्यक्रम बना रहे हैं जिससे निश्चित रूप से किसान भाइयों को फायदा होगा। किसानों को इस बार फायदा जो हुआ है, पहले जो कटौती होती थी, इस बार कोई कटौती नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से किसानों के लिये हमारी सरकार सोच रही है।

पशुपालन के अन्दर नये औषधालय बना रही है। इसकी योजना बना रही है। पूर्व सरकार ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि किसानों की क्या हालत है, पशु की नस्ल है इनकी क्या हालत है। हमारी सरकार विदेशों की सहायता से इनके बारे में विशेष ध्यान दे रही है। तो निश्चित रूप से पशुपालन के अन्दर सुधार होगा और राजस्थान के अन्दर इस प्रकार का एक अनोखा कार्यक्रम होगा।

वनों के अन्दर जो हालत आज तक बिगड़ती आ रही है, पूर्व सरकार ने इनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वन के वन साफ हो रहे थे, आज भी इनकी तरफ कांग्रेसी बोल रहे थे कि भाजपा सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो वनों की कटाई जो रही है, हमारी सरकार जापान की योजना से जो सहयोग ले रही है, निश्चित रूप से हमारी सरकार के द्वारा उन वनों की रक्षा होगी और वन नये खड़े होंगे और जमीन का जो कटाव हो रहा है, निश्चित रूप से कम होगा इससे।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा कीजिये, माननीय परमारजी।

श्री अमृतलाल परमार : बच्चों के खेलकूद के लिए अभी हमारी सरकार ने घोषणा की है कि जितनी बच्चों के खेल-कूद के अन्दर काम आने वाली सामग्री है उसको कर मुक्त किया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उससे निश्चित रूप से बच्चों के दिलके अन्दर, उनकी खेल भावना के अन्दर रुचि बढ़ेगी। खेलकूद के अन्दर आजकल के बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, रात को, शाम को टी. वी. के सामने बैठकर खाली टी. वी. देखते हैं। तो निश्चित रूप से इन बच्चों के अन्दर भावना बढ़ेगी और उनके शरीर के अन्दर और तंदुरुस्ती के अन्दर फर्क पड़ेगा और खेलों के अन्दर रुचि बढ़ेगी। इन्होंने बच्चों के खेलकूद के अन्दर राहत दी है और कर समाप्त किया है इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। शिक्षा क्षेत्र के अन्दर, वनवासी क्षेत्र के अन्दर, जनजाती क्षेत्र के अन्दर जो बच्चों के लिए राहत दी है, कर समाप्त किया है, बच्चों के लिए जो सामग्री काम आने वाली है निश्चित रूप से उससे फायदा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चम्पा लाल बांठिया। (अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल परमार : आपने घंटी बजा दी है, बोलना और भी है। मेरे बाली क्षेत्र के अन्दर जल योजना के तहत जो काम हाथ में लिये हैं, जिस प्रकार जोधपुर के लिए सोच रहे हैं, बीकानेर के लिए सोच रहे हैं, मैं बाली के लिए मांग करूंगा कि बाली, जो पहाड़ी क्षेत्र है, के अन्दर हर साल पानी की कमी आती है और इस बार और कमी आई है, बरसात नहीं हुई है, हर साल हमको पानी के लिए तरसना पड़ता है, तो मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है कि बाली क्षेत्र के पानी के लिए जो जवाई नदी मेरे एरिया से निकलती है उस नदी से लिफ्ट द्वारा पानी लेकर बाली को दिया जाय ताकि बीच के आने वाले गांवों को राहत मिले। इसकी योजना बना ली गयी है। हुडको स्कीम के तहत दिल्ली भेजी गई है और वहां से पास होकर राजस्थान में आ गई है तो इसको क्रियान्वित करने के लिए फिर योजना बनाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री अमृतलाल परमार : मैं पुनः भैरोंसिंह जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है इससे राजस्थान का हित और राजस्थान का भला होगा, यह कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार मार्च को राजस्थान का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है और आज दूसरा दिन है इस पर चर्चा वाद विवाद हो रहा है। बजट कोई साधारण कागजों का पुलिन्दा नहीं होता जिसे हल्के फुल्के तौर पर लिया जा सके। बजट किसी भी राष्ट्र या राज्य के विकास का एक आईना होता है। आईने में जैसा अपन देखते हैं, आईना अगर सही नहीं होगा तो चेहरा विकृत हो जाता है। आईनें भी दो तरह के होते हैं, महोदय। एक तो पूरा आदमकद और एक होता है बाथरूम वाला। तो मैं कहना चाहूंगा, यह बाथरूम वाला आईना नहीं है, पूरा

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

आदमकद आईना है। इसमें समाज के किसी भी वर्ग, किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा गया है। हर हिस्से को छुआ गया है। गरीब से लेकर व्यापारी वर्ग तक, छात्र से लेकर महिला तक। आज तक ऐसा बजट-न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं दिया गया है।... (व्यवधान) महिलाओं को तो इसमें बोलना ही नहीं चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिये जितनी इसमें बातें कही गयी हैं शायद पिछले किसी बजट में नहीं कही गयी हैं। आप तो मेरे से काफी पुराने हैं, कभी इतनी बातें महिलाओं के लिए नहीं कही गयी हैं इसलिए आपको तो धन्यवाद देना चाहिये और दिया है। मैं दो दिन से देख रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि पक्ष और विपक्ष ने आरोप-प्रत्यारोप लगाये हैं लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने भी किसी ने किसी बात के लिए बधाई या धन्यवाद माननीय मुख्य मन्त्री जी को दिया है, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी इस राजस्थान के बजट के लिए कि विपक्ष जिसकी सराहना करे, जिसके कार्यों के लिये सराहना करे। इस दृष्टि से यह विकास का एक ऐतिहासिक दस्तावेज इस साल का है। क्रिकेट प्रेमी जानते हैं, हैट्रिक होती है, तीन बाल पर तीन आउट होते हैं। तो यह राजस्थान का लगातार हैट्रिक बजट है जिसमें करों में कमी हुई है। यह राजस्थान का एक हैट्रिक है। इस मायने में ऐतिहासिक बजट पूरे देश का भी इसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। योजना के आकार में 76 पर्सेन्ट की वृद्धि यह दर्शाती है कि हमारी सरकार का लक्ष्य, हमारी सरकार की गांवों के प्रति चिन्ता होना। और वह स्वाभाविक है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उसमे किसान, गरीब, मजदूर, दस्तकार, शिल्पकार, महिला, छात्र, अनुसूचित जाति, जन जाति, छोटे व्यापारी वर्ग पर टैक्स में कमी की है। मैंने पिछले बजट के समय भी छोटे-छोटे टैक्स में कमी की बात कही थी और आज भी कहता हूं कि ज्यादा टैक्स लगाने से चोरियां बढ़ती हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। जब कम टैक्स करेंगे तो करवंचन घटेगा, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को आने वाली छोटी-छोटी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिससे राजस्व में भी कोई आय नहीं होती और प्रशासनिक खर्चा उतना का उतना रहता है। इन छोटी-छोटी लगभग सैंकड़ों आइटम पर कम किया है, निस्संदेह उनका लाभ पूंजीपतियों को नहीं मिलेगा। अभी कह रहे थे, पूंजीपतियों का बजट है। पूंजीपतियों के लिए एयर कंडीशनर पर ज्यादा किया है। पूंजीपतियों का बजट तो तब होता जब एयर कंडीशनर और एयर कंडीशनर कारों पर बजट कम होता और यह तवा और चिमटी और मूसल और ओखली पर ज्यादा होता। लेकिन इसमें छोटे-छोटे आइटमों को गृहणियों के आइटमों को छुआ गया है। गरीब आदमियों के आइटमों को छुआ गया है। उनको टैक्स में राहत और छूट दी गई है, उसका स्वागत करना चाहिये और उसके लिए मैं मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं। केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध पर इस बजट में काफी व्यापक चर्चा हुई, विपक्ष और पक्ष दोनों के सदस्यों ने की। यह बात सही है कि संघीय व्यवस्था में यह जरूरी है कि केन्द्र और राज्य के जो सम्बन्ध हैं, उनमें अच्छी

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

तरह से सामंजस्य होना चाहिये। आज जो केन्द्र सरकार की लगातार सेण्ट्रलाइजेशन की नीति बनती जा रही है उसी का यह परिणाम है कि राज्यों और केन्द्र का सम्बन्ध दिनों दिन कटु होते जा रहे हैं और राज्यों का जो विकास होना चाहिये, जो उन्नति होनी चाहिये, जो गति मिलनी चाहिये, वह गति नहीं मिल पाती है और उस गति का निरन्तर ह्रास हो रहा है। आज पंजाब, असम, मेघालय, मणिपुर यह जो कश्मीर की समस्या खड़ी हो रही है, यह झारखंड की समस्या हो रही है, इन सारी समस्याओं की जो मूल जड़ है, बुनियादी समस्याएं वहीं से पैदा होती है कि केन्द्र और राज्य में सामंजस्य नहीं होता। मुख्यमन्त्री ने यह नहीं कहा कि मेरा बजट बिल्कुल सर्वमान्य होना चाहिये, आपने शायद बजट पढ़ा नहीं। इसमें पांच जगह पर माननीय सदस्यों की राय चाही गई है कि मुझे सुझाव दीजिए, मुझे राय दीजिए। इसमें राजनीतिज्ञों की राय चाही गई है, इसमें आम जनता की भागीदारी की बात कही गयी है। वह नहीं कहते कि मेरा बजट अपने आप में परिपूर्ण है। आप इसको परिपूर्ण बनाइये और परिपूर्ण बनाने के लिए आपको सुझाव देने के लिए आमन्त्रित किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या को, जिन्होंने चने की बात कही और वास्तव में अहम् मुद्दा है कि उस चने पर जो टैक्स लगता है, उससे आज चना और चने के व्यापार और यहां के जो उद्योग हैं, वह दिन-ब-दिन पतन की ओर जा रहे हैं, उस चने पर टैक्स कम कर दिया जाये। इसी तरह से रायड़ा है। पिछली बार मैंने रायड़े के बारे में एक बात कही थी पिछले बजट में, कि यह जो सेल्स टैक्स वाली इनसेंटिव स्कीम है, उसका लाभ यहां पर इसलिए नहीं मिलता कि गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में टैक्स नहीं है और यहां पर ज्यादा है। सरकार ने मेरी बात मानी और सी. एस. टी. जो एक परसेण्ट लगता था, वह कम कर दिया उससे कोई समस्या हल नहीं हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर भी जो आर. एस. टी. लगता है, वह समाप्त कर दिया जाये। तो रायड़ा और चने की जो उपज होती है, वह सारा तिल और दलहन राज्य से बाहर जाता है, अगर वह अन्दर रह जाये तो उससे इण्डस्ट्रीज डवलप होगी। इसके लिए किसी ने सुझाव नहीं दिया। मैं इस बारे में कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर यह बजट जन विरोधी होता, तो स्थिर कीमतों में, प्रति व्यक्ति आय में, जो वृद्धि हुई है और जिसे भारत सरकार ने भी माना है, वह वृद्धि नहीं होती। इसलिए इस बजट को विकास को स्थिर करने वाला मत कहिये, यह विकास को गति देने वाला है। इसका पक्षधर हूं कि जन सहयोग की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये और यह अपेक्षा करनी चाहिये कि वह सरकार में भागीदार बने। आज हमारा विकास इसलिए सम्भव नहीं हो पाया कि हमने जनता की उपेक्षा की है और सारी जिम्मेदारी अधिकारियों और प्रशासन को दे दी। जनता की कोई भागीदारी नहीं और जनता के पास कोई अधिकार नहीं, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, संस्कृत में एक श्लोक है :-

उद्यमेन ही पूज्यन्ते कार्याणि न मनोरथै...
सोते हुए सिंह के मुंह में कभी भी मृग स्वयं नहीं आता। अगर सिंह जागेगा तो

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

हिरन ग्रायेगा। ग्रगर जनता जागेगी तो विकास होगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जन सहयोग की ग्रपेक्षा की है....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के मामले में यह तीसरा ग्रोवर हैट्रिक है कि लगातार 62-62 ग्रौर 61 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है एग्रीकल्चर ग्रौर ग्रामीण विकास के मामले में। इस बार टैक्स में जो राहत दी है, प्रमाणिक बीजों पर राहत दी गई, फव्वारा सिंचाई को महत्व दिया गया है ग्रौर लघु सिंचाई की परियोजनाग्रों को सरकार बनाकर जनता को सुपुर्द करेगी, जनता उनका रख-रखाव ग्रौर देखरेख करेगी। ग्राज तो सिंचाई के मामले में बड़े काश्तकार ग्रौर ग्रधिकारी ग्रपनी सिंचाई कर लेते हैं ग्रौर गरीब काश्तकार सिंचाई से महरूम रह जाता है। उसका बीज ग्रौर खाद वहीं पड़ा रहता है, लेकिन उसको कुछ भी हाथ में नहीं मिलता ग्रौर यह काश्तकारों के लाभ के लिए एक उपयोगी योजना सिद्ध होगी कि ग्रगर वह योजना ग्रपने हाथ से संचालित करेगा, रख-रखाव करेगा तो निसंदेह उसको लाभ मिलेगा। गोपाल योजना जो चलायी जा रही है, 280 गोपाल काम कर रहे हैं, ऐसी बात कही गई है, 400 की बात कही गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह गोपाल योजना पूरे राजस्थान में लागू की जाये, इससे पशुपालन ग्रौर पशु संवर्द्धन को बढ़ावा मिलेगा ग्रौर खेती को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर इससे किसानों को फायदा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि उत्पादन के मामले में एक बहुत बड़ी समस्या नगरपालिका सीमा में ग्राती है। चुंगी का एक मामला है, माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी बिराजे हुए हैं। चुंगी का यह नियम है कि चुंगी पेड करता है क्रेता। जो खरीददार है, वह चुंगी पेड करता है। लेकिन कृषि उत्पादन के मामले में यह बिल्कुल उल्टा है। काश्तकार जब मण्डी में जाता है, वहां नगरपालिका की सीमा है तो उसको चुंगी पेड करनी पड़ती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बोझ ग्राप काश्तकारों के ऊपर से हटा दें, या वह बोझ क्रेता पर डाल दें। यह मार काश्तकार पर नहीं पड़नी चाहिए। माननीय मंत्रीजी, यह ग्रापका चुंगी का जो सिद्धान्त है उससे बिल्कुल विपरीत है। शिक्षा के मामले में इसमें महिलाग्रों को काफी प्रोत्साहन दिया गया है। विधवा एवं परित्यक्ता के मामले में यह कहा गया है कि उनको बिना ट्रेण्ड हुए भी, ग्रनट्रेण्ड टीचर्स को भी हम टीचर लगायेंगे। विद्यालय क्रमोन्नत की बात में मैं डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें भी 50 प्रतिशत महिलाग्रों को ग्रध्यापिका बनाये जाने की बात कही गई है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां नहीं हैं, मैं कहना चाहूंगा कि निजी शिक्षण संस्थाग्रों पर भी सरकार को ध्यान देने की ग्रावश्यकता है। एक तरफ हम नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, व्यावसायिक ग्रौर रोजगारोन्मुखी शिक्षा की बात करते हैं, तो दूसरी ग्रोर उन शिक्षण संस्थाग्रों, जो निजी चल रहे हैं, जहां विवंकल-टिवंकल लिटिल स्टार की पढ़ाई हो

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

रही है, सुमेरपुर क्षेत्र का रहने वाला हूं, अभी चार-पांच दिन पहले वहां पर एक मॉडर्न स्कूल में कल्चरल नाइट हुई, एनुअल फंक्शन हुआ, वहां पर फिल्मी गीत गाये गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, वहां पर अश्लील फिल्मी गीत गाये गये, उन बच्चों में कैसे संस्कार जागृत होंगे, कैसी वह शिक्षा प्राप्त करेंगे ? इसलिए इस तरह की पाबन्दी लगाई जानी चाहिए और जो हमारी संस्कृति के विपरीत पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करके हमारे बच्चों में बिगड़ने की प्रवृत्ति डालते हैं, उन शिक्षण संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहिए, उनकी मान्यता खत्म कर दी जानी चाहिए। यह केवल लाभ के लिए खुलते हैं और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी सुधार इन दो सालों में किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पुरोहित जी, पूरा करिये।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मैं सुझाव दे रहा हूं और उसके साथ बजट की तारीफ....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, दो मिनट में दे दीजिए वह।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : यह जरूरी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सुझाव दे रहा हूं और सुझाव के लिए अगर सरकार चाहेगी कि यह सही बात है तो अमल करे।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहिये। जल्दी कहिये।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : लेकिन इतना होते हुए भी अभी चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर बराबर नहीं आते। उनकी एक हॉबी रहती है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाते नहीं, छुट्टी लेकर बैठ जाते हैं, यह उनका अधिकार है। लेकिन उन पर कुछ न कुछ पाबंदियां होनी चाहिए कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में जायें, वहां जनता की सेवा करें और मरीजों का इलाज करें और उसी से जो यह सारी समस्याएं हैं, मरीजों की, गांवों की, वह मिट सकती हैं। ड्रिंकिंग वाटर के बारे में दो हजार राजस्व गांवों में, पांच सौ ढाणियों में और दो हजार एस.टी., एस.सी. बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही है। उसके साथ बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने डार्क जोन में भू-सर्वे की बात कही है। मैं एक बार पुनः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के 50 प्रतिशत गांव डार्क जोन में आते हैं, जहां भू-सर्वे बहुत पहले करवाया जा चुका हैं, लेकिन चूंकि एक, दो बार बाढ़ आ चुकी है, वहां पर पानी के सोर्स जो बदले हैं तो उनके नीचे मीठा पानी भी हो सकता है, उनका सर्वेक्षण कराना अति आवश्यक है। इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाकर सुमेरपुर क्षेत्र का जो खारा डेम है या फ्लोराइडेड पानी है, उनका सर्वे कराया जाये। एक बहुत अहम् समस्या है, उसी खारे पानी की एक बैल्ट की 68 लाख की एक योजना जो स्वीकृति के अभाव अधूरी पड़ी है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मैं जन

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से कहूंगा कि वह 22–23 गांवों की जो योजना है, उस 68 लाख की योजना को तुरन्त स्वीकृति दें। बाबा गांव, चाडोद गांव की योजना है, उसको स्वीकृति देकर हमें पेयजल मुहैय्या करायें। इलैक्ट्रिफिकेशन और वनों की बात कही है, तो यह तो विपक्षी सदस्यों ने भी तारीफ की है कि इस बार विद्युत में कटौती नहीं हुई, इसलिये मैं ज्यादा डोपली जाना नहीं चाहता कि विद्युत की कमी होते हुए भी यह प्रयास हुए सरकार तरफ से कि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े और वनों का ह्रास रोकने के लिये इस बजट में काफी कुछ कहा गया। मेरा इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है उपाध्यक्ष महोदय, वन मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में वनों का जो सिस्टम है, अगर वह वन लगाने का सिस्टम यहां भी लागू कर दिया जाये तो बहुत लाभ होगा। उसमें यह है कि नहरों के किनारे या सड़कों के किनारे या जहां कहीं वृक्ष लगाने की बात है, उसके पास जो सरकारी भूमि है, उस सरकारी भूमि के बाद जो खातेदार हैं, उन खातेदारों को यह अधिकार दे दिया कि उस सरकारी भूमि पर जो आपकी लाइन में आती हैं, वहां तो आप वृक्ष लगाओ और उस वृक्ष लगाने के बाद जो भी उसकी इनकम होती है, उसका आधा भाग सरकार लेती है और आधा भाग वह काश्तकार लेता है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय प्रभुलाल जी।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : यह जो सैल्स टैक्स कम किये हैं और काफी राहत दी है, उसमें दो-तीन चीजें ऐसी रह गई उपाध्यक्ष महोदय, वह अछूती रह गई हैं। फर्नीचर के मामले में, अलमारी और सेफ पर जो सैल्स टैक्स कम किया है, इधर होता है या नहीं होता है, मुझे पता नहीं, सैल्स टैक्स कम किया है। हमारे इधर फर्नीचर में एक मंजूस और कोठी होती है लोहे की। आज कल पैसे वाला या पूंजीपति उसका उपयोग नहीं करता। कोठी अनाज रखने की होती है ड्रम टाइप और मंजूस होती है जिसमें रजाई और बिस्तर रखते हैं, गरीब आदमी और काश्तकार ही उनको गांव में ले जाता है और उस पर 10 पर्सेण्ट टैक्स लगता है और उससे टैक्स बिल्कुल नहीं मिलता, बहुत चोरी होती है। अगर उस कोठी, मंजूस और बाल्टी, क्योंकि पूंजीपति तो प्लास्टिक की बाल्टी इस्तेमाल करते हैं, इन तीन चीजों पर जो सैल्स टैक्स है, उन पर रिबेट देकर नोमिनल या तो एक-दो पर्सेण्ट कर दिया जाये, या उनको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाये, तो निसंदेह काश्तकार, गरीब मजदूर को इसका लाभ होगा।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट है, इसका मैं स्वागत करता हूं और....

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनट हो गये हैं, कृपया समाप्त करें।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने तीसरा बजट लगातार जनता के हित में प्रस्तुत किया है। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यह बजट, किसान, महिलाओं और गरीब को गुमराह करने वाला बजट है। इस बजट के अन्दर महिलाओं की, गरीबों की जो छोटी-छोटी वस्तुएं रोज काम आने वाली हैं, दो-दो चार-चार रुपये की चीजों का टैक्स माफ किया है जो जिन्दगी में एक दफा ही खरीदी जाती हैं। वह इनके साथ में मखौल किया गया है। यदि टैक्स माफ करना ही था तो और बहुत सी बड़ी-बड़ी चीजें थीं, उनका टैक्स माफ करना चाहिये था। यह महिलाओं के साथ बहुत बड़ी मजाक की है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षा के बारे में बहुत बड़ा ढोल पीटते हैं कि शिक्षा के बारे में हम यह कर रहे हैं, इतने स्कूल खोल रहे हैं। एक ही कलम से 6 हजार स्कूलों को बन्द करके, कभी एक हजार खोलते हैं कभी आठ सौ स्कूल खोलते हैं और वाजिब जगह पर नहीं खोला जाता। जहां बच्चों की संख्या काफी है वहां नहीं खोल कर इनकी जो चाहेती जगह है वहां खोला जाता है। मेरे यहां तैतीस स्कूल बन्द करके तीन स्कूल दिये हैं जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है। आज उन तीस स्कूलों की तरफ, जहां एक-एक स्कूल में 100–100 बच्चों की संख्या है और जन सहयोग से शाला भवन कम्पलीट कर दिये हैं, बिल्कुल नजर नहीं डाली गई है जो गांव वालों के लिए बहुत बड़ा धक्का है और उनके लिये धोखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि-विद्युत के बारे में काफी बढ़ा-चढ़ा कर इस बजट में कहा गया है। गए वर्ष में 18 हजार कुओं के कनेक्शन बताये गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रिकार्ड में 18 हजार कनेक्शन कर दिये हों तो मुझे पता नहीं, आन स्पाट पर आधे कनेक्शन भी नहीं हैं। मेरे क्षेत्र सपोटरा में ऐसी सौ फाईलें हैं जिन पर तीन साल पहले कनेक्शन दे चुके हैं लेकिन आज तक एक इंच तार नहीं खेंच पाये हैं। न कोई लट्ठा है, न कोई कनेक्शन है। वह नाम मात्र के रिकार्ड में बता रखे हैं। इस प्रकार के आंकड़ों से किसान का भला होने वाला नहीं है। किसान का भला तो तभी होगा जब उनके कुए पर कनेक्शन पहुंचेगा और वह सिंचाई करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात पेयजल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं। मैं दो साल से यहां लगातार उनसे निवेदन कर रहा हूं कि सपोटरा क्षेत्र में एक-एक घूंट पानी के लिए मोहताज हैं। वहां पर पांच-पांच किलोमीटर से अपने सिर पर रख कर पीने के लिये पानी लाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमें पीने के लिये पानी चाहिये, खाने के लिये नहीं चाहिये। पानी एक ऐसी वस्तु है जो कि मनुष्य के लिये बहुत जरूरी है। अनाज दूसरे नम्बर पर है। माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन जरूर दिया है, यदि वह सार्थक हो जाता है तो मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पशुओं के बारे में बजट में बड़ा लम्बा-चौड़ा कहा गया है। इस समस्या के बारे में सरकार कुछ करती तो यह समस्या हल हो जाती। सड़कों के बारे में काफी बजट दिया है, पहले भी दिया

(श्री प्रभुलाल पटेल)

गया, इस साल भी दिया गया परन्तु एक इंच सड़क दस्यु प्रभावित क्षेत्र में नहीं बनी है। दस्युओं का आतंक इस क्षेत्र में कितना बढ़ गया है कि कोई आदमी अपनी इच्छा से इधर-उधर आ-जा नहीं सकता, अपनी इच्छा से रह नहीं सकता। जब तक डकैतों की मर्जी है तभी तक आदमी वहां निवास कर सकता है, थोड़ी नाराजगी होने पर या तो उसको गोली का शिकार होना पड़ता है या उसको वह जगह छोड़नी पड़ती है। ऐसे क्षेत्र में सरकार की कोई निगाह नहीं है और बताने को दस्यु-उन्मूलन में करोड़ों रुपये का खर्च बताते हैं। पता नहीं वह पैसा जाता कहां है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। सरकार ने भेड़ और बकरी, जो सबसे छोटे जानवर हैं, पर टैक्स लगाया है। भेड़ और बकरी सेठों और मंत्रियों की नहीं है यह गरीब पशुपालकों की है। इसका बोझ उस गरीब पशुपालक पर पड़ने वाला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस लगाये हुए टैक्स को सरकार तुरन्त वापस ले ताकि उसको राहत मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, दस्यु प्रभावित क्षेत्र के लिये मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और इस साल भी निवेदन किया है परन्तु इस समस्या में अभी एक प्रतिशत भी कमी नहीं आई है। राजस्थान में सरकार भैरोंसिंह जी की है पर उस दस्यु क्षेत्र में सरकार रामसिंह डकैत की है। अभी आज से दो-तीन महीने पहले करनपुर के दो-तीन आदमियों को पकड़ा गया था। उस समय वहां माननीय मुख्य मंत्री जी मौके पर पहुंचे। वहां पर उनके लिये पांच लाख रुपये दे करके दो आदमियों को छुड़वाया गया था और इस प्रकार का ढोल पीटा गया था कि सरकार की बदौलत इन महाजनों को छोड़ा गया है। कितने शर्म की बात है उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस हालत में बड़ी मजबूरी से आपके सामने पेश आ रहा हूं। जहां रहने की स्वतन्त्रता नहीं, उस क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है मेरी समझ में नहीं आता। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इस सरकार को कहें कि ऐसे दस्युग्रस्त इलाके में विशेष सुरक्षा का प्रबन्ध करें ताकि वहां के लोग स्वतन्त्रता से अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के सम्बन्ध में मैंने पहले भी निवेदन किया था। मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। मेरे यहां 550 फार्म कृषि कनेक्शन के जमा हैं उनमें से शायद अब तक पांच, सात, आठ के डिमाण्ड नोटिस निकले हैं जो कि नहीं के बराबर है। कहने को बजट में कभी 25 हजार कुओं के कनेक्शन देते हैं, कभी 18 हजार देते हैं, वर्किंग में स्थिति नगण्य सी है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए, आपने जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चम्पालाल जी बांठिया। अनुपस्थित।

माननीय श्री बालचन्द जी आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1992-93 का जो बजट पेश किया वह राज्य में रामराज लाने योग्य है। मैं

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

उसका स्वागत करता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले की पिछले चालीस सालों से उपेक्षा हुई है। पूर्व सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र की और झालावाड़ जिले की हमेशा उपेक्षा की है। लेकिन इस बजट में और पूर्व बजट में बहुत बजट देकर, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, झालावाड़ जिले का ख्याल रखा है। पूर्व में सिंचाई के क्षेत्र में झालावाड़ जिले में जीरो काम भी नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान में मेरे क्षेत्र में विनाई का बांध बना है, चासरा बांध बना है, भीमसागर बांध बना है, हरिसिंह सागर बांध बना है जिससे किसानों में खुशहाली आई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बजट से किसानों को बिजली की दृष्टि से कमी होने के बावजूद राहत मिली है, काफी कनेक्शन दिये गये हैं और उसमें कटौती नहीं की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में झालावाड़ जिले में बहुत विकास हुआ है। मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में डग कस्बे में रैफरल अस्पताल हुआ, चौमहला में डाक्टर डिस्पेन्सरी हुई। नागेश्वर में डाक्टर डिस्पेन्सरी हुई। इस साल पचपहाड़ में भी डाक्टर डिस्पेन्सरी हुई।

वहां पर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को इससे काफी राहत मिली है, उपचार मिला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि हमारे झालावाड़ जिले में बहुत बड़ी-बड़ी नदियां हैं। कालीसिंध नदी है, चम्बल नदी है, काफी बड़ा जल भण्डार है। यदि उन पर लिफ्ट योजना बनायी जाय तो किसानों को उससे काफी राहत मिल सकेगी और उनकी हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकेगी। मेरा सुझाव है कि इन पर एनीकट बनाया जाय जिससे किसानों की जमीन और सिंचित हो सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल की दृष्टि से विधान सभा क्षेत्र डग, झालावाड़ जिले में काफी अभाव है। अभी वर्तमान में माननीय पेयजल मंत्रीजी ने नयी टंकी योजना की घोषणा की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें अधिक से अधिक बजट देकर तुरन्त प्रभाव से वहां पर नयी टंकी का निर्माण करवाया जाये तो ग्रामीण जनता को पेयजल मिलेगा। अकाल का समय है, अकाल के समय में पेयजल उपलब्ध होना अत्यन्त ही आवश्यक है। इसलिये जल्दी से जल्दी नयी टंकी का निर्माण कराया जाय जिससे जनता को राहत मिल सके।

ग्रामीण क्षेत्र में काफी मात्रा में हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाय जिससे ग्रामीण क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध हो सके।

शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी कई स्कूलों में पद रिक्त पड़े हुए हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार इस पर गम्भीरता से ध्यान दे जिससे क्षेत्र में छात्रों का भविष्य सुधरे और उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में भवानी मण्डी में

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बिड़ला कालेज को अधिग्रहण करके वहां की जनता को राहत दी है उसके लिये मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारे पिछड़े क्षेत्र को, झालावाड़ जिले को आपने कालेज देकर राहत पहुंचायी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में; देश में, राज्य में और प्रदेश में आज जो दहेज की विभिषका भयंकर रूप से फैल रही है उसके लिये कुछ नहीं कहा गया है। यह सुझाव देना चाहता हूं कि बहन, बेटियों को जिन्दा जला दिया जाता है दहेज के कारण से, उसके लिये मुख्य मन्त्रीजी और सरकार कुछ कड़े कानून बनाये जिससे कड़ी पाबन्दी लगे और जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं उनको सबक मिले। यह मेरा राज्य सरकार को, मुख्य मंत्रीजी को सुझाव है।

अपना गांव अपनी योजना में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने विधायकों को अधिकार दिये हैं, उसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में, झालावाड़ जिले में लाखों रुपये के विकास के काम हुये। चिकित्सा भवन, स्कूल भवन, सड़कों का काम हुआ, सरकारी गोदाम बने। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में सन्तरे की खेती बहुत मात्रा में होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से, कृषि मंत्रीजी से, उद्योग मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि भवानी मण्डी में ज्यूस कारखाना लगाया जाये तो किसानों को इससे काफी राहत मिलेगी, उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा और मजदूरों को काफी मजदूरी मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों की दृष्टि से मेरा विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़ जिला) काफी पिछड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि पंचायत केन्द्रों को सड़कों से जोड़ा जाय, अधिक से अधिक बजट दिया जाय ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके।

झालावाड़ जिले में यातायात की दृष्टि से काफी अव्यवस्था फैल रही है उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई इस प्रकार के कच्चे रूट हैं जिनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है लेकिन उन पर बसें नहीं चलती। उनको पक्की बनायी जाय और उन पर बसें चलाई जाय, व्यवस्था की जाय जिससे ग्रामीण क्षेत्र को लाभ मिल सके, राहत मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1992-93 का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट रखा है यह बहुत ही सर्वांगीण बजट है। महिलाओं, छात्रों और विकलांगों, कारीगरों और किसानों के लिये बहुत राहत पहुंचायी है। मैं इसका समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री महीपाल यादव (अनुपस्थित) माननीय श्री नन्दकिशोर शर्मा।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, 1992-93 का जो बजट

(175)

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जो वित्त मंत्री भी हैं, पेश किया है वह स्वागत योग्य है। बिना टैक्स लगाये लगातार तीसरा बजट एक रेकार्ड है। पहले कांग्रेस सरकारों ने यदि कभी टैक्स नहीं लगाया तो वह चुनाव का ही वर्ष रहा होगा लेकिन लगातार तीन साल तक बिना टैक्स लगाये बजट पेश करना और किसानों को उसमें प्राथमिकता देना एक रेकार्ड है। 1400 करोड़ रुपये का विकास बजट जिसमें गत दो वर्ष में 76 प्रतिशत वृद्धि हुई, यह भी एक रेकार्ड की बात है। आप तीन साल देख लें। पहले साल में कर्जा माफ किया किसानों का, दूसरे साल में बारानी जमीन का लगान माफ किया और तीसरे साल में किसानों के लिए जो माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में संकल्प किया गया था कि किसानों की पास बुक को अधिक प्रभावी बनाया जायेगा, उन पर जो फसल लेने पर या आज तक भ्रष्टाचार हो रहा था उसके लिये पास बुक को प्रभावी बनाया जायेगा जिससे भ्रष्टाचार न हो, इसका भी संकल्प किया है। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा।

ग्राम्य वन विकास प्रत्येक पंचायत समिति में होगा। यह भी एक किसानों की योजना है और उसमें किसानों को भागीदार बनाया जायेगा और इससे प्रेरणा लेकर, जैसा अभी माननीय विश्नोईजी बता रहे थे, मेरा भी उसमें यह सुझाव है कि उसमें गांव के व्यक्तियों को भागीदार बनाया जाय और गांव के ही पेड़ लगाये जाय और उनकी आय को भी उन्हीं को दी जाय।

अनाथालय, शिक्षा, विकलांग को जो तीन साल बाद 90 पर्सेण्ट सहायता दी जाती थी उसको एक साल में करके अच्छा काम किया है।

जैसे टैक्सों के बारे में सभी ने बताया कि कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम किया, लगाने का नाम मात्र है।

सिंचाई योजना, फव्वारा योजना, सिंचाई के कई कार्यों पर, जीवन धारा, जल धारा, मैसिव कार्यक्रम आदि को प्राथमिकता दी गयी है। यह सराहनीय है।

आदिवासी क्षेत्र में किसानों के लिये, आदिवासियों के लिये पोलीटेक्नीक कॉलेज खोलने, महिलाओं के लिये तीन कॉलेजों की घोषणा करना, परिवार कल्याण में एक हजार रुपये लड़की के नाम से बाण्ड जमा कराना एक तरह से जनता को प्रोत्साहन देगा। यह सारे महिलाओं के लिये कार्यक्रम है जो स्वागत योग्य हैं। उसमें एक और यह भी जोड़ दिया जाय कि जिस आदमी की शक्ति हो वह उस बाण्ड के साथ और राशि जमा करवाना चाहे तो करवा सकता है जिससे आगे चलकर लड़की को काफी राहत होगी। यह भी स्वागत योग्य है।

सबको न्याय देने के सिद्धान्त पर माननीय मुख्यमंत्रीजी ने बड़े सोच के काम किये। गत वर्ष भी इतने न्यायालय खोले जो पहले कभी नहीं खोले थे। मुन्सिफ कोर्ट, अतिरिक्त सैशन जज कोर्ट खोले और इस साल भी 1992–93 में बहुत न्यायालय खोलने की घोषणा की है। यह भी एक रेकार्ड की बात है।

शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी स्कूल प्रत्येक जिले में खोलने की बात कही गयी है। यह

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

भी बहुत बढ़िया बात है । मेरा इसमें निवेदन है कि तकनीकी शिक्षा के स्कूल जिले-जिले में खोले जायें, वहां के रोजगार को देखकर वहां की शिक्षा दी जाय, मतलब उसका देखरेख सुन्दर होना चाहिये ।

466 विधवाओं को सर्विस देकर जन-कल्याणकारी काम में लिया है । मेरा इसमें निवेदन है कि सन् 1980 से ही हमारे क्षेत्र में छबड़ा में उप खण्ड है, बीस-पच्चीस हाई स्कूल और सीनियर सेकण्डरी स्कूल आस-पास लगते हैं, कॉलेज की मांग करते आये हैं, वहां कॉलेज खोला जाय । चिकित्सा के क्षेत्र में भी 1800 डाक्टर लगाना एक रिकार्ड की बात है । आप राजस्थान में न तो कोई नर्स, कम्पाउण्डर्स और न कोई डाक्टर है जो पढ़ा लिखा हो और नौकरी नहीं लगी हो । यह एक रिकार्ड है । जो भी होता है वह तुरन्त लग जाता है । इस ओर भी हमने ध्यान दिया है कि यह खाली नाम मात्र के न खुले हों, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर जायें और जाकर गांव वालों की चिकित्सा करें, सेवा करें । प्रत्येक पंचायत समिति में, 92-93 में घोषणा की है, चिकित्सालय हो जायेंगे । यह ग्रामीण चिकित्सा को बहुत बड़ा महत्व देना है । डाक्टरों की एक आदत पड़ी हुई है कि शहरों में ही रहते हैं, इस ओर विशेष ध्यान देना होगा । यह आज की संस्कृति में बहुत बुरी आदत बन गयी है । चाहे मास्टर हो, चाहे डाक्टर हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, वह शहर के पास ही रहना चाहती है और वह वहां से किसी भी तरह से ट्रांसफर नहीं चाहता है और गांव में सेवा नहीं करना चाहता है । हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा ।

पहली बार पूरे प्रदेश में सड़कों का सुधार हुआ है । उपक्रमों पर भी ध्यान दिया गया है कि यह घाटे में नहीं जावें । उनमें बिजली विभाग को छोड़कर सभी ने इस ओर प्रयास किये हैं । सिचाई में लिफ्ट योजना को पहली बार बहुत प्राथमिकता दी है कि हमारे पानी का नुकसान न हो । वैसे ही हमारे यहां सिचाई क्षेत्र में 6 नदियों के होते हुए भी अभी तक कोई योजना चालू नहीं है । बेंतडी और लासी योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गयी हैं उन पर कार्य चालू किया जाय । मेरा विशेष निवेदन कि जिस क्षेत्र में जो पिछड़ा है उसको हम हर तरह से प्राथमिकता दे रहे हैं, वह देनी चाहिए। यह बजट, जो 92-93 के लिए बिना टैक्स लगाये प्रस्तुत किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : नाथूरामजी, आठ मिनिट में पूरा कर लेंगे भाषण आपका ?

श्री नाथूराम आहारी : कर लेंगे ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : मेरा निवेदन है कि यह बजट स्वागत योग्य है । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नाथूराम आहारी ।

श्री नाथूराम आहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से बजट भाषण पर बहस हो रही है, मैं भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा ।

मैं यहां पर सन् 1980 से आ रहा हूं । इस बजट के आंकड़ों के जाल के अलावा

(श्री नाथूराम अहारी)

कुछ नहीं है। हमने पहले, जब जनता पार्टी का राज शुरू हुआ, उस समय भी देखा तो उस समय भी कुछ नहीं था। वही आज की स्थिति है। आंकड़े बताकर लोगों को लुभाने का प्रयास एक अच्छी आदत नहीं है। मैं तो जो पक्ष के सदस्य हैं उनसे निवेदन करता हूं कि माननीय भैरोंसिंहजी अच्छे आदमी हैं लेकिन आप उनको गलत गाइड करते हो। आप उनको चोटी पर चढ़ाते हो, आप एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाते हो। उनको धक्का मिलता है, यह उसी का परिणाम है। आप ही सब कुछ हो। काम कुछ होता नहीं है। सही बात कहते नहीं हो। आप उनको ऊपर चढ़ाते जाते हो। एक-एक आदमी दस-दस, बीस-बीस बार उनका नाम लेता है। जैसे भगवान का भी नाम नहीं लेते, इतना उनका नाम लेते हो। मक्खन लगाते हो, इससे क्या होगा ? इस चमचागिरी से कुछ नहीं होगा। गांवों में काम होगा तो ही कुछ होगा। मैं यहां पर यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सन् 55 का जन्मा हुआ एक आदमी यहां पर अच्छे-अच्छे भाषण दे दे गांव का मुंह नहीं देखा, स्कूल नहीं देखी, वह आदमी यहां पर अच्छा भाषण दे दे....(व्यवधान) अभी गांव आपने देखा नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं तो गांव में ही पैदा हुआ था। आपने ही ठेका लिया है क्या ?

श्री नाथूराम अहारी : आपने बैठते ही 6 हजार स्कूल गांवों के बन्द कर दिये और अब क्या कहते हो, हम गांवों के हिमायती हैं। शिक्षा में गांवों का विकास करना चाहते हैं ? यह आपने विकास किया है ? 6 हजार स्कूल बंद करके एक हजार आप चालू करना चाहते हो। आपने शिक्षा में यह लिखा है कि हम एक हजार प्राथमिक स्कूल खोलेंगे। 80 माध्यमिक और शायद 25 सीनियर स्कूल खोलेंगे। आप मंत्री कितने हो, ध्यान है ? चालीस हो गये शायद ? किसको दोगे यह। यह तो हमारे बागड़ी में कहते हैं—कुत्ते पर कुत्ते डालने की बात है। झगड़ा-फसाद कराने की बात है। आप, आप तो ले बैठोगे, पूर्व में मैंने देखा है अच्छी तरह, आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। आपने मात्र विधान सभा में आकर आंकड़े बनाने के सिवाय कुछ नहीं किया है। मैं यह बताना चाहता हूं आपने अभी यह बताया कि हमने बिजली विभाग में ऐसा कर दिया या किया जायेगा, इतना प्रावधान रखा है और इससे यह हो गया, इससे यह होगा। ऐसे नहीं होता है तो कैसे होता है ? वह बताता हूं। हमारे यहां कहते हैं गाड़ी भरी हुई होती है, उसके पीछे कुत्ता होता है। वह सोचता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। पर गाड़ी चलाने वाले बैल होते हैं। आपने कभी पीछे देखा है। आपने पीछे की प्रगतिशील रिपोर्ट पढ़ी है ? जो कहते हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपको पता नहीं हमने क्या किया है ? गंगा नदी का पानी जो करोड़ों वर्षों से बहता चला जा रहा था, उस पानी को राजस्थान की सूखी धरती पर लाकर राहत दिलाई है....

श्री जोगेश्वर गर्ग : पाइण्ट आफ आर्डर। यह बजट भाषण पर बहस हो रही है या चुनाव सभा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। यह कोई पाइण्ट आफ आर्डर है क्या ?....(व्यवधान) आप प्रारम्भ रखिए। बोलने दीजिए इनको।

श्री नाथूराम अहारी : बेरोजगार योजना के अन्तर्गत आप कहते हो कि हमने एक डाक्टर व्यास की अध्यक्षता में कमेटी बनायी है और हाउस में कहते हो कि जनवरी में कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट से क्या होगा ? हमारे गांवों में मस्टर-रोल पर आदमी रखते थे। सारे राजस्थान में लोगों को मस्टर-रोल पर रखते थे लेकिन आज तो राजस्थान में मस्टर-रोल का नाम ही नहीं है। एक-एक चपरासी के लिए बीस-बीस हजार रुपया, पच्चीस-पच्चीस हजार रुपया देने पर भी कोई नौकरी नहीं रखता है... (व्यवधान) आप बैठ जाइये। मेरे सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी चित्तौड़, बीकानेर ... (व्यवधान)

आप अपनी जगह से बोलो। यहां आकर मत बोलो। आप केवल बढ़ाई करते हो तो क्या है ? बच्चे मारे-मारे फिर रहे हैं। जबसे आप बैठे हैं, आपने सत्यानाश करवा डाला है। आप कहते हो कि हमने बजट इतना बढ़ा दिया। आपने बैठते ही, 20 रुपये तेल था 45 रुपये कर दिया। क्या किया आपने ? मेरे यहां पर दो आजादी दिलाने वाले आश्रम छात्रावास थे, उनको आपने नोटिस दिया और उनको बन्द करवाने का काम किया। आज बच्चे रो-रोकर घूमते हैं पर यह आपको पता नहीं लगता है। यह तो गांव में जायेंगे तब पता लगेगा। आपको यह भी पता नहीं कि आपके बैठने के बाद यहां चुनाव हुआ था उसमें आपका सत्यानाश हो गया था। फिर भी कहते हो कि हम जीत रहे हैं।

कानून-व्यवस्था के लिए आप कहते हो कि हमने यह डाला, वह कर डाला। क्या कर डाला ? बैठे ही, जयपुर के इतिहास में कभी झगड़ा नहीं हुआ था, वहां पर हजारों-सैकड़ों लोगों को मरवा डाला। भीलवाड़ा में जो काण्ड किया उसमें पूरा का पूरा गांव बरबाद कर डाला। मेरा छोटा सा जो जिला है डूंगरपुर, उसमें पांच जीपें चोरी चली गयी। उनका कोई ठिकाना नहीं। आदिम जाति सेवक संघ में हम गये तो उन्होंने कहा कि छह महीने से हमारी जीप चली गई है, पता ही नहीं लगा। मेरे सागवाड़ा पुर में आजादी के समय के पहले का एक अध्यापक है आदिवासी, गत साल की बात है, वह शाम को आठ बजे किवाड़ बन्द करके खाना खा रहे थे, चार आदमी आये। किवाड़ खटकटाकर उसको बुलाया और तुरन्त उसको मारना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी के गले से जेवर ले लिया। उस आदमी ने रिपोर्ट करा रखी है कि अमुक-अमुक आदमी ले गये पर वह आज तक रो रहा है। 90 हजार की उसकी जो एफ.डी. थी, उसको भी चुरा ले गये और आज तक वह रो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूरामजी, अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री नाथूराम अहारी : मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूं, आप नाम भी नहीं लेते हो।

श्री उपाध्यक्ष : नाथूरामजी का भाषण समाप्त हुआ समझा जा रहा है। सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 9 मार्च, 1992 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर विधान सभा की बैठक म.प. 6.00 बजे सोमवार, दिनांक 9.3.92 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 184 की सूची

सांचोर की स्थानीय प्लास्टर फैक्ट्रियों की सूची जिन्हें निगम के जिप्सम प्रोजेक्ट सांचोर से जिप्सम की आपूर्ति की जा रही है।

1– मैसर्स रेहनी जूडिया प्लास्टर

2– मैसर्स भारत प्लास्टर सांचोर

3– मैसर्स स्वास्तिक प्लास्टर

4– मैसर्स बालाजी प्लास्टर

5– मैसर्स सुशीला प्लास्टर

6– मैसर्स एच. के. उद्योग सांचोर

7– मैसर्स शीला प्लास्टर

8– भालानी मिनरल एण्ड केमिकल

9– मैसर्स आर. के. सांचोर

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 191 की सूची

जिला परिवार कल्याण संस्थान, उदयपुर में बकाया अग्रिम राशि की सूची

क्र.सं. 1	नाम 2	राशि 3
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आमेट	17338·81
2.	,, ,, बरार	32919·46
3.	,, ,, देवगढ़	6081·29
4.	,, ,, देलवाड़ा	121155·77
5.	,, ,, धारियावाद	8298·40
6.	,, ,, भाड़ोल (स)	31781 82
7.	,, ,, भाड़ोल (ख)	44713·78
8.	,, ,, कानोड़	53565 34
9.	,, ,, कुराबड़	148146·63
10.	,, ,, खमनोर	33129·31
11.	,, ,, राजसमन्द	3092·27
12.	,, ,, रेलमगरा	10492·75
13.	,, ,, रिछेड़	31023·56
14.	,, ,, रिषभदेव	77200·93
15.	,, ,, सायरा	7110·20
16.	,, ,, सनवाड़	27527·60
17.	,, ,, कोटड़ा	22728·18
18.	,, ,, ई.एस.आई. सुखेर	330·00
19.	ई.एस.आई. मादड़ी	—
20.	नगर चिकित्सालय, नाथद्वारा	6935·45
21.	न. प. केन्द्र चांदपोल	1010·00
22.	राजकीय चिकित्सालय, भूपालपुरा	7332·40
23.	कस्तूरबा मातृ मन्दिर	1084 75

1	2	3
24.	सर्वोदय सेवा केन्द्र चांदपोल	6442·30
25.	जनाना अस्पताल, उदयपुर	2094·00
26.	राजकीय चिकित्सालय, जगदीश चौक	683·00
27.	राजकीय चिकित्सालय, आयड़	312·00
28.	राजकीय चिकित्सालय, खेमली	910·25
29.	रा. चि. वल्लभनगर	291·95
30.	रा. चि. भालों की मदार	286·80
31.	रा. चि. फतह नगर	285·00
32.	रा. चि. बेदला	195.00
33.	रा. चि. प्रताप नगर	1057·00
34.	आई.सी.डी.एस. अरबन	363·00
35.	जिंक स्मेल्टर देवारी	828·00
36.	अधीक्षक मोटर गैराज	611·24
37.	उप मु. चि. एवं स्वा. अधि. प.क. डूंगरपुर	1500·00
38.	आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर	—
39.	सरस्वती विद्या एवं शोध संस्थान	50·00
40.	उच्च प्राथमिक स्वा. केन्द्र भिंडर	934·00
41.	राजकीय चिकित्सालय नादेश्मा	170·00
42.	श्री रोशनलाल मांडावत	6459·05
43.	चेतराम वाहन चालक	7620·05
44.	श्री हैदर खां वाहन चालक	216·90
45.	श्री पाबूदान सिंह वाहन चालक	150.00
46.	श्री मोती लाल दशोरा	2400·00
47.	श्री गंगाराम च.श्रे.क.	1595·00
48.	श्री ज्योति प्रकाश व.लि.	2000·00
49.	श्रीमती मरियम्मा थोमस, प्रसाविका	34070·85
50.	श्री मनोहर कृष्ण भाद्रे	47200·00

1	2	3
51.	श्री किशोर वाहन चालक	100·00
52.	श्री भंवरलाल वाहन चालक	400·00
53.	श्री जगदीश चन्द्र वाहन चालक	200·00
54.	डा. के.एल. पोरवाल	400·00
55.	श्री हीरालाल वाहन चालक	200·00
56.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	5000·00
57.	श्री के.आर. कमलेश	200·00
58.	श्री कृष्ण फर्नीचर	700·00
59.	श्री वीरेन्द्र सिंह टांक	350·00
	कुल योग :-	8,17,780·43

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

करड़ा खान (जालौर) में श्रमिकों की मृत्यु

193. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में राजस्थान खनिज विकास निगम की करडा खान पर वर्ष 1986 में दुर्घटना हुई थी और उसमें आठ श्रमिक मरे थे ?

(2) क्या निगम ने उस समय खान पर खान अधिनियम के अनुसार विकास करने का वचन दिया था ?

(3) क्या यह सही है कि उनकी अनुपालना में निगम ने दुर्घटनाग्रस्त जगह का विकास करने हेतु मै. गुजरात कन्सट्रक्शन कम्पनी को ठेका दिया था ?

(4) क्या टेन्डर में अर्थ वर्क की मात्रा 80,000 घन मीटर थी व मैसर्स गुजरात कन्सट्रक्शन कम्पनी से कुल 1,60,000 घन मीटर कार्य करवाया गया और वह कार्य भी दुर्घटना की जगह पर न होकर उक्त ठेकेदार की सुविधानुसार दूसरी जगह पर करवाया गया ?

(5) क्या यह सही है कि ठेकेदार को एक करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है ? उक्त ठेकेदार का कितना भुगतान बकाया रह गया ? जहां यह काम होना था वहां कितने मूल्य का खनिज और प्राप्त होने का अनुमान था और कितने मूल्य का खनिज प्राप्त हुआ है ? इस अनियमितता के लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) निगम हमेशा से ही खान अधिनियम के अनुसार कार्य करता रहा है और करता रहेगा। कोई अतिरिक्त वचन देने का प्रश्न नहीं है।

(3–4) निगम द्वारा मैकेनाइज ओवर-बर्डन हटाने का ठेका किसी वचन की अनुपालना में नहीं अपितु खान पर डवलपमेंट हेतु दिया गया था। यह ठेका निगम द्वारा मै गुजरात कंस्ट्रक्शन कं. दुर्घटनाग्रस्त जगह मोहनी खान, का ही नहीं अपितु एक अन्य खान रेखा के विकास हेतु भी दिया गया था। यह सही है कि टेण्डर द्वारा रखी गयी शर्त एवं यह देखते हुए कि अतिरिक्त डवलपमेन्ट की खान पर आवश्यकता है कार्य की मात्रा 1,50,000 घनमीटर कर दी गयी थी जो कि मोहिनी (दुर्घटना स्थान) खान एवं रेखा दोनों ही खानों के लिये थी। खान पर कार्य ठेकेदार की सुविधा नहीं अपितु निगम के हित को देखते हुए करवाया गया था।

(5) ठेकेदार का कुल कार्य 94,98,816 रुपये का है जिसमें पूरे रुपयों का भुगतान कर दिया गया है। खोदी हुई जगह से 2207 मै. टन माल मिलने की उम्मीद थी वो करीब 1350 मै. टन खनिज जिसकी

(खान राज्य मंत्री)

कीमत करीब 60 लाख रुपये है निकाला जा चुका है व बकाया खनिज अगले दो से तीन वर्ष में प्राप्त हो सकेगा। यहां यह कहना उचित होगा कि खनन कार्य में हमेशा अनिश्चितता रहती है व खनिज प्राप्त होना काफी कुछ प्रकृति पर निर्भर रहता है। पूरे प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं हुई है अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रोजगार हेतु विदेश में गये व्यक्तियों की सुरक्षा

194. श्री सालिग राम (बयाना) एवं श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या श्रम राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों से नौकरी हेतु विदेशों में गये व्यक्तियों के शोषण के सम्बन्ध में क्या कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन्हें रोजगार की सुरक्षा एवं शोषण से मुक्ति के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(2) असुरक्षा एवं शोषण के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण किसी प्रकार की योजना की आवश्यकता विभाग द्वारा महसूस नहीं की गई, फिर भी विदेशों में रोजगार के लिये जाने वाले व्यक्तियों को नियोजन में सहायता देने हेतु विभाग में संयुक्त निदेशक का एक पद सृजित किया गया है।

पंचायत समिति मकराना में कृषि कुओं पर विद्युत कनेक्शन

195. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति मकराना में दिनांक 1.1.1985 से कौन-कौन से ग्राम विद्युतीकृत किये गये? सूची सदन को मेज पर रखें।

(2) क्या 1.1.1985 के बाद विद्युतीकृत हुए गांवों में नियमानुसार दो कृषि कुओं को विद्युतीकृत किया गया है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में, कितने-कितने कुओं को? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम विद्युतीकृत होने पर प्राथमिकता से उस गांव में दो कृषि कुओं को कनेक्शन देने के विभाग के आदेश हैं? यदि हां, तो जिन ग्रामों में कृषि कुओं को कनेक्शन नहीं दिया गया उन कनेक्शन्स को कहां-कहां दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति मकराना में दिनांक 1.1.85 से जनवरी, 1992 तक 37 ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है। सूची "अ" संलग्न है।

(2) जी हां, पंचायत समिति मकराना

(ऊर्जा मन्त्री)

में 1.1.1985 के बाद विद्युतीकृत किये गये ग्रामों में नियमानुसार दो कृषि कुओं को ऊर्जीकृत किया गया है, लेकिन जिन विद्युतीकृत ग्रामों में एक कृषि कुए जो ऊर्जीकृत किया गया है वहां दूसरा कृषि कनेक्शन दिये जाने हेतु कार्यवाही जारी है तथा जिन विद्युतीकृत ग्रामों में एक भी कुए को ऊर्जीकृत नहीं किया गया है वहां कृषि कुए पर कनेक्शन चाहने हेतु एक भी आवेदन पत्र लम्बित नहीं है। पूर्ण विवरण सहित सूची "ब" व "स" संलग्न हैं।

(3) जी हां। नये विद्युतीकृत होने वाले गांव में दो कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान है। लेकिन ऐसे ग्रामों में अगर एक भी कृषि कुए पर कनेक्शन चाहने हेतु आवेदन लम्बित नहीं होता तो वहां कनेक्शन नहीं दिया जाता, ना ही ऐसे लक्ष्यों को अन्यत्र स्थानान्तरण करने का कोई प्रावधान है।

पंचायत समिति मकराना में दिनांक 1.1.85 से 31.1.92 तक विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र सं. 1	ग्राम का नाम 2	कोड नं. 3	विद्युतीकरण का दिनांक 4
1.	मामडोली	78	10.2.85
2.	खेडी सीला	94	10.2.85
3.	सबलपुरा	76	18.3.85
4.	बिलू	105	31.1.86
5.	मोरेड	106	31.1.86
6.	निम्बडी	121	31.3.86
7.	मोडी भीखा	83	31.3.86
8.	मोडी चारण	53	31.3.86
9.	डोडवारी	63	31.1.87
10.	मरनाई	16	28.2.87
11.	देवरी	62	28.2.87
12.	ढाली मामडोली	77	28.2.87

1	2	3	4
13.	रानीगांव	2	17.3.88
14.	झलामलिया	35	15.3.88
15.	रामपुरा	15	11.7.88
16.	नून्दडा	34	31.8.88
17.	रामसिया	50	31.8.88
18.	लाडोली	104	15.10.88
19.	दावडिया	54	18.10.88
20.	पालडीराजा	90	31.3.89
21.	डोबडी सावलदेव	47	30.8.89
22.	बालाधना	32	30.8.89
23.	मैया खुर्द	42	30.8.89
24.	डोबडी कलां	46	30.8.89
25.	छपारा	38	30.11.89
26.	खारडिया	36	30.11.89
27.	नावद	7	27.10.89
28.	सीनिया	5	31.3.90
29.	मांगलवा	4	31.3.90
30.	पालडी मेहचा	89	31.3.90
31.	मनानी	29	31.3.90
32.	हुडिया	55	31.3.90
33.	इन्दोखा	28	28.2.91
34.	बीनजारी	31	28.2.91
35.	नोसरिया	39	31.3.91
36.	गोरवा	30	15.5.91
37.	गोवडी	6	30.5.91

पंचायत समिति मकराना के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची जिनमें न्यूनतम दो कृषि कनेक्शन हैं

क्र.सं.	गांव का नाम	दिये गये कृषि कनेक्शनों की संख्या
1.	सिनियां	2
2.	ईडोखा	2
3.	नावाद	1+1 मांग पत्र जारी
4.	खोडीया	1+1 मांग पत्र जारी
5.	लाडोली	2
6.	सेबलपुर	2
7.	रामपुरा	2
8.	भरनाई	1+1 मांग पत्र जारी
9.	मोरेड	2
10.	बिल्लू	2
11.	निम्बडी	2
12.	मामडोली	2
13.	मोदी चारना	2
14.	मोदी भीखा	2
15.	नून्दरा	2
16.	रामसीया	1+1 अण्डर एस्टीमेंट
17.	रानीगांव	2
18.	डोडवाडी	2
19.	देवरी	2
20.	ढाणी मामदोली	1+1 अण्डर एस्टीमेंट

पंचायत समिति मकराना के ऐसे विद्युतीकृत ग्राम जिनमें एक भी कृषि कनेक्शन नहीं है उनकी सूची

क्र.सं.	गांवों का नाम	विवरण
1.	खेडीसिला	2 नं. मांग पत्र जारी किया गया लेकिन राशि जमा नहीं हुई।
2.	बीया खुर्द	2 नं. मांग पत्र जारी
3.	जाला मालिया	2 नं. पेन्डिग अन्डर एस्टीमेट
4.	बेल्लाढाना	फाइल जमा नहीं कराई गयी
5.	छापरा	1 नं. मांग पत्र जारी, दूसरी फाइल जमा नहीं कराई गई है।
6.	मांगलवा	1 नं. आवेदन पत्र की दि. 31.12.91 अन्डर एस्टीमेट, दूसरी फाइल जमा नहीं कराई गई।
7.	पालडी माचा	फाइल जमा नहीं कराई गई।
8.	मनाणी	फाइल जमा नहीं कराई गई।
9.	पालडी राजा	फाइल जमा नहीं कराई गई।
10.	डाबडिया	मांग पत्र जारी, अण्डर एस्टीमेट
11.	बिन्जारी	फाइल जमा नहीं कराई गई।
12.	नोसारीया	फाइल जमा नहीं कराई गई।
13.	गोथडी	फाइल जमा नहीं कराई गई।
14.	गोरावा	फाइल जमा नहीं कराई गई।
15.	डोबरी कलां	2 नं. मांग पत्र जारी
16.	डोबरी सावलदास	1 नं. मांग पत्र जारी, एक अन्डर एस्टीमेट
17.	हुडिया	1 नं. मांग पत्र जारी, दूसरी फाइल जमा नहीं है।

केवलादेव पक्षी विहार में प्रदूषण की रोकथाम

196. श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) केवलादेव घना पक्षी विहार के इर्द-गिर्द कितने उद्योग, होटल एवं प्रदूषण फैलाने वाले कारक मौजूद हैं ? क्या उक्त प्रत्येक उद्योग में जलवायु एवं ध्वनि प्रदूषण निवारण यंत्र हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या किसी भी राष्ट्रीय पार्क से 25 कि.मी. दूर तक उपरोक्त श्रेणी के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग इत्यादि केन्द्र द्वारा वर्जित हैं ? इस नियम को क्या राज्य सरकार ने लागू किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) केवलादेव घना पक्षी विहार के लगभग 5 कि.मी. की परिधि में जल/वायु एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वृहत एवं मध्यम श्रेणी के 5 उद्योग एवं लघु श्रेणी के दो उद्योग, 7 होटलें, 6 ईंट भट्टे एवं 2 अन्य उद्योग स्थापित हैं जिनमें मध्यम/वृहत श्रेणी के सभी उद्योगों ने जल प्रदूषण निवारण की व्यवस्था की हुयी है किन्तु उच्छिष्ठ उपचार संयंत्रों के उचित रख-रखाव न होने के कारण जल प्रदूषण की संभावना से नकारा नहीं जा सकता । उक्त 5 उद्योगों में से 4 उद्योगों ने वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था कर रखी है जबकि एक उद्योग की वायु अधिनियम के तहत सम्मति 1.1.90 को निरस्त की है वर्तमान में उक्त उद्योग कार्यरत नहीं है । जबकि दो लघु उद्योगों से प्रदूषण की सम्भावना हो सकने के कारण जल/वायु अधिनियमो के तहत कार्यवाही की जा रही है ।

ध्वनि प्रदूषण निवारण यत्र के बारे में अभी सर्वेक्षण नहीं हुआ हैं ।

(2) भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1985 में उद्योगों के स्थल चयन हेतु एक पर्यावरणीय निर्देशिका का प्रकाशन किया है एवं उक्त निर्देशिका में यह प्रावधान है कि 20 प्रकार के वृहत/मध्यम श्रेणी के उद्योग किसी भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य से कम से 25 कि.मी. दूरी पर स्थापित किये जावें । तथापि घना पक्षी विहार के आस-पास वृहत/मध्यम एव अन्य प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग उक्त 20 प्रकार के उद्योगों की सूची में शामिल नहीं है। तथापि राज्य सरकार द्वारा मै. डालमिया डेयरी इण्डस्ट्रीज के विरुद्ध निर्धारित जल एव वायु के मानकों की पालना नहीं करने के कारण जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के तहत मुकदमे कर रखे हैं जो कि सम्बन्धित न्यायालयों में लम्बित हैं ।

केवला देव घना पक्षी विहार के आस-पास (लगभग 5 कि.मी. की दूरी में स्थित) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सूची

क्र.सं	उद्योग का नाम	जल प्रदूषण निवारण यंत्र	वायु प्रदूषण निवारण यंत्र	ध्वनि प्रदूषण निवारण यंत्र
	वृहत/मध्यम श्रेणी के उद्योग			
1.	सिमको लि. हैवी इंजी. डिवी.	व्यवस्था हैं	व्यवस्था है	इसका अभी सर्वेक्षण नहीं हुआ हैं।
2.	सिमको लि. वैगन डिविजन	,, ,,	,, ,,	,, ,,
3.	परफेक्ट सेनेटरी पाइप	,, ,,	,, ,,	,, ,,
4.	जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स	,, ,,	,, ,,	,, ,,
5.	डालमिया डेयरी इन्डस्ट्रीज	,, ,,	,, ,,	,, ,,
	लघु श्रेणी के उद्योग			
1.	राजस्थान पिगमेंट एण्ड कैमि.	अपर्याप्त व्यवस्था है	अर्याप्त व्यवस्था है	,, ,,
2.	नेशनल ग्लास एण्ड सिलिकेटस	व्यवस्था नहीं है	व्यवस्था नहीं है	,, ,,

होटलों की सूची

1. होटल क्रेन क्रिब
2. सेन्च्युरी होटल
3. सारस होटल (आर.टी.डी.सी. का है)
4. होटल ट्यूरिस्ट रैस्ट हाउस एण्ड घना ट्रेवल्स
5. बैम्बीनो गैस्ट हाउस
6. फौरेस्ट लॉज (आई.टी.डी.सी. का है तथा घना के अन्दर है)
7. होटल ईगल नैस्ट

ईंट भट्टों की सूची

1. गोपाल फैक्ट्री
2. बन्सत ईंट उद्योग
3. जीवन ब्रिक्स फैक्ट्री

4. सूरजभान ईंट फैक्ट्री
5. गोपाल ब्रिक्स फैक्ट्री
6. जवान ब्रिक्स फैक्ट्री

अन्य कारक

1. प्रभात फायर वर्क्स (आतिशबाजी का उद्योग)
2. भारत फायर वर्क्स (आतिशबाजी का उद्योग)

LIST OF POLLUTING INDUSTRIES REQUIRED TO OBTAIN ENVIRONMENTAL CLEARANCE FOR SITING (VIDE PRESS NOTE NO. 10/60/93-LP, DATED 10TH DECEMBER, 1984 ISSUED BY THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

1. Primary metallurgical producing industries viz. zinc, lead, copper, aluminium and steel.
2. Paper, Pulp and Newsprint
3. Pesticides/Insecticides
4. Refineries
5. Fertilizers
6. Paints
7. Dyes
8. Leather Tanning
9. Rayon
10. Sodium/Potassium Cyanide
11. Basic drugs
12. Foundry
13. Storage Batteries (lead acid type)
14. Acids/Alkalies
15. Elastics
16. Rubber – Synthetic
17. Cement
18. Asbestos
19. Fermentation industry
20. Electro plating industry

डीग स्थित गुड़गांवा केनाल

197. श्री अरुणसिंह (डीग) : एवं **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि डीग स्थित गुड़गांवा कैनाल डिवीजन को वहां से हटा लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं, अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय यथावत रक्खा है। केवल कार्य के मूल्यांकन के आधार पर कुछ अधीनस्थ स्टॉफ कम किया गया है।

जिला जालोर में पर्यटन विकास

198. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जालोर जिले में पर्यटन उद्योग के विकास की सम्भावनाओं की जांच हेतु क्या सरकार ने कोई सर्वेक्षण करवाया था? यदि हां तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सर्वेक्षण में जालोर जिले में पर्यटन विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ सामने आई थीं ? यदि हां, तो सरकार ने जालोर जिले में पर्यटन विकास की दृष्टि से क्या योजनायें बनाई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत जालोर के एतिहासिक किले तक रास्ते को सुगम बनाने की दृष्टि से सरकार कोई सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो वह सड़क कब तक बन जायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत जसवन्तपुरा (जालोर) के किले तक सड़क बनाने हेतु सरकार ने कोई धन राशि आवंटित की थी ? यदि हां, तो उक्त राशि में से कितनी राशि खर्च कर ली गई है ?

(5) यदि उक्त राशि खर्च नहीं की गई है, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जालोर जिले में पर्यटन उद्योग के विकास की सम्भावनाओं की जांच हेतु कोई सर्वे नहीं करवाया है।

(2) जालोर में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कुछ स्थानों का सर्वे कराया गया था। जिसमें जालोर जिले के जीर्णोद्धार व इसकी सड़क के लिए 5.00 लाख रुपये का प्रावधान किया है जिसकी स्वीकृति होना बाकी है।

(3) जी हां। उपरोक्त 5.00 लाख रुपयों की राशि में से 3.00 लाख रुपये इस सड़क के लिए रखे गये हैं जिसकी अभी स्वीकृति होना शेष है।

(4) जी नहीं। जसवन्तपुरा हेतु कोई राशि आवंटित नहीं की गई।

(5) इसका प्रश्न ही नहीं है।

सड़क विहीन ग्राम पंचायतें

199. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या

(श्री हरिसिंह)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है ? यदि हां, तो कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों को अब तक सड़कों से जोड़ा गया है तथा कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़कों से जोड़ने से शेष रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) शेष पंचायत मुख्यालयों को कब तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उत्तर

(1) 31.3.1991 तक राज्य में 5716 पंचायत मुख्यालयों को विभिन्न प्रकार की सड़कों से जोड़ा जा चुका है तथा 1634 पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़ने शेष है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) शेष रहे पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

POSITION OF PHR CONNECTIVITY AS ON 31.3.91

S.No.	Name of Distrtrict	Total THQ	Connected by BT	WBM	GR	TOTAL	Unconnected
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ajmer	265	186	9	68	263	2
2.	Alwar	436	228	23	19	270	166
3.	Banswara	196	136	8	18	162	34
4.	Barmer	253	148	11	88	247	6
5.	Bharatpur	300	154	17	3	174	126
6.	Bailwara	337	176	29	113	318	19
7.	Bikaner	124	83	2	20	105	19
8.	Bundi	143	75	7	24	106	37
9.	Chittorgarh	307	151	31	79	261	46
10.	Churu	201	90	9	29	128	73

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Dholpur	149	56	19	3	78	71
12.	Dungarpur	174	113	15	39	167	7
13.	Ganganagar	387	260	—	2	262	125
14.	Jaipur	584	324	45	35	404	180
15.	Jaisalmer	93	53	3	22	78	15
16.	Jalore	215	110	10	88	208	7
17.	Jhalawar	209	81	16	36	133	76
18.	Jhunjhunu	246	150	27	—	177	69
19.	Jodhpur	245	186	8	50	244	1
20.	Kota	289	123	12	1	136	153
21.	Nagour	358	173	25	141	339	19
22.	Pali	290	163	29	96	288	2
23.	S. Madhopur	389	189	7	36	232	157
24.	Sikar	287	147	7	37	191	96
25.	Sirohi	130	102	4	23	129	1
26.	Tonk	192	71	8	36	115	77
27.	Udaipur	551	335	29	137	501	50
	Total	7350	4063	410	1243	5716	1634

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में खनन कार्य

200. श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर : क्या खान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मार्बल की कितनी खानें किन-किन ग्रामों के किन-किन खसरा नम्बर में स्वीकृत है ? वर्तमान में किन खसरा नम्बरों पर खनन कार्य किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है ? यदि हां, तो कौन व्यक्ति कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की अथवा की जा रही है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के स्वीकृत खनन पट्टों की सूची संलग्न परिशिष्ट "क" पर है। उक्त खनन-पट्टों एवं किए जा रहे खनन क्षेत्रों के खसरा नम्बरों की जानकारी इस कार्यालय/विभाग को नहीं है।

(2) उक्त क्षेत्र में निम्न दो मामलों के अलावा कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है :-

1- श्रीमती भौंरी देवी द्वारा उनके स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 60 मीटर क्षेत्र में अनाधिकृत खनन करने पर उसके विरूद्ध दिनांक 24.12.85 को व दि. 24.1.86को पंचनामा बनाया जाकर क्रमश: 1.43,000 व 33,750/-रुपये के मांग पत्र जारी किये गये। इन मांग पत्रों के जारी होने पर उक्त पट्टाधारी ने न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश यथा स्थिति बनाये रखने हेतु प्राप्त कर लिया और इस निषेधाज्ञा के कारण वह खनन कार्य उस क्षेत्र में कर रही है, जिसका वाद अभी विचाराधीन है।

2- श्री सुनील ढाका पट्टाधारी ने उसके आवंटित क्षेत्र निकट ग्राम रायवाला के बजाय अन्यत्र अवैध खनन कार्य किया जिसके विरूद्ध पंचनामा बनाकर न्यायालय अपर मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर के यहां इस्तगासा पेश किया जिसके विरूद्ध पट्टाधारी श्री सुनील ढाका ने मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर के यहां पर एक वाद पत्र प्रस्तुत कर उसे बेदखल नहीं करने व खनन में बाधा नहीं पहुंचाने हेतु निषेधाज्ञा प्राप्त की। उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा न्यायालय जिला न्यायाधीश, जयपुर के यहां अपील स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया गया। उक्त जिला न्यायाधीश के विरूद्ध पट्टाधारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील की जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पट्टाधारी को 35 × 35 मीटर क्षेत्र में खनन कार्य करने से नहीं रोकने हेतु आदेश जारी किये। इस प्रकार उक्त दोनों ही खननकर्ताओं के विरूद्ध कोई कार्यवाही करना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बन्द मिलों में मजदूरों की बकाया

201. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में कौन-कौन सी मीलें कब-कब से बन्द पड़ी हैं और क्यों ?

(2) किन-किन मीलों में मजदूरों की किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी बकाया है ?

(3) इन मीलों को चलाने एवं मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा कब-कब, क्या-क्या प्रयास हुए और इसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(1) उद्योग विभाग से प्राप्त सूचना एवं

(श्रम मन्त्री)

विभागीय उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान में लगभग 330 मीलें वर्तमान में बन्द हुड़ी हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर है। इन मीलों के बन्द होने के निम्नलिखित कारण हैं :–

1– कार्यशील पूंजी का अभाव

2– तैयार माल के विपणन की कठिनाई

3– पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल का अभाव

4– अनियमित पावर सप्लाई

5– उत्पादन एवं उच्च तकनीकी समस्या

6– प्रबन्धकीय अव्यवस्था

7– श्रमिकों की समस्या

8– पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव

9– पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का अभाव

(2) विभाग के पास जिन बन्द मिलों के मजदूरों की जो राशि बकाया होने की सूचना उपलब्ध है उसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर है जो संलग्न है।

(3) विभाग के द्वारा बन्द संस्थानों को चलाने के सम्बन्ध में समय-समय पर दोनों पक्षों में समझौता वार्ताएं आयोजित कराई गई तथा श्रम निरीक्षकों द्वारा बकाया वेतन के लिए क्लैम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

साथ ही जिन 16 बन्द मिलों को पुनः चालू करने हेतु प्रकरण बी.आई.एफ.आर. के यहां विचाराधीन है। उसकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला डूंगरपुर में जनजाति के कृषकों को खाद बीज वितरण

202. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990-91 में राज्य के जनजाति कृषकों को खाद-बीज वितरित किया है ?

(2) क्या डूंगरपुर जिले में वर्ष 1990-91 में कितने जन-जाति कृषकों को खाद, बीज वितरित किया गया ? यदि हां, तो पंचायत समितिवार कृषकों के नाम व मात्रा का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) डूंगरपुर जिले में राजस संघ व लेम्पस के माध्यम से वर्ष 1990-91 में अनुमानित 26000 के करीब जन-जाति कृषकों को रुपये 47,50,141-00 का खाद एवं 4,35,156 का बीज विक्रय किया गया। इतनी बड़ी संख्या में किसानों के नाम व हर एक के द्वारा खरीदी गई खाद की मात्रा की सूचना अल्प समय में एकत्रित करना तथा उसे सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है किसी गांव या समिति विशेष की सूचना यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह उन्हें उपलब्ध करा दी जायेगी।

अरावली पहाड़ी क्षेत्र में पशुओं की चराई

203. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अरावली

(श्री जुबेर खान)

पहाड़ों में अब खनन, पशुओं की चराई एवं चारे की कटाई पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसा प्रतिबंध लगाने से ग्रामीण लोगों के पशुओं की चराई एवं उनके लिये चारे की भारी दिक्कत होगी ?

(3) सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रतिबन्ध लगा नहीं अतः प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मोरेल बांध का आधुनिकीकरण

204. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) एवं श्री हीरालाल मीणा (बामनवास): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार मोरेल बांध की भराव क्षमता को बढ़ाने के लिये बांध का आधुनिकीकरण करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि मोरेल बांध का आधुनिकीकरण का प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को भिजवाया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष भेजे गये प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त टिप्पणी की आपूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(3) केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गयी आधुनिकीकरण योजना की विशेषताओं के विवरण (सेलिएन्ट फीचर्स) की प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

SALIENS FEOTURES

4.O. TECNICAL DETAILS

S.No.	Particulars	As per original Morel Irrig. project before Mod.	As per proposed Morel Mod. Irrig. Project
1	2	3	4
1.	LOCATION		
A.	Across River	Morel trubing Chamble.	No. Change

1	2	3	4
B.	Tehsil	Lalsot & Bonli near village Bagari.	No. Change
C.	District	Jaipur & Sawai Madhopur.	No Change
2.	HYDRAULOGY		
A.	Gross catchment area.	1292 sq. mile	No. Change
B.	Intercepted catchment area.	90 sq. mile	205 sq. mile
C.	Free catchment area.	1202 sq. mile	1047 sq. mile
D.	Maximum rainfall in the catchment.	—	1019.20 mm
E.	Minimum rainfall in the catchment.	—	254.78mm (1982)
F.	Average annual rainfall in the catchment.	—	647.50 mm
G.	Average mansoon rainfall with catchment area.	—	582.70 mm
H.	Yield calculations	Strange table	Yield series
I.	75% dependable yield	N.A.	4626 mcft.
J.	60% dependable yield		5320.50 mcft.
K.	50% dependable yield		5569 mcft.
L.	Standard peak flood unit hpdrauograph method.	Set available	6.00 lacs.
3.	RESERVOIR		
A.	Gross storage	2707 mcft.	5840 mcft.
B.	Dead storage	211 mcft.	211 mcft.
C.	Live storage	2496 mcft.	3629 mcft.
4.	DAM		
A.	Type	An earthen dam	An earthen dam

1	2	3	4
		with masonny wastoweit free fall type (Broad orested wier)	with geted chute spillway and breaching section
B.	Sluica sill level		
1.	Main canal	120.40	141.00
2.	East canal	126.00	141.00
C.	Full reservoir level	150.00	161.00
D.	Maximum water level	161.00	170.00
E.	Flood lift	11 ft.	9 ft.
F.	Length of over flow	540.00+120 ft. (at 150.00 at RL 157.00)	960 ft chure spill way+250 ft. earth breaching section.
G.	Top of Dam level	164.50 & 2' ft. parpet wall thus total 167.50.	176.00 & dowel of 4' height thus total 18.00.
H.	Free board.	6.30 ft.	10 ft.
I.	Length of earthen dam dam (excludty spillway waste weir)	167.00 Chains	185.90 Chains
J.	Maximum height of dam.	—	—
5.	SPILLWAY		
A.	Type	Broad crosted free flow masonry weir.	Gated chute spill- with earthen brea-ching section.
B.	Discharging capacity.	67,000 cusecs	4.00 lacs from spillway, 2 lacs from bracty section.
C.	No. & Type of gates	Nil	—
D.	Size of gates	Nil	—
E.	Spillway crest level	150.00	110.00

1	2	3	4
F.	Top width of the dam	14 ft at RL 164.50	12 ft. at RL 176.
6.	SUBMERGENCE		
A.	Area under submergence at F.R L.	—	—
B.	Culcharable area under submergence.	—	—
C.	Total population effected	—	—
D.	No. of villages effected.	—	—
7.	IRRIGATION ESPECTS		
A.	Gross command area.	21052.8 Hact.	24290 Hact.
B.	Culchamble command area.	18747 Hact.	22400 Hact.
C.	Intensity of Irrigation proposed.	75%	66%
	(i) Two Geasonal	—	—
	(ii) Rabi	10117 Hact.	16770.80 Hact.
	(iii) Karifi	—	—
D.	Gross Irrigation	10117 Hact.	16770.80 Hact.
8.	CANAL SYSTEM		
A.	Main canal		
	i. Lenght of main canal	47.32 Km.	47.32 Km.
	ii. Main canal capacity at head.	232.30 Cusecs	470 Cusecs
	iii. Length of distributies & minors.		
	iv. Cost/hact of annual Irrigation.		

1	2	3	4
B.	East canal		
	i. Length of east canal	52.68 Km.	52.68 Km.
	ii. East canal capacity at head	81.63 Cusecs	176 Cusecs
	iii. Length of distibutories	176 Km.	190 Km.
	iv. Cost/hact of annual Irrigation.		
9.	FINANCIAL ASPECT		
A.	Estimated cost.		
B.	Financial return at the end of 10th year after completion.		
C.	B C. Ratio at 10% interest.		

जैसलमेर में चिकित्सकों के रिक्त पद

205. श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में पिछले काफी समय से चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) चिकित्सकों के सभी रिक्त पद सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में 51 चिकित्सकों के पदों में से 14 पद रिक्त हैं जिनमें से 5 पद दिनांक 1.9.91 से ही सृजित होने के कारण तथा अन्य पद स्थानान्तरण/पदभार न सम्भालने के कारण रिक्त हैं। दो स्वीकृत पदों के विरुद्ध चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित हैं।

(2) रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्रम विभाग में पदोन्नतियां

206. श्री चन्द्रभान (मण्डावा) एवं श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) एवं श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या श्रम राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री चन्द्रभान)

श्रम विभाग में अन्तिम बार डी.पी.सी. कब हुई थी तथा उसकी सिफारिशों पर कहां-कहां कितनी पदोन्नतियां की गई ?

उत्तर

श्रम विभाग में वर्ष 1991 में दिनांक 16.3.91 को संयुक्त श्रम आयुक्त के 3 पदों के लिये, दिनांक 3.7.91 को उप श्रम आयुक्त के 9 पदों के लिये एवं दि 8.1.92 को सहायक श्रम आयुक्त के 13 पदों के लिये डी.पी.सी. आयोजित की गई तथा सभी पदोन्नतियों की क्रियान्विति कर दी गई है।

अन्तिम बार दिनांक 19.9.91 को वरिष्ठ लिपिक के पद हेतु डी.पी.सी. का आयोजन किया गया, जिसमें 7 कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई।

ग्राम बड़गांव (रानीवाड़ा) में 33 के वी. सब ग्रिड स्टेशन की स्थापना

207. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष रानीवाड़ा एवं जसवंतपुरा (रामसीन) विद्युत उप खण्ड में काफी ट्रांसफार्मर जले जिससे काश्तकारों की फसल जल गई ? यदि हां, तो रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, भीनमाल के कितने ग्रामों में ट्रांसफार्मर जले ?

(2) ट्रांसफार्मर जलने तथा नए ट्रांसफार्मर लगाने की तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि रानीवाड़ा के विद्युत उपखण्ड में ग्राम बड़गांव में 33 के.वी. का सब ग्रिड स्टेशन बने करीब 3-4 साल हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष में माह फरवरी, 1992 तक रानीवाड़ा, जसवंतपुरा (रामसीन) व भीनमाल में क्रमश: 39, 27 एवं 64 ट्रांसफार्मर जले, परन्तु इसकी वजह से फसलों को नुकसान होने की जानकारी नहीं है। ट्रांसफार्मर जल जाने या खराब हो जाने पर विद्युत आपूर्ति की यथा सम्भव शीघ्र व्यवस्था की जाती है।

(2) वांछित सूची "अ" संलग्न है।

(3) जी नहीं। रानीवाड़ा विद्युत उपखण्ड के अन्तर्गत ग्राम बड़गांव में 33 के.वी. सब-स्टेशन का कार्य वर्ष 1989-90 में पूर्ण किया गया था, लेकिन सम्बन्धित 33 के.वी. रानीवाड़ा-बड़गांव के बीच में आई रेल्वे क्रासिंग का कार्य रेल्वे द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने के कारण सब स्टेशन चालू नहीं किया जा सका। इस कार्य के लिये रेल्वे विभाग को वांछित राशि भी जमा कराई हुई है। रेल्वे द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात सब स्टेशन चालू कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वनों की अवैध कटाई की शिकायत

208. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

203

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(1) जैतारण जिला पाली के कितने क्षेत्र में कहां-कहां पर वन स्थित हैं एवं इन पर कहां-कहां पर किस-किस किस्म के पेड़ विगत पांच वर्षों में लगाये गये ? इस पर कितनी राशि व्यय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन वनों की विगत पांच वर्षों में अवैध कटाई किये जाने की कोई शिकायत भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब-कब एवं किस-किस ने दर्ज कराई ? इसमें कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी लिप्त पाये गये ? नाम, स्थान, सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अवैध कटाई के लिये दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र जैतारण पाली में स्थित वन क्षेत्रों एवं वह पांच वर्षों में लगाये गये वृक्षों एवं व्यय राशि का विवरण सदन की परिशिष्ट "क" के अनुसार गया है।

(2) जी हां। जैतारण क्षेत्र में की कटाई की दो शिकायतें वर्ष श्री दिलीप चौधरी, अध्यक्ष ब्लॉ (आई), सेवादल, जैतारण जिला प्रभारी महामंत्री, पाली देहात जिला कमेटी द्वारा प्राप्त हुई। एक जांचोपरान्त राजस्व क्षेत्र से सम्ब गई एवं दूसरी शिकायत की जांच

(3) जांच में किसी भी अ कर्मचारी के दोषी पाये जाने पर नुसार सख्त अनुशासनात्मक का जावेगी।

—टलिस	गुंदी	योग	आज तक कुल व्यय राशि	विशेष विवरण
000	–	25000	214773.00	—
–	–	25000	224922.00	—
–	500	5000	91483.00	—
–	–	–	–	कोई कार्य नहीं हुआ
-000	500	55000	531178.00	—

पिपलाई बांध का पुनर्निर्माण

209. श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) एवं श्री परसादीलाल मीणा (लालसोंट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने पिपलाई बांध के पुनर्निर्माण की योजना की स्वीकृति जारी कर दी है ? यदि हां, तो बांध का कार्य कब शुरू करवाने का विचार है ?

(2) पिपलाई बांध को बनाने में कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) जी हां, बांध के तकनीकी तखमीने की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है एवं टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं, इनकी स्वीकृति के पश्चात् कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(2) अनुमानित लागत 35.80 लाख रु. है।

राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय

210. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) एवं श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(1) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत कितनी सहायता राशि प्रति वर्ष दी जाती है ? विगत पांच वर्षों से अब तक इस योजना के तहत प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का किस-किस मद में कितना-कितना व्यय किया गया ? पिछले पांच वर्ष की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता राशि से कितने-कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला नेत्र शल्य इकाई चिकित्सालयों पर नेत्र सहायक पद सृजित किये तथा कितनी राशि उपकरण सुसज्जित करने पर खर्च की गई ? उक्त क्रय की कार्यवाही किस मद से की गई ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है, जो कि संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी है, जो कि संलग्न परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रीय सहायता राशि से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 45 एवं जिला नेत्र शल्य इकाई चिकित्सालयों पर 10 नेत्र सहायकों के पद सृजित किये गये हैं। तथा उपकरण सुसज्जित करने पर कुल राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 0.75 लाख व जिला नेत्र शल्य इकाई पर 18.20 लाख खर्च की गई है। उक्त क्रय की कार्यवाही निम्न बजट मद के अनुसार की गई :–

2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य
06–लोक स्वास्थ्य
101–दृष्टि विकार की रोकथाम और अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम
(केन्द्रीय प्रवृतित योजना)

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(206)

जिला पाली में बेरोजगारों को ऋण

211. श्री अचलाराम (देसूरी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में मार्च, 1989 के बाद कितने बेरोजगार युवकों, युवतियों को ऋण स्वीकृत किया गया है ? इनमें से कितने युवकों, युवतियों ने अपना स्वरोजगार शुरू कर दिया है ? कितनों को अब तक ऋण नहीं मिला है ?

(2) क्या अनुसूचित जाति/जन जाति के बेरोजगार युवक युवतियों को अलग से ऋण देने की योजना भी है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मार्च, 1989 के बाद 31.1.92 तक 196 युवकों, युवतियों को ऋण स्वीकृत किया गया है जिनमें से 110 युवकों, युवतियों ने अपना स्वरोजगार शुरू कर दिया है तथा 86 को ऋण नहीं मिला।

(2) अनुसूचित जाति / जन जाति के युवक, युवतियों के लिये अलग से ऋण देने की योजना नहीं है। स्वरोजगार योजना में 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जन जाति के युवक, युवतियों के लिये लक्ष्य आरक्षित है।

परिशिष्ट-4

तारांकित प्रश्न संख्या 187 का विवरण

सामाजिक वानिकी, गंगापुर के तहत गत 5 वर्षों में कराये गये कार्यों की सूची

क्र.सं.	वर्ष	लेखापद	कराये गये कार्यों का विवरण	हैक्टर	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1-	1987-88	कम्युनिटी वुडलोट	सीतोड	20 है.	
		परिभाषित वनों का पुनर्वास	सिथोली	50 ,,	
		अकाल राहत कार्य	बूचीलाई	50 ,,	
			कुनकुटा	100 ,,	
			लिवाली	50 ,,	
			जगरामपुरा	50 ,,	
			नवगांव	100 ,,	
2-	1988-89	सामाजिक वानिकी परिभाषित वनों का पुनर्वास छूट सहित	लाला	50 ,,	
			बिचपुरी	50 ,,	
			कुआगांव	50 ,,	
		सिल्वी पेस्ट्रोल	गंगापुर	20 ,,	
		ईंधन वृक्षारोपण	गांवडी		
		ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण योजना वन भूमि	कुनकुटा	50 ,,	
		मैनुवल प्लान्टिंग	जीवंत	40 ,,	
3-	1989-90	सिल्वी पेस्ट्रोल	भावता	15 ,,	
		ईंधन वृक्षारोपण	मथरीपुरा	15 ,,	
		सड़क मार्ग वृक्षारोपण	कोयला-सीलोड	100 ,,	
		केन्द्रीय प्रवर्तित योजना सी.एस.एस.	सुमेल	20 ,,	

२०८

1	2	3	4	5	6
			बूचोलाई	20 है.	
			गढी गोपालपुरा	20 ,,	
4-	1990-91	सिल्वी पेस्ट्रोल	दूदूपुरा	15 ,,	
			मेडी	30 ,,	
			भादरा	20 ,,	
			मेडी कुलवाडा	15 ,,	
		ईधन वृक्षारोपण	मेडी कुलवाडा	15 ,,	
			बेराडा	15 ,,	
		ईमारती लकडी	मोरेल नदी I	15 ,,	
			मोरेल नदी II	15 ,,	
			कुशलपुरा	20 ,,	
			कुशलपुरा	15 ,,	
		परिभाषित वनों का	कोठडी	25 ,,	
		पुनर्वास रूट सहित	अमावरा	50 ,,	
			बेचालाई	50 ,,	
		रूट सहित	फजीतपुरा	50 ,,	
			मिलकपुरा	50 ,,	
		ग्रामीण ईधन वृक्षारोपण	हरणया	25 ,,	
			मेडी	25 ,,	
		जवाहर रोजगार योजना	गोठमोरया	75 ,,	
		केन्द्र प्रवर्तित योजना	बिदरकिया	25 ,,	
		सी.एस.एस.	मछीपुरा	10 ,,	
			बेराडा	20 ,,	
			मेडी	25 ,,	
		बीहड सुधार कार्यक्रम	फलवाडा	50 ,,	
			अमरगढ़	30 ,,	
5-	1991-92	बीहड सुधार योजना	फलवाडा	50 ,,	

1	2	3	4	5	6
		केन्द्रीय प्रवर्तित योजना सिल्वी पेस्ट्रोल	बिदरकिया	25 है.	
		नंगी पहाड़ियों पर वृक्षा.	बूचीलाई	25 ,,	
		सामाजिक वानिकी			
		सिल्वी पेस्ट्रोल	बिदरकिया	15 ,,	
			बूचीलाई	15 ,,	
			अमरगढ ए	35 ,,	
			अमरगढ बी	15 ,,	
		ईधन वृक्षारोपण	टटवाड़ा I	15 ,,	
			टटवाड़ा II	15 ,,	
		ईमारती लकड़ी	मोरल नदी	15 ,,	
		परिभाषित वनों का पुनर्वास रूप सहित	टटवाड़ा	50 ,,	
			चतुर्भुज	30 ,,	
		रूट सहित	यूसी	50 ,,	

210

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 269 की सूची

बीकानेर जिले में वर्ष 1991–92 में कराये गये वृक्षारोपण की सूची

	उप वन संरक्षक छत्तरगढ़	मण्डल वन अधिकारी बीकानेर	उप वन संरक्षक स्टेज–II खण्ड-I	उप वन सरक्षक स्टेज–I खण्ड–I
टिब्बा स्थिरीकरण	680 है.	328 है.	821 है.	292 है.
ब्लाक प्लांटेशन	216 है.	–	222 है.	12.5 है.
नगर किनारे वृक्षारोपण	124 है.	187 है.	216 है.	175 है.
सड़क किनारे वृक्षारोपण	50 है.	–	17 है.	15 है.
ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण	73 है.	185 है.	200 है.	–
चरागाह विकास	–	–	–	235 है.
कैनाल बैंक स्टेबलाइजेशन	–	–	–	05 है.
	1143 है.	700 है.	1476 है.	734·5 है.

परिशिष्ट–6 मार्च, 19

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या

करौली सब डिवीजन में खानों से वर्ष 198

क्रमांक	वर्ष
1.	1985-86
2.	1986-87
3.	1987-88
4.	1988-89
5.	1989-90
6.	1990-91

कुल

परिशिष्ट "बी"

0	90-91	वर्तमान में रॉयल्टी की बकाया राशि
5 90	86383 10	निल
.05	64182.05	निल
2.75	61503.65	निल
.01	121699.50	26698.50
.52	20000.00	164285.55
.25	353768.30	

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 280 की सूची

आर. आई. एम. डी. सी /आर. एस. डी. सी. द्वारा संधारित अध्यर्पित खननपट्टों क्षेत्रों के उत्पादन व निर्गमन खनिज फ्लोराईट का विवरण

क्र.सं.	खनन पट्टे का नाम	अवधि	उत्पादित खनिज की मात्रा (टनों में)	खान क्षेत्र से निर्गमित खनिज की मात्रा (टनों में)
1	2	3	4	5
1–	एम. एल. 13/69 समोता	2.12.69 से 1.7.84 तक (अध्यर्पित)	10,006.380	10,665.336
2–	एम. एल. 16/69 अथाई-1	2.12.69 से 31.3.90 तक (चालू पट्टा)	12,716.741	11,090.964
3–	एम. एल.-4/70 काहिला-1	4.2.70 से 31.3.91 (चालू पट्टा)	23,732.549	18,039.813
4–	एम.एल.-21/72 देवली	25.7.77 से 26.2 80 अध्यर्पित	—	—
5–	एम.एल.-22/72 मालवा	28.11.83 से चालू पट्टा	1,511.940	452,850
6–	एम.एल.-23/72 काहिला-11	19.8.72 से चालू पट्टा	5,469.780	4,371.335
7	-एम एल.-20/72 भीलवाड़ा	11.9.79 से 30.6.84 तक अध्यर्पित	934.289	1,228.645
8–	एम.एल.-23/79 अथाई-11	6.11.80 से 30.6.84 अध्यर्पित	594.850	594.800

1	2	3	4	5
9–	एम.एल.-12/80 इथाई-111	10.7.89 से चालू पट्टा	524.550	36.000
10–	एम.एल.-14/82 बनवासा	4.1.83 से चालू पट्टा	—	—
11–	एम.एल.-12/73 नवागांव	1.10.73 से 1.7.84 तक अभ्यर्पित	4,262.619	4,540.300

ह०
खा. नि. अभियन्ता
जयपुर।

मांग अनुसार खनिज क. ग्रेड बनाने हेतु उक्त खान से उत्पादित खनिज दूसरी खान में स्थानान्तरित किया गया, जिसकी वजह से उत्पादित व निर्गमित खनिज की मात्रा में विरोधाभास रहा।

ह०

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 288 की सूची

सांचौर तहसील के अन्तर्गत विद्युतिकृत गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
1	2	3	1	2	3
1.	चीतलवाड़ा	17/3/41	24.	रतनपुरा	64
2.	केरीया	42	25.	हिन्दवाड़ा	65
3.	चारमीम	43	26.	गोमी	66
4.	रणोदर	44	27.	इसरोल	68
5.	मेलावास	45	28.	हाडेचा	69
6.	गुड़ाहेमा	46	29.	काछेला	70
7.	धरनावास	47	30.	बागपरी	71
8.	उटाड़ा	48	31.	जानवी	72
9.	लालडा	49	32.	सरवाना	76
10	रामपुरा	50	33.	बाक	77
11	बामल	51	34.	अचलपुरा	81
12.	आखोल	52	35.	बिछावड़ी	82
13.	जोधावास	53	36.	भाजरा	83
14.	निम्बाऊ	54	37.	बासन चौहान	84
15.	झाब	55	38.	बावरला	85
16.	बोरली	56	39.	उड़सन	86
17.	सेली	57	40.	आमली	87
18.	टेटरोल राठोडान	58	41.	पालड़ी सोलंकियान	88
19.	गीदरली	59	42.	ब्रह्मपुरी	89
20.	सिवारा	60	43.	डेढवा	90
21.	भोटड़ा	61	44.	,, जाखल	91
22.	डावल	62	45.	परावा	92
23.	सांभरवास	63	46.	मालवाड़ा	93

1	2	3		4	5
47.	आकोल	94	70.	कोलवा	118
48.	खिरोड़ी	95	71.	झवाल	119
49.	भारकुंआ	97	72.	धुडवा	120
50.	हरियाली	98	73.	लोलपुरा (धाधला)	121
51.	चोरा	99	74.	सीलु	122
52.	भादरून	100	75.	कोड	123
53.	मुन्नी	101	76.	गोलासन	124
54.	देवडा	102	77.	गाडाली	125
55.	मुतेल	103	78.	प्रतापपुरा	126
56.	जेलातरा	104	79.	पहाड़पुरा	127
57.	पमाना	105	80.	अगर	128
58.	बीजरोल	106	81.	जाजुसन	129
59.	लियादरा	107	82.	लाच्छड़ी	130
60.	जरोल	108	83.	फलना	131
61.	आरणपाय	109	84.	हाडेसर	132
62.	बालाया	110	85.	नागोलारी	133
63.	बोन्ता	111	86.	पुर	134
64.	डांगरा	112	87.	बोधा	135
65.	करोला	113	88.	खारा	136
66.	धामना	114	89.	मीरपुरा	137
67.	कमलपुरा	114	90.	गुन्दाऊ	138
68.	सिद्धेश्वर	116	91.	सरनाछ	139
69.	डबल	117	92.	दांता	140
			93.	कांटोल	141

1	2	3	1	2	3
94.	मेघाजागीर	142	105.	बासन देवड़ा	154
95.	पथमेरा	143	106.	बाली	155
96.	बडसम	144	107.	बणदेव	156
97.	विरोल	146	108.	दुगावा	157
98.	लुणीवार	147	109.	सुरावा	158
99.	नेनोल	148	110.	दनुरा	159
100	तेतरोल देवडान	149	111.	टीटोप	160
101	पांचला	150	112.	लच्छीवाड़ा	161
102.	कुरा	151	113.	सांचोर टाउन	—
103	पालड़ी	152	114.	करावड़ी	17/3/96
104.	सांकड़	155	115.	फलादार	145

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 294 की सूची

सपोटरा में विगत तीन वर्षों में दिये गये कृषि कनेक्शनों की वर्षवार ग्रामवार सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	विगत तीन वर्षों में दिये गये कृषि कनेक्शन		
		88-89	89-90	90-91
1	2	3	4	5
1-	सपोटरा	1	2	1
2-	डिकोली कलां	-	-	2
3-	डिकोली खुर्द	-	-	1
4-	डाबरा	4	7	5
5-	महमदपुर	1	1	-
6-	गडलुपुर	1	1	-
7-	खिराखीडी	3	2	12
8-	वापोती	2	4	2
9-	बोडागांव	1	1	-
10-	बालोती	2	1	-
11-	मोड	-	1	-
12-	तुरसंगपुरा	-	9	3
13-	लुलोज	-	13	6
14-	कावरोडा	2	-	-
15-	कुडावदा	-	1	-
16-	शेखपुरा	1	-	-
17-	जीरोता	2	-	-
18-	इनायती	-	15	4
19-	मिर्झोरा	1	-	1
20-	डिरखिरा	-	5	3
21-	रायठरा	-	-	1
22-	अमरवाड़	9	8	-

1	2	3	4	5
23-	गोठड़ा	3	2	6
24-	बाजना	2	-	-
25-	रिघपुरा	1	-	2
26-	छोरली	-	1	-
27-	अमरगड़	-	1	2
28-	भरतून	-	1	1
29-	खावदा	1	-	-
30-	एवट	2	2	-
31-	निताना	1	-	-
32-	हडोती	1	2	-
33-	रतनापुरा	1	-	-
34-	बलवापुरा	-	1	-
35-	हिनजापुर	-	-	1
36-	मावंदा	-	-	1
37-	नीमोदा	2	4	-
38-	सादपुरा	1	3	-
39-	हरिसिंहपुरा	1	-	-
40-	खेरला	1	3	6
41-	किराडी	4	-	-
42-	सेमरदा	-	1	-
43-	एदलपुर	-	1	-
	योग :-	50	93	62

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 301 का विवरण

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	प्रशासक (ग्राम सेवक) का नाम	चार्ज लेने का दि.	सामान्य लेखा (जनरल एकाउन्ट)	जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि (जे. आर. वाई. एकाउन्ट
1	2	3	3	4	5
1.	अचलपुर	सर्व श्री केहरीसिंह	18.6.91	184.05	1499.10
2.	आकोली	,, घमन्डी सिंह	,,	535.01	5396.40
3.	अरणाय	,, पदम सिंह	20.6.91	2096.40	12078.95
4.	बावरला	,, जैल सिंह	19.6.91	40.45	159313.00
5.	भीमगुढ़ा	,, पाताराम	20.6.91	302.12	11150.00
6.	भडवल	,, केहरी सिंह	17.6.91	1344.81	25705 06
7.	छिावडी	,, बाबूराम	18.6.91	10349.60	2285.60
8.	बिजरोल	,, श्याम सिंह	19.6.91	6605.68	91480.85
9.	चोरा	,, केहरी सिंह	18.6.91	14416.00	96091.10
10.	चितलवाना	,, रनसिंह	19.6.91	3311.89	26831.55
11.	डबाल	,, केहरसिंह	16.6.91	3538.95	11314.75
12.	डाबव	,, जैलसिंह	19.6.91	1952.92	837.30
13.	देवड़ा	,, श्यामसिंह	19.6.91	175.73	40580.30
14.	धमाणा	,, मांगिग राम	19.6.91	68.04	221.26
15.	डूंगरी	,, पाताराम	19.6.91	242.29	15002.67
16.	डढवा	,, पाताराम	19.6.91	218,75	9404.79
17.	गोलासन	,, मगशिराम	19.6.91	138.46	82377.00
18.	गुडासेमा	,, रामसिंह	10,6.91	256.90	576.55
19.	गुन्दाऊ	,, पदमसिंह	19.6.91	249.35	878,90
20.	हाडेचा	,, जैलसिंह	19.6.91	1370.01	90078.71

1	2	3	4	5	6
21.	हाडेतर	श्री लासिहराम	19.6.91	29040.84	8224.95
22.	हरियाली	,, पदमसिह	17.7.91	425.54	3067.62
23.	होतीगांव	,, रनसिह	20.6.91	202.82	60959.12
24.	ईटावर	,, रामसिह	20.6.91	416.21	502.80
25.	जानवी	,, बाबूराम	19.6.91	46.00	1257.30
26.	जाखल	,, रामसिह	19.6.91	243.09	48302.20
27.	झाव	,, श्यामसिह	19,6 91	3649.95	54705.15
28.	केरिया	,, रामसिह	19.6.91	976.27	33723.45
29.	कारोला	,, मासिहाराम	19.6.91	76.41	82848.00
30.	खारा	,, पदमसिह	19.6.91	476.69	1212.14
31.	खेजडीयाली	,, पाताराम	20.6.91	29838.42	79090.95
32.	नैनोल	,, बीरसिह	19.6.91	66.07	16540.25
33.	निम्बाऊ	,, श्यामसिह	19.6 91	11.00	1080.00
34.	पांचला	,, बीरसिह	18.6.91	2856.60	43710.14
35.	परावा	,, हेमसिह	20.6.91	209.11	25991.20
36.	पुर	,, रामसिह	19.6.91	133.73	1537.90
37.	रणोदर	,, गुमानसिह	20.6.91	190.40	13.54
38.	सांकड	,' बुपालसिह	19.6.91	1212.84	2425.71
39.	सरनाऊ	,, रामसिह	19.6.91	209.20	10747.45
40.	सरवाना	,, जैलसिह	19.6.91	11105.83	181587.20
41.	सूथडी	,, बाबूराम	19.6.91	2860.98	127057.00
42.	सुराचन्द	,, पाताराम	19.6.91	272.37	24653.62
43.	सुरावा	,, बुधपालसिह	19.6.91	654.60	39626.40
44.	विरोल	,, वीरसिह	19.6.91	418.40	60150.53

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 302 की सूची

वर्ष 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना (राहत) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची—

जिला : बांसवाड़ा

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि		
			सामग्री	योग
1–	कुशलकोट से गुसाई का पाड़ा वाया बानों का पाड़ा	0.36	0.24	0.60
2–	केशरपुहा पादेडी सड़क	0.60	0.40	1.00
3–	शेरगढ़-डाबरी फलवा सड़क	1.80	1.20	3.00
4–	आनन्दपुरी से कोबा सड़क	1.80	1.20	3.00

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 303 की सूचियां **सूची "अ"**

पंचायत समिति लालसोट के ग्राम पंचायत मुख्यालय जो कि डामर की सड़क से जोड़ दिये गये हैं उनकी सूची—

डामर की सड़क

1- कल्लावास
2- राहुवास
3- बिलोनाकलां
4- मण्डावरी
5- डीडवाना
6- रामगढ़ पचवारा
7- काकरिया
8- लालपुरा
9- ह्योदायली
10- श्योसिंहपुरा
11- कालूवास
12- तलाबगांव
13- महूरिया
14- दौलतपुरा
15- बगड़ी
16- बीछा
17- सोनार
18- सावसा
19- श्रीमां

मेटल की सड़क

1- किशोरपुरा
2- श्यामपुरा कलां
3- सलेमपुरा
4- खेडलाखुर्द

सूची "ब"

पंचायत समिति लालसोट के ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सूची जो सड़क से जुड़े नहीं हैं उसकी सूची—

1- डूंगरपुर
2- राजोली
3- बिदरखा
4- बोरीयावास
5- निर्झरना
6- हेमलयावास
7- पालूदा
8- डोब
9- निजामपुरा
10- अमराबाग
11- गंगलिवास
12- चांद-सन्-चक
13- टोडा ढेकला
14- मिरजापुरा
15- कटूम्बर
16- जापडा खुर्द
17- देवली
18- खटवा
19- सूरतपुरा

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 306 की सूची

क्र सं.	नाम चिकित्सालय पंचायत समिति सोजत	चिकित्सकों के स्वीकृत पद	रिक्त पदों का विवरण
1	2	3	4
1-	सोजत सिटी चिकित्सालय 'सी" श्रेणी	1-वरिष्ठ विशेषज्ञ-2	वरिष्ठ विशेषज्ञ के 2 पद 1.9.91 से रिक्त हैं (सृजित तिथि से)
		2 कनिष्ठ विशेषज्ञ-3	—
		3-वरि. चि. अधिकारी-1	—
		4-दन्त चिकित्सक-1	—
		5-चिकित्सा अधिकारी-7	—
2-	ब्लाक प्रा. स्वा. केन्द्र, चेन्दावल	1-वरि. चि. अधिकारी 1	—
		2-चिकित्सा अधिकारी-1	—
3-	प्रा. स्वा. केन्द्र, गागुड़ा	1-चिकित्सा अधिकारी-1	—
4-	प्रा. स्वा. केन्द्र, सियाट मय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	1-चिकित्सा अधिकारी-2	एक पद जनवरी, 92 से रिक्त है
5-	प्रा. स्वा. केन्द्र, सोजत रोड	1-चिकित्सा अधिकारी-1	—
6-	प्रा. स्वा. केन्द्र, अटपडा	1 चिकित्सा अधिकारी-1	—
7-	प्रा. स्वा. केन्द्र, हरियामाली	1-चिकित्सा अधिकारी-1	—
8-	प्रा. स्वा. केन्द्र, चाडवास	1-चिकित्सा अधिकारी-1	एक जन., 92 से आदेशों की प्रतीक्षा में
9-	प्रा. स्वा. केन्द्र, धाकडी	1-चिकित्सा अधिकारी-1	—
10-	सरदारसमन्द चिकित्सालय मय प्रसूती सुविधा	1-चिकित्सा अधिकारी-2	1-डा. लक्ष्मणसिंह ओला का पदस्थापन किया गया परन्तु कार्य ग्रहण नहीं किया
11-	सामुदायिक स्वा. केन्द्र बगडी	1-कनिष्ठ विशेषज्ञ-2	1-क. विशेषज्ञ (सर्जरी) रिक्त जनवरी, 90 से
		2-वरि. चि. अधिकारी-1	वरि. चि. अधिकारी के पद के विरुद्ध चि. अ. कार्यरत हैं
		3-चिकित्सा अधिकारी-3	—

1	2	3
पंचायत समिति खारची, (मारवाड़ जंक्शन)		
1– साम्. स्वा. केन्द्र, खारची	1–क. विशेषज्ञ–2	1 पद माह जन., 92 से
	2–वरि. चि. अधिकारी–1	—
	3–चिकित्सा अधिकारी–3	2 पद जन., 92 से (डाक्टर्स के पीजी कोर्स में चले जाने पर)
2– प्रा. स्वा. केन्द्र, राणावास	1–चिकित्सा अधिकारी–1	1 पद जन., 92 से डा. बीना पाटोदी के स्थानान्तरण से
3– प्रा. स्वा. केन्द्र धानला मय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	1–चिकित्सा अधिकारी–2	1 पद
4– प्रा. स्वा. केन्द्र बाता	1–चिकित्सा अधिकारी–1	—
5– प्रा. स्वा. केन्द्र, कन्टालिया	1–चिकित्सा अधिकारी–1	—
6– प्रा. स्वा. केन्द्र, धामली	1–चिकित्सा अधिकारी–1	—
7– प्रा. स्वा. केन्द्र, आडवा	1–चिकित्सा अधिकारी–1	—
8– प्रा. स्वा. केन्द्र, जोजावर मय एम सी.एच.	1–चिकित्सा अधिकारी–2	1 पद 23.6.90 से पदस्थापित चिकित्सक के कार्य ग्रहण करने
9– प्रा. स्वा. केन्द्र, सारण	1–चिकित्सा अधिकारी–1	—
10– मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, राणावास	1–चिकित्सा अधिकारी–1	1 पद रिक्त है।

गत दो वर्षों से अवकाश पर रहे चिकित्सा अधिकारियों का विवरण

1– डा. बीना पाटोदी रानावास दि. 17.7.91 से 3.8 91 तक अवकाश पर रहीं

2– डा. सुनीत कुमार श्रीवास्तव, रानावास दि. 1.9.91 से अनुपस्थित

3– डा सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सोजतनगर दि. 25.2.91 से 7.3.91 (11 दिन)
दि. 18.3.91 से 18.8.91 (153 दिन)
दि. 19.12.91 से 4 1.92 (21 दिन)

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 308 की सूची

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में एडपोस्ट, प्रा. स्वा. केन्द्र, रेफरल अस्पताल में स्वीकृत पदों का विवरण—

स्वीकृत पद का नाम	पद संख्या	कार्यरत	रिक्त	जब से रिक्त है वह तिथि	विवरण
1	2	3	4	5	6
अ-रेफरल अस्पताल, झाडोल (फलासिया)					
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	—	1	2/91 से चिकित्सा अधिकारी पद के विरूद्ध कार्यरत।	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	—	1	सृजन के पश्चात्	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1	—	1	7/88	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	1	—	1	7/88	
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	2	1	1	एक पद 88-89 से कैंट इन अबेन्स है।	
चिकित्सा अधिकारी	2	2	—	—	
मेल नर्स श्रेणी-प्रथम	2	2	—	—	
मेल नर्स श्रेणी-द्वितीय	5	5	—	—	
स्टाफ नर्स	1	1	—	—	
प्रसाविका	1	1	—	—	
वाहन चालक	2	1	1	7/90	
वार्डब्वाय	7	7	—	—	
हरीजन	2	1	1	3/91	
वरिष्ठ लिपिक	2	—	2	6/91	
कनिष्ठ लिपिक	1	1	—	—	
कनिष्ठ लेखाकार	1	—	1	3/91 से	
लैब टेक्नीशियन	1	1	—	—	
रेडियोग्राफर	1	1	—	—	

1	2	3	4	5	6
स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	—	—	
सेक्टर सुपरवाइजर	4	1	3	10/91, 7/90, 7/0	
संगणक	1	—	1	6/87	
ब्लाक हैल्थ सुपरवाइजर (मेल)	1	1	—	—	
ब्लाक हैल्थ सुपरवाइजर (महिला)	1	1	—	—	
एस. पी. डब्ल्यू. (मेल)	17	14	3	—	
प्रसाविका (उपकेन्द्रों की)	48	38	10	माह जुलाई/91 के पश्चात् स्थाना. से पद रिक्त	
ब-प्रा. स्वा. केन्द्र, ओगणा					
1. चिकित्सा अधिकारी	1	1	—	—	
2. मेल नर्स श्रेणी-2	2	2	—	—	
3. महिला स्वा. दर्शिका	1	1	—	—	
4. प्रसाविका	1	1	—	—	
5. वार्डब्याव	3	2	1	7/91	
6. स्वीपर	1	—	1	4/91	
7. वरिष्ठ लिपिक	1	—	1	7/90	
8. कनिष्ठ लिपिक	1	—	1	7/90	
9. लैब टेक्नीशियन	1	1	—	—	
स-प्रा. स्वा. केन्द्र मावड़ी					
1. चिकित्सा अधिकारी	1	—	1	11/91	
2. मेलनर्स श्रेणी-II	2	1	1	10/91	
3. प्रसाविका	1	—	1	12/91	
4. वरिष्ठ लिपिक	1	—	1	2/89 सृजन के पश्चात्	
5. लैब टेक्नीशियन	1	—	1	,,	
6. स्वा. निरीक्षक	1	—	1	,,	
द-प्रा. स्वा. केन्द्र पानरवा					
1. चिकित्सा अधिकारी	1	1	—	—	

228

1	2	3	4	5	6
2. मेलनर्स श्रेणी-II	1	1	—	—	
3. महिला स्वा. दर्शिका	1	1	—	—	
4. वार्डब्याय	1	1	—	—	
5. स्वीपर	1	1	—	—	
6. स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	—	—	
7. लैब टेक्नीशियन	1	1	—	—	
इ-प्रा. स्वा. केन्द्र कोल्यारी					
1. चिकित्सा अधिकारी	1	—	1	6/91	
2. महिला स्वा. दर्शिका	2	2	—	—	
3. वार्डब्याव	1	1	—	—	
4. स्वीपर	1	1	—	—	
5. लैब टेक्नीशियन	1	—	1	1/89	
6. स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	—	—	
ई-प्रा. स्वा. केन्द्र फलासिया					
1. चिकित्सा अधिकारी	1	—	1	11/91	
2. मेल नर्स श्रेणी-II	2	2	—	—	
3. प्रसाविका	1	1	—	—	
4. वार्डब्याव	4	3	1	7/91	
5. वरिष्ठ लिपिक	1	—	1	6/91	
6. लैब टेक्नीशियन	1	—	1	1/90	
7. स्वास्थ्य निरीक्षक	1	—	1	1/90	
उच्चीकृत उप केन्द्र थोबावाड़ा					
1. मेलनर्स श्रेणी-I	1	1	—	—	
2. वार्डब्याव	2	2	—	—	

1	2	3	4	5	6
उच्चीकृत उपकेन्द्र, मावडी					
1. मेलनर्स श्रेणी–II	1	1	—	—	
2. वाइंव्याव	1	1	—	—	
उच्चीकृत उपकेन्द्र, पीपलवाड़ा					
1. मेलनर्स श्रेणी–II	1	1	—	—	
2. वाइंव्याव	1	—	1	—	
उच्चीकृत उपकेन्द्र, आमलिया					
1. मेलनर्स श्रेणी–II	1	1	—	—	

(230)

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 310 की सूची

अनुसूचित जाति के डाक्टरों के नाम

1. डा. के. एस. बलाई
2. डा. बिहारी लाल बैरवा
3. डा. अमृतलाल बैरवा) दोबारा स्थानान्तरण किया गया
4. डा. अमृतलाल बैरवा)

अनुसूचित जाति के डाक्टरों के नाम

1. डा. अमर सिंह मीणा
2. डा. बजरंग लाल मीणा
3. डा. हरीसिंह मीणा
4. डा. बृजमोहन मीणा
5. डा. श्रीराम मीणा
6. डा. रामफूल मीणा
7. डा. जगन लाल मीणा
8. डा. बाबूलाल मीणा
9. डा. बृजलाल मीणा
10. डा. मेघराज मीणा
11. डा. बुद्धराम मीणा
12. डा. हरीश कुमार सिहरा
13. डा. रामस्वरूप मीणा
14. डा. के. एल. मीणा
15. डा. झमन लाल मीणा
16. डा. श्याम बिहारी झारेडा
17. डा. आर. सी. मीणा

18. डा. के. के. कजोलिया
19. डा. के. एल. सहेरा
20. डा. नमोनारायण मीणा
21. डा. रामलाल मीणा
22. डा. बुद्धराम मीणा
23. डा. रामस्वरूप मीणा
24. डा. बी. एल. मीणा
25. डा. हरीसिंह मीणा क्र.सं. 3 व 29 पर भी अंकित है
26. डा. बुद्धराम मीणा क्र.सं. 11 पर भी अंकित है
27. डा. अमर सिंह मीणा क्र.सं. 1 पर भी अंकित है
28. डा. बी. एल. मीणा
29. डा. हरीसिंह मीणा

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 312 की सूची

परिशिष्ट-"ब"

क्र.सं.	सड़क मरम्मत कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	वर्ष 1989-90 प्रगति विवरण (मरम्मत कार्य)				विशेष विवरण
			ग्रेवल सड़क	मेटल सड़क	डामर सड़क	सी.डी. कार्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	प्रीकोटेड मूंगिबे से बालोतरा समदड़ी सड़क पर नवीनीकरण का कार्य कि.मी. 20/8 से 30/0	4.00	-	-	10 कि.मी.	-	कार्य पूर्ण
2-	—"— मोकलसर स्टेशन से शहर कि.मी. 1 व 2	0.80	-	-	-	-	कार्य अपूर्ण रहकर वर्ष 1991-92 में पूर्ण हुआ
3-	सम्पर्क सड़क लूनी नदी रपट समदड़ी कॉजवे का कार्य	15.00	-	-	-	740 मी. सीमेंट कंकरीट रपट का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण
4-	कल्याणपुर समदड़ी सिवाना सड़क के कि.मी. 48 में आर.सी.सी. स्लैब कलवर्ट का कार्य	3.00	-	-	-	दो पुलिये निर्माण पूर्ण	कार्य पूर्ण
5-	कुशीप मी मगोडा सड़क पर 20 कि.मी. प्रिमिक्स कारपेट द्वारा नवीनीकरण का कार्य कि.मी. 0/8 से 5/0	3.00	-	-	5 कि.मी.	-	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
6-	प्रीकोटेड मूंगिये से कल्याणपुर समदड़ी सिवाना जालोर सड़क पर नवीनीकरण का कार्य 53/0 से 67/0	5.68	–	–	14 कि.मी.	–	कार्य पूर्ण
7-	—"— बालोतरा से सिवाना सड़क पर नवीनीकरण का कार्य कि.मी. 11/0 से 21/8	4.38	–	–	10 कि.मी.	–	कार्य पूर्ण
		32.40	योग :-		39 कि मी.		

परिशिष्ट 'ब'

क्र.सं.	सड़क मरम्मत कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	वर्ष 1990-91 में मरम्मत कार्य प्रगति विवरण				विशेष विवरण
			ग्रेबल सड़क	मेटल सड़क	डामर सड़क	सी.डी. कार्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	बाढ़ सुधार एवं मरम्मत कार्य कल्याणपुर समदड़ी सिवाना जालोर सड़क कि.मी. 20/0 से 26/0	2.60	–	1 कि.मी.	1 कि.मी.	–	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
2-	—"— कि.मी. 26/0 से 52/0	6.31	1 कि मी.	2 कि.मी.	–	132 मी. डी/एस कट ग्राफ वाल	कार्य अपूर्ण रह कर वर्ष 1991–92 में पूर्ण हुआ ।
3-	—"— कि.मी. 52/0 से 80/8	8.10	–	–	–	200 मी. यू/एस डी/एस कट ग्राफ वाल	,,
4-	—"— बालोतरा से सिवाना सड़क कि.मी. 0/0 से 30/0	2.00	–	–	–	200 मी. कट ग्राफ वाल पीपिंग कार्य ।	कार्य पूर्ण
5-	—"— टापरा पदरू सड़क कि.मी. कि.मी. 0/0 से 35/0	8.20	–	1 कि.मी.	–	2 सी.डी. वर्क (काजवे) 180 मी. ग्राफ वाल	कार्य अपूर्ण रहकर 1991–92
6-	—"— समदड़ी बालोतरा किटनोद मैली सड़क कि.मी 0/0 से 28/0	3.65	6 कि.मी.	–	–	185मी. डी/एस कट ग्राफ वाल	"
7-	—"— समदड़ी मजल सड़क कि.मी. 0/0 से 14/0	15.70	–	5 कि.मी.	6 कि.मी.	दो प्लश काजवे 265 मी. डी/एस कट ग्राफ वाल	,,
8-	—"— मोकलसर से मण्डल कि.मी. 0/0 से 26/0	7.50	1.5 कि.मी.	3 कि.मी.	4 कि.मी.	100 मी. डी/एस कट ग्राफ वाल	,,
9-	—"— पादरू से सिवाना कि.मी. 0/0 से 26/0	0.80	4 कि.मी.	–	–	–	कार्य अपूर्ण रह कर 1991-92 में पूर्ण हुआ

1	2	3	4	5	6	7	8
10-	—"— सिवाना से थनमाता हिंगलाज 0/0 से	0.50	1.5 कि.मी.	–	–	70 मी. डी/एस कट ग्राफ वाल	कार्य पूर्ण
11-	—"— समदड़ी से रानीदेशीपुरा कि.मी. 0/8 से 5/0	0.75	–	–	–	180 मी. डी/एस कट ग्राफ वाल	कार्य पूर्ण
12-	डामर सड़क निर्माण कार्य समदड़ी से रानी देशीपुरा	6.00	–	3.5 कि.मी.	3.5 कि.मी.	–	कार्य पूर्ण
13-	डामर सड़क निर्माण कार्य सिवाना से थानमाता हिंगलाज कि.मी. 0/0 से 5/0	8.00	–	–	–	100 मी. कट ग्राफ वाल	कार्य पूर्ण
14-	बालोतरा से समदड़ी का मरम्मत कार्य	22.00	10 वर्म	7 कि.मी.	13 कि.मी.	दो काजवे 624 मी. कट ग्राफ वाल	कार्य पूर्ण
	योग :-	92.61	24.00	22.50	27.50		

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 317 की सूची

बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में 1500 आबादी वाले गांवों की सूची

प्रपत्र "अ" (सड़क से जुड़े हुए गांवों की सूची)

1.	करणावर	(1704)	एम. आर.
2.	कोलाणा	(1802)	बी. टी.
3.	लोटवाड़ा	(1912)	बी. टी.
4.	गुडा कटला	(2740)	बी. टी.
5.	बांदीकुई जागीर	(2543)	बी. टी.
6.	अभतवाड़ा	(3242)	एम. आर.
7.	बड़ियालकला	(4171)	बी. टी.
8.	बिवाई चक	(2094)	एम. आर.
9.	भांवता भांवती	(1578)	एम. आर.
10.	श्यालावास खुर्द	(2143)	बी. टी. से

प्रपत्र "ब" (सड़क से नहीं जुड़े गांवों की सूची)

1.	गुल्लाणा	(1544)	सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं।
2.	गुलाड़िया	(1612)	,, ,,
3.	धनावड़	(1616)	मार्च,93 तक सड़क से जुड़ जाने की संभावना है।
4.	अरणिया	(1841)	6/92 तक सड़क से जुड़ जाने की सम्भावना
5.	उनबारा गांव	(1694)	सड़क से नहीं जुड़ पायेंगे।
6.	बेजूवाड़ा	(1761)	,, ,,
7.	हिंगोटिया	(2123)	,, ,,
8.	श्यालावास कलां	(3222)	मार्च, 92 तक जुड़ जाने की सम्भावना है।